खण्ड-389, अंक-4
मंगलवार, 25 माघ, शक संवत् 1910
(14 फरवरी, 1989 ई0)

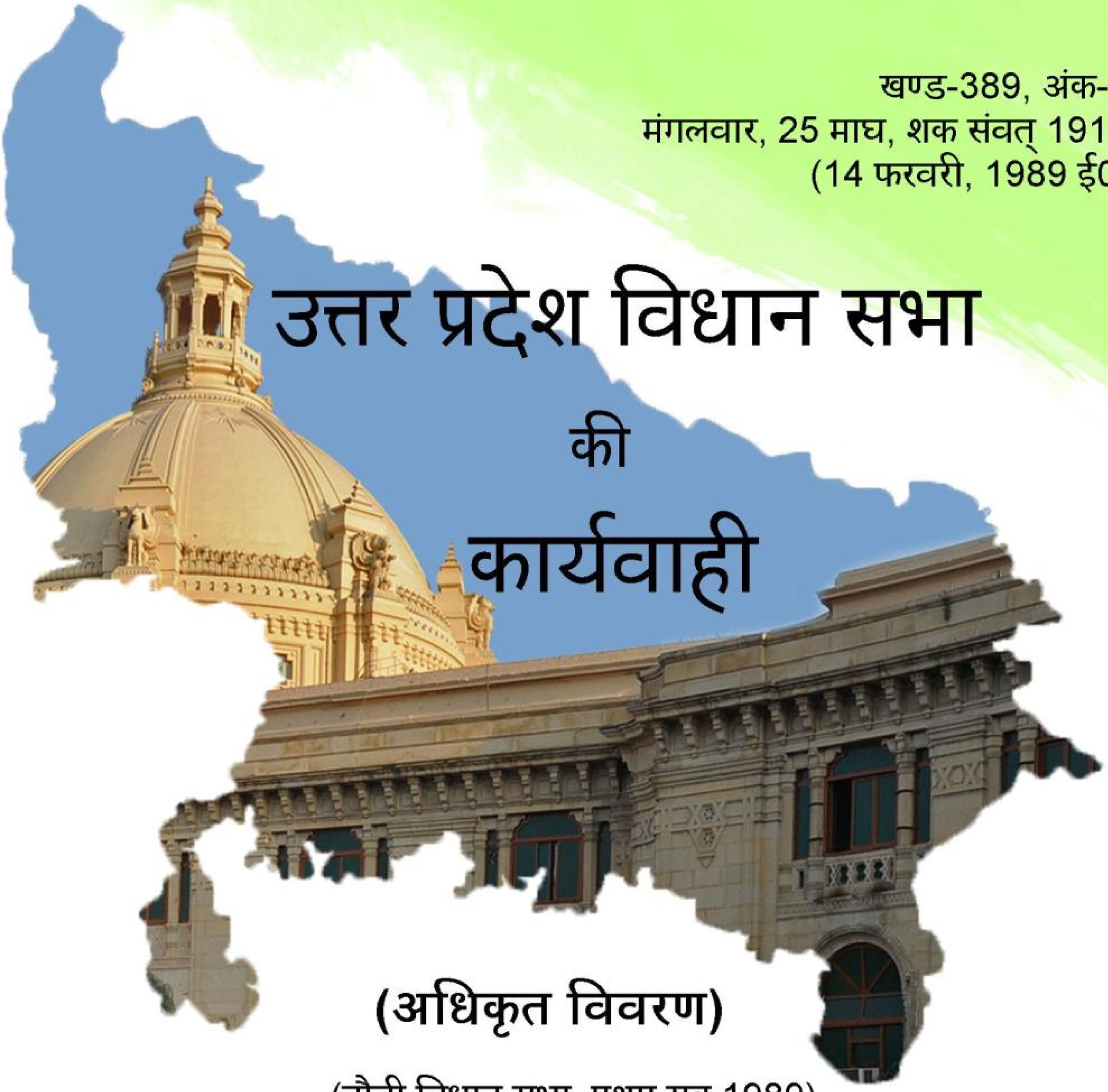

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(नौवी विधान सभा, प्रथम सत्र 1989)

खण्ड 389 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1989

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	ग
प्रश्नोत्तर	1–107
नियम 301 की सूचनाएं	108
जनपद मऊ में घाघरा नदी की बाढ़ से हुई क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	108
किसान सहकारी चीनी मिल लि0 महमूदाबाद जिला सीतापुर में शेयर खरीदने के धन में कथित रूप से की गयी धांधली के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	109
थाना चौक जनपद लखनऊ की पुलिस अकर्मण्यता के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	109
बस्ती जनपद की तहसील डुमरियागंज के कतिपय ग्रामों में सहकारी देयों की वसूली में उत्पीड़न के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	110
जिला बलिया में भूमि संरक्षण विभाग द्वारा किसानों से धांधली पूर्वक धन की उगाही के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	110
हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों को सेवानिवृत्ति के बाद के भुगतानों में विलम्ब के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	110
जिला गाजीपुर के अलावपुर, बकेसर, पिण्डारी, तिराहीपुर मार्ग को पक्का किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	111
जनपद इलाहाबाद में गंगा प्रदूषण योजना के अन्तर्गत मोरीगेट नाले की सफाई से जल भराव की स्थिति उत्पन्न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	111
जनपद झांसी के बेतवा नहर प्रखण्ड की गुलसराय नहर प्रणाली के गलत रोस्टर के कारण सिंचाई की हानि के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	112
जिला सिद्धार्थ नगर में चिन्तापुर बांध के निर्माण से कूढ़ा नदी के दायें किनारे पर बांध के अभाव में उसका बाजार नगर की सुरक्षा के खतरे के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	112
प्रदेश के असहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों की दयनीय स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	113
जनपद इलाहाबाद के थाना कर्नलगंज में आई0टी0आई0 कर्मचारी श्री बद्री पासी की की हत्या के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	113
गोरखपुर मण्डल के बस्ती जनपद के अंशकालिक नलकूप चालकों को पूर्णकालिक किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	114
जिला फैजाबाद की ब्लाक बसखारी में आई0आर0डी0 योजनाओं में धांधली के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	114
औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं	115
नियम 301 के अन्तर्गत 7–10–88 को दी गयी सूचना का अन्तरिम उत्तर समय से न दिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	115

विषय	पृष्ठ संख्या
विधान सभा के वर्ष 1988 के द्वितीय सत्र (दिनांक 3 अक्टूबर, 1988 से 7 अक्टूबर, 1988 तक) में नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण (पटल पर रखा गया)	117
उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की याचिका समिति का पन्द्रहवा प्रतिवेदन .. (प्रस्तुत किया गया)	117
उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की प्रश्न एवं संदर्भ समिति का षष्टम प्रतिवेदन .. (प्रस्तुत किया गया)	117
उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का तृतीय प्रतिवेदन .. (प्रस्तुत किया गया)	117
उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का नवम् प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	117
करहना काण्ड की जांच आख्या सदन के पटल पर रखे जाने की मांग ..	118
उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए विधान सभा के चार सदस्यों के निर्वाचन हेतु माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार समय व तिथि के निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत)	118
संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में संस्थान के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए उ0 प्र0 विधान सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन हेतु माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार समय व तिथि के निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत)	119
आज के अतारांकित प्रश्न संख्या 30 का उत्तर माननीय मुख्य मंत्री द्वारा की गयी घोषणा के अनुरूप न दिये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न ..	119
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी) ..	121
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर हो रही चर्चा के समय शासन के अधिकारियों की अनुपस्थिति के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न ..	153
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी) ..	153
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	184
वित्तीय वर्ष 1989–90 का आय-व्ययक (प्रस्तुत किया गया)	184
नत्थियां	226

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 14 फरवरी, 1989

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप लखनऊ, में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे:--

अकबर अहमद (डम्पी), श्री	नैनीताल	मनोहर लाल, श्री	उन्नाव
अतर सिंह यादव, श्री	एटा	महरम सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
अरुण प्रताप सिंह, श्री	गोण्डा	मान बहादुर सिंह, श्री	गोंडा
अलमेलु अम्माल, कुमारी	बस्ती	मुलायम सिंह यादव, श्री	इटावा
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री	बहराइच	मुहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
इम्तियाज मोहम्मद खां, श्री	बुलन्दशहर	मैनेजर सिंह, श्री	बलिया
औसान सिंह, श्री	इटावा	योगेन्द्र कुमार, श्री	बदायूं
कमला साहनी, श्रीमती	बस्ती	रघुवीर सिंह यादव, श्री	मैनपुरी
कमाल अहमद रिजवी, श्री	खीरी	रफीक अहमद, श्री (उर्फ रफ्फन)	बरेली
किरन पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर	राजेश कुमार खैरा, श्री	ललितपुर
कोकब हमीद, श्री	मेरठ	रामगोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
चारुशीला, श्रीमती	मुजफ्फरनगर	राम जनम श्री	आजमगढ़
चेतराम गंगवार, श्री	बरेली	राम सजीवन, श्री	बांदा
जगमोहन सिंह यादव, श्री	मैनपुरी	राम शरण दास, श्री	सहारनपुर
जमुना प्रसाद बोस, श्री	बांदा	विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री	बलिया
जय नारायन शर्मा, श्री	मेरठ	विजय सिंह राणा, श्री	आगरा
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री	कानपुर	वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री	गोरखपुर
दलजीत सिंह, श्री	रामपुर	शारदानन्द अंचल, श्री	बलिया
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री	बस्ती	शौनाथ सिंह, श्री	बिजनौर
देव कुमार यादव, श्री	बांदा	शूरवीर सिंह सजवाण, श्री	टेहरी गढ़वाल
नरेश चन्द्र, श्री	लखनऊ	शेर बहादुर सिंह, श्री	फैजाबाद
नारायण हरि शर्मा, श्री	अलीगढ़	संजय सिंह, डाक्टर	सुल्तानपुर
पुष्पा सिंघल, श्रीमती	मुरादाबाद	सुरेन्द्र कपिल, श्री	सहारनपुर
फागू चौहान, श्री	आजमगढ़	सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	फैजाबाद
बलदेव सिंह कैप्टेन	अलीगढ़	सैयद सईदुल हसन, श्री	बुलन्दशहर
बहादुर सिंह, श्री	आगरा	स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती	लखनऊ
बाबू राम यादव, श्री	मैनपुरी	हर नारायण सिंह, श्री	रायबरेली
बुधपाल सिंह "खुर्जावाले" श्री	बुलन्दशहर	हरशरन सिंह, श्री	मेरठ
ब्रह्मदत्त द्विवेदी, श्री	फर्रुखाबाद	हरिशंकर तिवारी	गोरखपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, दिनांक 14 फरवरी, 1989 ई0

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

निर्दोष लोगों के साथ कोतवाली मथुरा द्वारा किये गये दुर्व्यवहार एवं लाठी चार्ज की जांच बदलवाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, मथुरा और मण्डलायुक्त आगरा को दिये गये प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही

**1—श्री सरदार सिंह—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 4-1-1989 को जिलाधिकारी मथुरा एवं आयुक्त आगरा मण्डल, आगरा से मथुरा में प्रश्नकर्ता के साथ संभ्रान्त नागरिकों एवं वकीलों का एक प्रतिनिधि मण्डल 27-12-88 को विधायक एवं निर्दोष लोगों के साथ कोतवाली मथुरा द्वारा किये गये दुर्व्यवहार एवं लाठी चार्ज की जांच बदलवाने के संबंध में मिला था और प्रार्थना-पत्र दिया था? यदि हां, तो उस प्रार्थना-पत्र पर जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त ने क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?

गृह मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी)—

जी हां।

नगर मजिस्ट्रेट, जिन्हें प्रश्नकर्ता तथा अन्य कतिपय जनप्रतिनिधियों एवं सम्भ्रान्त नागरिकों की सहमति से जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था, को जांच के मध्य बदलने का कोई औचित्य नहीं पाया गया, विशेषकर जबकि जांच अधिकारी द्वारा लगभग 20 गवाहों के बयान अंकित किये जा चुके थे।

(अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या—1 के उत्तर लिए माननीया गृहमंत्री को पुकारे जाने तथा श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान राज्यमंत्री के खड़े होकर उत्तर देने पर)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, जब माननीया गृहमंत्री जी मौजूद हैं तब किसी अन्य मंत्री को उत्तर देने का कोई औचित्य नहीं है। माननीया गृह मंत्री जी को ही उत्तर देना चाहिए।

(कई सदस्यों के खड़े होकर विरोध करने से व्यवधान)

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

अध्यक्ष महोदय, माननीया गृह मंत्री जी उपस्थित हैं। जब वे पढ़ नहीं सकतीं, वे बोल नहीं सकतीं, तो यहां पर क्यों बैठी हैं? आप उन्हीं को उत्तर देने के लिए बुलवाइये।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, माननीया गृहमंत्री जी मौजूद हैं। इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी भी मौजूद हैं और उनकी संसदीय परम्पराओं में गहरी आस्था भी है। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को पसन्द करेंगे कि माननीया गृहमंत्री के होते हुए कोई दूसरा मंत्री जवाब दे? संसदीय परम्परा को यदि देखा जाय तो उसके अनुसार भी, अगर माननीया गृह मंत्री जी मौजूद हैं तो उनके स्थान पर किसी दूसरे मंत्री को उत्तर नहीं देना चाहिए।

इस सदन की परम्परा और परिपाटी यही है और मान्यवर, आपकी पीठ से इसी प्रकार की व्यवस्था भी हो चुकी है। आपकी ओर से यह भी व्यवस्था हुई है कि अगर कोई मंत्री सचिवालय में मौजूद है तब भी उसे सदन में आकर स्वयं उत्तर देना चाहिए, अन्यथा उनको आपको यह लिखकर भेजना चाहिए कि अमुक कारण से वह उत्तर नहीं दे सकेंगे और उनके स्थान पर फलां मंत्री जवाब देगा। इस तरह की कोई लिखित सूचना क्या आपके पास आई है?

. . . (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह तो सामूहिक जिम्मेदारी है। आपको उनको सुनना चाहिए। . . . (व्यवधान)

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, यह संसदीय परम्पराओं के विपरीत है। . . . (व्यवधान)

सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि हमारे इतने वरिष्ठ माननीय सदस्यों ने ऐसी आपत्ति आपके सम्मुख उठाई। मान्यवर "मंत्री" की परिभाषा को देख लिया जाये। इसी सदन में एक बार नहीं सैकड़ों बार यह होता रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी यहां सदन में उपस्थित रहे हैं और उनकी ओर से हमने या किसी अन्य मंत्री ने जवाब दिया है। मान्यवर, यह एक कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी है, एक फन्डामेंटल प्रिंसिपल है, और प्रजातांत्रिक प्रणाली के अनुसार भी है, माननीय राज्य मंत्री जी जो बोलने के लिए खड़े हुए हैं वह इस मंत्रिमंडल के सदस्य हैं और कोई भी मंत्रिमंडल का सदस्य पूरी तरह से सक्षम है इस बात का कि सरकार की ओर से किसी भी मंत्री की ओर से किसी समय कोई भी वक्तव्य दे सकता है, कोई बात कह सकता है, प्रश्नों का उत्तर दे सकता है–चाहे सम्बन्धित मंत्री वहां पर बैठा हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी जगह पर चाहे कौल एवं शकधर की किताब हो और चाहे मेज पार्लियामेन्टरी प्रेक्टिस की किताब हो, उसे देखें कहीं पर भी कोई ऐसा प्रतिबन्ध नहीं लगा है कि मंत्री को कम्पेल किया जाय इस बात के लिये। यह तो प्रजातांत्रिक पद्धति के ज्वाइंट रिस्पांसिबिल्टी के सिद्धान्त पर निर्भर करता है। इसे नहीं माना गया तो यह प्रजातंत्र के मूल आधार पर ही कुठाराघात होगा।

(व्यवधान)

श्री सुखपाल पाण्डे–

आप यह चाहते हैं कि सदन अव्यवस्थित है? आप क्या स्वयं अव्यवस्था पैदा करना चाहते हैं। तिवारी जी यहां बैठे हैं, उनसे पूछ लिया जाय, फिर आप अपना निर्णय कीजिये। यह आपसे बार-बार कहा जा रहा है किन्तु आप यह मान नहीं रहे हैं।

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

मान्यवर, मैं कहना चाहूंगी माननीय सदस्यों को शुभकामनाओं के माध्यम से. . . .

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

आपने गृह मंत्री को बुलाया है इसका उत्तर देने के लिये, हम उनका भाषण सुनने के लिये यहां नहीं बैठे हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर चाहेंगे । उत्तर नहीं देना चाहती तो भाषण से कोई फायदा नहीं है, भाषण का कोई मतलब नहीं है।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

इनकी [xxx] कौन सुनेगा, इनसे कहिये [xxx] न करें ।

(व्यवधान)

(श्रीमती सुशीला रोहतगी द्वारा खड़े होकर अपना मूल उत्तर पढ़ा गया)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

अब इसमें मेरा एक बुनियादी सवाल है।

श्री अध्यक्ष–

आप इनको सुन तो लीजिये । अब उन्होंने उत्तर दे तो दिया है।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

यह शुभकामनायें देंगी, उन्हें शुभकामनायें ही देनी है, पता नहीं वह किस बात की शुभकामनायें दे रही हैं । सवाल का जवाब नहीं शुभकामना दे रही हैं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

श्रीमन् मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

इस समय कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

इनसे ज्यादा [xxx] आज तक कोई होम मिनिस्टर नहीं हुआ है। सारा पुलिस प्रशासन भ्रष्ट और असफल हो गया है, सारा मंत्रिमंडल नकारा हो गया है ।

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी, आप अपना उत्तर फिर दोहरा दीजिए ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

अब वह उत्तर देना चाह रही हैं तो आप सुन नहीं रहे हैं ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

[x x x]

(व्यवधान)

नोट–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, यह ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जो इन्हें नहीं, करना चाहिए । इन शब्दों को कार्यवाही से निकाल दें और आपके माध्यम से शत्रुघ्न प्रकाश जी से भी अनुरोध है कि वह इस तरह की भाषा का इस्तेमाल न करें ।

(व्यवधान)

श्री शत्रुघ्न प्रकाश–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

ऐसा कहना मुनासिब नहीं है।

(व्यवधान)

इस प्रश्न में उत्तर आने की जरूरत नहीं है । जब मसले पर आपको जानकारी है तो अनुपूरक प्रश्न की क्या आवश्यकता है ।

(व्यवधान)

श्री सरदार सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी ने डिवीजनल कमिश्नर को इसकी जांच सुपुर्द कर दी है ? यदि नहीं तो क्या डिवीजनल कमिश्नर से इसकी जांच कराकर मुझे भी सूचित करने का कष्ट करेंगी ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

यह जांच डिवीजनल कमिश्नर के सुपुर्द कर दी गई है । 10 दिन के अन्दर इसकी प्रिमिनेरी रिपोर्ट आ जाएगी ।

(व्यवधान)

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, कल सरदार सिंह जी ने आपके कक्ष के सामने भूख हड़ताल की उसमें यह मुद्दा उठाया गया था, उसमें मान्यवर, क्या समझौता हुआ और उस समझौते में क्या-क्या बिन्दु तय हुए इसकी जानकारी क्या मंत्री जी देने का कष्ट करेंगी ?

श्री अध्यक्ष–

यह मामला इससे ताल्लुक नहीं रखता है इसको आप सदन बाहर पूछें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जांच रिपोर्ट न आई हो और यह बात साबित पाई गई हो कि एक संभ्रांत नागरिक के साथ दुर्व्यवहार किया गया, तो क्या इस बात को ध्यान में रखकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की गई, यदि की गई तो वह बता दें और यदि करने पर विचार किया गया है तो वह भी बता दें ?

(व्यवधान)

नोट:–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

जो तथ्य सामने आए उसमें इन्क्वायरी की गई और उसको मा0 सदस्य द्वारा स्वीकृत किया गया (व्यवधान) उनका जानबूझ कर अपमान नहीं किया गया । कोई तथ्य ऐसा नहीं आया कि किसी कर्मचारी को दण्ड दिया जाता ।

श्री सरदार सिंह–

सिटी मजिस्ट्रेट मथुरा ने 30–12 से जांच शुरू की थी । समझौते के अनुसार दो तारीख को रिपोर्ट देनी थी । सिटी मजिस्ट्रेट 31 दिसम्बर और 1 जनवरी को कहां रहे । उन्होंने सबूत क्यों नहीं लिए, इसका क्या कारण था ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

उन्होंने सबूत लिए । उसमें गवाह भी उपस्थित हुए और उसमें रिपोर्ट भी आ गई है ।

श्री अध्यक्ष–

जब एक इन्क्वायरी उच्च अधिकारी को सुपुर्द कर दी गई है तो अब उसके संबंध में कोई प्रश्न करना मुनासिब नहीं है जब तक कि रिपोर्ट न आ जाए ।

प्रदेश में कार्यरत कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति के उपरान्त पेंशन भुगतान आदि की नीति

**2–श्री मित्रसेन–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के सभी विभागों में कार्यरत सभी कर्मचारियों की पेंशन भुगतान किये जाने के संबंध में शासन की नीति क्या है ? क्या सरकार को जानकारी है कि कई विभागों में सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारियों को पेंशन भुगतान में भारी विलम्ब और कठिनाइयां पैदा की जाती हैं ? इस संबंध में सरकार कोई निर्देश एक निश्चित समय सीमावधि के अन्तर्गत पेंशन भुगतान करने हेतु जारी करेगी ?

वित्त राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)–

इस सम्बन्ध में शासन की नीति यह है कि समस्त सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों को उनकी सेवानिवृत्ति के एक माह पूर्व पेंशन प्राधिकार पत्र निर्गत कर दिए जायें । यदि किसी मामले में ऐसा किया जाना सम्भव न हो तो सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्ति को अनन्तिम पेंशन तथा ग्रेच्युटी स्वीकृत कर दी जाये ।

जी नहीं ।

इस संबंध में आवश्यक आदेश पहले से उपलब्ध हैं।

श्री मित्रसेन–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समय से पेंशन देने के संबंध में नियमावली है और ऐसे आदेश निर्गत कर दिए गये हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि कौन से आवश्यक निर्देश निर्गत कर दिए गये हैं? क्या उनका पालन हो रहा है ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया-

मान्यवर, ऐसी व्यवस्था है कि जो व्यक्ति सेवानिवृत्त हो रहा हो उसके दो वर्ष पूर्व से ही कागज पूरे करने की प्रक्रिया आरम्भ कर दी जाती है । 6 महीने पूर्व विभागाध्यक्ष और महालेखाकार के पास सारे कागज भेजने होते हैं। एक माह पूर्व सब कागज पूरे करके प्राधिकार पत्र दे दिया जाता है।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, मंत्री जी ने नियमों की बात बतायी लेकिन व्यवहार में यह होता है कि जो सेवानिवृत्त कर्मचारी होते हैं पेंशन के सम्बन्ध में उनको बहुत दिक्कतें होती हैं । तो क्या ऐसी व्यवस्था की जायगी कि विभागवार हर विभाग के जो पेंशन के मामले हैं उनको वही विभाग देखे ताकि पेंशन आसानी से प्राप्त हो सके और शासन की जो नीति है उसके अनुरूप पेंशनरों को समय से पेंशन मिल जाय ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया-

श्रीमन्, माननीय सदस्य के सुझाव के संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि पहले ए0 जी0 आफिस में विलम्ब हो जाया करता था कुछ कारणों से तो अब 13 विभागाध्यक्षों को पेंशन की सारी प्रक्रिया पूरी करवाकर पेंशन दे देने का अधिकार दे दिया गया है। जो बाकी विभाग रह गये उनके लिए एक अलग से पेंशन निदेशालय बना दिया गया है और उस निदेशालय से सारी प्रक्रिया शुरू हो गयी है । जब से यह व्यवस्था की गयी है तब से विलम्ब और अन्य दिक्कतें जो होती थीं वह समाप्त हो गयी हैं । इसके अलावा इसके मानीटरिंग की भी व्यवस्था की गयी है । विशेष सचिव (वित्त) हर 3 महीने में निदेशालय और 13 विभागों की मानीटरिंग करते हैं ताकि पेंशनरों को सुचारु रूप से पेंशन मिल जाय ।

श्री शतरुद्र प्रकाश-

मान्यवर, जिस तरह से 13 विभागों में विभागाध्यक्ष के जरिए पेंशन देने की सुविधा प्रदान की गयी है उसी तरह से जितने अन्य विभाग हैं उन विभागों में क्या इसी तरह से पेंशन देने की सुविधा प्रदान करने के सम्बन्ध में सरकार विचार कर रही है ? यदि हां तो यह सुविधा कब तक प्रदान कर दी जायगी ।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया-

जैसा कि मैंने पहले बताया बाकी जो विभाग रह गये हैं उनके लिए अलग से डायरेक्ट्रेट बना दिया गया है ताकि पेंशनरों को सुविधाजनक तरीके से पेंशन मिल जाय । यह डायरेक्ट्रेट लखनऊ में प्रदेश सरकार के तहत बनाया गया है। पेंशनरों को वहां पर सुविधायें उपलब्ध हो गयी हैं ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी-

मान्यवर, प्रश्न के अंत में जो पूछा गया है उस सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा कि मंत्री जी ने अपनी कमियां छिपाने का प्रयास किया है। मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि वित्त विभाग द्वारा जारी किये गये महत्वपूर्ण शासनादेशों का नवीन संकलन, जनवरी

84 से मार्च, 1986 के पृष्ठ 56 पर उल्लिखित शासनादेश 17 जुलाई, 84 को वित्त सचिव रा0 जे0पी0 सिंह द्वारा विभागों को भेजा गया है उसमें स्पष्ट लिखा है "इस बात के लिये भी कदम उठाये जायें कि लंम्बित पेंशन प्रकरणों को भी महालेखाकार कार्यालय से अनुसरण कराकर यथाशीघ्र अंतिम रूप से निस्तारित कराया जाय जिससे 6 माह के भीतर स्थिति अद्यतन हो जाये।" तो मान्यवर, 6 माह के अन्दर सारी कार्यवाही पूरी कराने के सम्बन्ध में निर्देश जारी किये गये थे। इसी तरह से इसी जी0ओ0 में यह भी उल्लेख किया गया है ऐसे विभिन्न महत्वपूर्ण आदेशों का विवरण पुनः अंकित करते हुये शासनादेश संख्या सा-3-546/दस-906/82 दिनांक 7 अप्रैल, 1982 एवं संख्या सा-3-1224/दस-914/83, दिनांक अगस्त, 1983 में पेंशन प्रकरणों के त्वरित निस्तारण पर बल दिया गया है किन्तु अब भी निस्तारण में अपेक्षित प्रगति नहीं हो सकी है। शासन इस स्थिति से संतुष्ट नहीं है। तो मान्यवर, वित्त सचिव ने उक्त आदेशों को जारी करते हुये असंतोष प्रकट किया है। आज भी बहुत बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं जिन पर निर्णय नहीं लिया जा सका है। क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस सम्बन्ध में क्या कोई शासनादेश भेजकर असंतोष प्रकट किया जायगा ताकि जो मामले लंबित हैं उनका निस्तारण हो सके और 6 महीने के अंदर जो सारी चीजों को अप-टू-डेट करने के निर्देश भेजे गये थे उसकी पूर्ति हो सके । जिन लोगों की 6 महीने में अप-टू-डेट करने की जिम्मेदारी थी। उनकी जिम्मेदारी निश्चित की गयी है या नहीं। यदि जिम्मेदारी निश्चित की गयी है और दण्डित किया गया है तो इस सम्बन्ध में मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या कार्यवाही की गयी है।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

श्रीमन्, जो माननीय सदस्य ने सन् 84 के जी0ओ0 का उद्धरण दिया है, यह सही है कि इसके पहले ये दिक्कतें हो रही थीं। इसके पहले दिनांक 1-8-85 को अधिकार यह दिया गया कि वह इस पेंशन का निस्तारण स्वयं कर दिया करें। उसके बाद 13 विभागों में दिया गया और 1-10-88 से निदेशालय बना दिया गया। जब से यह निदेशालय बनाया गया, तब से इसके सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं हो रही है। जैसा आपने कहा कि अलग से कोई निर्देश जारी करेंगे, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो मानीटरिंग की गयी, इसमें 1-2 महत्वपूर्ण प्रश्न समझ में आये। जैसे जिसकी पेंशन निर्धारित करनी पड़ती है, तो उससे नो ड्यूज सर्टीफिकेट लेनी पड़ती है और उसकी लास्ट पे क्या है, उसका आकलन करना पड़ता है । 1977 का जो हमारा जी0ओ0 था, उसको देखना आवश्यक है। अब गवर्नमेंट ने इस पर विचार करके उसको कर लिया है और इसका सरलीकरण तुरन्त किया जाने वाला है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर,, बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जो कि मर गये हैं और उनकी विधवायें दौड़ लगा रही हैं। क्या माननीय मंत्री जी इस सम्बन्ध में विचार करेंगे कि जो कर्मचारी रिटायर हों, उन्हें 6 महीने तक पेंशन देते रहें और जब उसके बाद नो ड्यूज सर्टीफिकेट आ जाय, तो उसके अनुसार आवश्यक कटौती करके उनकी पेंशन निर्धारित कर दें?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

अगर ऐसा कहीं पर कोई इक्जाम्पुल मिलता है, तो उसको महालेखाकार के पास भेज कर उसको तुरन्त सुनिश्चित करवाया जायगा।

श्री मित्रसेन–

मान्यवर, अगर 13 विभागों में विभागीय कर्मचारियों के पेंशन भुगतान की व्यवस्था कर दी गयी है, तो बचे हुए अन्य विभागों में भी विभागीय स्तर से ही सेवा-निवृत्त कर्मचारियों को पेंशन दिलाने की सुनिश्चित व्यवस्था करेंगे और साथ ही साथ विभाग में सेवा-निवृत्त कर्मचारियों की लम्बित पेंशन की जांच करा कर उसे भी समयबद्ध भुगतान कराने की कार्यवाही करेंगे?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

श्रीमन्, इसमें जांच करवा लेंगे ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

*1–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

[उत्तर मंगलवार के लिए स्थगित]

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

*1–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

[लोक लेखा समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

तहसील सदर, जनपद लखनऊ के लेखपालों को वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर देय बकाये के भुगतान में विलम्ब का उत्तरदायित्व

*2–श्री मनोहर लाल, श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री राम करन पटेल–

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तहसील सदर, लखनऊ के लेखपालों को देय बकाया (एरियर) जो पिछले वेतन आयोग की संस्तुतियों (जुलाई, 1979 से) के आधार पर भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? भुगतान कब तक किया जायेगा ? क्या इस अप्रत्याशित विलम्ब करने वाले संबंधित अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री माता प्रसाद)–

पिछले वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर तहसील लखनऊ के लेखपालों को सितम्बर, 1982 से नये वेतनमान के अनुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है । केवल जुलाई, 1979 से अगस्त, 1982 तक की अवधि का नये व पुराने वेतनमानों के अन्तर का भुगतान होना शेष है। दो लेखपालों को भुगतान हो चुका है, 76 लेखपालों के बिल पूर्व सम्परीक्षा हेतु राजस्व परिषद् भेजे गये हैं । शेष 50 लेखपालों के बिल बनाये जा रहे हैं। भुगतान शीघ्र करने के निर्देश जिला

अधिकारी को दे दिए गये हैं। अप्रत्याशित विलम्ब के लिए जिला अधिकारी, लखनऊ द्वारा छानबीन कराई गई । भुगतान में विलम्ब का कारण कार्य की अधिकता एवं कर्मचारियों की कमी है।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह बताया है कि जुलाई, 1979 से अगस्त, 1982 तक की अवधि का नये व पुराने वेतनमानों के अन्तर का भुगतान होना शेष है तो मैं यह जानना चाहूंगा कि यह जो भुगतान शेष है इसको कब तक करा देना सुनिश्चित करेंगे ?

श्री माता प्रसाद–

यह जून, 1989 तक हो जायगा ।

जनपद फैजाबाद में राजस्व विभाग के राजपत्रित अधिकारियों की शराब खोरी और विभाग के अधिकारियों में नशाबन्दी लागू करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

*3–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद फैजाबाद में राजस्व विभाग के राजपत्रित अधिकारियों की शराब खोरी और विभाग के अधिकारियों में नशाबन्दी लागू करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का दिनांक 14-12-87 का पत्र राजस्व मंत्री को मिल गया है ? क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि उक्त मांग समेत सात सूत्री मांगों के समर्थन में 22 फरवरी, 88 को जनता पार्टी के 32 लोगों ने जिला मुख्यालय फैजाबाद पर गिरफ्तारी दी थी ? यदि हां, तो इस बारे में अब तक की कृत कार्यवाही का विवरण क्या है ?

परिवहन राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)–

जी हां ।

जिस 7 सूत्री मांग पत्र के समर्थन में 32 लोगों ने गिरफ्तारी दी थी उसमें लगाए गए आरोपों में से 2 (द) को छोड़कर कोई आरोप जांचोपरान्त प्रमाणित नहीं हुए । आरोप 2(द) के संबंध में स्थानीय पुलिस द्वारा कार्यवाही की गई है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि न्याय का यह नैसर्गिक सिद्धान्त है और यह परम्परा भी रही है और आपकी पीठ से निदेश भी हुए हैं कि यदि किसी शिकायतों में इस सदन का सदस्य भी शामिल हो तो जांच अधिकारी कम से कम उससे सम्पर्क अवश्य करेगा। उसका बयान लेने के बाद ही जांच को पूरी करेगा । तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जांच किस अधिकारी के द्वारा करायी गयी और जांच में किन लोगों के बयानात लिये गये और जो 32 लोग गिरफ्तार हुए थे उनमें से किसी का बयान लिया गया या नहीं ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी जी, सम्मानित सदस्य, वरिष्ठ सदस्य ने एक पत्र लिखा था जो श्री रोशन लाल आयुक्त को सम्बोधित था इसके लिए उनका स्पष्टीकरण मांगा गया । जो सदस्य गिरफ्तार हुए थे जनता पार्टी के उनका मामला एक विभाग से संबंधित नहीं था कुछ शिक्षा विभाग से संबंधित था, कुछ गृह विभाग से और कुछ राजस्व विभाग से सम्बन्धित था तो उनकी उच्चाधिकारी से जांच करायी गयी और उनसे यह मांगा गया कि इस संबंध में कुछ और प्रमाण देना चाहें तो दे सकते हैं उसके उपरान्त ही यह आख्या प्राप्त हुई है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में श्रीमन, तिवारी जी का सीधा सा प्रश्न था कि जो 32 लोग गिरफ्तार हुए जनता पार्टी वाले जिन्होंने यह शिकायत की तो जांच अधिकारी ने जो शिकायत की थी या जो कार्यकर्ता थे या जो दूसरे लोग थे क्या उनसे सम्पर्क किया, जांच के सम्बन्ध में या नहीं किया?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने अपने पत्र में कहा था, 14 तारीख का पत्र था, कि 29 तारीख को वह हमारे आयुक्त मण्डल के कार्यालय में जायेंगे और उनके इस भ्रष्ट आचरण के खिलाफ इंगित करेंगे परन्तु विधान सभा चलने के कारण या उनके अधिक व्यस्त रहने के कारण वे अपना यह कार्यक्रम नहीं कर पाये इसलिए इसको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है ।

श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मंडलायुक्त फैजाबाद ने कोई एक पत्र शासन को लिखा था अपना स्पष्टीकरण देते हुए तो क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि मंडलायुक्त फैजाबाद ने उस पत्र में किन तथ्यों को स्पष्ट किया है और वह तथ्य क्या हैं ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, अगर सूचना हो तो बता दें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो भी आरोप लगाये गये थे उसके संबंध में उन्होंने स्पष्ट किया कि यह सत्य नहीं है । रामायण मेले के दिन वह शराब पीकर नहीं गये थे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से एक बात जानना चाहता हूं माननीय तिवारी जी ने इस प्रश्न में जानना चाहा था और वह आपके द्वारा दिये गये निर्देश भी हैं और विधायकों को जो शिष्टाचार की बात बतायी गयी है उसके अन्तर्गत भी अधिकार है कि जिस मामले की शिकायत इस आदरणीय सदन के सदस्य स्वयं करते हैं उसके निस्तारण के समय माननीय सदस्य से बयान अवश्य लिया जायेगा तो इस मामले में ऐसी क्या मजबूरी थी कि माननीय तिवारी जी के बयान लिये बिना उस पर निर्णय कर दिया? दूसरी बात मैं यह जानना चाहूंगा कि मंत्री जी ने बताया कि एक आरोप सही पाया गया तो वह आरोप क्या था और उसके लिये दोषी व्यक्तियों को क्या दण्ड दिया गया ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैंने स्पष्ट किया, संभवतः राजेन्द्र जी ने पूरा सुना नहीं, इसमें दो बातें थीं । एक शिकायत एक मा0 वरिष्ठ सदस्य ने की थी और उनकी शिकायत अधूरी थी । उनका सुझाव भी था कि अगर आचरण को सही नहीं करेंगे, वह माननीय सदस्य पुराने मंत्रीवादी हैं, उन्होंने सुझाव दिया था कि मण्डलायुक्त को ऐसा नहीं करना चाहिये और अगर ऐसा करेंगे तो 29 तारीख को उनको इंगित करेंगे। 29 तारीख को वे जा नहीं सके इसलिये बात आगे नहीं बढ़ सकी। दूसरी 7 सूत्री मांग में माननीय सदस्य नहीं, कार्यकर्तागण थे । उनका आरोप विभिन्न विभागों से संबंधित था । वह मण्डलायुक्त से सम्बन्धित नहीं था । वह वहां से सम्बन्धित प्रशासन से संबंधित था । उसके सम्बन्ध में कार्यवाही हो रही है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, मैंने एक आरोप लगाया और 32 और लोगों ने आरोप लगाया, उन्होंने गिरफ्तारी भी दी । आपने विभिन्न विभागों के अध्यक्षों से जांच कराई । मैं जानना चाहता हूं कि शिकायतकर्ता से जांच के बारे में जानकारी की गयी या नहीं । यदि नहीं की गयी तो क्या मा0 मंत्री जी की सरकार ने कोई नये निर्देश या मापदण्ड बना लिया है कि जांच जिनके खिलाफ हो, वही आख्या देंगे और वही सदन के पटल पर रखी जायगी । यदि नहीं तो ऐसा क्यों किया गया ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य के सुझाव का स्वागत करता हूं और उनका बहुत ही आदर करते हुए जो भावना उन्होंने प्रदर्शित की है, शासन वही करने का प्रयास कर रहा है । सात सूत्री आरोप बड़े विषद हैं । आप आदेश दें, अनुमति दें तो मैं उसे पूरा-पूरा पढ़ देना चाहता हूं । उचित यही होगा कि पढ़ दूं तो सदन के संज्ञान में आ जाय, लेकिन वह 10 पृष्ठों का है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, तिवारी जी बता रहे थे कि शिकायत 10 पन्ने की है, लेकिन यह बताने को तैयार नहीं हैं कि क्या उसकी जांच किसी बड़े अधिकारी से कराएंगे, या अभी तक नहीं कराई तो क्यों नहीं, या कराएंगे तो कब तक किस अधिकारी से कराएंगे ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, जांच वरिष्ठ अधिकारी से ही करायी गयी है। आयुक्त के खिलाफ माननीय सदस्य ने कहा कि शराब पिये थे । इस सम्बन्ध में 14-12-88 को पत्र प्राप्त हुआ । उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया कि इस पत्र के अनुसार शराब पी गयी थी या नहीं रामायण मेले में? पत्र में मा0 सदस्य ने कहा कि आचरण नहीं सुधारते तो 29 तारीख को आकर इंगित करेंगे । उन्होंने स्पष्टीकरण में कहा कि मैं शराब पीकर नहीं गया था । अब आप एक बात बता दें वैज्ञानिक रूप से ऐसा कौन सा तरीका है कि एक माह पूर्व शराब पी गयी हो, या तो उसी समय मेडिकल करा दें तो ठीक है, नहीं तो एक माह पूर्व शराब पी गयी हो और मा0 सदस्य उस समय वहां उपस्थित नहीं थे और अधिकारी कहता है कि शराब नहीं पिये थे तो कौन सा विधान एप्लाई करें कि एक माह पूर्व पी गयी शराब की भविष्य में जांच हो सके ।

श्री अध्यक्ष–

अब काफी समय हो चुका है । कृपा करके बैठें ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, मा0 मंत्री जी इसे स्वीकार कर रहे हैं । मैंने तो राजस्व मंत्री जी को लिखा था कि कमिश्नर शराब पीता है । जांच की गयी, उनसे आख्या मांगी गयी, उस जांच में कम से कम मुझसे पूछा जाना चाहिये था, इस सम्बन्ध में आपकी पीठ से भी बराबर निर्देश हैं। आज आपके उस बारे में क्या निर्देश हैं, सरकार को? अगर उस परम्परा को बनाये रखना चाहते हैं, तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इन शिकायतों की जांच कराने के निर्देश दें और यह भी निर्देश दें कि जो शिकायतकर्ता हैं, उनसे सम्पर्क करके, उनसे बयान लिया जाय । मान्यवर, अगर मुझसे सम्पर्क किया होता, तो शराब पीकर कलेक्टर और कमिश्नर ने जिस तरह से दुर्व्यवहार किया था, उसकी फोटो मैं दिखाता, उसकी फोटो मेरे पास है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी शिकायतकर्ता से तो पूछा जाना चाहिये था, जब भी जांच हो ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, माननीय सदस्य फोटो साक्ष्य उपलब्ध करा दें । लेकिन, वह कौन सी विधि है, जिससे फोटो से पता चलेगा। फोटो से कहीं महक आ रही होगी, तो जांच करा देंगे ।

श्री अध्यक्ष–

जांच कराने को कहते हैं, तो काफी है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, महत्वपूर्ण सवाल है, सुन लें । फोटो दे दें ।

श्री अध्यक्ष–

अब बैठें, काफी समय हो गया। अगला सवाल लेता हूं।

[मंगलवार, दिनांक 14 फरवरी, 1989 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

जनपद अलीगढ़ के नगर हाथरस में बिजली और पानी की मांग को लेकर निकाले गए जुलूस पर हमला तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

*1–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 18-5-88 को जनपद अलीगढ़ के नगर हाथरस में बिजली और पानी की मांग को लेकर जनता के शान्तिपूर्ण जुलूस पर हथियारबन्द गुण्डों ने सी0 ओ0 और एस0 डी0 एम0 हाथरस की शह पर हमला किया जिसमें दो छात्र बंटी एवं रवीन्द्र मारे गए और अनेक घायल हुए ? यदि हां, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है ? क्या यह सही है कि जिलाधिकारी अलीगढ़ के पहुंचने के बाद गुण्डों को भगा दिया गया तथा पुलिस से आम जनता को पिटवाया गया? यदि हां, तो उन गुण्डों और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

जी नहीं ।

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत घटना का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 18-5-88 को बिजली पानी की मांग करते हुए कुछ लोगों द्वारा एक जुलूस निकाला गया। एस0 डी0 एम0 एवं क्षेत्राधिकारी पुलिस के द्वारा समझाये जाने के पश्चात् जुलूस में शामिल सभी लोग वापस चले गये । इसी बीच कुछ लोग अन्य रास्तों से आकर पंजाब होटल के सामने एकत्र हो गये और कुछ व्यक्ति जो जुलूस से अपने घरों को वापस जा रहे थे वह भी पंजाब होटल के सामने एकत्र भीड़ में शामिल हो गए और वहां पर नारे बाजी तथा आपस में पथराव व फायरिंग होने लगी । तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक थाना हाथरस ने फोर्स के साथ जाकर एकत्र लोगों को तितर-बितर किया । घटना में घायल बृजमोहन उर्फ बंटी की अस्पताल पहुंचते-पहुंचते मृत्यु हो गयी तथा गम्भीर रूप से घायल रवीन्दर की दिनांक 22-5-88 को मेडिकल कालेज, अलीगढ़ में मृत्यु हो गयी ।

जी नहीं ।

प्रश्नगत घटना के संबंध में श्री दाऊ दयाल द्वारा मु0 अ0 सं0 205 धारा 147/148/149/302 भा0 द0 वि0 तथा राजकुमार द्वारा मु0 अ0 सं0 205 ए धारा 395/397/336/436 भा0 द0 वि0 थाना कोतवाली हाथरस पर दिनांक 18-5-88 को पंजीकृत कराया गया । अपराध संख्या 205 के अभियुक्त तजवन्त कालरा को गिरफ्तार किया गया तथा कृष्ण मुरारी एवं श्री कृष्ण दुबे के न्यायालय में आत्म समर्पण किया तथा जेल भेजे गए । तजवन्त कालरा के घर की तलाशी ली गयी और तलाशी के दौरान बरामद 2 लाइसेंसी रिवाल्वर एवं एक दुनाली बन्दूक को थाने में लाकर सील कर जमा किया गया ।

मामले की गम्भीरता को देखते हुए उपरोक्त अभियोगों की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग को अभिदिष्ट कर दी गई है जो अभी प्रचलित है ।

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

अपराध अनुसंधान विभाग को मामले की जांच सुपुर्द की गई, अच्छी बात है, मैं जानना चाहूंगा कि यह जांच कब दी गयी ? दूसरी बात . . .

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)–

17 मई को ।

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

पूरा सवाल हो जाने दें, तब बताएं । अगर मान्यवर यही मंत्री जी मेरे प्रश्न का जवाब देना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है । तत्कालीन सी0 ओ0, एस0 डी0 एम0 और प्रभारी निरीक्षक, जिनके ऊपर आरोप हैं, शान्तिपूर्ण जुलूस था, लेकिन हथियारबन्द गुण्डों द्वारा उन पर हमला हुआ, जिसमें दो लोग मरे भी, क्या उन अधिकारियों का ट्रांसफर हो गया या नहीं?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, ट्रांसफर हो गया है ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

जिन अधिकारियों की उपस्थिति में, शान्तिपूर्ण ढंग से जाते हुए जुलूस पर पथराव हुआ और इतनी बड़ी घटना हुई जिसमें दो लोगों की मृत्यु हो गयी, क्या उन दोषी अधिकारियों को दण्डित करने के लिए कोई कार्यवाही की गयी या नहीं ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

मान्यवर, जैसा कि उत्तर दिया जा चुका है और उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जिस समय वहां अधिकारी पहुंचे हैं, तब तक घटना हो चुकी थी, पथराव किया जा चुका था, फायरिंग भी हो चुकी थी, उसमें दो व्यक्ति घायल हुए थे, जिनकी बाद में मृत्यु हो गयी थी । वरिष्ठ अधिकारी इसके बाद वहां पर पहुंचे ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, जिन अधिकारियों की उपस्थिति में इतनी बड़ी गम्भीर घटना हुई, गोली चल गयी, पथराव हुआ, सैकड़ों लोग घायल हुए, उस के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कोई दण्डात्मक कार्यवाही की गयी अथवा नहीं ? मैं तो सिर्फ यह पूछ रहा हूं, इसका जवाब दिलवा दें ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

मान्यवर, इसको जानने के लिए थोड़ा बैकग्राउण्ड बताना आवश्यक है। इसमें सी0 आई0 डी0 की जांच दी हुई है । ऐसा इसीलिए किया गया है कि जो शंका आपके मन में है उसका सही उत्तर आ जाए । दिनांक 18 को ईद थी और सारे लोग अपने काम में लगे थे, इसी दौरान 400-500 लोग इकट्ठे हो गए और नारेबाजी करने लगे तथा पथराव किया ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैं तो दण्डात्मक कार्यवाही के विषय में पूछ रहा हूं, वह की गयी अथवा नहीं। श्रीमन्, मेरे प्रश्न का सीधा उत्तर दिलवाएं।

श्रीमती सुशीला रोहितगी–

मान्यवर, बड़ा स्पष्ट है कि जो लोग पहले वहां घायल पड़े हुए थे, उनको हटाया गया उसके बाद भीड़ को तितर-बितर किया गया। इसके बाद सी0 आई0 डी0 की इन्क्वायरी बिठाई गई । इसमें ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला, जिससे तुरन्त कार्यवाही कर दी जाय । अब सी0 आई0 डी0 की इन्क्वायरी हो रही है और इसमें अब नियमानुसार कार्यवाही की जायगी ।

ग्राम तुलसमपुर, थाना कुमारगंज जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत वर्तमान ग्राम प्रधान की साजिश से श्री छोटे लाल गुप्त पुत्र श्री महादेव गुप्त द्वारा अपनी पत्नी पूनम कुमारी की हत्या एवं जांच

*2–श्री गोपी नाथ वर्मा–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम तुलसमपुर थाना कुमारगंज जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत वर्तमान ग्राम प्रधान की साजिश से छोटे लाल गुप्त पुत्र श्री महादेव गुप्त ने अपनी पत्नी श्रीमती पूनम कुमारी की दिनांक 1-7-88 को जलाकर हत्या कर दी है और अभियुक्तों के प्रभाव तथा थानाध्यक्ष श्री नागेश्वर सिंह की साजिश के कारण अपराध को

मिनिमाइज करके रिपोर्ट अंकित की गयी है ? यदि हां, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है और रिपोर्ट किन-किन धाराओं में अंकित की गयी है तथा अभियुक्तों को अब तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया और दोषी थानाध्यक्ष तथा संबंधित पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कौन-कौन सी दण्डात्मक कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

दहेज में लाउडस्पीकर न मिलने के कारण श्रीमती पूनम की हत्या उसके पति श्री छोटे लाल ने दिनांक 1/2-7-1988 को जलाकर की है । ग्राम प्रधान की साजिश का आरोप निराधार पाया गया ।

अभियुक्तों के प्रभाव व थानाध्यक्ष श्री नागेश्वर सिंह की साजिश के कारण अपराध को मिनिमाइज करके रिपोर्ट अंकित नहीं की गयी है । हत्या दहेज के लिये की गयी है, जिस पर मु0 अ0 सं0 97/88 धारा 498ए/304 बी0 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है ।

श्री अनन्त राम गुप्ता को दिनांक 1-7-88 को सूचना मिली कि उसकी लड़की को उसके दामाद तथा उसके घरवालों ने मिलकर जला डाला है। इस पर श्री गुप्ता अन्य लोगों के साथ वहां पहुंचे । श्रीमती पूनम का लगभग सम्पूर्ण शरीर जल चुका था, हाय-हाय चिल्ला रही थी । कोई साधन न मिल पाने के कारण सुबह 4 बजे उसे साइकिल द्वारा दवा कराने हेतु फैजाबाद अस्पताल ले जा रहे थे कि लगभग 5 बजे सुबह खण्डासा ब्लाक के पास पहुंचते ही उसकी जान निकल गयी ।

विवेचना से हत्या, मृतिका पूनम के पति छोटे लाल गुप्त व उसकी मां (श्रीमती पूनम की सास) श्रीमती श्यामकला द्वारा किया जाना प्रमाणित हुआ । दोनों अभियुक्त जेल में हैं । इस अभियोग में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है । अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है ।

उ0 प्र0 सचिवालय में टंकक/अवर वर्ग सहायक/प्रवर वर्ग सहायक/वैयक्तिक सहायकों की संख्या एवं आरक्षण कोटे की स्थिति

*3–श्री हरदेव तथा चौधरी श्याम लाल–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 सचिवालय में टंकक/अवर वर्ग सहायक/प्रवर वर्ग सहायक/वैयक्तिक सहायक के अलग-अलग कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ? उनमें से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अलग-अलग कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं क्या उपरोक्त सभी पदों पर 18 प्रतिशत व 2 प्रतिशत का आरक्षण कोटा पूरा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उपरोक्त सभी पदों पर आरक्षण कोटा कब तक पूरा कर दिया जायेगा ?

श्री प्रबोध कुमार–

उत्तर प्रदेश सचिवालय में 776 प्रवर वर्ग सहायक 419 वैयक्तिक सहायक, 664 अवर वर्ग सहायक तथा 1959 टंकक कार्यरत हैं। इनमें 75 प्रवर वर्ग सहायक, 8 वैयक्तिक सहायक, 55 अवर वर्ग सहायक तथा 227 टंकक अनुसूचित जाति के

और 3 प्रवर वर्ग सहायक तथा 3 टंकक अनुसूचित जनजाति के हैं । इनका आरक्षण कोटा निर्धारित संख्या में उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण पूरा नहीं है। टंकक के पद समाप्त करके अब उनका संविलियन अवर वर्ग सहायक संवर्ग में कर दिया गया है । उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर ही कोटा पूरा किया जा सकेगा ।

श्री हरदेव–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संबंध में जानना चाहता हूं कि यह पद कब से खाली हैं, इन पदों पर चयन करने की प्रक्रिया आपके सचिवालय में क्या है? तथा जो शासन की नीति है कि आरक्षण कोटा पूरा किया जाय, तो इस कोटे को पूरा करने के लिए आप भविष्य में क्या कदम उठा रहे हैं ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, शासन निरन्तर प्रयास कर रहा है कि अनुसूचित जातियों व जनजातियों के जो ये स्थान रिक्त हैं, वे शीघ्रातिशीघ्र भरे जायं । 1973 में जब श्री हरदेव जी की ही सरकार थी तो उसने यह कदम उठाया था कि जितने भी प्रोन्नति के स्थान हैं, उनकी एक अलग लिस्ट बनाई जाय और उपलब्ध अभ्यर्थियों से उन्हें भरा जाय ताकि उन्हें मेरिट के आधार पर न गुजरना पड़े । यदि माननीय सदस्यों ने इस मामले में यही इन्ट्रेस्ट लिया तो एक दिन आरक्षण की स्थिति बहुत ही सुदृढ़ हो जायेगी ।

चौधरी श्याम लाल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं । जब उपयुक्त अभ्यर्थी मिल जायेंगे, तभी इन स्थानों को भरा जायेगा । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वह स्पेशल रिक्रूटमेंट करके इस आरक्षण के कोटे को एक समयबद्ध प्रोग्राम के तहत पूरा कर देंगे ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, ये पद बहुत पहले से रिक्त हैं। बहुत से पद ऐसे हैं जो प्रोन्नति से भरे जाने हैं। इसमें केवल एक पद का मामला नहीं है, बहुत से पदों का मामला है । कुछ ओपेन मारकेट्स से भी हमें भरने हैं । प्रोन्नति से भरे जाने वाले पदों की स्थिति काफी दयनीय है । प्रवर वर्ग का प्रतिशत इस समय 9.7 प्रतिशत है, अनुसूचित जन जाति का मात्र 0.3 प्रतिशत है। इसी प्रकार और भी पद हैं। जो पद प्रोन्नति से भरे जाने हैं, उसमें लेखाकार, कोषाध्यक्ष एवं बजट सहायक के पद हैं । अब इसमें स्थिति यह है कि नीचे कर्मचारी कार्यरत हैं ही नहीं तो प्रोन्नति कैसे की जाय और कहां से की जाय ? जब नीचे कर्मचारी कार्यरत होंगे, तभी तो प्रोन्नति की जायेगी । हर जगह से सुविधा इन वर्गों के लोगों को दी जा रही है। जैसे ही निश्चित अर्हता के लोग मिल जायेंगे, यथाशीघ्र स्थान भर दिये जायेंगे ।

श्री हरदेव–

मान्यवर, मैं पहले माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ये स्थान कब से रिक्त हैं ? दूसरा, उन्होंने कहा कि लोग हैं ही नहीं तो पदोन्नति कैसे करेंगे । मैं पूछना चाहता हूं कि जब नियुक्ति ही नहीं हुई तो लोग कहां से हो जायेंगे ? जब नियुक्ति होगी, तभी तो लोग मिलेंगे । कल ही माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति में प्रतिबन्ध लगा दिया गया है । क्या माननीय मंत्री जी तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों पर आरक्षण के कोटे को पूरा करने के लिए इस प्रतिबन्ध पर छूट देंगे ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने पहले यह पूछा कि ये स्थान कब से रिक्त हैं । ये स्थान कोई कल, परसों तो रिक्त हुए नहीं, ये पद हमेशा रिक्त रहे हैं । उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण ये पद रिक्त रहे हैं।

आज की जो स्थिति थी, निश्चित संख्या और प्रतिशत बता दिया है । अब भविष्य में जो करने का प्रश्न है, माननीय सदस्य को स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह प्राविधान किया जा रहा है कि जहां इस जाति के अभ्यर्थी उपलब्ध न हों वहां उनकी विशेष परीक्षा ली जाय, मात्र इसी जाति के लोगों की परीक्षा ली जाय लेकिन अर्हता जो न्यूनतम है, उसको कैसे समाप्त किया जाय, इसको समाप्त करना उचित नहीं होगा ।

(श्री अध्यक्ष द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या–4 पुकारा गया)

(श्री हरदेव तथा श्री सुखपाल पाण्डे के खड़े होने से व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठें, अब इस पर काफी प्रश्न हो चुके हैं।

प्रदेश के राजकीय आस्थानों की भूमि पर निर्मित आवासों के विनियमितीकरण करने हेतु काबिज लोगों को निर्मित आवास क्षेत्र को पट्टे पर देने की योजना

*4–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के राजकीय आस्थान की भूमि पर निर्मित आवासों के विनियमितीकरण करने हेतु काबिज लोगों को निर्मित आवास क्षेत्र को, निर्धारित नजराने व किराये पर पट्टे पर देने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह योजना कब तक लागू कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्या शासन की यह भावना कि "पक्के निर्मित आवासों को नहीं गिराया जायेगा" को ध्यान में रखते हुए इलाहाबाद, बनारस आदि जिलों में राजकीय आस्थान की भूमि पर निर्मित आवासों को, आवासियों को पट्टा पर देने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद–

प्रकरण शासन में विचाराधीन है।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, मैंने इतना लम्बा प्रश्न किया और माननीय मंत्री जी ने चार शब्दों में जवाब दे दिया । राजकीय आस्थान के सम्बन्ध में, आप जानते हैं कि लगभग चार बार, इसी सदन में प्रश्न स्थगित किया गया है और मैं बार-बार जोर देता रहा । बहुत अहम सवाल है, मैं जानना चाहूंगा कि मध्यम और कमजोर वर्ग के लोगों के आवास की व्यवस्था का सवाल है, जो 20-सूत्रीय कार्यक्रम में भी है, जानना चाहता हूं कि शासन के किस स्तर पर कौन सा प्रकरण विचाराधीन है और उसमें कब तक निर्णय ले लिया जायगा ? यह कब से विचाराधीन है ?

श्री माता प्रसाद–

जिन्होंने अनधिकृत कब्जा राजकीय आस्थान की भूमि पर कर लिया है, उनके सम्बन्ध में कोई नियमावली नहीं थी, नियमावली बनायी जा रही है, सर्वे नये सिरे से कराया जा रहा है। अब सर्वे द्वारा पूरी जानकारी कर लेने के बाद अन्तिम निर्णय लिया जायगा ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि 10 मार्च, 1987 को तत्कालीन मुख्य मंत्री ने इसकी जांच का आदेश देने का आश्वासन दिया था । मैं जानना चाहता हूं कि यह जांच किसके द्वारा करायी गयी, उसकी रिपोर्ट क्या है और क्या कार्यवाही की गयी?

श्री माता प्रसाद–

मान्यवर, इसमें सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री गोपाल दास यादव–

मान्यवर, प्रश्न महत्वपूर्ण है, मंत्री जी अनुभवहीन हैं । यह इन्होंने ब्यूरोक्रेट्स के इशारे पर जवाब दिया है कि विचाराधीन है । 14 हजार बीघा जमीन का 25 पैसे प्रति वर्ग गज के भाव से पट्टा किया गया और बड़े-बड़े अधिकारियों की साजिश से पक्के-पक्के भवन बन गये । जानना चाहता हूं कि जो वहां पर विनियमितीकरण है, जो पट्टे कर दिये गये हैं, वह कब तक कर देंगे ? क्या पक्के-पक्के भवन अधिकारियों के गिराये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद–

जो भी अवैध कब्जे हैं राजकीय आस्थान की भूमि पर, चाहे गरीबों के हों या बड़े-बड़े लोगों के हों, जिन्होंने कब्जा किया है उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जायगी और इस सम्बन्ध में नियमावली बनायी जायगी ।

श्री सुखपाल पाण्डे–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय राजस्व मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या वे यह बताने की कृपा करेंगे कि वहां पर जिन अफसरों के मकान बन गये हैं उनके बारे में क्या वे अपने स्तर से कोई ऐसा आदेश जारी करेंगे कि वह मकान गिरा कर वह भूमि गरीबों को पट्टे पर दी जाय ? यह मामला शासन में कब से विचाराधीन है और इस पर कब तक निर्णय हो जायेगा ?

श्री माता प्रसाद–

नियमावली न होने के कारण से उन मकानों को अब तक गिराया नहीं गया है। दो महीने में इस संबंध में कार्यवाही पूरी कर ली जायेगी ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, ऐसा लगता है कि इस संबंध में माननीय मंत्री जी को कोई जानकारी है नहीं । वहां पर 45 आई0 ए0 एस0 और पी0 सी0 एस0 अधिकारियों ने अपनी बीबियों तथा बच्चों के नाम से पट्टे ले लिये हैं और अब ये कानूनी आधार पर भी मकान गिरवा नहीं सकते हैं क्योंकि उन लोगों ने विधिवत् पट्टे लिये हैं। वहीं पर पांच हजार लोग मध्यम वर्ग के तथा कमजोर वर्ग के हैं, तो क्या भारतीय संविधान के तहत आप उनको कानूनी तौर से संरक्षण देते हुए उन लोगों को उन्हीं नीतियों पर पट्टे देने की कृपा करेंगे ? माननीय मंत्री जी को अभी भी इसका ज्ञान नहीं है कि पिछले वर्ष इनकी मंत्रि परिषद् ने इस संबंध में निर्णय लिया था कि न्यूज पेपर्स लिमिटेड इण्डिया को 17 बीघा और 9 बिस्वा जमीन पट्टे पर देने के आदेश जारी हुए थे । मैं जानना चाहता हूं कि मंत्रि-परिषद् के आदेश पर क्या कार्यवाही हुई और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद–

आवासीय पट्टा किसी के पक्ष में नहीं हुआ है । नियमावली बनने के बाद ही सुनिश्चित किया जायेगा तभी उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

पिछले वर्ष आवासीय पट्टे लिये गये हैं, इस निर्णय पर क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री माता प्रसाद–

इसमें सूचना की आवश्यकता है ।

(श्री अध्यक्ष द्वारा प्रश्न संख्या 5 पुकारे जाने पर)

कुंवर रेवती रमण सिंह–

श्रीमन्, अधिकतर जवाब में माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि सूचना की आवश्यकता है । यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है तो या तो इसे आप स्थगित कर दें या फिर इसे प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति के सुपुर्द कर दें । यह पूरे इलाहाबाद का मामला है, करोड़ों रु0 की भूमि का इससे संबंध है । यदि इसे इस तरह से आप समाप्त कर

देंगे तो यह प्रश्न फिर नहीं आ पायेगा । माननीय मंत्री जी को पूरी जानकारी नहीं है इसलिये आप इसको स्थगित करें या फिर इसको प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति के सुपुर्द कर दें, तभी पूरा जवाब आ पायेगा, अन्यथा नहीं ।

श्री अध्यक्ष–

यह बहुत लम्बा सत्र चल रहा है, आप दुबारा प्रश्न कर लीजियेगा तब तक सूचना आ जायेगी ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

सूचना तो ये दे नहीं रहे हैं ।

(श्री अनुग्रह नारायण सिंह तथा श्री गोपाल दास यादव सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री सुखपाल पाण्डे–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके द्वारा जो व्यवस्था जारी हो जाती है, यह ठीक नहीं है । आप सही बात को संरक्षण देने के लिये हैं लेकिन आप सोचते हैं कि जब आप मंत्री हो जायेंगे तो शायद आपको भी संरक्षण मिलेगा ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सुखपाल पाण्डे जी, अध्यक्ष होने के बाद मंत्री होने की गलती मैं नहीं करूंगा ।

श्री गौरी शंकर–

ये तो आपके रिटायर्मेन्ट की बात कर रहे हैं ।

जनपद मुजफ्फरनगर, ग्राम सिसौली में तत्कालीन मुख्य मंत्री के समक्ष भारतीय किसान यूनियन द्वारा रखा गया मांग-पत्र

*5–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन मुख्य मंत्री भारतीय किसान यूनियन के निमंत्रण पर, 11 अगस्त, 1987 को किसानों की एक सभा को सम्बोधित करने ग्राम सिसौली, जनपद मुजफ्फरनगर गए थे ? यदि हां, तो क्या वहां पर यूनियन द्वारा उनके सामने कोई मौखिक मांगें रखी गई थी अथवा उन्हें कोई लिखित मांग पत्र दिया गया था ? यदि हां, तो वह मांगें क्या थीं ?

ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (श्री गौरी शंकर)–

जी हां । प्राप्त सूचना के अनुसार मुख्य मंत्री जी के समक्ष किसान यूनियन के नेता श्री महिपाल सिंह ने बीस सूत्री मांग-पत्र पढ़कर सुनाया था, जिसके अनुसार संलग्नक में अंकित मांगें थीं ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 226 पर)

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मैं आपका सबसे पहले आभार प्रकट करता हूं कि यह प्रश्न हमारा सन् 1987 का है, परन्तु अब आ सका है क्योंकि जब तक माननीय वीर बहादुर सिंह जी मुख्य मंत्री की हैसियत से यहां रहे, इस प्रश्न को आने नहीं दिया, अब उनके जाने के बाद यह प्रश्न आ सका है, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या यह बात सही है कि 11 अगस्त, 1987 को भारतीय किसान यूनियन के निमंत्रण पर रैली को सम्बोधित करने के लिए इस शर्त पर गये थे कि माननीय नेता विश्वनाथ प्रताप सिंह का सहयोग न करें ? तो क्या इस शर्त पर माननीय मुख्य मंत्री जी किसान रैली को सम्बोधित करने ग्राम सिसौली, जनपद मुजफ्फरनगर गये थे और जब वह इन मांगों को स्वीकार कर चुके हैं तो अब तक इन मांगों पर क्या कार्यवाही हुई, कृपा कर यह बताने का कष्ट करें ।

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, यह सूचना माननीय सदस्य की तो हो सकती है परन्तु शासन के संज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं है, जहां पर इस रैली के अन्दर क्या पढ़कर सुनाया गया वह सूचना साथ में प्रश्न के संलग्न कर दी गयी है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या माननीय मंत्री जी कृपा पूर्वक यह बताने का कष्ट करेंगे कि उस रैली में किन-किन बातों की मांग की गयी और वह बिन्दु कौन-कौन से हैं इन्हें कृपा पूर्वक बता दें, और उन पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री गौरी शंकर–

माननीय गुप्त जी हमारे आदरणीय सदन के बड़े वरिष्ठ सदस्य हैं इन्हें अभी मैंने अपने उत्तर में कहा था कि वह बिन्दु पढ़कर सुनाये गये थे उस रैली में, , कोई लिखित मांग-पत्र या बिन्दु शासन को नहीं दिए गये थे और न ही माननीय मुख्य मंत्री जी ने उस पर कोई निर्देश दिए ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय अध्यक्ष जी आप कृपया संरक्षण दें और हमारे उत्तर को माननीय मंत्री जी से दिलवा दें । मैंने यह नहीं पूछा कि वह बिन्दु कितने हैं मैंने यह पूछा था कि शासन की नीति के अनुसार अब तक उन बिन्दुओं पर कार्यान्वयन की क्या कार्यवाही हुई, जिसे माननीय मुख्य मंत्री ने सिद्धान्तया स्वीकार कर लिया था ?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, मैं कदाचित माननीय सदस्य को सही रूप में अपनी बात समझा नहीं सका, इसलिए पुनः बात को दोहराए देता हूं कि मात्र उस रैली में वह बिन्दु पढ़कर सुनाए गये, उस पर जो भी शासन की सामान्य प्रक्रिया है, उसके तहत कार्यवाही कर दी गयी, वैसे बिन्दुवार कोई सूचना शासन के पास उपलब्ध नहीं है ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी बड़ी होशियारी से अपने उत्तर में यह बात स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि वहां कोई मांग-पत्र दिया नहीं गया अपितु पढ़कर ही सुनाया गया। परन्तु मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या उनके संज्ञान में यह बात है कि उस मांग-पत्र की मांग जो थी कि विद्युत की दर जो बढ़कर 30 रु0 कर दी गयी है, उसे रु0 22-50 किया जाए, जिस मांग को तत्परता से स्वीकार किया गया, तो यह कार्यवाही किस सूचना के आधार पर की गयी है ?

श्री गौरी शंकर–

यह किसानों की हर तरफ की मांग थी, मात्र रैली की ही नहीं, जो व्यावहारिक थी, इसलिए शासन द्वारा सामान्य प्रक्रिया के तहत विचार कर तत्परता से निर्णय ले लिया गया।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, जब कोई भी पत्र शासन को दिया जाता है, या पढ़कर सुनाया जाता है, तो यह समझा जाता है कि वह बात शासन के संज्ञान में आ गयी इसलिए उस पर व्यावहारिक रूप से कार्यवाही होनी चाहिए....

(व्यवधान)

श्रीमन्, जब हम कोई पत्र देते हैं, तो यह मान कर देते हैं कि वह स्वीकार होगा या अस्वीकार होगा, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जब वह पत्र माननीय मुख्य मंत्री जी को दिया गया और उन्होंने शासन को संदर्भित कर दिया गया तो शासन ने बिन्दुवार उस पर क्या कार्यवाही की है ?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, मैं निवेदन कर चुका हूं और ओझा जी ने उसको सुना भी है कि ऐसा कोई पत्रक नहीं दिया गया। जिलाधिकारी के माध्यम से सूची आयी है कि यह-यह बिन्दु थे और उसी को आपके समक्ष संलग्न कर दिया गया है। साढ़े बाइस रुपये का प्राविधान मुख्य मंत्री जी उस रैली में जाने के पहले ही कर चुके थे, रैली का कोई दबाव नहीं था।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मैं जानना चाहता हूं कि जब यह मांग पत्र पढ़ा गया और आज की विधान सभा की कार्यवाही का अंग बन गया और मंत्री जी कह रहे हैं कि उस मांग पत्र का शासन को ज्ञान नहीं है। मुझे एक किसान होने के नाते इसका ज्ञान है, क्या यह बात सही है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने इन बातों को मानने का वादा किया था। किसानों के नेता महेन्द्र सिंह टिकैत ने मुख्य मंत्री जी के हाथ से माइक छीन लिया था और वह बेआबरू होकर वहां से लौटे थे। उस मांग पत्र में एक बिन्दु था कि 55 वर्ष के किसानों को पेंशन की व्यवस्था की जाये, किसानों के जो उनके पेड़ हैं उनको काटने के संबंध में और विद्युत दोषों को तीन दिनों में ठीक कराने के संबंध में...

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न कर लीजिये।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मैं प्रश्न ही कर रहा हूं । यह मंत्री जब विभागों के बारे में जानते ही नहीं हैं, यह वहां पर उपस्थित ही नहीं थे, तो यह कैसे निर्णय करेंगे ? जो बिन्दु मैंने बताये हैं, उनके बारे में शासन ने क्या कार्यवाही की है और क्या निर्णय लिया ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी मौजूद नहीं थे । आप मौजूद थे, तो आप ही निर्णय ले लें ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं । मैंने माननीय मंत्री जी से प्रश्न किया है । यह किसानों का मामला है । इसी मामले के बारे में दिल्ली में धरना हुआ और क्या आप चाहते हैं कि विधान सभा में भी धरना हो । मैं जानना चाहता हूं कि किसानों की मांगों को पूरा करने के लिये शासन का क्या रवैया है । मैं इस संबंध में आपका संरक्षण चाहता हूं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

बरार जी आप बैठिये ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मैं नहीं बैठूंगा । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिन तीन बिन्दुओं को मैंने आपके समक्ष उठाया है, उनके बारे में सरकार का क्या निर्णय हुआ है ? इस प्रश्न का उत्तर आप दिलवा दें ।

(व्यवधान)

जिस प्रश्न का उत्तर माननीय मुख्य मंत्री जी को देना था, उसका उत्तर एक राज्य मंत्री से दिलवा रहे हैं ।

श्री गौरी शंकर–

माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किये हैं । और क्या वहां हुआ उसकी जानकारी तो माननीय सदस्य को ही हो सकती है, क्योंकि वे वहां पर उपस्थित थे, लेकिन हमारे संज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं है कि माइक छीन लिया गया हो । ऐसी भी कोई सूचना नहीं है कि मुख्य मंत्री जी ने कोई वायदा किया हो । किसानों की समस्याओं पर विचार होता रहता है और आगे भी होता रहेगा ।

मेसर्स चौधरी बुडबुल इन्डस्ट्रीज अतरौली जनपद अलीगढ़ के द्वारा माल पर बिक्रीकर न दिये जाने विषयक श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, एम0 एल0 ए0 का शिकायती पत्र एवं जांच

*6–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मेसर्स चौधरी बुडबुल इन्डस्ट्रीज अतरौली जनपद अलीगढ़ के द्वारा लगभग 40 लाख रुपये मूल्य के माल पर बिक्री कर न दिए जाने की सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त एम0एल0ए0 का मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश शासन को,

सम्बंधित दिनांक 11-7-87 का पत्र शासन को मिल गया है? क्या यह सही है कि उक्त उद्योग को वन विभाग एवं वन निगम उ0 प्र0 द्वारा वर्ष 1981 से 1987 के बीच में 29 लाख रुपये की लकड़ी की आपूर्ति पैकिंग केस बनाने के लिये की गयी थी जिसका दुरुपयोग किया गया है? यदि हां, तो विधायक श्री गुप्त द्वारा उक्त पत्र में की गयी शिकायतों की जांच किस अधिकारी द्वारा करायी गयी और जांच रिपोर्ट तथा अब तक की कृत कार्यवाही के विवरण को सदन के पटल पर रखने में सरकार को क्या कठिनाई है?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

प्रश्न में उल्लिखित मा0 विधायक का पत्र प्राप्त हुआ था, जिस पर बिक्रीकर आयुक्त से रिपोर्ट मांगी गई है। मा0 विधायक द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना की जांच करके वर्ष 1982–83 तथा 1983–84 के लिये व्यापारी पर राज्य में की गई बिक्री पर क्रमशः 17,000 रु0 तथा 64,000 रु0 और केन्द्रीय बिक्री पर केवल 1982–83 में 16,000 रु0 कर आरोपित कर दिया गया है और बाद के वर्षों में सूचना का उपयोग करते हुए कर निर्धारण के आदेश पारित करने के निदेश कर निर्धारण अधिकारी को दे दिए गए हैं। वर्ष 1982–83 से पूर्व के वर्षों के सम्बन्ध में कर निर्धारण किया जाना संभव नहीं है क्योंकि उक्त बाद पहले ही काल बाधित हो चुके हैं।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

श्रीमन्, मैं इस प्रश्न पर आपका संरक्षण चाहता हूं। मेरे प्रश्न में ही दिया हुआ है कि सन् 81 से 87 के बीच में 29 लाख रुपये की लकड़ी की आपूर्ति पैकिंग केस बनाने के लिये की गई थी जिसका दुरुपयोग किया गया है। मंत्री जी ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया है। दूसरी बात यह है कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि बिक्रीकर आयुक्त से रिपोर्ट मांगी गई है। यह रिपोर्ट कब मांगी गई और सूचना का उपयोग करते हुये कर निर्धारण के आदेश कब पारित कर दिये गये। इस पर भी माननीय मंत्री जी मौन हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सेल्स टैक्स एक्ट की धारा 15ए और 17ए के अनुसार स्वीकृत कर जमा न करने पर अर्थ दण्ड तथा 15ए तथा 17सी के अनुसार गलत विवरण देने पर अर्थ दण्ड और दो प्रतिशत ब्याज लगता है। जो विवरण माननीय मंत्री जी ने दिया है कि 17 हजार और 64 हजार रुपये का बिक्री कर लगाया गया क्या इसमें अर्थ दण्ड और दो प्रतिशत ब्याज भी शामिल है? यदि नहीं है तो क्या ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि वह सत्तारूढ़ दल का आदमी है और कर चोरी के इनाम में उसे टी0पी0 सी0 का चेयरमैन बना दिया गया है? सरकार की इस सम्बन्ध में क्या नीति है?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

मान्यवर, माननीय विधायक जी का पत्र 11 जुलाई, 1987 को प्राप्त हुआ था और आयुक्त ने 21 जुलाई, 1987 को डी0सी0 अलीगढ़ से रिपोर्ट मांगी। श्री आर0 एन0 अग्रवाल ने यह रिपोर्ट भेजी। उनके पास 82 के पहले के अभिलेख उपलब्ध नहीं थे और न ही रजिस्टर्स सेल्स टैक्स विभाग में थे। सूचना के अनुसार उसकी जांच की गई। गेट पास के अनुसार अतरौली मंडी समिति से जो सूचना प्राप्त हुई उसमें 30 हजार

रुपये के बिक्री पर 3900 रुपये और 80 हजार पर 10,400 रुपये कर आरोपित किया गया था। यह एक्स पार्टी लगाया गया और जब धारा 30 के अनुसार केस री-ओपेन किया गया तो सन् 82–83 में प्रान्तीय कर 2 लाख 50 हजार के सेल्स पर 17 हजार रुपये का बिक्री कर आरोपित किया गया और 1 लाख 50 हजार की बिक्री पर केन्द्रीय कर 16 हजार रुपया लगाया गया। 83–84 में प्रान्तीय सेल्स 8 लाख एसेस किया गया और उस पर 64 हजार रुपये कर लगाया गया। इस प्रकार 12 लाख रुपये की बिक्री की गई और उस पर 97 हजार रुपये का टैक्स लगाया गया। जब व्यापारी ने कोई कर जमा नहीं किया तो उसके ऊपर आर0 सी0 जारी की गई और उसके अनुसार प्रान्तीय कर 17 हजार के लिये दिनांक 12-1-89 को, केन्द्रीय कर 16 हजार के लिये दिनांक 12-1-89 को तथा 1983–84 के प्रान्तीय कर 64 हजार के लिये दिनांक 13-7-88 को वसूली के प्रमाण-पत्र जारी किये गये।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि वर्ष 1982–83 में, 16,000 रु0 कर आरोपित कर दिया गया है और बाद के वर्षों में सूचना का उपयोग करते हुये कर निर्धारण के आदेश पारित करने के निदेश कर निर्धारण अधिकारी को दे दिये गये हैं। तो यह मेरा आरोप पत्र था जिसके आधार पर यह किया गया है। जनता ने उस आदमी को ठुकरा दिया लेकिन सत्ता पक्ष का आदमी होने के कारण उसे टी0पी0सी0 का चेयरमैन बना दिया। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि कर निर्धारण अधिकारी को जो आदेश दिये गये हैं उसके बारे में आगे जानना चाहता हूं कि क्या आगे के वर्षों का कर निर्धारण हुआ या नहीं? हुआ है तो कितना और जो पुराना एरियर 17 हजार, 64 हजार कुछ का था जिस पर आर0सी0 जारी हुआ था उसके अगेन्स्ट कितना रुपया जमा हुआ है?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

अभी उसके अगेन्स्ट रुपया जमा नहीं हुआ है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मेरा प्रश्न दो हिस्सों में था जिसका जवाब नहीं आया एक तो आर0सी0 के अगेन्स्ट रुपया जमा करना और दूसरा आगे के वर्षों का एसेसमेंट हुआ या नहीं?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

1984–85 का एसेसमेंट अभी नहीं हुआ है प्रक्रिया जारी है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि 1983–84 के पहले का मामला है इसलिये टाइम बार हो गया है और टैक्स नहीं लगा सकते हैं। लेकिन जो अर्थदण्ड है वह टाइमबार नहीं होता है तो उसको न लगाने का क्या कारण है ? दूसरा यह कि उस आदमी को जो टी0 पी0 सी0 का चेयरमैन बना दिया है तो क्या इस तरह के कर चोर को टी0 पी0 सी0 का चेयरमैन बनाना सरकार की निगाह में उचित है अगर नहीं तो क्या उसे अब तथ्य जानकारी में आने के बाद तत्काल हटाने की कृपा करेंगे।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

आपने जो शुरू में प्रश्न किया है उसमें बताना चाहता हूं कि वह चूंकि पहले रजिस्टर नहीं हुए और उनके पास से कोई डाकूमेन्ट नहीं प्राप्त हुये इसलिये वह नहीं लगाया जा सकता है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, सेल्स टैक्स अधिनियम में व्यवस्था है कि यदि कोई आदमी पंजीकरण नहीं कराये तो वह भी दण्ड का भागी होगा तो क्या मंत्री जी इस बिन्दु पर जांच कराने की कृपा करेंगे। 1983 के पहले अगर वह रजिस्टर्ड नहीं थे तो अब संज्ञान में बात आ गयी है तो क्या अब उसे रिओपेन करेंगे और इसमें जो अधिकारी दोषी हैं उसकी भी जांच करायेंगे तथा दूसरा यह कि ऐसे भ्रष्ट आदमी को सार्वजनिक महत्व के पद पर बैठाने का क्या औचित्य है क्या उसे तत्काल हटाने की कार्यवाही करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

जो आपने पहले कहा उसकी जांच करा लेंगे।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या उसे टी0पी0सी0 के चेयरमैन पद से हटायेंगे जो आर्थिक अपराधी साबित हो चुका है (व्यवधान) इसका उत्तर दिला दीजिये।

(कोई उत्तर नहीं आया)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हैं अगर यह अक्षम पा रहे हैं तो वह बता दें कि ऐसे भ्रष्ट आदमी को एक दिन भी सार्वजनिक महत्व के पद पर नहीं रहना चाहिये यह सरकार के ऊपर धब्बा है तो उसे तत्काल हटाने की घोषणा करेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी उत्तर देने के लिये सक्षम हैं। (व्यवधान)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

शासन की निगाह में वह कर चोर साबित हो गया है और वह आर्थिक अपराधी है। जब आपके कारपोरेशन घाटे में चल रहे हैं क्या उसको टी0पी0सी0 का चेयरमैन बनाना माननीय मुख्य मंत्री जी न्यायोचित समझते हैं अगर नहीं तो उसे हटाने की यहां घोषणा करेंगे (व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

"व्यवधान" जो सवाल है उसी पर मैं आ रहा हूं, इसमें लकड़ी के ऊपर वन विभाग या निगम को कर देने का अधिकारी होता है। उन्होंने डिब्बे बनाने के लिए उनसे लकड़ी खरीदी थी, किन्तु उन्होंने कहा कि हमने इसके फिर डिब्बे बनाये ही नहीं हैं। फिर भी इसके बाद भी उनके खिलाफ एक्सपार्टी ने यह निर्णय लिया (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

नोटः–नत्थी (घ) के तारांकित प्रश्न संख्या–6 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

तो इस तरह से सरकार द्वारा भ्रष्टाचार का संरक्षण देने की नीति के विरुद्ध मैं सदन का बहिष्कार करता हूं।

(श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी सदन त्याग कर चले गये।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

ऐसे कर चोर और आर्थिक अपराधी को सार्वजनिक जीवन के ऐसे महत्वपूर्ण पद पर आरूढ़ किया गया है और मुख्य मंत्री इस समय सदन में मौजूद हैं, फिर भी वह उसको इस पद से हटाने के लिए सदन में कोई घोषणा करने के लिए तैयार नहीं हैं, अतः सरकार की इस गलत नीति के खिलाफ मैं सदन का बहिर्गमन इसके विरोध में करता हूं।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री भोपाल सिंह–

5-12-88 को एक प्रश्न मैंने पूछा लेकिन . . . (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप इसे लिखकर भेज दीजिए, मैं देखूंगा।

मोहन गोल्ड वाटर बी0 लि0 लखनऊ पर बकाया बिक्री कर के लिए उसकी नीलामी

*7–श्री हर्ष वर्धन—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मोहन गोल्ड वाटर बी0 लि0 लखनऊ पर बकाया बिक्रीकर के लिए उसकी नीलामी अगस्त 1988 के अन्तिम सप्ताह में सरकार ने घोषित की थी। यदि हां, तो उसकी बिक्री से कितनी धनराशि प्राप्त हुयी तथा शेष धनराशि की वसूली के लिये क्या सरकार मालिकों पर मुकदमा चलाने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

जी हां।

नीलामी के लिये दिनांक 30-8-88, 20-9-88 तथा 4-10-88 निश्चित हुई परन्तु किसी भी नीलामी की तिथि को बोली बोलने वाला उपस्थित नहीं हुआ। अतः नीलामी सम्पन्न नहीं हुई। अतः धनराशि प्राप्त होने का प्रश्न ही नहीं उठता। अभी तक मुकदमा चलाने पर विचार नहीं किया गया है। वसूली के प्रयास किये जा रहे हैं।

ग्राम वन पुरवा, थाना सरेनी, जनपद रायबरेली निवासी श्री गंगाराम के घर में पड़ी डकैती एवं दो व्यक्तियों की हत्या तथा उस पर की गई कार्यवाही

*8–श्री मित्रसेन—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम वनपुरवा, थाना सरेनी, जनपद रायबरेली निवासी श्री गंगाराम के घर में दिनांक 17 मई, 1988 को पड़ी डकैती में

घर के दो व्यक्तियों श्री शिव प्रताप सैनिक एवं इन्द्रभान की निर्मम हत्या कर दी गयी और पुलिस अभी तक अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है जिससे आतंक व्याप्त है ? क्या यह सही है कि डकैती और हत्या से पीड़ित परिवार के लोगों ने सुरक्षा हेतु आग्नेयास्त्र लाइसेंस हेतु प्रार्थना-पत्र दिये हैं ? यदि हां, तो स्वीकृत में विलम्ब का कारण क्या है और मृतक के आश्रितों को अभी तक कोई आर्थिक सहायता स्वीकृत किये जाने में विलम्ब का कारण क्या है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

जी हां । प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 17-5-88 को ग्राम बनपुरवा थाना सरैनी जनपद रायबरेली के निवासी श्री गंगाराम के घर में पड़ी डकैती में घर के दो व्यक्तियों श्री शिव प्रताप (चन्द्र प्रताप नहीं) एवं इन्द्रभान की हत्या हुई थी ।

इस संबंध में थाना सरैनी पर मु0 अ0 सं0 69/88 धारा 396 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत हुआ है । विवेचना में कुल 9 अभियुक्त प्रकाश में आये, जिनमें से 4 गिरफ्तार किये गये एवं 3 ने न्यायालय में आत्म समर्पण किया तथा 2 अभियुक्त फरार हैं । उक्त में से 5 अभियुक्तों का चालान किया गया, 2 अभियुक्तों को 169 सी0 आर0 पी0 सी0 की कार्यवाही में शिनाख्त न होने के कारण रिहा किया गया और 2 फरार अभियुक्तों के विरुद्ध 82/83 सी0 आर0 पी0 सी0 के अन्तर्गत कुर्की की कार्यवाही की जा चुकी है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इस प्रकरण की जांच हेतु सी0 आई0 डी0 को अभिदिष्ट किया गया है । सुरक्षा की दृष्टि से गांव में सशस्त्र गार्ड नियुक्त है। आतंक व्याप्त होने जैसी कोई बात प्रकाश में नहीं आयी है।

जी हां ।

पीड़ित परिवार के श्री चन्द्रपाल और श्री कमल भान निवासी बनपुरवा थाना सरैनी को आग्नेयास्त्र के लाइसेंस स्वीकृत हो चुके हैं ।

मृतक के आश्रितों को कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गई है ।

बरेली नगर के युवा इंजीनियर एवं ठेकेदार श्री हरीश चन्द्र अग्रवाल द्वारा आत्म हत्या एवं उनके द्वारा छोड़े गये पत्रों पर कार्यवाही

*9—डाक्टर दिनेश जोहरी—

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि बरेली नगर के एक युवा इंजीनियर एवं ठेकेदार श्री हरीश चन्द्र अग्रवाल ने दिनांक 29-5-87 को जल निगम के अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित करने पर क्षुब्ध होकर आत्म हत्या कर ली थी व मरने से पहले प्रधानमंत्री के नाम एक पत्र छोड़ गए थे जिसके आधार पर पुलिस ने थाना कोतवाली में उसी दिन धारा 306 के तहत रिपोर्ट भी लिखाई थी ? यदि हां, तो क्या इस प्रकरण की जांच करा कर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 29-5-87 को प्रातः 8.30 बजे श्री राम किशोर अग्रवाल निवासी रामपुर बाग, बरेली ने थाना कोतवाली पर यह लिखित सूचना दी कि दिनांक 28/29 मई, 1987 की रात करीब साढ़े तीन बजे उनके पुत्र हरीश अग्रवाल की तबियत खराब हो गयी थी। उसे अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। यह भी सूचना दी कि प्रधान मंत्री भारत सरकार के नाम हरीश के लिखे दो पत्र सुबह उन्हें मिले। जिसमें उसने भ्रष्टाचारी अफसरों से परेशान हो कर आत्म-हत्या करने की बात लिखी है। उक्त सूचना के आधार पर जल निगम के सर्वश्री (1) अनिल गुप्ता, अधिशासी अभियंता, (2) जी0 के0 गहलौत, सहायक अभियन्ता, (3) टी0 पी0 सिंह, अवर अभियंता (4) एस0 एस0 नेगी, अधीक्षण अभियंता (5) वीरेन्द्र कुमार मुख्य अभियन्ता के विरुद्ध अपराध सं0 343/87, धारा 306 भा0दं0वि0 पंजीकृत हुआ। इस अभियोग की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है, जो अभी प्रचलित है।

चूंकि विवेचना से अभी तक कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो सके। अतः किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

झांसी जिले की शाहजहांपुर पुलिस चौकी में पुलिस गोली से घायल हरिजन महिला की मृत्यु एवं ग्रामीणों द्वारा चौकी में आग लगाये जाने की घटना पर जांच एवं कार्यवाही

*10—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जिले के शाहजहांपुर पुलिस चौकी में दिनांक 5-5-85 को पुलिस की गोली से एक हरिजन महिला की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप ग्रामीणों द्वारा चौकी में आग लगाये जाने की घटना की सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच कराई गयी है? यदि हां, तो जांच से क्या परिणाम निकला तथा उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

जी हां, प्रश्नगत प्रकरण में अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा करायी गयी जांच से स्थानीय पुलिस द्वारा पंजीकृत अभियोग अपराध संख्या-30/85 अन्तर्गत धारा 147/148/149/436/332/353/109/114 भा0 दं0 वि0 जो पुलिस चौकी शाहजहांपुर में आगजनी के संबंध में था, प्रमाणित नहीं हुआ। अपराध शाखा की जांच से हरिजन महिला श्रीमती जगता की मृत्यु के संबंध में कान्स0 साबिर खां, कान्स0 मकरंद सिंह, चौकीदार ओम प्रकास उर्फ लल्लू परीक्षित गडरिया तथा सुरेश के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 147/148/323/379/342/302 भा0 दं0 वि0 प्रमाणित होना पाया गया। उपरोक्त दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध अभियोजन चलाये जाने की स्वीकृति शासन के विचाराधीन है। दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति के उपरान्त आरोप पत्र प्रेषित किया जायेगा।

प्रदेश में साम्प्रदायिकता की समस्या के निवारण हेतु सरकार की योजना

*11—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में बढ़ रही साम्प्रदायिकता और उससे उत्पन्न परिस्थितियों से निपटने की किसी योजना पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

प्रदेश में साम्प्रदायिकता की समस्या के निवारण हेतु राज्य सरकार कृत संकल्प है । साम्प्रदायिक सौहार्द बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने प्रत्येक जनपद में जिला एकीकरण समितियां गठित की गयी हैं।

साम्प्रदायिकता से उत्पन्न विशिष्ठ परिस्थितियों से निपटने के लिए समय-समय पर परिस्थितियों के अनुसार निर्देश दिए जाते हैं ।

ग्राम सनौली, थाना छपरौली, जनपद मेरठ के वीरेन्द्र सिंह की गोली मारने के फलस्वरूप एक पैर काट दिए जाने एवं अभियुक्तगण के विरुद्ध पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही

*12—श्री नरेन्द्र सिंह—

क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि 8 जुलाई, 1988 को ग्राम सनौली, थाना छपरौली, जनपद मेरठ के वीरेन्द्र सिंह को गोली मार दी गई और गोली लगने के कारण डाक्टरों ने उसके एक पैर को काट दिया है ? यदि हां, तो अभियुक्तगण के खिलाफ पुलिस ने क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

प्राप्त सूचनानुसार घायल श्री वीरेन्द्र सिंह के पिता द्वारा दिनांक 8-7-88 को थाना छपरौली पर दी गई तहरीरी सूचना के आधार पर मुकदमा अन्तर्गत धारा 147/148/307 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत हुआ । अभियोग की विवेचना से ज्ञात हुआ कि श्री वीरेन्द्र सिंह के स्वयं के तमन्चे से उसकी जांघ में गोली लगी थी । चिकित्सा के दौरान उसकी एक टांग को जांघ से काट दिया गया है । अभियोग की विवेचना अन्तिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त की जा चुकी है ।

लखनऊ राइफल क्लब एण्ड एसोसियेशन कलेक्ट्रेट, लखनऊ द्वारा आर्म्स लाइसेंसधारियों से नवीनीकरण के समय वसूल की गयी धनराशि, उद्देश्य तथा अन्य विवरण

*13—श्री शारदा प्रताप—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ राइफल क्लब एण्ड एसोसियेशन कलेक्ट्रेट, लखनऊ द्वारा आर्म्स लाइसेन्सधारियों से नवीनीकरण के समय जो रुपया वसूल किया जाता है उसका क्या उद्देश्य है तथा उक्त धनराशि किस मद में संचित की जाती है ? लाइसेंसधारियों से वसूल की जाने वाली धनराशि कब से वसूल की जा रही है तथा उसमें वर्ष 1988 तक कुल कितना धन संचित किया गया ? क्या उक्त अनावश्यक वसूली को रोकने की व्यवस्था की जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

प्राप्त सूचनानुसार लखनऊ राइफल क्लब एण्ड एसोसियेशन का उद्देश्य शस्त्र धारकों को निशानेबाजी तथा शस्त्रों के प्रयोग की सही विधि में प्रशिक्षित करना तथा जिला एवं अन्तर्जिला स्तर पर शूटिंग प्रतियोगिता आयोजित करना आदि है । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए लाइसेंसधारियों से स्वेच्छा से सदस्यता शुल्क के रूप में ली जाने वाली धनराशि को क्लब के नियमानुसार व्यय किया जाता है । क्लब का अपना अलग खाता है जिसमें यह धनराशि जमा की जाती है । लखनऊ में यह क्लब वर्ष 1962 से स्थापित है । दिसम्बर, 1988 तक क्लब के खाते में कुल रु0 1,51,605.58 पैसे संचित है ।

सदस्यता शुल्क के रूप में लाइसेंसधारियों से ली जाने वाली धनराशि ऐच्छिक है अतः उसे रोकने का प्रश्न नहीं उठता ।

देहरादून में सहायक आयुक्त (न्याय) बिक्रीकर का कार्यालय स्थापित किए जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कार्यवाही

*14–श्री राकेश धर त्रिपाठी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देहरादून में सहायक आयुक्त (न्याय) बिक्रीकर का कार्यालय स्थापित किए जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 16 मई, 1988 श्री हरवीर सिंह कुशवाहा, कार्यकर्ता जनता पार्टी देहरादून के पत्र सहित उनको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई तथा सहायक आयुक्त कार्यालय खोलने में विलम्ब करने का क्या कारण है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हां, देहरादून में लम्बित अपीलों की संख्या कम होने के कारण सहायक आयुक्त (न्याय) का कार्यालय स्थापित किए जाने का औचित्य नहीं है ।

जनपद सहारनपुर में चल रही चकबन्दी में कार्यरत कर्मचारियों (क्लर्क/चकबन्दीकर्ता/लेखपाल) की संख्या एवं अनु0 जाति तथा जन जाति के आरक्षण का कोटा

*15–श्री राम शरण दास–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर में चल रही चकबन्दी में कार्यरत कर्मचारियों (क्लर्क/चकबन्दीकर्ता/लेखपाल) की कितनी संख्या है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि इन कर्मचारियों में अनु0 जाति तथा जनजाति के कितने अभ्यर्थी हैं ? क्या इन कर्मचारियों में अनु0 जाति तथा जनजाति का आरक्षण कोटा पूरा है ? यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद–

जनपद सहारनपुर की बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी इकाई में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या निम्न प्रकार है :–

संवर्ग	कार्यरत कर्मचारियों की संख्या
1–लिपिक वर्ग	37
2–चकबन्दीकर्ता वर्ग	43
3–चकबन्दी लेखपाल	143
योग ..	223

उपरोक्त संवर्ग के कर्मचारियों में कार्यरत अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों की संख्या निम्न प्रकार है :–

संवर्ग	अनुसूचित जाति की संख्या	जनजाति की संख्या
1–लिपिक	2	—
2–चकबन्दीकर्ता	2	—
3–चकबन्दी लेखपाल	22	—
योग ..	26	

जी नहीं ।

चकबन्दीकर्ता, लिपिक तथा लेखपाल आवश्यकतानुसार एक जनपद से दूसरे जनपद में स्थानान्तरित होते रहते हैं । अतः जिलेवार कोटा सुनिश्चित करना सम्भव नहीं है ।

प्रदेश में पुलिस विभाग के अन्दर नियुक्त कुक व कहार के वेतन बढ़ाये जाने पर विचार

*16–श्री दीपचन्द्र सोनकर–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पुलिस विभाग के अन्दर जो कुक व कहार निर्धारित वेतन पर नियुक्त होते हैं क्या सरकार इनके वेतन को बढ़ाने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

जी नहीं । प्रदेश की वर्तमान आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह सम्भव नहीं है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जनपद एटा की न्योली चीनी मिल द्वारा विभिन्न सत्रों में की गयी पेराई तथा गन्ना कृषकों का अवशेष भुगतान

*17—श्री वारेन्द्र सिंह (एटा—)

क्या गन्ना उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा की न्योली चीनी मिल द्वारा सत्र 1986-87 एवं 1987-88 में क्रमशः कितने टन गन्ने की पेराई की गयी तथा गन्ना कृषकों का सत्र 1986-87 एवं 1987-88 का कितना अवशेष धन माह अक्टूबर, 88 तक चीनी मिल पर बकाया है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

न्योली चीनी मिल जनपद एटा निजी क्षेत्र की मिल है । इसके द्वारा सत्र 1986-87 एवं 1987-88 में क्रमशः 1.899 तथा 1.591 लाख टन गन्ने की पिराई की गई । गन्ना कृषकों का माह अक्टूबर तक सत्र, 1986-87 का समस्त गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है। सत्र 1987-88 का उक्त माह तक 79.41 लाख रु0 अवशेष था जिसका भुगतान दिसम्बर, 88 में किया जा चुका है ।

*18—श्री भगौती सिंह—

[9वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

ग्राम गुलिस्तापुर, तहसील दादरी, जनपद गाजियाबाद में ग्राम सभा की भूमि पर ग्राम साबीपुर तहसील दादरी, जनपद गाजियाबाद एवं चिरौड़ी तहसील के निवासियों के नाम फर्जी अमल दरामद

*19—श्री महेन्द्र भाटी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम गुलिस्तापुर, तहसील दादरी, जनपद गाजियाबाद में खाता सं0 170 सं0 79 व 425 गाटा सं0 1166, 1167, 1120, 1121 व 1123 खाता 262, गाटा सं0 1206, 1244, 1252, 958 खाता संख्या 311, 1370 फ0 खाता सं0 94, गाटा सं0 1138, 1165, 1140, 821 खाता सं0 215 गाटा सं0 1265 खाता 245 गाटा सं0 1267 ग्राम सभा की भूमि है? यदि हां, तो उपरोक्त भूमि पर क्रमशः 1375, 1378, 1380, 1370, 1376, 1370 तथा 1381 फ0 में ग्राम साबीपुर तहसील दादरी, जनपद गाजियाबाद एवं चिरौड़ी तहसील एवं जनपद गाजियाबाद के निवासियों के नाम किस आधार पर दर्ज हैं? क्या अमल दरामद फर्जी हैं?। यदि हां, तो क्या शासन फर्जी अमल दरामदों को निरस्त करके उपरोक्त भूमि को पुनः ग्राम सभा में निहित करेगा एवं दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों को दण्ड देगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री माता प्रसाद—

ग्राम गुलिस्तापुर तहसील दादरी के खाता सं0 262 का गाटा नं0 1206 व खाता सं0 94 के गाटा सं0 1148, 821 वर्ष 1370 फ0 के पूर्व से खातेदारों के नाम भूमिधरी/सीरदारी अंकित है तथा शेष प्रश्नगत गाटे ग्राम सभा सम्पत्ति है। गाटा सं0 79, 425, 1120, 1121, 1123, 1138, 1165, 1166, 1167, 1244, 1252 958 तथा खाता सं0 311 की भूमि वर्ष 1378 फ0 तक ग्राम सभा भूमि अंकित रही

परन्तु वर्ष 1379 से 1382 फ0 की खतौनी में उक्त भूमि ग्राम साकीपुर तहसील दादरी व ग्राम चिराँड़ी तहसील एवं जनपद गाजियाबाद के कुछ व्यक्तियों के नाम बिना किसी आदेश के फर्जी अंकित कर दिये गये।

उक्त फर्जी अमलदरामदों को खारिज करने एवं भूमि पुन: ग्राम समाज के नाम अंकित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी गाजियाबाद के न्यायालय में विचाराधीन है। ग्राम सभा सम्पत्ति पर फर्जी अमलदरामद करने के आरोप में श्री भोजराज सिंह, लेखपाल को परगनाधिकारी के आदेश दि0 20-7-88 द्वारा पदच्युत कर दिया गया है।

जनपद फर्रुखाबाद के सुशील कुमार मेहरोत्रा को कारागार से मुक्त करने विषयक श्री अमरनाथ मेहरोत्रा के अभ्यावेदन के सम्बन्ध में याचिका समिति द्वारा की गई संस्तुतियों पर शासन का निर्णय

*20—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री शारदा नन्द अंचल—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की याचिका समिति के अष्टम प्रतिवेदन दिनांक 8 जुलाई, 87 के भाग 2 (अभ्यावेदन) की तालिका इ में जनपद फर्रुखाबाद के सुशील कुमार मेहरोत्रा को कारागार से मुक्त करने विषयक श्री अमरनाथ मेहरोत्रा के अभ्यावेदन प0 सं0 203/86 के सम्बन्ध में याचिका समिति द्वारा की गई संस्तुतियों पर शासन ने क्या निर्णय लिया है? क्या याचिका समिति की संस्तुति के अनुरूप शासन द्वारा कार्यवाही पूर्ण कर ली जाएगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

बन्दी सुशील कुमार मेहरोत्रा को समय से पूर्व कारागार से मुक्त कर दिये जाने के आदेश जारी किये जा रहे हैं।

अतारांकित प्रश्न

जनपद बांदा तहसील नरैनी के ग्रामों के कतिपय व्यक्तियों के भूमि के पट्टों के नाम एवं कब्जे के सम्बन्ध में पत्रों के साथ संलग्न प्रश्न कर्ता के पत्र पर कार्यवाही

1—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बांदा तहसील नरैनी के ग्राम जाऊ के श्री बदलू पुत्र श्री मैकू व ग्राम महोतरा के श्री राम आसरे तथा ग्राम नौगवां के श्री राम किशुन व ग्राम बदौसा के श्री रामहित आदि तथा तुरां ग्राम के श्री बहोरी हरिजन आदि के पत्र के साथ प्रश्नकर्ता का दिनांक 17-8-87 का पत्र संख्या ग 13401 भूमि के पट्टे के नाम एवं कब्जा के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ? यदि हां, तो संलग्न पत्रों पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री माता प्रसाद—

जी हां। शिकायती पत्रों पर जांच करा कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने के निदेश जिलाधिकारी को भेज दिये गये हैं।

हरदोई के बिक्रीकर कार्यालय में पंजीकृत फर्म गिरी कोल कम्पनी द्वारा बिक्रीकर राजस्व की हानि के बारे में विधान परिषद्, सदस्य खान अब्दुल वदूद खां के पत्र पर की गई कार्यवाही

2—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि हरदोई के बिक्रीकर कार्यालय में पंजीकृत फर्म गिरी कोल कम्पनी के द्वारा बिक्रीकर राजस्व की हानि के बारे में सदस्य, विधान परिषद् खान अब्दुल वदूद खां का पत्र सं0—385 दिनांक 16-4-88 मुख्य सचिव को मिला है? क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच करायी गयी थी ? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

सर्वश्री गिरी कोल कम्पनी के द्वारा बिक्रीकर राजस्व हानि के विषय में मा0 सदस्य का पत्र प्राप्त हुआ था, जिसके सम्बन्ध में जांच करायी गयी। जांच के फलस्वरूप विदित हुआ कि इस फर्म ने दिनांक 19-12-84 को पंजीयन हेतु प्रार्थनापत्र दिया था, जिसमें व्यवसाय दिनांक 18-12-84 से प्रारम्भ किये जाने का उल्लेख किया गया था। व्यापारी से पंजीयन हेतु अमानत मांगी गयी थी, जिसके अभाव में प्रार्थना-पत्र दिनांक 29-1-85 को निरस्त कर दिया गया था। व्यापारी के विरुद्ध अभी तक कोई कर-निर्धारण आदेश पारित नहीं किया गया है। चूंकि व्यापारी पंजीकृत ही नहीं था, अतः उसे कोई फार्म जारी करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

लखनऊ बिक्रीकर कार्यालय में पंजीकृत फर्म एलाइड इण्डस्ट्रीज सदर के बिक्रीकर राजस्व की हानि के बारे में विधान परिषद् सदस्य, खान अब्दुल वदूद खां के पत्र पर जांच का परिणाम

3—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ बिक्रीकर कार्यालय में पंजीकृत फर्म एलाइड इण्डस्ट्रीज सदर के वर्ष 81-82 व 82-83 में बिक्रीकर राजस्व की हानि के बारे में सदस्य, विधान परिषद् खान अब्दुल वदूद खां का पत्र सं0—465 मा0 वित्त राज्य मंत्री जी को ता0 2-5-88 को मिला है? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच करायी गयी? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम हुआ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां।

जी हां।

जांच से पता लगा कि प्रार्थी फर्म के स्वामी श्री जी0पी0 वर्मा ने पंजीयन हेतु प्रार्थना-पत्र 20-9-81 को तथा मान्यता प्रमाण-पत्र हेतु प्रार्थना-पत्र 24-9-81 को प्रस्तुत किया था, जिन पर उनके हस्ताक्षर और फोटो उनके अधिवक्ता श्री आर0एस0 राना द्वारा सत्यापित किए गए थे। 22-12-81 के आदेश द्वारा फर्म को पंजीयन प्रमाण पत्र एवं मान्यता प्रमाण पत्र स्वीकार किया गया। फर्म को वर्ष 1981—82 में 12 तथा 1983—84 में 15 फार्म 3-ख दिए गए। अन्य कोई फार्म जारी नहीं किए गए। पंजीयन के समय अधिकारी द्वारा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था और रु0 5,000 की सत्यापित

जमानत ली गई थी । व्यापारी द्वारा समय-समय पर रूप-पत्र-4 दाखिल किए गए थे जिनके साथ स्वीकृत कर भी जमा किया गया था। फलतः अस्थायी कर निर्धारण की कार्यवाही नहीं की गई। व्यापारी पर वर्ष 1981–82, 1982–83 तथा 1983–84 के लिए कर निर्धारण आदेश पर्याप्त तत्परता से क्रमशः 7-9-82, 27-6-83 और 26-3-85 को पारित कर दिए गए थे । बाद में सूचना प्राप्त होने पर उसके विरुद्ध धारा 21 के अधीन कार्यवाही की गई और इन वर्षों के लिए 9,60,000 कर आरोपित किया गया। फर्म को जारी किए गए 3-रू फार्मों का दुरुपयोग रूण्ड-4 में चल रही इसी नाम की फर्म द्वारा किया जाना प्रकाश में नहीं आया। रूण्ड-4 में जो फर्म पंजीकृत है, उसके स्वामी एक भिन्न व्यक्ति हैं। सम्बन्धित अधिवक्ता के विरुद्ध कार्यवाही हेतु बार काउन्सिल आफ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को अगस्त, 1988 में लिखा गया है। अभी यह कहना उचित नहीं है कि राजस्व की हानि हुई, क्योंकि निर्धारित कर की वसूली के लिए प्रमाण-पत्र जारी किए जा चुके हैं और जब तक अंतिम रूप से वसूली अधिकारियों द्वारा यह सूचित नहीं किया जाए कि धनराशि वसूली योग्य नहीं थी, यह नहीं कहा जा सकता कि कोई राजस्व हानि हुई है । फर्म के स्वामी के फर्जी होने की कोई निश्चित सूचना पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। इस सम्बन्ध में दोषी अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है और कार्यवाही की जा रही है।

बिक्रीकर कार्यालय लखनऊ से चोरी हुए एक फार्म के विषय में प्रश्नकर्ता का पत्र एवं जांच की कार्यवाही

4–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि नौबतपुर चेक पोस्ट पर 28-6-81 को तैनात बिक्रीकर अधिकारी ने लखनऊ बिक्रीकर कार्यालय के खण्ड 1 से चोरी हुये फार्म 31 में से एक फार्म सं0-सी0 आई0 1980-81 1947 से ट्रक द्वारा माल ले जाते हुए ड्राइवर (श्री गंगा प्रसाद) को पकड़ा था और 1200 रु0 अर्थ दण्ड लेकर ट्रक को छोड़ दिया था? इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–741 मा0 मुख्य मंत्री जी को ता0 15-1-86 को मिला है? यदि हां, तो मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस बारे में कोई जांच करायी गयी? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम रहा?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

बिक्रीकर कार्यालय, लखनऊ से चोरी हुए फार्मों में से एक फार्म सं0-बी-वाई-1980-811947 (न कि सी0आई0-1980-811947) का प्रयोग करके माल लाते हुए एक ट्रक के जांच चौकी पर पकड़े जाने और उसे जमानत जमा कराकर छोड़ दिये जाने के विषय में मा0 विधायक का पत्र संख्या-741 दिनांक 13-1-86 (न कि 15-1-86) प्राप्त हुआ था। फार्मों के चोरी जाने के प्रकरण के विषय में जांच करायी गयी थी। चोरी किये गये फार्मों का प्रयोग करते हुए पकड़े जाने के विषय पर कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं दर्ज करायी गयी थी और इसकी कोई अलग से जांच नहीं करायी गयी थी। फार्मों की चोरी सम्बन्धी उपरोक्त जांच के दौरान ही अपराध अनुसंधान शाखा के जांच अधिकारी ने जांच चौकी पर तैनात तत्कालीन बिक्रीकर अधिकारी से सूचनायें प्राप्त की और उनका बयान भी दर्ज कराया। जांच का क्या परिणाम रहा यह अभी विभाग को उपलब्ध नहीं है। जांच

आख्या प्राप्त होने पर जो भी कार्यवाही आवश्यक होगी, की जायेगी। यह उल्लेखनीय है कि चोरी गये 200 फार्मों में से अन्य कोई भी फार्म प्रयोग किया गया नहीं पाया गया। फार्म चोरी हो जाने के संबंध में लापरवाही के लिए तत्कालीन खण्डाधिकारी को चेतावनी दे दी गयी है और संबंधित कर्मचारी को निन्दित करते हुए प्रत्यावर्तित कर दिया गया है।

इलाहाबाद जनपद में राजकीय आस्थान की भूमि पर अवैध निर्माण एवं उनके विनियमितीकरण पर कार्यवाही

5—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि इलाहाबाद जनपद में राजकीय आस्थान की भूमि पर हजारों अवैध निर्माण हो चुके हैं ? यदि हां, तो जनहित को ध्यान में रखते हुए शासन उनके विनियमितीकरण पर क्या कोई कार्यवाही कर रहा है? यदि हां, तो वह क्या है?- यदि नहीं, तो क्यों?

श्री माता प्रसाद—

जी हां। मामला नीति विषयक होने के कारण पूरे प्रदेश में स्थित राजकीय आस्थान की परिसम्पत्तियों की अद्यावधिक सूचनाएं एकत्र की जा रही हैं। तदोपरांत निर्णय लिया जायेगा।

देवरिया जनपद में चक्रवात के चपेट से प्रभावित गांवों में व्यक्तियों की मृत्यु तथा राहत सहायता

6—कुंवर रेवती रमण सिंह—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद में दिनांक 19-10-87 को चक्रवात की चपेट में किन-किन गांवों में किन-किन व्यक्तियों की मृत्यु हुई और कौन-कौन से व्यक्ति घायल हुए, घायलों में कितनी-कितनी सहायता प्रति व्यक्ति को दी गयी तथा पूर्ण रूप से किन-किन गांवों में किन-किन के मकान गिरे हैं तथा आंशिक रूप से कितने घर गिरे व आंशिक तथा पूर्ण रूप से गिरे घरों की कितनी-कितनी धनराशि सहायता के रूप में दी गयी और शासन की ओर से पीड़ितों को कितनी धनराशि सहायता के रूप में दी गई है ? क्या यह सत्य है कि सहायता वितरण में भेदभाव किया गया है और मृतक तथा घायल व गिरे घरों को सहायता से वंचित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या पुनः इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री माता प्रसाद—

दिनांक 19-10-87 को चक्रवात की चपेट में जनपद देवरिया की तहसील सलेमपुर व रामकुहीराज के 20 ग्राम प्रभावित हुए। कुल 18 व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा 135 व्यक्ति घायल हुए। कुल 1427 मकान क्षतिग्रस्त हुए, जिसमें से 284 घर पूर्णरूप से तथा 1143 आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए।

मृतक के आश्रितों को 10,000 रु0 प्रति मृतक की दर रु0 1,80,000 तथा घायलों को रु0 58,900 की अनुग्रह धनराशि प्रदान की गई।

पूर्णतः क्षतिग्रस्त भवनों के लिए रु0 1,000 की दर से कुल रु0 2,84,000 तथा आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त भवनों के लिए रु0 200 की दर से कुल रु0 2,28,600 गृह अनुदान बांटा गया ।

राहत सहायता वितरण में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया । कोई भी मृतक परिवार अथवा घायल व्यक्ति सहायता पाने से वंचित नहीं रहा । इस प्रकार सभी प्रभावितों को नियमानुसार राहत सहायता प्राप्त करा दी गई ।

ग्रामवार दी गई राहत सहायता का विस्तृत विवरण मेरे कार्यालय में देखा जा सकता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राबर्ट्स गंज, मिर्जापुर के बिक्री कर अधिकारी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच

7—श्री यदुनाथ सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1987 के पहले मंगलवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0-20 के संदर्भ में क्या वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार के क्या-क्या आरोप थे ? क्या आयुक्त ने पुनः अपनी जांच रपट शासन में भेज दी ? यदि हां, तो शासन ने इस जांच रपट पर क्या कार्यवाही की है ? जनवरी, 1983 से यह अधिकारी किस-किस पद पर कहां-कहां पर रहा है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार के निम्न आरोप थे :—

(क) राबर्ट्सगंज से प्रान्त के बाहर जाने वाले माल पर कर जमा नहीं कराया गया ।

(ख) वर्ष 76-77 व 77-78 के अनेक मामलों में कार्यवाही न किये जाने के कारण राजस्व की भारी हानि हुई है ।

(ग) अधिकारी की मिली भगत से फार्म 34 पर ऐसी गाड़ियां पास की गई जिनका माल प्रान्त में ही बेच दिया गया ।

(घ) कोआपरेटिव चन्दौसी, कोआपरेटिव भीगुरदहा तथा कुछ अन्य व्यापारियों ने मिलकर प्रान्तीय राजस्व को भारी क्षति पहुंचायी ।

(च) मण्डल कार्यालय, राबर्ट्सगंज में कार्यरत रहते हुए व्यापारियों से सांठ-गांठ करके कर निर्धारण आदेश पारित करके राजस्व की हानि की गई ।

जी हां ।

आयुक्त से प्राप्त रिपोर्ट पर विचार करके कतिपय बिन्दुओं पर अतिरिक्त सूचना मांगी जा रही है ।

जनवरी, 1983 से यह अधिकारी निम्न प्रकार कार्यरत रहे :–

4-2-83 से 12-8-83 तक कर निर्धारण अधिकारी, वाराणसी ।

12-8-83 से 13-6-84 तक राज्य प्रतिनिधि, वाराणसी ।

13-6-84 से 20-9-85 तक कर निर्धारण अधिकारी, वाराणसी ।

20-9-85 से 25-6-86 तक बिक्रीकर अधिकारी–ए, वाराणसी ।

26-6-86 से 4-8-86 तक बिक्रीकर अधिकारी, कानपुर ।

4-8-86 से 17-2-87 तक राज्य प्रतिनिधि, प्रथम, कानपुर ।

18-2-87 से 2-6-88 तक अपर बिक्रीकर अधिकारी, कानपुर ।

9-6-88 से 6-8-88 तक बिक्रीकर अधिकारी चेकपोस्ट, मसौरा, ललितपुर ।

8-8-88 से बिक्रीकर अधिकारी, कम्प्यूटर, कानपुर ।

ग्राम उत्तरी, तहसील बिल्हौर, जनपद कानपुर देहात में ग्राम समाज की भूमि पर लगी बाजार की भूतपूर्व जमींदार उमादेवी द्वारा वसूली एवं जांच

8–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि भूमि नं0–586 रकबा 6 बीघा स्थित ग्राम उत्तरी, तहसील बिल्हौर, जनपद कानपुर देहात ग्राम समाज की भूमि है और जिस पर कुछ मकान बने हुए हैं तथा बाकी भाग पर सप्ताह में दो बार बाजार लगती है ? क्या मंत्री जी को जानकारी है कि गांव के भूतपूर्व जमींदार उमादेवी आज भी इस बाजार की वसूली करवाती हैं और ग्राम समाज को वसूली नहीं करने देती हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इस पूरे प्रकरण की जांच करवाकर आवश्यक कार्यवाही करेंगे ?

श्री माता प्रसाद–

जी हां ।

जी हां ।

प्रकरण की जांच कराई गई । मामले में उ0 प्र0 भू0 रा0 अधिनियम 1901 की धारा 33/39 के अन्तर्गत गांव सभा तथा उमादेवी द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध दायर किये गये वाद सक्षम न्यायालय में विचाराधीन हैं ।

ग्राम सभा की भूमि पर स्थित वृक्षों की अनधिकृत कटान विषयक श्री दयाशंकर, भूतपूर्व प्रधान, ग्राम सभा धनारामपुर, ब्लाक-बेहन्दर, तहसील सण्डीला, जिला हरदोई के पत्र के साथ संलग्न श्री राम आसरे वर्मा सदस्य विधान सभा के पत्र पर कार्यवाही

9—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा की भूमि पर स्थित वृक्षों की अनधिकृत कटान की जांच एवं दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही विषयक मा0 सदस्य श्री राम आसरे वर्मा के पत्र दिनांक 5-7-88 को जिसके साथ श्री दयाशंकर, भूतपूर्व प्रधान, ग्राम सभा धनारामपुर, ब्लाक-बेहन्दर सण्डीला, जिला-हरदोई का प्रार्थना पत्र संलग्न था, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्या मामले की जांच कराई गई ? यदि हां, तो दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद—

जी, हां ।

जी हां ।

उ0 प्र0 जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा-122 बी के अन्तर्गत कार्यवाही करके अतिक्रमणकर्ता श्री रघुवर पुत्र रूपेन को भूमि से बेदखल करने तथा गांव सभा की भूमि पर अनधिकृत कब्जा करने व 3 पेड़ों के काटने के लिए बतौर क्षतिपूर्ति रु0 1604/- तथा निष्पादन शुल्क रु0 3/- अवधारित करने के आदेश पारित किये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम सभाओं के चुनाव के दौरान प्रधान पद के प्रत्याशियों व निर्वाचित प्रधानों की हत्याओं की संख्या

10—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम सभाओं के चुनाव के दौरान प्रधान पद के कितने प्रत्याशियों अथवा जीतने के बाद कितने लोगों की हत्याएं हुई हैं ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

ग्राम सभाओं के चुनाव के दौरान प्रधान पद के 15 प्रत्याशी तथा पांच निर्वाचित प्रधानों की हत्याएं हुई हैं ।

ग्राम सभा—मलेरीकोट, परगना व तहसील घोसी, जनपद आजमगढ़ में व्यक्तियों को भूमि से काफी दूरी पर आवासीय पट्टे दिया जाना

11—श्री राम सागर—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा—मलेरीकोट, परगना व तहसील घोसी, जनपद आजमगढ़ में जमीन के पट्टे ऐसे व्यक्तियों के नाम आवंटित किए गए हैं जिनके मकान उक्त भूमि से काफी दूरी पर हैं तथा उनके पास पहले से भी काफी

जमीन है? यदि हां, तो ऐसा क्यों? क्या उसे निरस्त कर उन व्यक्तियों के नाम उक्त भूमि का आवंटन किया जायगा जिनके मकान मौके पर हैं ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद–

ग्राम मलेरी परगना व तहसील घोसी में भू0 प्र0 स0 के प्रस्ताव दिनांक 20-3-87 ई0 तथा उस पर भू0 नि0/तहसीलदार की आख्या के अनुसार परगनाधिकारी की स्वीकृति दिनांक 26-11-87 द्वारा 9 व्यक्तियों में आवासीय भूमि का पट्टा उनके मकान के समीप उपलब्ध भूमि का किया गया है । आवंटियों के पास आवासीय भूमि की कमी थी । यह कहना गलत है कि पट्टेदारों को उनके मकान से काफी दूर भूमि का आवंटन किया गया हो । यह भी कहना गलत है कि उन व्यक्तियों को पट्टा किया गया जिनके पास पहले से पर्याप्त भूमि है । पट्टा निरस्त किया जाना उचित नहीं है । आवंटित भूमि पर पट्टेदारों के मकान झोपड़ी बन चुकी है । आवंटित भूमि आवंटन के समय रिक्त थी । आवंटित भूमि में आवंटियों से भिन्न व्यक्ति का मकान न कभी था और न इस समय है ।

उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम भानपुर, जनपद बस्ती के बुकिंग क्लर्क श्री अंग बहादुर सिंह को अपने ग्राम में नियुक्ति तथा उन पर दर्ज आपराधिक मुकदमें

12–श्री राम शरण दास–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुकिंग क्लर्क, उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम (श्री अंग बहादुर सिंह) भानपुर, जनपद बस्ती में गत 15 वर्षों से अपने ग्राम में ही नियुक्त हैं ? क्या सरकार को इसकी भी जानकारी है कि इस कर्मचारी के विरुद्ध थाना सोनहा, जनपद बस्ती में गत 3 वर्षों से कितने आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए हैं और कितने न्यायालय में विचाराधीन हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि सूर्य नारायन पाण्डेय निवासी भानपुर दाबू के शिकायती पत्र दिनांक 24-4-87 तथा 17-11-87 प्राप्त हुआ है जिनमें उक्त कर्मचारी के विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाए गए हैं ? यदि हां, तो इस बुकिंग क्लर्क के विरुद्ध विभागीय क्या कार्यवाही हो रही है ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रमोद कुमार–

जी हां ।

श्री अंग बहादुर सिंह, बुकिंग क्लर्क गत 15 वर्षों से अपने ग्राम में स्थित बुकिंग आफिस भानपुर में ही नियुक्त हैं । श्री सिंह के विरुद्ध थाना सोनहा, जनपद बस्ती में सोनहा थाने से प्राप्त सूचना के अनुसार विगत 3 वर्षों में तीन आपराधिक मुकदमें दर्ज हुए जिसमें से एक न्यायालय में विचाराधीन है ।

जी हां ।

श्री सूर्य नारायण पाण्डेय निवासी भानपुर दाबू का शिकायती पत्र दिनांक 24-4-87 तथा 17-11-87 प्राप्त हुआ है । शिकायती पत्र में आरोपित कर्मचारी के विरुद्ध क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा जांच कराई गई जिनमें कर्मचारी के विरुद्ध लगाए गए आरोप सत्य नहीं पाए गए । जो प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है, यदि उसमें कर्मचारी को दोषी पाया गया तो उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी ?

परिवहन विभाग की ओर से निर्धारित बी और सी श्रेणी मार्गों का प्रति किलोमीटर किराया एवं बस्ती जिले में बांसी से विस्कोहर का किराया

13–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिवहन विभाग की ओर बी और सी श्रेणी मार्गों का किराया प्रति किलोमीटर कितना-कितना है ? बस्ती जिले में बांसी-इटवा विस्कोहर राजमार्ग का बांसी से विस्कोहर तक का किराया इस मार्ग को किस श्रेणी का मानकर कितना लिया जाता है ?

श्री प्रमोद कुमार–

"बी" श्रेणी मार्गों का किराया 12.52 पैसे और "सी" श्रेणी मार्गों का 14.58 पैसे प्रति किलोमीटर निर्धारित है ।

यह मार्ग संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 8-9-69 में "ए" श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है जिसके अनुसार बांसी से विस्कोहर का किराया पूर्णांक में 6 रु0 50 पैसा प्रति यात्री लिया जा रहा है ।

14–श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी–

[दूसरे शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0 157 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बिक्रीकर अधिकरण प्रथम पीठ वाराणसी के सम्मुख सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत न किए जाने का कारण

15–श्री यदुनाथ सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के छठे मंगलवार के लिये निर्धारित अता0 प्रश्न सं0-70 के उत्तर के संदर्भ में क्या वित्त मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि बिक्रीकर अधिकरण प्रथम पीठ वाराणसी के सम्मुख सर्वेक्षण रपट दि0 29-1-75 प्रस्तुत न किये जाने का क्या कारण था ? मा0 उच्च न्यायालय में दायर रिवीजन मेमों में इस बारे में क्या कहा गया ? सर्वेक्षण रपट में क्या पाया गया ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

बिक्रीकर अधिकारी के समक्ष सर्वेक्षण रिपोर्ट दिनांक 29-1-75 इस कारण प्रस्तुत नहीं की जा सकी कि जिस अधिकारी ने अधिकरण के समक्ष वाद का प्रतिनिधित्व किया था वह नियमित राज्य प्रतिनिधि के अवकाश पर होने के कारण आकस्मिक रूप से इस कार्य के लिए नियुक्त किए गए थे और संबंधित गोपनीय पत्रावली उपलब्ध नहीं थी । उच्च न्यायालय में दायर रिवीजन मेमों में इस विषय में कोई उल्लेख नहीं किया गया था । सर्वेक्षण रिपोर्ट में पाया गया था कि 108 बोरा मूंग कानपुर से प्राप्त हुई थी, किन्तु सट्टी एवं स्टाक रजिस्टर में इसकी प्रविष्टि नहीं थी तथा 21 बोरा मूंगफली बिना कैशमेमों के बिक्री करना पाया गया था ।

बिक्रीकर विभाग वाराणसी द्वारा उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका दाखिल किये जाने का परिणाम

16–श्री यदुनाथ सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के छठें मंगल के लिये निर्धारित अता0 प्र0 सं–69 के उत्तर के संदर्भ में क्या वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मा0 उच्चतम न्यायालय में जो विशेष अनुज्ञा याचिका दाखिल की गयी थी उसका क्या परिणाम हुआ, किस तिथि को एडमिट हुई ? जब प्रतिकूल संर्वेक्षण दि0 21-4-76 को हुआ था, तो कर आदेश वर्ष 79-80 में पारित किये जाने का क्या कारण था वर्ष 76-77 में पारित न किये जाने का क्या कारण था ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेष अनुज्ञा याचिका 21-11-88 को अस्वीकृत कर दी गई है । अधिकारियों की कमी के कारण सामान्यतौर पर कर निर्धारण आदेश संबंधित वर्ष की समाप्ति के तीसरे/चौथे वष में ही पारित हो पाते हैं और इसी कारण इस मामले में भी आदेश वर्ष 1979-80 में ही पारित हुए ।

जनपद फैजाबाद में राजकीय परिवहन निगम के फैजाबाद डिपो द्वारा संचालित फैजाबाद-हैदरगढ़-महरूआ बाजार बस सेवा को तोड़ने की सुनियोजित साजिश

17–श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में राजकीय परिवहन निगम के फैजाबाद डिपो द्वारा संचालित फैजाबाद-हैदरगढ़-महरूआ बाजार बस सेवा को विभागीय कर्मचारियों, पुलिस कर्मियों तथा अवैध प्राइवेट वाहनों के मालिकों की सांठ-गांठ से तोड़ने की सुनियोजित साजिश की जा रही है और इसी कारण अगस्त 88 में उक्त बस सेवा को विभागीय अधिकारियों द्वारा अक्सर रद्द कर दिया गया था ? यदि हां, तो प्राइवेट वाहनों के मालिकों के इस षडयन्त्र को विफल करने और जनपद में इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल परिवहन विभाग के लोगों तथा पुलिस कर्मियों को दण्डित करने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री प्रमोद कुमार–

जी नहीं ।

माह अगस्त 1988 में उक्त सेवा दिनांक 7, 8, 9 को फैजाबाद डिपो में हड़ताल के कारण, 17-8-88 को नागपंचमी तथा 27-8-88 को सावन झूला मेला होने के कारण मार्ग पर नहीं गयी ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

विधान सभा क्षेत्र हण्डिया, जनपद इलाहाबाद के अन्तर्गत एन0 एस0 ए0 एवं गैंगेस्टर एक्ट तथा गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत कतिपय अराजक तत्वों की गिरफ्तारी के विषय में प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कृत कार्यवाही

18–श्री राकेश धर त्रिपाठी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र हंडिया, जनपद इलाहाबाद के अन्तर्गत एन0 एस0 ए0 एवं गैंगेस्टर एक्ट तथा गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत कतिपय (श्री रामचन्द्र मिश्र उर्फ लाल साहब एवं श्री विजय मिश्र निवासी ग्राम खुपरिहा, हण्डिया जनपद इलाहाबाद) अराजकतत्वों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता ने कोई पत्र 12-8-88 को शासन को दिया था जिसके सन्दर्भ में अ0 शा0 पत्र सं0–1044 सीएम/आठ-11-730 एम/88 गृह पुलिस अनुभाग–1 दि0 7/9 अगस्त, 88 संयुक्त सचिव, गृह विभाग ने सूचित किया था कि मामले में जिला मजिस्ट्रेट इलाहाबाद को जांच एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु आदेश दे दिये गये हैं ? यदि हां, तो संदर्भित मामले में शासन स्तर एवं जिला स्तर से अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

जी हां ।

प्राप्त सूचनानुसार श्री रामचन्द्र मिश्र उर्फ लाल साहब निवासी खपटिहा, थाना हण्डिया, इलाहाबाद के विरुद्ध एन0 एस0 ए0 की कार्यवाही की गयी किन्तु माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेशों के कारण गिरफ्तारी नहीं की जा सकी । जहां तक गुण्डा एक्ट एवं गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत प्रश्न में उल्लिखित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही एवं गिरफ्तारी का प्रश्न है, कतिपय विधिक कठिनाईयों के कारण यह कार्यवाही सम्भव नहीं हो सकी ।

जनपद गोरखपुर के उरवां स्थान पर 'भारत बन्द' के दौरान जनता पार्टी के कार्यकर्ता श्री राधे चरन पाण्डेय को थानाध्यक्ष उरवा बाजार द्वारा मारा जाना एवं रिपोर्ट के लिखने में विलम्ब का कारण

19–श्री हर्षवर्धन–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 15 मार्च, 1988 को गोरखपुर जनपद के उरवा स्थान पर 'भारत बन्द' के दौरान जनता पार्टी के कार्यकर्ता श्री राधेचरन पाण्डेय को उरवां बाजार थाना के थानाध्यक्ष ने बुरी तरह मारा जिसके परिणाम स्वरुप उनके हाथ की हड्डी टूट गयी ? इस सम्बन्ध में श्री राधेचरन पाण्डेय द्वारा सम्बन्धित थानाध्यक्ष के विरुद्ध रिपोर्ट लिखने की कार्यवाही में लगभग 4 माह का अनपेक्षित विलम्ब का क्या कारण था ? क्या सरकार इस बिलम्ब के लिये उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

जांच से पाया गया कि थानाध्यक्ष द्वारा मारा, पीटा नहीं गया, अतः मार पीट से हाथ की हड्डी टूटने का आरोप निराधार है ।

श्री राधे चरन पाण्डेय द्वारा जांच कार्य में सहयोग न किये जाने के कारण पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने आवश्यक कागजात, एक्सरे रिपोर्ट, आदि दिनांक 22-7-88 को प्राप्त करके मुकदमा दर्ज कराया । प्रार्थी ने स्वयं जांच में सहयोग नहीं किया । अतः विलम्ब के लिए कोई अधिकारी उत्तरदायी नहीं पाया गया । अतः कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

बरेली जनपद के अवर जिलाधिकारी प्रशासन के विरुद्ध प्रश्न कर्ता के शिकायती पत्र पर जांच

20—डाक्टर दिनेश जौहरी—

क्या मुख्य मंत्री को प्रश्नकर्ता की संस्तुति के साथ अप्रैल, माह, 88 में बरेली जनपद के वर्तमान अवर जिलाधिकारी प्रशासन के विरुद्ध बरेली निवासी श्री ललित रावत का शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो क्या उसकी जांच कराई गई ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां ।

लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में जांच करायी जा रही है ।

श्री दवनू राम दुबे ग्राम—आंड़ी, थाना-अनपरा, जिला-मिर्जापुर के अनपरा थाने के थानेदार द्वारा अकारण परेशान विषयक पत्र पर कार्यवाही

21—श्री कल्यान सिंह—

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर को श्री दवनू राम दुबे ग्राम-आंड़ी, थाना—अनपरा, जिला-मिर्जापुर का कोई रजिस्टर्ड पत्र दि0 29-8-88 को प्राप्त हुआ जिसमें अनपरा थाने के थानेदार द्वारा अकारण परेशान करने की शिकायत की गयी है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

प्राप्त सूचनानुसार प्रश्न में उल्लिखित मामले के सम्बन्ध में प्रश्न में उल्लिखित व्यक्ति के तीन प्रार्थना-पत्र क्रमशः दि0 28-7-88, 18-8-88 व 10-9-88 विभिन्न माध्यमों से पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर को प्राप्त हुए हैं जिनकी जांच पुलिस उपाधीक्षक एवं क्षेत्राधिकारी, पिपरी, मिर्जापुर द्वारा करायी गयी । जांच से थानाध्यक्ष अनपरा के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं हो सकी ।

उ0 प्र0 परिवहन निगम की बसों को दैनिक सेवा से हटाकर दिल्ली भेजा जाना तथा उनसे प्राप्त किराया

22—श्री हृदय नरायन दीक्षित तथा श्री हर्षवर्धन—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि 31 अक्टूबर, 88 को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की कितनी बसें दैनिक सेवा से हटाकर दिल्ली भेजी गयी थी ? दिल्ली के लिए भेजी जाने वाली बसों का कितना किराया निगम को मिला है ?

श्री प्रमोद कुमार–

उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की 1729 बसें दिनांक 31 अक्तूबर, 1988 को दिल्ली भेजी गई थी ।

इन बसों को दिल्ली भेजने हेतु 11.50 लाख रुपया अग्रिम रूप में कांग्रेस (ई) से दिनांक 27-10-88 एवं दिनांक 29-10-88 के द्वारा निगम को प्राप्त हुआ है ।

श्री बंश बहादुर श्रीवास्तव, लेखपाल, तहसील-अमेठी, जनपद सुल्तानपुर का सेवा निवृत्त के उपरान्त सामान्य भविष्य निधि का भुगतान एवं उपार्जित अवकाश का नकदीकरण

23–श्री राम पाल वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि श्री वंश बहादुर श्रीवास्तव, लेखपाल, तहसील-अमेठी जनपद सुल्तानपुर, जिन्हें दिनांक 31 जनवरी, 1984 को सेवा-निवृत्त कर दिया गया था, के सामान्य भविष्य निधि व दिसम्बर, 1983 एवं जनवरी, 1984 का वेतन तथा सेवानिवृत्ति पर उपार्जित अवकाश के नकदीकरण का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो किन कारणोंवश पिछले 4 वर्षों में भुगतान नहीं किया जा सका है ? क्या सरकार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करेगी ?

श्री माता प्रसाद—

श्री वंश बहादुर श्रीवास्तव लेखपाल तहसील अमेठी, सुल्तानपुर को स्थानीय भविष्य निधि का अन्तिम भुगतान तथा दिसम्बर, 1983 व जनवरी, 1984 का वेतन एवं सेवा निवृत्ति के उपरान्त उपार्जित अवकाश के नकदीकरण का भुगतान कर दिया गया है । सामान्य भविष्य निधि के अंतिम भुगतान हेतु प्रपत्र महालेखाकार उ0 प्र0 इलाहाबाद को भेजे जा चुके हैं ।

बलिया जनपद के रसड़ा तहसील के क्षतिग्रस्त मकानों के लिए पीड़ितों को दिये गये अनुदान के विषय में जांच

24–श्री शारदानन्द अंचल—

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1986-87 में क्षतिग्रस्त मकानों के लिए पीड़ितों को भुगतान करने के लिए बलिया जनपद के रसड़ा तहसील में कितना धन शासन की ओर से दिया गया है ? क्या सरकार को यह जानकारी है कि उक्त क्षतिग्रस्त मकानों के पीड़ितों को अब तक अनुदान का भुगतान नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रकरण की जांच विजिलेन्स से कराने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद—

प्रश्नगत वर्ष में शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई धनराशि में से जिलाधिकारी, बलिया द्वारा रसड़ा तहसील के लिए 1.50 लाख रु0 आवंटित किये गये थे ।

प्राप्त सूचनानुसार समस्त धनराशि का वितरण क्षतिग्रस्त मकानों के स्वामियों को अनुदान स्वरूप कर दिया गया है ।

अतः इस प्रकरण में सतर्कता विभाग द्वारा जांच कराने का कोई औचित्य नहीं है ।

स्वर्गीय रघुवीर स्वतंत्रता संग्राम सैनिक ग्राम जिवाना, जि0 मेरठ की पत्नी श्रीमती सावित्री द्वारा राजनैतिक पेंशन प्राप्त करने के प्रार्थना पत्र पर कृत कार्यवाही

25—श्री नरेन्द्र सिंह—

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि श्री रघुवीर पुत्र श्री दीन दयाल नि0 ग्रा0 जिवाना तह0 सरधना, जि0 मेरठ स्वतंत्रता संग्राम सैनिक थे और उनका निधन दिनांक 3 जुलाई, 86 को उनके गांव में हो गया था ? क्या यह सत्य है कि उनकी विधवा पत्नी श्रीमती सावित्री ने राजनैतिक पेंशन प्राप्त करने हेतु एक प्रार्थना-पत्र उ0 प्र0 सरकार को भेजा था ? यदि हां, तो श्रीमती सावित्री विधवा श्री रघुवीर नि0 ग्रा0 जिवाना तह0 सरधना जिला मेरठ को आज तक राजनैतिक पेंशन न दिये जाने का क्या कारण है ?

जेल एवं होम गार्ड्स राज्य मंत्री (श्री मान पाल सिंह)—

जी हां ।

पारिवारिक पेंशन स्वीकृत किये जाने के लिए जिलाधिकारी को प्राधिकृत किया गया है । उनके द्वारा कार्यवाही की जा रही है ।

रामगढ़ परियोजना, गोरखपुर के अन्तर्गत अधिगृहीत भूमि एवं मुआवजे का भुगतान

26—श्री त्रियुगी नारायण मिश्र—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रामगढ़ परियोजना गोरखपुर के अंतर्गत कितने एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया तथा कुल कितने रुपये मुआवजे का भुगतान किया गया ? किन-किन व्यक्तियों को कितना-कितना रुपया मुआवजा किस-किस दर से दिया गया और कितने लोगों को और देना है ?

श्री माता प्रसाद—

रामगढ़ ताल परियोजना, गोरखपुर के लिए कुल 1156-374 एकड़ भूमि तीन चरणों में अधिग्रहीत की गई है तथा जिसका कुल प्रतिकर मू0 रु0 2,51,65,147-24 पैसा निर्धारित किया गया है तथा वितरित किया गया है । उक्त वितरित धनराशि में वह धनराशि भी सम्मिलित है, जिनका प्रतिकर विवादित है तथा जो प्रभावित कृषक प्रतिकर भुगतान लेने हेतु नहीं आए हैं। विवादित तथा भुगतान न की गयी धनराशि को राजकीय कोष में जमा कर दिया गया है तथा जिसे नियमानुसार वितरित माना जाता है ।

जहां तक प्रकरण में किन-किन व्यक्तियों को किस दर से प्रतिकर का भुगतान किया गया है, की सूची मेरे कार्यालय कक्ष में उपलब्ध है । माननीय सदस्य अपनी सुविधानुसार उक्त सूची का अवलोकन कर सकते हैं । प्रकरण में कुल 3882 व्यक्तियों को प्रतिकर का भुगतान किया गया है ।

नागवासुकी मन्दिर दारागंज, इलाहाबाद को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना

27—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नागवासुकी मंदिर दारागंज, इलाहाबाद को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो वह कब तक पूर्ण कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्या इसकी ऐतिहासिक महत्ता को देखते हुए कोई योजना बनायेंगे? यदि हां, तो कब तक?

पर्यटन राज्य मंत्री (श्री गुलाब सिंह)–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि में सीमित परिव्यय को देखते हुए सम्भव नहीं है।

पुलिस विभाग में कार्यरत निरीक्षकों की प्रोन्नति के विषय में शासन की नीति

28–कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस विभाग में कार्यरत निरीक्षकों की प्रोन्नति के विषय में वर्ष 1984 में स्थायी किये गये निरीक्षक आज भी उसी पद पर कार्यरत हैं जबकि वर्ष 1985 में स्थायी किये गये निरीक्षक जैसे सर्वश्री सुरेन्द्र सिंह चौहान, नागेन्द्र सिंह, पी0एन0 पाण्डेय, जे0पी0 पाण्डेय, रिजवान हैदर आदि को वर्ष 86 में पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रोन्नति दे दी गयी है? यदि हां, तो इसका क्या कारण है तथा जिन निरीक्षकों को पदोन्नति नहीं दी गयी है उन्हें शासन पिछली तिथियों से प्रोन्नति प्रदान करेगा?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

वर्ष 1986 में जब पुलिस निरीक्षकों का तदर्थ आधार पर पुलिस उपाधीक्षक के पद पर चयन किया गया था, तब केवल उन पुलिस निरीक्षकों के मामले में विचार किया गया जो तब तक पुलिस निरीक्षक के पद पर स्थायी किये जा चुके थे। उक्त चयन के बहुत समय बाद कुछ पुलिस निरीक्षकों को पूर्वकालिक तिथि से वर्ष 1984–85 से स्थायी किया गया, जिसके फलस्वरूप तदर्थ प्रोन्नति के सम्बन्ध में उनके मामलों में विचार नहीं किया जा सका। तदर्थ रूप से प्रोन्नत पुलिस उपाधीक्षक तथा पूर्वकालिक तिथि से स्थायी पुलिस निरीक्षकों की प्रोन्नति के सम्बन्ध में लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियमित रूप से चयन की कार्यवाही की जा रही है।

दि गंगा किसान सहकारी चीनी मिल, मोरना जनपद मुजफ्फरनगर में गन्ना आपूर्ति हेतु एक नई गन्ना सहकारी संस्था का पंजीकृत कराया जाना

29–कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दि गंगा किसान सहकारी चीनी मिल, मोरना, जनपद मुजफ्फरनगर में गन्ना आपूर्ति हेतु एक नयी गन्ना सहकारी संस्था, गन्ना आयुक्त/निबन्धक द्वारा पंजीकृत करायी गयी है? यदि हां, तो क्या उक्त संस्था का पंजीकरण चीनी मिल के हितार्थ किया गया है? यदि नहीं, तो इस गैर कानूनी पंजीकृत संस्था का पंजीयन निरस्त कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हां।

जी हां।

शेष भाग का प्रश्न नहीं ।

उत्तर प्रदेश कारागारों में बन्द कैदियों की संख्या एवं 70 वर्ष से अधिक उम्र के कैदियों को छोड़ने की मांग

30—श्री राकेश धर त्रिपाठी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के सभी कारागारों में 1 जुलाई, 1988 तक कुल कितने कैदी बन्द हैं? इनमें से 70 वर्ष की उम्र के ऊपर के कितने कैदी सजा काट रहे हैं? क्या मुख्य मंत्री जी यह बतायेंगे कि उ0प्र0 के कारागारों में 70 वर्ष से अधिक उम्र वाले कैदियों को मानवता के आधार पर छोड़ने पर शासन विचार करेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

उत्तर प्रदेश के सभी कारागारों में 1 जुलाई, 1988 को कुल 6,942 सिद्ध दोष कैदी बन्द थे। इनमें से 70 वर्ष या इससे अधिक उम्र के कुल 305 कैदी थे।

मात्र आयु सीमा के आधार पर किसी कैदी को कारागार से मुक्त करने का नियमों में प्राविधान नहीं है।

नियमों में वृद्धावस्था, अशक्तता एवं बीमारी के आधार पर बन्दियों को समय से पूर्व मुक्त किये जाने का प्राविधान है जिसके अनुसार प्रदेश की कारागारों में निरुद्ध अशक्त, वृद्ध अथवा रोग ग्रस्त सिद्ध दोष बन्दियों को समय से पूर्व मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर विचार किया जाता है।

गोरखपुर जनपद के फरेन्दा तहसील के ग्राम खड़खोड़ा तथा लेहड़ा में ग्राम समाज की भूमि पर कथित लोगों के नाम अवैधानिक ढंग से दर्ज किया जाना

31—श्री धनराज यादव—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद के फरेन्दा तहसील के ग्राम खड़खोड़ा तथा लेहड़ा में खतौनी नम्बर, 611/767, 579, 770, 254 मि, 381 652, 758 बन्दोबस्त के खतौनी में ग्राम समाज सम्पत्ति के रूप में दर्ज है परन्तु प्रश्नगत नम्बरों में अब क्रमशः अतमुल्ला पुत्र लाल मोहम्मद, शोहरत पुत्र जमादार अदालत पुत्र ढोढे, अमेरिका पुत्र बरामजीत, दुर्गा पुत्र वासुदेव इत्यादि का नाम खतौनी 1384 से 1389 फसली में संक्रमणीय भूमिधर व सीरदार दर्ज है जिसकी लिखित शिकायत खड़खोड़ा ग्राम के निवासी श्री देवी शरन सिंह ने 22-3-82 को परगना अधिकारी फरेन्दा से की थी? यदि हां, तो प्रश्नगत नम्बरों पर (जो कि ग्राम समाज की भूमि है) उपरोक्त लोगों का नाम भूमिधर या सीरदार के रूप में दर्ज होने के क्या आधार हैं? क्या प्रश्नगत अवैधानिक ढंग से दर्ज किये गये नामों को मंत्री जी खारिज करने का आदेश देंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री माता प्रसाद—

प्रश्नगत भूखण्डों पर कथित व्यक्तियों के नाम अवैधानिक रूप से संक्रमणीय भूमिधर सन् 1384 फ0 से अंकित कर दिया जाना पाया गया है जिसमें से भूमि संख्या 652 मि0/0-13 की प्रविष्टि परगनाधिकारी फरेन्दा के आदेश दिनांक 3-5-85 के अंतर्गत निरस्त करते हुए भूमि पुनः ग्राम सभा में अंकित कर दी गयी है। भूखण्ड संख्या-254

मि0 का क्षेत्रफल 0-05 एकड़ भूमि ग्राम सभा के नाम अब भी अंकित है। संदर्भित शिकायती-पत्र का परगनाधिकारी, फरेन्दा के कार्यालय में उपलब्ध होना नहीं पाया जाता है।

उपरोक्त भूखण्ड कथित व्यक्तियों के नाम फर्जी प्रविष्टियों के आधार पर दर्ज है, जिनके निरस्तीकरण की कार्यवाही सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है।

32–श्री राजकिशोर सिंह–

[दि0 4-10-88 को अता0प्र0सं0 100 द्वारा उत्तरित]

नाका हिन्डोला चौराहा लखनऊ में भांग के ठेकेदार श्री सुरेन्द्र कुमार पर बकाया बिक्रीकर

33–श्री राजकिशोर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नाका हिन्डोला चौराहा लखनऊ में भांग के ठेकेदार श्री सुरेन्द्र कुमार पर सरकारी अभिलेखों के अनुसार वर्ष 1980 से 86 तक लाखों रुपयों का बिक्रीकर बकाया है ? यदि हां, तो उक्त ठेकेदार से सरकारी बिक्रीकर राजस्व की वसूली का कोई आदेश जारी किया गया है ? यदि नहीं, तो बकाया बिक्रीकर की वसूली आदेश कब तक जारी करेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

बिक्रीकर विभाग में वर्ष 1980 से 86 तक की अवधि में केवल वर्ष 1983-84 में श्री सुरेन्द्र कुमार द्वारा भांग का ठेका लिये जाने की सूचना है जिसके आधार पर कर-निर्धारण कर दिया गया है। इस समय व्यापारी पर वर्ष 83-84 का रु0 84,000/- का बकाया है। उक्त बकाया की वसूली हेतु व्यापारी के विरुद्ध वसूली प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया है। प्रश्न नहीं उठता।

34–श्री मित्रसेन–

[3रे मंगलवार के लिए स्थगित]

कस्बा बड़ौत जनपद मेरठ में उ0 प्र0 परिवहन निगम के बस स्टैण्ड भवन का निर्माण

35–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या परिवहन मंत्री को ज्ञात है कि कस्बा बड़ौत जनपद मेरठ में उ0 प्र0 परिवहन निगम द्वारा कई वर्षों पूर्व निगम का बस स्टैण्ड भवन बनाने हेतु भूमि अध्यापित की गयी थी ? यदि हां, तो कस्बा बड़ौत जनपद मेरठ में उ0 प्र0 परिवहन निगम का बस स्टैण्ड भवन का निर्माण कब तक हो जायेगा ?

श्री प्रमोद कुमार–

कस्बा बड़ौत में बस स्टैण्ड भवन बनाये जाने के लिए चकबन्दी विभाग से एक भूखण्ड वर्ष 1987 में परिवहन निगम को उपलब्ध हो पाया। यह भूमि बस स्टैण्ड भवन के निर्माण के लिये उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यह भूमि सड़क तल से काफी गहराई में है, तथा इस भूमि पर पहुंच मार्ग अत्यन्त सकरा है। ऐसी दशा में उक्त भूमि पर बस स्टैण्ड भवन का निर्माण कराने का प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम जेवली, पोस्ट मोहम्मदपुर खाला, जिला बाराबंकी में अनियमित तरीके से मन्दिर का निर्माण

36–श्री शफीकुर्रहमान बर्क–

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम जेवली, पोस्ट मोहम्मदपुर खाला, जिला–बाराबंकी में स्थित भूमि संख्या–195, 196 जिस पर मंदिर आदि बना हुआ है, का पट्टा अनियमित तरीके से कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या इस पट्टे को निरस्त किया जायेगा और इस संबंध में जो दोषी अधिकारी व कर्मचारी हैं उनको दंडित किया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद–

जी हां । प्रश्नगत भूमि का पट्टा श्री सियाराम पुत्र श्री छेदीलाल को किया गया है, परन्तु इन दोनों नम्बरों पर कोई मंदिर नहीं बना हुआ है और न कभी था । जिलाधिकारी द्वारा इस मामले की जांच एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु परगनाधिकारी फतेहपुर को निर्देशित कर दिया गया है । पट्टा अनियमित पाये जाने की दशा में इसके निरस्तीकरण तथा दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद जौनपुर को आवंटित सूखा राहत की धनराशि

37–श्री दीप चन्द्र सोनकर–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जौनपुर में वित्तीय वर्ष 87-88 में सूखा राहत में कितनी धनराशि दी गई थी तथा किन-किन मदों में कितना-कितना धन किन-किन विधान सभा क्षेत्रों में आवंटित किया गया था ? क्या शासनादेश के अनुसार सम्बन्धित जिलाधिकारी संबंधित क्षेत्र के विधायकों से निरीक्षण करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद–

जिलाधिकारी जौनपुर से प्राप्त सूचनानुसार सूखा राहत हेतु जनपद जौनपुर को विभिन्न विभागों के अन्तर्गत रु0 2,93,67,760·91 प्राप्त हुआ था ।

सूखा राहत के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्रवार धन का आवंटन नहीं किया जाता है, बल्कि तहसीलवार व विकास खण्डवार आवंटन किया जाता है । जनपद में विभिन्न विभागों को प्राप्त धनराशि का मदवार विवरण जो काफी विस्तीर्ण है, माननीय प्रश्नकर्ता द्वारा मेरे कार्यालय कक्ष में देखा जा सकता है ।

जी हां, सम्बन्धित क्षेत्र के माननीय विधायकों से उनके द्वारा अपेक्षा करने पर जिलाधिकारी द्वारा निरीक्षण कराया जा सकता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फर्रुखाबाद में सहकारी चीनी मिल कायमगंज में निर्धारित मानकों के विपरीत कर्मचारियों की नियुक्ति

38–श्री वीरेन्द्र सिंह (एटा)–

क्या गन्ना उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद में सहकारी मिल कायमगंज में निर्धारित मानक से अधिक सरप्लस कर्मचारी हैं ? निर्धारित मानकों के विपरीत इतने कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए कौन उत्तरदायी है तथा उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हां ।

किसान सहकारी चीनी मिल कायमगंज जनपद फर्रुखाबाद में स्टाफिंग पैटर्न में निर्धारित मान 688 कर्मचारियों के विरुद्ध 795 कर्मचारी कार्यरत हैं । इस प्रकार वर्तमान मानक के अनुसार 113 कर्मचारी अधिक कार्यरत हैं । उक्त चीनी मिल लगते समय स्टाफिंग पैटर्न नहीं बन पाया था और कोई मानक निर्धारित नहीं था । क्षेत्र में गन्ना समिति कार्यरत न होने के कारण मिल समिति का तौल एवं पर्ची वितरण का अतिरिक्त कार्य भी करना पड़ता है । प्रारम्भ में केन अनलोडर लगा न होने के कारण अधिक डौंगा मजदूरों की नियुक्तियां करनी पड़ी थी, जो चीनी मिल को सुचारु रूप से चलाने के लिए आवश्यक था । अतः किसी के उत्तरदायी होने या उसके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

सचिव, संस्थागत वित्त को संबोधित श्री यदुनाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा के पत्र संख्या–119 पर कार्यवाही

39–श्री यदुनाथ सिंह–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के चौथे मंगल के लिए निर्धारित अता0 प्रश्न स0–49 के उत्तर के सन्दर्भ में वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या–119 सचिव, संस्थागत वित्त को ता0 30-3-87 को मिला है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

माननीय विधायक का सन्दर्भगत पत्र उनके पूर्व में भेजे गये कई पत्रों तथा विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 के तीसरे शुक्रवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं0–120 और द्वितीय सत्र 1985 के चौथे मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–49 के उत्तरों के संदर्भ में था । माननीय विधायक के पूर्व पत्रों के उत्तर में वित्त राज्य मंत्री जी के पत्र दिनांक 2 मार्च, 1987 द्वारा माननीय विधायक को सूचित किया जा चुका है कि उक्त पत्रों में मा0 विधायक ने कुछ सम्भावनायें व्यक्त की थी और कुछ अवधारणायें की थी तथा अपना मत व्यक्त किया था कि इस विभाग द्वारा क्या

कार्यवाही की जानी चाहिए थी । प्रश्नगत मामले को जो 11-12 वर्ष पुराना था, देख लिया गया है और इसमें कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं समझी गयी । तद्नुसार प्रकरण को समाप्त कर दिया गया है । इस उत्तर के परिप्रेक्ष्य में इस मामले में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं समझी गयी ।

श्री यदुनाथ सिंह स0 वि0 स0 का वित्त राज्य मंत्री को भेजे गये पत्र संख्या 1362 पर कार्यवाही

40–श्री यदुनाथ सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 88 के तीसरे मंगल के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0–139 के उत्तर के संदर्भ में वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि तीनों वर्षों की बकाया डिप्टी कलेक्टर (संग्रह) बिक्री कर के पास पहुंचने की तिथि से ता0 9-7-85 तक नियमानुसार क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? क्या बकाया पर अर्थदण्ड लगाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या कर बंचक बिक्री पर अर्थदण्ड लगाया गया ? यदि हां, तो कितना लगाया गया ? यदि नहीं लगाया गया तो क्यों ? बकायादार से कितना ब्याज वसूल किया गया ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

बकाये से संबंधित वसूली प्रमाण-पत्र 24-9-85 व 23-10-86 को डिप्टी कलेक्टर (संग्रह) को प्राप्त कराये गये थे अतएव दिनांक 9-7-85 तक किसी कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

जी नहीं । अर्थदण्ड न लगाये जाने का कारण निम्न प्रकार है :–

1980-81 (प्रा0 व केन्द्रीय)

व्यापारी ने सहायक आयुक्त (न्याय) का स्थगन आदेश दिनांक 10-9-85 को प्राप्त कर लिया था परन्तु स्थगन आदेश की शर्तें पूरी नहीं थी । दिनांक 4-1-89 को व्यापारी को बकाया जमा न करने की अर्थदण्ड नोटिस दिनांक 17-1-89 निश्चित करते हुए भेजी गयी जो तामील नहीं हुई । इस बीच दिनांक 13-1-89 को बिक्री-कर अधिकरण का स्थगन आदेश व्यापारी को प्राप्त हो गया था । व्यापारी ने स्थगन आदेश की शर्तें पूरी कर दी हैं इसलिए अर्थदण्ड की कार्यवाही नहीं की गयी ।

1981-82 प्रा0/82-83 (प्रा0)

इन वर्षों में कर-निर्धारण आदेश दिनांक 12-5-86 को एक पक्षीय रूप से पारित किये गये थे । व्यापारी का धारा 30 का प्रार्थना-पत्र दोनों वर्षों के अस्वीकार कर दिये गये थे । बाद सहायक आयुक्त (न्याय) से रिमाण्ड हुआ था । रिमाण्ड में पुनः एक पक्षीय आदेश दिनांक 7-3-88 को पारित किया गया । एक पक्षीय आदेश के विरुद्ध व्यापारी ने पहले धारा–30 तथा बाद में धारा–22 का दो बार प्रार्थना-पत्र दिया । इन प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण के पश्चात अर्थदण्ड लगाने की नोटिस दोनों बाद में दी गयी थी । व्यापारी ने सुनवाई के लिए कई बार स्थगन लिया था तथा बाद में हस्तान्तरण हेतु उपायुक्त (प्रा0) को प्रार्थना-पत्र दिया था इसलिए अर्थदण्ड की कार्य-

वाही नहीं की गई । सहायक आयुक्त (न्याय) के आदेश दिनांक 11-11-88 से दोनों वाद रिमाण्ड कर दिये गये तथा व्यापारी के विरुद्ध निकाली गई मांग खत्म हो गयी ।

1982-83 (केन्द्रीय)

इस वर्ष में व्यापारी के विरुद्ध एक पक्षीय रूप से दिनांक 30-3-87 को आदेश पारित किया गया था । यह वाद सहायक आयुक्त (न्याय) के आदेश दिनांक 24-1-89 को प्राप्त हुए हैं । उपर्युक्त आदेश एक पक्षीय था इसलिए अर्थदण्ड नहीं लगाया गया था ।

वर्ष 80-81 में धारा 15 ए (1) (डी) के अंतर्गत आदेश दिनांक 30-9-85 द्वारा 34 हजार अर्थदण्ड आरोपित किया गया है । वर्ष 81-82 व 82-83 के संबंध में अर्थदण्ड की कार्यवाही नहीं की गयी है । इसका कारण यह है कि इन दो वर्षों में कर निर्धारण की कार्यवाही एक पक्षीय रूप से हुई है । बकायेदार से कुछ भी ब्याज के रूप में नहीं वसूला गया ।

प्रदेश में बाढ़ से मरे लोगों के आश्रितों को सरकार द्वारा अनुमन्य सहायता

41—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस वर्ष बाढ़ के कारण प्रदेश में कितने व्यक्ति मर गये और उनके आश्रितों को सरकार द्वारा क्या सहायता दी गई है? क्या मुख्य मंत्री जी कृपया यह भी बतायेंगे कि बाढ़ से राहत कार्यों हेतु कुल कितना धन किन-किन जनपदों में सरकार द्वारा दिया गया और इससे कौन-कौन से कार्य कराये गये?

श्री माता प्रसाद—

इस वर्ष बाढ़ के कारण प्रदेश में 765 व्यक्तियों की मृत्यु हुई जिनके आश्रितों को नियमानुसार अनुमन्य सहायता दी गई ।

बाढ़ राहत कार्यों हेतु प्रदेश के 46 बाढ़ से प्रभावित जनपदों को दिनांक 31-12-1988 तक कुल 1098·16 लाख रुपये का आवंटन किया गया था, जिसमें से अहैतुक सहायता, अनुग्रह अनुदान, गृह अनुदान तथा नाव किराया आदि की मदों में रु0 859·96 लाख का वितरण किया जा चुका है। बाढ़ से प्रभावित जनपदों व उनको आवंटित धनराशि व उसके वितरण की सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 228 पर)

राज्य मंत्रि मंडल के सदस्यों के वेतन भत्तों व यात्रा भत्तों पर सरकार का व्यय हुआ धन

42—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 87-88 में राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों के वेतन भत्तों व यात्रा भत्तों पर सरकार का कुल कितना धन खर्च हुआ ? क्या मुख्य मंत्री जी अलग-अलग मंत्रियों के उपरोक्त खर्च सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? क्या भविष्य में इन खर्चों को राज्य की जनता के आर्थिक स्तर को देखते हुए कमी करने की नीति बनाने पर विचार करेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

वर्ष 87-88 में राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों के वेतन भत्तों व यात्रा भत्तों पर सरकार का कुल रुपया 73, 44,023·15 खर्च हुआ। उक्त मदों पर मंत्रियों के अलग-अलग विवरण संलग्न सूची में दिये गये हैं। मंत्रिमण्डल के सदस्यों के वेतन भत्तों/यात्रा भत्तों विषयक वित्तीय प्राविधान व व्यय उनके पदीय कर्तव्यों के निर्वहन के अनुरूप जनहित में किये जाते हैं।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 232 पर)

43–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

[3रे मंगलवार के लिए स्थगित]

परगनाधिकारी चन्दौली (पूर्वी) वाराणसी को सम्बोधित श्री वी0 के0 श्रीवास्तव अपर जिलाधिकारी, वाराणसी के पत्र पर कार्यवाही

44–श्री राज किशोर सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परगनाधिकारी चन्दौली (पूर्वी) वाराणसी को सम्बोधित श्री वी0 के0 श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी (प्रोटोकाल) वाराणसी के पत्र संख्या–116/ए0स0टी0/प्रोटोकाल/88, दि0 5 जनवरी, 88 में दिये गये निर्देशों के अनुसार ग्राम सभा नियमताबाद, परगना धूस, त0 चन्दौली, वाराणसी के हरिजनों की मांगों ग्राम प्रधान के प्रति की गई शिकायतों, ग्राम समाज की बंजर, बचत, सीलिंग आदि की जमीनों के आवंटन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद–

जी हां, भूमि प्रबन्धक समिति के प्रस्ताव दि0 27-7-88 जिसका अनुमोदन परगनाधिकारी, चन्दौली द्वारा किया गया है के अनुसार ग्राम समाज की प्रश्नगत भूमि का पट्टा 102 व्यक्तियों को कर दिया गया है और उन्हें कब्जा दिलाया जा रहा है। मत्स्य पालन योग्य पांच तालाबों का पट्टा भी नियमानुसार कर दिया गया है और अनधिकृत रूप से काबिज व्यक्तियों को बेदखल कर दिया गया है। जांच से ग्राम प्रधान के प्रति की गई शिकायतें निराधार पायी गईं।

जिला कारागार जौनपुर द्वारा खाद्य सामग्री खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड से अनुमोदित संस्थाओं एवं औद्योगिक सहकारी समितियों द्वारा क्रय न किया जाना

45–श्री धनराज यादव–

क्या जेल मंत्री को जानकारी है कि जिला कारागार जौनपुर खाद्य सामग्री खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड से अनुमोदित संस्थाओं एवं औद्योगिक सहकारी समितियों से नहीं क्रय कर रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? जेल विभाग स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा उत्पादित सामग्रियों को क्रय कब से करेंगे ? क्या इस संबंध में किसी संस्थान ने अपना आवेदन पत्र दिया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री मान पाल सिंह–

जी हां ।

कारागारों पर खाद्य सामग्री भारतीय खाद्य निगम तथा उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम से क्रय करने के आदेश हैं । इसके अतिरिक्त कारागारों पर उत्पादित खाद्य सामग्री से भी आवश्यकता की पूर्ति की जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां, पूर्वान्चल ग्रामोद्योग संस्थान, मेहरावां, जौनपुर का पत्र अधीक्षक जिला कारागार को दि0 24-9-88 को प्राप्त हुआ था । अधीक्षक ने सूचित किया है कि उक्त संस्था से दाल व गुड़ के रेट एवं अन्य शर्तों की पूछताछ की गयी थी परन्तु संस्था का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ ।

डा0 दिनेश जौहरी स0वि0स0 के पुराना विधायक निवास के ताले टूटे पाये जाने की घटना विषयक पत्र पर जांच

46–डाक्टर दिनेश जौहरी–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 17-5-88 के दोपहर में प्रश्नकर्ता के लखनऊ स्थित निवास 105 बी0 पुराना विधायक निवास में तथा श्रीमती बीना दुग्गल के कक्ष 103 पुराना विधायक निवास में अपरान्ह किचन के ताले टूटे पाये गये तथा अंदर के कमरों के ताले व कुन्डे टूटे पाये गये ? यदि हां, तो क्या इस प्रकरण की जांच कराई गई ? जांच के परिणाम क्या हैं ? क्या मुख्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि विधायक निवासों में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 20-5-88 को 16.45 बजे मा0 विधायक श्री दिनेश जौहरी की लिखित सूचना पर मु0 अ0 सं0 169/88 धारा 454/380 भा0द0वि0 बनाम अज्ञात कायम किया गया । सूचना के अनुसार उनके निवास 105 बी ब्लाक पुराना विधायक निवास ने दिनांक 17-5-88 को दिन में दोपहर को कुण्डा तोड़कर नगद 5,000 रु0 से कुछ अधिक चोरी चले गये थे ।

विवेचना के दौरान चोरी गये नकद रुपयों की व अभियुक्तों की तलाश के लिए काफी प्रयास किया गया किन्तु कुछ पता नहीं चल सका । अतः अभियुक्तों का कुछ पता न लगने के कारण विवेचना दिनांक 6-6-88 को समाप्त कर अन्तिम रिपोर्ट न्यायालय प्रेषित की गई ।

जहां तक श्रीमती बीना दुग्गल के निवास 103 पुराना विधायक निवास के कमरों के ताले व कुण्डे तोड़े जाने का प्रश्न है इस संबंध में स्थानीय थाने पर किसी सूचना का अंकित होना नहीं पाया गया ।

इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने एवं अपराधियों/अपराधों को रोकथाम के लिए पुराना विधायक निवास में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है और साथ ही साथ सादे कपड़ों में पुलिस ड्यूटी भी लगाई जाती है। विधायक निवासों में कार्यरत कर्मचारियों को उनकी ड्यूटी पर सतर्कता बरतने के आदेश दे दिये गये हैं।

श्री ओम प्रकाश गुप्ता पार्टनर कृष्णा राइस मिल मीरानपुर कटरा, शाहजहांपुर द्वारा श्री एन0 के जैन वरिष्ठ हाट निरीक्षक के विरुद्ध लिखाई गई रिपोर्ट एवं कार्यवाही

47—डाक्टर दिनेश जौहरी—

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 1-5-86 को श्री ओम प्रकाश गुप्ता पार्टनर कृष्णा राइस मिल मीरानपुर कटरा, शाहजहांपुर जनपद ने श्री एन0 के0 जैन वरिष्ठ हाट निरीक्षक के विरुद्ध उनके चावल की खरीद में घूस मांगने के संबंध में थाना मीरानपुर कटरा जनपद शाहजहांपुर में 161 आई0 पी0 सी0 के अन्तर्गत रिपोर्ट लिखाई थी ? यदि हां, तो जांच किससे कराई गई व उस पर क्या कार्यवाही हुई ? क्या यह सत्य है कि श्री जैन के ऊपर लगाये गये अभियोग असत्य व आधार-हीन हैं व श्री गुप्ता ने व्यक्तिगत द्वेष व अपनी स्वार्थ सिद्ध न होने के कारण नाराज होकर फर्जी रिपोर्ट लिखाई थी?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

जी हां।

श्री शैलेन्द्र बहादुर चन्द्र, तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक, तिलहर द्वारा विवेचना कराई गयी। विवेचनोपरान्त दिनांक 14-8-87 को श्री जैन के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया जो न्यायालय के विचाराधीन है।

जी नहीं।

श्री असीउलहक चपरासी (चकबन्दी) कार्यालय बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी करछना, इलाहाबाद का देहान्त एवं उनके वारिसान को जी0 पी0 एफ0 आदि का भुगतान तथा नौकरी

48—डाक्टर बंगाली सिंह—

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि श्री असीउलहक चपरासी (चकबन्दी) कार्यालय बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी करछना, इलाहाबाद का दिनांक 16-5-1973 को देहान्त हो गया था ? यदि हां, तो क्या उसके परिवार के वारिसान लालमियां उर्फ इस्तिहार हुसैन को मृतक के जी0 पी0 एफ0, ग्रेच्युटी पेंशन का भुगतान हो गया है तथा उसके वारिसान में से एक को मरणोपरान्त चकबन्दी विभाग में नौकरी दे दी गयी है ? यदि नहीं, तो अब तक उक्त के भुगतान तथा नौकरी न देने के क्या कारण हैं और उक्त भुगतान तथा नौकरी कब तक दे दी जायेगी ?

श्री माता प्रसाद–

बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, इलाहाबाद (करछना) के यहां अतीउलहक नाम का कोई चपरासी कार्यरत नहीं था बल्कि अतीउलहक नामक चपरासी कार्यरत था जिसका दिनांक 16-5-1973 को निधन हो गया था ।

जी नहीं ।

मृतक चपरासी ने जी0 पी0 एफ0 में कोई अंशदान नहीं किया था । इसीलिए उसके भुगतान का प्रश्न नहीं उठता ।

सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती सम्बन्धी नियमावली लागू होने के पूर्व मृत्यु होने के कारण श्री अतीउल हक के आश्रितों को उक्त नियमावली का लाभ अनुमन्य नहीं है।

मृतक के वारिसान ने पारिवारिक पेंशन हेतु दावा दिनांक 10-1-89 को प्रस्तुत किया जिसे महालेखाकार की स्वीकृति हेतु भेज दिया गया है । अधिकार पत्र प्राप्त होने पर भुगतान सम्भव है।

49–50–श्री मैनेजर सिंह–

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर निरस्त]

खलीलाबाद शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड खलीलाबाद, बस्ती को सरकारी बकाया धनराशि की वसूली स्थगित किये जाने से सम्बन्धित आदेश

51–श्री राकेश धर त्रिपाठी–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खलीलाबाद शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड खलीलाबाद-बस्ती की सरकारी बकाया धनराशि की वसूली स्थगित किये जाने से सम्बन्धित कोई आदेश गन्ना सचिव, उ0 प्र0 द्वारा जारी किया गया था ? यदि हां, तो गन्ना किसानों के हित को नजरन्दाज करके ऐसा किन परिस्थितयों में किया गया ? यदि नहीं, तो बकाया धन की वसूली की क्या व्यवस्था की जा रही है और बकाया धन के वसूली की कब तक सम्भावना है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता । बकाया धनराशि का वसूली प्रमाण पत्र जारी कर कलेक्टर, बस्ती को वसूली हेतु भेज दिया गया है ।

आनन्द शुगर मिल्स प्राइवेट लि0 खलीलाबाद के ऊपर सरकारी ऋण का बकाया एवं हस्तान्तरित करते समय धनराशि की स्थिति

52–श्री राकेश धर त्रिपाठी–

क्या गन्ना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आनन्द शुगर मिल्स प्राइवेट लि0 खलीलाबाद के ऊपर सत्र 1985-86 की समाप्ति तक सरकारी ऋण की कितनी धनराशि बकाया

थी तथा खलीलाबाद शुगर मिल्स प्राइवेट लि0 को उक्त फैक्ट्री हस्तान्तरित करते समय कितनी पूंजी, कितने दायित्व तथा कितनी स्थायी, अस्थायी सम्पत्ति का रजिस्ट्रीकरण किया गया ? हस्तान्तरण के समय दायित्व की धनराशि की वापसी की क्या शर्तें थीं ? क्या उन शर्तों के अनुसार धनराशि की वापसी हो रही है ? यदि हां, तो किन-किन तिथियों को कितनी धनराशि सरकारी खजाने में जमा की गयी ? यदि नहीं, तो शासन संबंधित प्रबन्ध तंत्र के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्री आनन्द शुगर मिल्स प्राइवेट लि0, खलीलाबाद के ऊपर सत्र 1985-86 तक 30 लाख रु0 सरकारी ऋण का बकाया था । खलीलाबाद शुगर मिल्स प्राइवेट लि0 को उक्त फैक्ट्री हस्तान्तरित करते समय 2 करोड़ रुपये का दायित्व रु0 1,88,78,000/- स्थायी तथा रु0 11,22,000/- अस्थायी सम्पत्ति का रजिस्ट्रीकरण किया गया । हस्तान्तरण करते समय देयों के भुगतान का दायित्व चीनी मिल द्वारा लिया गया था । सरकारी बकाये की अदायगी चीनी मिल द्वारा नहीं की गई है अतः उक्त बकाये सरकारी ऋण की वसूली हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी कर जिलाधिकारी, बस्ती को भेज दिया गया है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

खलीलाबाद शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, खलीलाबाद जनपद बस्ती का शक्कर निधि से ऋण प्राप्त करने सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

53—श्री राकेश धर त्रिपाठी—

क्या चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खलीलाबाद शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, खलीलाबाद जनपद बस्ती का शक्कर निधि से ऋण प्राप्त करने संबंधी प्रार्थना पत्र गन्ना सचिव, उ0 प्र0 के यहां लम्बित है ? यदि हां, तो कितनी धनराशि का ? क्या उक्त कम्पनी पर पुराने सरकारी धन बकाया होने के बावजूद भी शासन ऋण देने पर विचार कर रहा है ? यदि हां, तो किन कारणों से ? यदि नहीं, तो फैक्ट्री चलाने की क्या व्यवस्था की जा रही है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

वर्तमान सत्र में फैक्ट्री पेराई कर रही है ।

श्री रामरंग निवासी ग्राम-भरहापारा, थाना बलिया, जिला गोण्डा के पुत्र कल्लू को फर्जी रूप से फंसाये जाने व हिस्ट्रीशीटर घोषित किये जाने के संबंध में पत्र

54—श्री विश्राम दास, श्री राज किशोर सिंह तथा श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रामरंग निवासी ग्राम- भरहापारा, थाना बलिया, जिला-गोण्डा के पुत्र कल्लू को फर्जी रूप में फसाये जाने व हिस्ट्रीशीटर घोषित किये जाने के संबंध में उनका प्रार्थना पत्र श्री राम चन्द्र बख्श सिंह सदस्य,

विधान सभा, उ0 प्र0 के उपरिपत्र के साथ उन्हें दिनांक: 26 अक्टूबर, 1988 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच कराकर दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी इस मामले की सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच कराने की कृपा करेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

जी हां ।

प्रश्नगत प्रार्थना-पत्र पर जांच कराई गई । जांच से प्रार्थना-पत्र में लगाए गए आरोप परमाणित नहीं हुए । अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

पर्यावरण विभाग में डायरेक्टर तथा असिस्टेन्ट डायरेक्टर पद पर प्रतिनियुक्ति

55–श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्यावरण विभाग द्वारा प्रेषित शासकीय पत्र संख्या-2355/45-123/87 दिनांक 8 अक्टूबर, 87 के सन्दर्भ में डिप्टी डायरेक्टर तथा असिस्टेन्ट डायरेक्टर पद हेतु प्रतिनियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया गया था ? यदि हां, तो क्या दोनों पदों पर प्रतिनियुक्ति कर दी गयी ? यदि नहीं, तो यह प्रतिनियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हां ।

जी नहीं । अभी उप निदेशक के एक पद को भरा गया है । शेष पर विचार किया जा रहा है ।

लखनऊ के परगना महोना को मलिहाबाद तहसील से अलग कर नयी तहसील बनाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र

56–श्री भगौती सिंह–

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के परगना महोना को मलिहाबाद तहसील से अलग कर, लखनऊ तहसील के कुछ भाग को मिलाकर नयी तहसील बनाने के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा उन्हें लिखे गये पत्र दिनांक 16 फरवरी, 87, 18 मार्च, 87, 7 अगस्त, 87 जिनके संबंध में इनके द्वारा दिए गये प्रश्नोत्तर संख्या सी0 एम0 बी0 को एम-/ल-3-135/87 दिनांक 20 फरवरी, 87, सी0एम0 बी0 को एम0-1/4-135/87, दिनांक 25 मार्च, 87 अ0 शा0 प0 सं0 5-2/16/234/रा-5 दिनांक 26 मार्च, 1987 और सं0 5-21/6/85/234/रा0-5 के संदर्भ में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री माता प्रसाद–

इस विषय में जिलाधिकारी, लखनऊ से आख्या मांगी गई । जिलाधिकारी से प्राप्त सूचना के अनुसार नई तहसील के सृजन का औचित्य नहीं पाया गया ।

श्रीमती बिन्द्रावती व श्रीमती मायावती निवासी ग्राम-अकडरिया कलां, परगना महोना, तहसील मलिहाबाद को प्रधान द्वारा ग्राम समाज की भूमि दाखिल खारिज किया जाना

57—श्री भगौती सिंह—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या श्रीमती बिन्द्रावती व श्रीमती मायावती निवासी ग्राम-अकडरिया कलां, परगना महोना, तहसील मलिहाबाद, जिला-लखनऊ जो स्थानीय प्रधान श्री प्यारेलाल द्विवेदी की पत्नी तथा भावज हैं, को ग्राम समाज की भूमि तालाब नम्बर, 374-रकबा 8 बीघा 7 बिस्वा आवंटित कर 11-6-83 को दाखिल खारिज कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्या उक्त पट्टा खारिज कर प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री माता प्रसाद—

। श्रीमती बिन्द्रावती व श्रीमती मायावती निवासी ग्राम अकडरिया कला, परगना महोना, तहसील मलिहाबाद जिला लखनऊ जो स्थानीय ग्राम प्रधान श्री राम प्यारे लाल द्विवेदी की पत्नी तथा भावज हैं, को प्रश्नगत भूमि तालाब नं0-374 रकबा 8 बीघा 7 बिस्वा का पट्टा नहीं किया गया था बल्कि नायब तहसीलदार के तथाकथित आदेश मु0 नं0-28, 3045 दिनांक 25-10-58 का उल्लेख करते हुए उक्त भूमि से ग्राम समाज का नाम काटकर 11-6-73 को उनके नाम आधार वर्ष की खतौनी 1377—1379 फसली में सीरदार दर्ज कर दिया गया है । प्राप्त सूचना के अनुसार यह प्रविष्ट संदिग्ध प्रतीत होती है जिसकी छानबीन परगनाधिकारी, मलिहाबाद द्वारा की जा रही है ।

ग्राम अकडरिया कलां, परगना महोना तहसील मलिहाबाद, जिला लखनऊ में भूदान समिति, लखनऊ द्वारा अब तक कतिपय लोगों को भूमि आवंटित किया गया

58—श्री भगौती सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम अकडरिया कलां, परगना महोना, तहसील मलिहाबाद, जिला लखनऊ में भूमि नं0 724, 1242, 1216, 1212, 700 मिनजुमला भूमि को भूदान समिति लखनऊ द्वारा 14-11-1961 को गांव के सर्वश्री गजराज, शारदा, श्रीराम सिंह, गजाधर, कन्हई, यशोदा, श्याम मनोहर, परागी, सुखदेव, फकीरे, दराती, शत्रुघन, बाबूराम, तेजनारायण आदि को आवंटित किया गया था जिस पर वह काबिज भी हैं ? क्या अब पुनः कुछ आवंटियों की जमीन को अन्य आवंटियों के परिवारों को तथा बाहरी लोगों को आवंटित कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद—

प्रश्न में उल्लिखित गाटों में से केवल भूमि संख्या-70 के पट्टे वर्ष 1961 में 25 अन्य लोगों को दिये गये थे न कि प्रश्न में दिये गये व्यक्तियों को । इन पच्चीस पट्टेदारों में एक व्यक्ति कन्हई पुत्र वेदनाथ है। क्योंकि प्रश्न में सम्मिलित नाम कन्हई की वल्दियत नहीं दी गई है, अतः यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि पट्टेदार वही व्यक्ति है, अथवा अन्य ।

श्री सालिग राम रावत ग्राम सादामऊ परगना महोना तहसील मलिहाबाद जिला लखनऊ का अधिनियम का उल्लंघन कर बेनामा कराये जाने विषयक पत्र पर कार्यवाही

59—श्री भगौती सिंह—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री सालिगराम रावत ग्राम सादामऊ, परगना महोना, तहसील मलिहाबाद, जिला-लखनऊ के हरिजनों की कृषि योग्य भूमि का जमींदारी उन्मूलन, अधिनियम की धारा 157 (अ) का उलंघन कर बेनामा कराये जाने के संबंध में शिकायती पत्र पर प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 27-5-86 और 26-7-86 को जिलाधिकारी लखनऊ को तथा दि0 28-10-86 को आयुक्त, लखनऊ मण्डल को लिखे गये पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री माता प्रसाद—

श्री सालिक राम रावत के शिकायती पत्रों की जांच से अन्तरणकर्ता/विक्रेता अनुसूचित जाति के नहीं पाये गये। इसके अतिरिक्त श्री सालिक राम रावत शिकायतकर्ता द्वारा अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) के न्यायालय में धारा-166/167 उ0प्र0ज0 वि0 अधि0 1950 के अन्तर्गत वाद सं0 2/2 वर्ष 1986-87 अन्तरणकर्ता/विक्रेता के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया, जो इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि अन्तरणकर्ता/विक्रेता अनुसूचित जाति के नहीं है। इस संबंध में एक रिट याचिका मा0 उच्च न्यायालय में विचारीधीन है अतएव इसके निर्णय के पूर्व यह नहीं कहा जा सकता कि प्रश्नगत अन्तरण में ज0वि0अधि0 की धारा-157(अ) का उल्लंघन हुआ है।

मोहन मीकिन लि0 पर बिक्री कर का बकाया वसूलने के लिए कृत कार्यवाही

60—श्री भोपाल सिंह, श्री माता प्रसाद पाण्डेय तथा मूल चन्द्र—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मोहन मीकिन लि0 पर 1-4-70 से 31-3-88 तक बिक्रीकर का करोड़ों रुपया बकाया है? यदि हां, तो कम्पनी पर इस अवधि की बकाया राशि क्या है तथा उसे वसूलने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

थाना गंज-डुण्डवारा, जनपद एटा में अपराधों में वृद्धि एवं शासन द्वारा कार्यवाही

61—श्री वीरेन्द्र सिंह (एटा)—

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि थाना गंज-डुण्डवारा, जनपद एटा में गत दो वर्षों से अपराधों में भारी वृद्धि हुयी है? यदि हां, तो इस पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

प्राप्त सूचना के अनुसार थाना गंजडुण्डवारा जनपद एटा के अन्तर्गत वर्ष 1984 में 224, वर्ष 1985 में 229 तथा वर्ष 1986 में 205 अभियोग पंजीकृत हुये थे तथा वर्ष 1987 में 169 व वर्ष 1988 में 168 अभियोग पंजीकृत हुए।

अपराधों के उक्त आंकलन से स्पष्ट है कि वर्ष 1987 व वर्ष 1988 में विगत पांच वर्षों की तुलना में काफी कमी आई है।

श्री माता बख्श सिंह निवासी ग्राम मानूडीह थाना खण्डासा फैजाबाद की सी0 आई0 डी0 जांच के आधार पर गिरफ्तारी एवं न्यायालय द्वारा कुर्की के आदेश

62—श्री मित्रसेन—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री माता बख्श सिंह, निवासी ग्राम मानूडीह थाना खण्डासा फैजाबाद सी0 आई0 डी0 जांच के आधार पर धारा 307 के अन्तर्गत माह सितम्बर 1988 से ही वांछित रहे हैं और गिरफ्तारी वारंट थाना खण्डासा पर उपलब्ध होने के बावजूद भी इन्हें तीन माह में नवम्बर तक गिरफ्तार नहीं किया गया है ? यदि हां, तो उक्त व्यक्ति के विरुद्ध गिरफ्तारी कुर्की या अन्य प्रभावी कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

अभियुक्त माता बख्श सिंह की सी0 आई0 डी0 जांच के आधार पर गिरफ्तारी हेतु दिनांक 16-9-88 को वारन्ट थाना-खण्डासा पर प्राप्त हुआ था, परन्तु कई बार दबिश देने के बावजूद उन्हें दिनांक 16-11-88 को गिरफ्तार किया जा सका। न्यायालय से कुर्की का आदेश प्राप्त होने से पूर्व ही माता बख्श सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था। अभियुक्त की गिरफ्तारी में शिथिलता बरतने पर थानाध्यक्ष श्री जगदम्बामणि त्रिपाठी का स्थानान्तरण कर उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

ग्राम सभा अहमाटा तथा ग्राम सभा बरावां, परगना रुदौली, तहसील राम सनेही घाट बाराबंकी की ग्राम समाज आदि की भूमि पर अवैध कब्जे एवं बेदखल की कार्यवाही

63—श्री मित्रसेन—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा अमहटा तथा ग्राम सभा बरावां, परगना रुदौली, तहसील राम सनेही घाट, जनपद बाराबंकी में ग्राम समाज की भूमि परती भूमि, आबादी की भूमि, ऊसर व बंजर की भूमि, नाली तथा चकरोड आदि की भूमि पर किन-किन व्यक्तियों के अवैध कब्जे हैं? क्या कब्जे से बेदखल करने के लिए उनके विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही की गयी है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री माता प्रसाद—

ग्राम सभा अमहटा एवं बरावां की कथित भूमि पर क्रमशः 86 व 35 व्यक्तियों का अवैध कब्जा पाया गया जिनके नामों की सूची संलग्न है।

अवैध रूप से काबिज व्यक्तियों के विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 234 पर)

श्रीमती तुलसा देवी, पुत्री स्वर्गीय फकीरे लाल यादव पिपराघाट दिलकुशा लखनऊ का प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ संलग्न पत्र पर कार्यवाही

64—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती तुलसा देवी, पुत्री स्वर्गीय फकीरे लाल यादव पिपराघाट दिलकुशा लखनऊ का उत्पीड़न किए जाने विषयक प्रार्थना-पत्र दिनांक 23/24-4-88 प्रभारी उप निरीक्षक चौकी बंदरिया बाग, लखनऊ दिनांक 27-4-88 प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली हजरतगंज, लखनऊ दिनांक 7-5-88 पुलिस अधीक्षक (नगर) लखनऊ तथा प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ संलग्न पत्र दिनांक 12-5-88 रजिस्टर्ड डाक द्वारा क्षेत्राधिकारी हजरतगंज लखनऊ को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में संदर्भित श्रीमती तुलसा पुत्री स्व0 श्री फकीरे लाल यादव, पिपराघाट, दिलकुशा लखनऊ का प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें श्री किशोरी लाल यादव के विरुद्ध प्रार्थिनी को परेशान किए जाने का आरोप लगाया गया था ।

जांच से ज्ञात हुआ कि श्रीमती तुलसा की अपने पति से 12–14 वर्ष पूर्व अनबन हो गई थी जिसके कारण श्रीमती तुलसा के स्व0 पिता श्री फकीरे लाल यादव ने पिपराघाट स्थित अपने पुश्तैनी मकान के उत्तरी तरफ श्रीमती तुलसा के लिए मकान बनवा दिया था और तभी से वह अपने दो पुत्रियों के साथ रह रही हैं। श्रीमती तुलसा के मकान के पूर्वी दरवाजे के बगल में इनके छोटे भाई श्री किशोरी लाल यादव नया दरवाजा खोलना चाहते थे जिसको प्रार्थिनी ने मना किया। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई और श्रीमती तुलसा ने उक्त शिकायती प्रार्थना पत्र दिया। जांचकर्ता द्वारा दोनों पक्षों को समझा दिया गया है और वर्तमान में मामला शान्त है । पुलिस द्वारा किसी अन्य कार्यवाही की आवश्यकता नहीं पाई गई।

गणेश शुगर मिल लि0 आनन्द नगर गोरखपुर द्वारा धर्मशाला बनाने के लिए ली गयी भूमि को बेचा जाना

65—श्री हर्षवर्धन—

द्वितीय सत्र 1985 के छठे मंगलवार के अता0 प्रश्न संख्या-173 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि गणेश शुगर मिल द्वारा पार्क एवं धर्मशाला बनाने के लिये ली गयी अधिग्रहीत भूमि को बेचना अवैधानिक है ? यदि हां,, तो सम्बन्धित दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

प्रश्न में इंगित अतारांकित प्रश्न संख्या—173, विधान सभा के प्रथम सत्र 1985 के 6ठे मंगलवार के लिये नहीं, अपितु विधान सभा के प्रथम सत्र 1986 के 2रे मंगलवार के लिये पूछा गया था. जिसका सम्बन्ध गणेश शुगर मिल द्वारा पार्क तथा धर्मशाला बनाने के लिये ली गयी अधिग्रहीत भूमि से नहीं है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

66—श्री राकेशधर त्रिपाठी—

[वि0 4-10-88 को अता0 प्र0 सं0 91-द्वारा उत्तरित]

खलीलाबाद शुगर मिल जनपद बस्ती के नाम शासन द्वारा गन्ना वसूली के लिए रिकवरी प्रमाण-पत्र तथा धन की वसूली

67—श्री राकेश धर त्रिपाठी—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खलीलाबाद शुगर मिल जनपद बस्ती के नाम मार्च, 1988 में सत्र 1987-88 के गन्ना मूल्य की वसूली के लिए कोई रिकवरी-प्रमाण पत्र शासन द्वारा जारी किया गया था ? यदि हां, तो उक्त रिकवरी प्रमाण-पत्र के सापेक्ष कितने धन की वसूली की गयी ? क्या वसूल की गयी धनराशि पर कलेक्शन चार्ज किया गया है ? यदि हां, तो कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां ।

वसूली प्रमाण-पत्र के परिपेक्ष्य में सीजन 1987-88 की गन्ना मूल्य की वसूली तथा उस पर कलेक्शन चार्जेज की धनराशि की सूचना एकत्रित की जा रही है ।

प्रदेश में आजीवन कारावास के बन्दी लाइसेंस पर मुक्त एवं मुक्त होने के बाद अपराध में पुनः लिप्त की संख्या

68—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या कारागार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 1984-1985 तथा 1986 में कितने आजीवन कारावास के बन्दी लाइसेंस पर मुक्त किये गये और उनमें से कितने मुक्त किये जाने के बाद पुनः अपराध में लिप्त पाये गये ? यदि कोई नहीं, तो प्रोबेशन बोर्ड की संस्तुतियों के बावजूद लाइसेंस पर बंदियों को अब मुक्त न किये जाने के क्या कारण हैं और क्या पुनर्विचार करते हुए प्रोबेशन बोर्ड की आख्या व संस्तुति पर बंदियों को मुक्त करने का कष्ट करेंगे ? यदि हां, तो कब से ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

वर्ष 1984, 1985 तथा 1986 में क्रमशः 214, 199 तथा 65 (कुल 478) आजीवन कारावास से दण्डित बन्दी लाइसेंस पर जेल से मुक्त किये गये । मुक्त किये जाने के पश्चात उनमें से किसी बन्दी के पुनः अपराध में लिप्त पाये जाने की सूचना शासन को प्राप्त नहीं हुई है ।

प्रोबेशन बोर्ड की संस्तुतियों पर शासन द्वारा नियमानुसार गुणावगुण के आधार पर विचार कर बन्दियों को लाइसेंस पर मुक्त किया जाता रहा है और अब भी मुक्त किया जाता है ।

श्री राम दुवार पटेल की इलाहाबाद के सोरांव थाने में पिटाई से मृत्यु एवं दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही

69—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम दुवार पटेल की इलाहाबाद के सोरांव थाने में पिटाई से 17 मार्च, 88 को जेल ले जाते समय हुई मृत्यु के संबंध में परगनाधिकारी सोरांव द्वारा कोई जांच रपट 5-4-88 को जिलाधिकारी इलाहाबाद को प्रेषित की गई थी ? यदि हां, तो उस रिपोर्ट के आधार पर दोषी पुलिस-कर्मियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

जी हां ।

प्राप्त सूचनानुसार परगनाधिकारी, सोरांव की रिपोर्ट के आधार पर दोषी पाए गए तत्कालीन थानाध्यक्ष, थाना सोरांव श्री ए0 पी0 शुक्ल के विरुद्ध थाना सोरांव पर मु0 अ0 सं0—98/88 धारा 302 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत एक अभियोग पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा प्रचलित है ।

खुरशीद आरिफ पुत्र वसीम अली सिद्दीकी ग्राम उजरियांव थाना चिनहट, लखनऊ की हत्या की रिपोर्ट एवं उनके प्राप्त नर कंकाल पर कार्यवाही

70—श्री भगौती सिंह—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि 24-7-81 को खुरशीद आरिफ पुत्र श्री वसीम अली सिद्दीकी ग्राम उजरियांव तत्कालीन थाना चिनहट लखनऊ की हत्या हो गयी थी जिसकी पुलिस में नामजद रिपोर्ट थी किन्तु स्थानीय पुलिस तथा सी0 आई0 डी0 ने कोई कार्यवाही नहीं की और अन्त में फाइनल रिपोर्ट लगा दी गयी ? क्या यह सही है कि 28-10-84 को लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा गोमती आवास योजना के लिए बनाये जा रहे मकानों की नीव खोदते समय खुरशीद आरिफ का नर कंकाल मिला जो उसके पालिएस्टर के कपड़ों तथा बालों से पहचाना गया और यह बरामदगी मजिस्ट्रेट पुलिस और सी0 आई0 डी0 की उपस्थिति में हुई, किन्तु अभी तक मुल्जिमान के खिलाफ़ कोई कार्यवाही नहीं हुई ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 237 पर)

श्री बापूराम कठेरिया, मो0 मिसराना म0 नं0 35 मैनपुरी का उनके पुत्र श्री कैलाश चन्द्र की हत्या विषयक पत्र के साथ संलग्नक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

71—श्री कल्यान सिंह—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें दिनांक 14-6-88 को श्री बापू राम कठेरिया, मो0 मिसराना मकान नं0-35 ए0 मैनपुरी का कोई प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ जिसमें इनके पुत्र श्री कैलाश चन्द्र की हत्या का मामला मैनपुरी थाने में

धारा नं0-257/87 तथा 302/301/आई0 पी0 सी0 के अन्तर्गत पंजीकृत होने का हवाला है, मिला ? यदि हां, तो उस पर शासन द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

गृह-सचिव को सम्बोधित तथा पुलिस महानिरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, उ0 प्र0 को पृष्ठांकित प्रश्न में उल्लिखित विषय से सम्बन्धित श्री बापू राम कठेरिया, मो0 मिसराना मकान नं0 35 ए, मैनपुरी का प्रार्थना पत्र दिनांक 14-6-88 प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ शासन को प्राप्त हुआ था ।

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री बाबूराम कठेरिया के उपर्युक्त प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की जांच कराई गई और आरोप जांच से असत्य पाए गये हैं ।

72–डाक्टर दिनेश जौहरी–

[दि0 4-10-88 को अता0 प्र0 सं0 125 द्वारा उत्तरित]

73–श्री अवधेश प्रसाद–

[2रे बुद्धवार में अता0 प्र0 सं0 173 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

74–श्री मित्रसेन–

[दि0 4-10-88 को अता0 प्र0 सं0 143 द्वारा उत्तरित]

जेलों में कार्यरत बन्दी रक्षकों को टेरीकाट वर्दी, डीहड़ शू, बर्साती (रेनकोट) दिये जाने विषयक शासनादेश एवं परिपालन हेतु कार्यवाही

75– श्री मित्रसेन–

क्या कारागार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जेलों में कार्यरत बन्दी रक्षकों को टेरीकाट वर्दी, डीहड़ शू बर्साती (रेनकोट) आदि दिये जाने के लिए कोई शासनादेश माह जनवरी, 1987 में हुआ था ? यदि हां, तो क्या किसी कारागार में अभी तक उक्त को उपलब्ध कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या निकट भविष्य में शासनादेश का परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा ?

श्री मानपाल सिंह–

जेलों में कार्यरत बन्दी रक्षकों को टेरीकाट की वर्दी दिये जाने का आदेश जनवरी, 1987 में नहीं बल्कि माह मार्च, 1987 में हुआ था ।

माह मार्च, 1987 के शासनादेश के परिपालन हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

थाना कुमार गंज, जनपद फैजाबाद में अंकित करायी गयी प्राथमिकी और उस पर विलम्ब से की गयी कार्यवाही का औचित्य

76—श्री मित्रसेन—

क्या गृह मंत्री बतायेंगे कि अ0 सं0-33ए/86 अंतर्गत धारा 147/823/504 दिनांक 24-7-86 थाना कुमारगंज, जनपद फैजाबाद में अंकित कराया गया था ? यदि हां, तो उक्त प्राथमिकी किस अधिकारी के जांचोपरांत अंकित करायी गई और अब तक क्या कार्यवाही की गई ? विलम्ब से कार्यवाही किए जाने का औचित्य क्या है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

दिनांक 24-7-86 को थाना कुमारगंज, फैजाबाद में अपराध संख्या 33ए/86 अंतर्गत धारा 147/823/504 भा0 द0 वि0 नहीं, वरन अंतर्गत धारा 147/323/504 भा0 द0 वि0 पंजीकृत कराया गया था । प्रश्नगत मुकदमा की प्राथमिकी श्री राम आधार पाण्डेय निवासी निरंजन का पुरवा के प्रार्थना-पत्र पर क्षेत्राधिकारी, बीकापुर की जांचोपरांत अंकित कराया गया था ।

सर्वप्रथम विवेचना थानाध्यक्ष श्री ए0 के0 सिंह द्वारा प्रारम्भ की गयी । थाना-ध्यक्ष के स्थानान्तरण के पश्चात् उ0 नि0 श्री रामानन्द प्रसाद द्वारा की गई विवेचना में प्रश्नगत अपराध संख्या 33/86 अन्तर्गत धारा 143/144/353/186/504/506 भा0 दं0 वि0 की पेशबन्दी में लिखाये जाने के कारण अन्तिम रिपोर्ट लगा दी गई। तत्कालीन क्षेत्राधिकारी, बीकापुर श्री ओ0 पी0 कक्कड़ द्वारा प्रश्न-गत अभियोग की विवेचना में त्रुटियां पाये जाने के कारण दिनांक 20-7-88 को थाना-ध्यक्ष, कुमारगंज को पुनः गहराई से जांच हेतु निर्देशित किया गया । एक्सर रिपोर्ट के आधार पर विवेचक श्री ब्रजराज सिंह भदौरिया द्वारा धारा 325 भा0 दं0 वि0 की वृद्धि की गई । विवेचक द्वारा इस अभियोग में नामजद अभियुक्त शिवपूजन सिंह, सै0 मु0 अनवर जैदी, हरीराम, परमहंस प्रसाद, मो0 साकिर को दिनांक 4-5-88 को तथा अभियुक्त राममूरत सिंह व गयाजीत यादव को दिनांक 6-5-88 को गिरफ्तार किया गया । इस अभियोग में दिनांक 6-5-88 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया । विवेचकों के स्थानान्तरित हो जाने के कारण विवेचना में विलम्ब हुआ ।

संभागीय परिवहन अधिकारी, कानपुर कार्यालय में स्थायी रूट परमिट हेतु कुल जमा आवेदन पत्र

77—श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

प्रथम सत्र 1987 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता को अतारांकित प्रश्न संख्या—24 के उत्तर के संबंध में क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि आवेदन-पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि के बाद कुल कितने आवेदन-पत्र अनियमित तरीके से फर्रुखाबाद जीरमनपुर वाया अमृतपुर मार्ग के स्थायी परमिट हेतु जमा हुए ? क्या इस मार्ग हेतु जमा कुल आवेदनों की सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रमोद कुमार–

अन्तिम तिथि 31-10-86 के बाद कोई भी आवेदन-पत्र जमा नहीं हुआ।

सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 238 पर)

78–श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद जौनपुर के ग्राम सभा गौरा की भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के विरुद्ध कृत कार्यवाही

79–श्री वीरेन्द्र सिंह (एटा)–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1988 के पहले मंगलवार के लिए निर्धारित श्री राय लक्ष्मी नारायण सिंह के तारांकित प्रश्न संख्या–4 के उत्तर के संबंध में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त अवैध कब्जा धारियों द्वारा कितनी-कितनी जमीन अवैध रूप से उनके कब्जे में है ? क्या यह सही है कि उक्त अवैध कब्जा धारियों के अलावा और भी व्यक्ति कब्जा किये हैं ? यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं तथा विचाराधीन वाद पंजीकरण की प्रगति रिपोर्ट क्या है ?

श्री माता प्रसाद–

प्रश्नगत ग्राम सभा की भूमि गाटा संख्या–366/1/0-08, 367/2/0-03 पर रामसूरत, राम कलप पुत्रगण अम्बिका, गाटा सं0 15/0-05 पर मु0/अनूपा, गाटा सं0 15 मि0/0-05 पर जगदम्बा व शिव प्रसाद, गाटा सं0 15 मि0/0-05 पर राम दवर, राम चरन, गाटा सं0 15 मि0/0-4 पर राम कलप, रन बहादुर पुत्रगण जरिबंधन व रघुनाथ, गाटा सं0 2/579/5 राम कलप, राम सूरत पुत्रगण अम्बिका, गाटा सं0 16 मि0/30 पर भूप नरायन, गाटा सं0 16 मि0/0-20 पर सं0 अकबाल अहमद, गाटा सं0 16/1-16 पर विनोद कुमार, गाटा सं0 369/0-70 पर राम किशुन, गाटा सं0 380/0-02 पर शिवशंकर, गाटा सं0 381/0-02 पर बटेश्वर, संजप्रताप, गाटा सं0 492/0-02 पर इन्द्रजीत के अवैध कब्जे हैं । अन्य किसी का अवैध कब्जा नहीं पाया गया है ।

उपरोक्त अवैध कब्जाधारियों से भूमि बेदखल कराने की कार्यवाही तहसीलदार शाहगंज के न्यायालय में विचाराधीन है जिसके समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार निस्तारित करने के निदेश जिलाधिकारी को दे दिए गये हैं।

प्रदेश के अन्दर बिक्री कर कार्यालय से सम्बन्धित संग्रह अमीनों का नायब तहसीलदार के पद पर प्रोन्नति का मामला

80—श्री दीपचन्द्र सोनकर—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अन्दर ऐसे कितने संग्रह अमीन बिक्री कर कार्यालय से संबंधित हैं जिन्होंने नायब तहसीलदार के पद पर प्रोन्नति हेतु अर्हता प्राप्त कर ली है ? क्या प्रोन्नति संबंधी मामला शासन के स्तर पर विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद—

बिक्री कर कार्यालय से संबंधित संग्रह अमीन राजस्व विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में नहीं है, अतएव नायब तहसीलदार के पद पर प्रोन्नति हेतु उनके अर्ह होने तथा उनकी प्रोन्नति का मामला राजस्व विभाग में विचाराधीन होने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम लाल शर्मा, सेवा निवृत्त कर्मशाला प्रशिक्षक पी0 एम0 जी0 पोलीटेकनिक, मथुरा की पेंशन और उस पर देय पेंशन राहत

81—श्री सरदार सिंह—

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रामजी लाल शर्मा, सेवानिवृत्त कर्मशाला प्रशिक्षक पी0 एम0 जी0 पोलीटेकनिक, मथुरा से प्राविधिक शिक्षा निदेशालय ने ग्रेच्युटी भुगतान हेतु ता0 27-3-80 से 30-6-80 तक की अवधि का वेतन व भत्ते की आहरित धनराशि 3142.59 पैसे वापिस ले लिया गया? इन्हें 29-3-80 से 30-6-80 तक की पेंशन का भुगतान न किये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार उक्त अवधि की पेंशन का शीघ्र भुगतान करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां ।

श्री रामजी लाल शर्मा को दिनांक 27-3-80 से 30-6-80 तक की पेंशन और उस पर देय पेंशन राहत 27-1-89 को स्वीकृत की जा चुकी है।

वीर चक्र प्राप्तकर्ता श्री राम बहादुर सिंह को नकद पुरस्कार प्रदान करने के पत्र पर कार्यवाही

82—श्री भगवती सिंह विशारद—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री एम0 वी0 कुलकर्णी ए0 ई0 ई0 (सिविल) सेकेन्ड इन कमान्ड फार आफिसर कमाण्डिंग 161 फारमेशन स्टिंग प्लाटून "केयर" 116 रोड कन्सट्रक्शन (ग्रेफ) द्वारा 99 ए0 पी0 ओ0 का प्रपत्र संख्या—11417/पी0 एफ0/161/122/ई0 1, दिनांक 7 जुलाई, 1988 मुख्य

सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार को प्राप्त हुआ है जिसमें शौर्य चक्र प्राप्तकर्ता श्री राम बहादुर सिंह को रु0 3500.00 नकद पुरस्कार के रूप में प्रदान करने का अनुरोध किया गया है ? यदि हां, तो यह धनराशि शौर्यचक्र प्राप्तकर्ता को प्रदान की गई? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्राधिधानित धनराशि समाप्त हो जाने के कारण स्वीकृति नहीं दी जा सकी । स्वीकृति जारी करने हेतु द्वितीय अनुपूरक अनुदान के माध्यम से प्राविधान कराया जा रहा है ।

श्री रामदरस सिंह हेड कांस्टेबिल थाना गोरखनाथ, जनपद गोरखपुर का निलम्बन

83–कुंवर रंवती रमण सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रामदरस सिंह हेड कांस्टेबिल थाना गोरखनाथ, जनपद गोरखपुर को उनके निलम्बन दिनांक 5-1-87 से अब तक जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सच है कि अभी तक श्री राम दरस सिंह को सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा चार्जशीट नहीं दी गई? क्या यह भी सच है कि श्री रामदरस सिंह की वर्दी अभी तक जमा नहीं कराई गई ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

हे0 का0 राम दरस थाना-गोरखनाथ, गोरखपुर के निलम्बन की तिथि 5-1-87 से फरवरी, 88 तक का गुजारा भत्ता आहरित करके भुगतान हेतु पुलिस लाइन भेजा गया था, परन्तु मुख्य आरक्षी के दिनांक 26-10-86 से अनुपस्थित रहने के कारण उक्त गुजारा भत्ता की धनराशि उसको भुगतान नहीं की गयी और भुगतान न होने की दशा में उक्त धनराशि को कोषागार में जमा करा दिया गया है। मुख्य आरक्षी की अनुपस्थिति से पुलिस लाइन में दिनांक 8-9-88 को आमद करने पर पुलिस लाइन में जमा निर्वाह भत्ता मार्च, 88 से अब तक का भुगतान उसे कर दिया गया है । हे0 का0 के लगातार अनुपस्थित रहने के सम्बन्ध में उनके विरुद्ध कार्यवाही प्रचलित है ।

2–मुख्य आरक्षी राम दरस के विरुद्ध पंजीकृत मु0 अ0 सं0–221/86, धारा-409/467/468 भा0 द0 वि0 व मु0 अ0 सं0 242/86, धारा–409 भा0 दं0 वि0 थाना–गोरखनाथ, गोरखपुर में आरोप पत्र संख्या–11, दिनांक 31-1-87 व 160, 3-11-87 क्रमशः दिनांक 20-3-87 व 16-6-87 को वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी के यहां पर्यवेक्षण हेतु भेजा गया था, वहां से उक्त आरोप पत्र एतराज (ब्रिफ) के साथ वापस कर दिया गया था । अब अ0 सं0 221/86

में आरोप पत्र दिनांक 7-2-89 को प्रेषित कर दिया गया है। मु0 अ0 सं0 242/86 धारा–409 भा0 द0 वि0 में अभी आरोप पत्र इसलिए प्रस्तुत नहीं किया जा सका है क्योंकि हेड कान्सटेबिल श्री राम दरस सिंह के हस्तलेख का मिलान विशेषज्ञ द्वारा कराया जाना है। चूंकि वे बराबर अनुपस्थित रहे और अब पुनः अनुपस्थित चल रहे हैं, इसलिए उनके हस्तलेख का मिलान नहीं हो सका है। उनके हस्तलेख मिलान के बाद ही आरोप पत्र प्रेषित किया जायेगा।

3–निलम्बित हे0 कान्स0 राम दरस ने अभी तक अपनी वर्दी (किट) पुलिस लाइन में जमा नहीं किया है, जबकि नियमानुसार उसे जमा करना चाहिए था। इस सम्बन्ध में जांच के आदेश दे दिए गए हैं कि आज तक उक्त निलम्बित हेड कान्सटेबिल ने किन परिस्थितियों में अपनी वर्दी (किट) पुलिस लाइन के स्टोर में जमा नहीं किया।

84–श्री यदुनाथ सिंह–

[व्यक्तिगत दोषारोपण होने के कारण निरस्त]

अलीगढ़ के व्यापारी सर्वश्री बालाजी स्कोप ट्रेडर्स महेन्द्रनगर फर्म को जारी किये गये फार्म एवं बिक्री कर के रूप में बकाया की वसूली

85–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि अलीगढ़ के व्यापारी सर्वश्री बालाजी स्कोप ट्रेडर्स महेन्द्रनगर का प्रान्तीय बिक्रीकर पंजीयन प्रमाण-पत्र सं0–ए0 एल0-0114068 दिनांक 2-4-82 व केन्द्रीय पंजीयन प्रमाण-पत्र ए0 एल0–5085652 दिनांक 2-4-82 को आयुक्त बिक्रीकर कार्यालय से जारी परिपत्र (फार्म उप अनुभाग) स0च0पो0–फार्म 34-268-88-89/7 बिक्रीकर दि0 5-4-88 से तात्कालिक प्रभाव से निरस्त किया गया ? यदि हां, तो उक्त फर्म को वर्ष 82-83 से 87-88 तक कौन-कौन से फार्म कब-कब जारी किये गये और इन वर्षों में अलग-अलग कितना रुपया बिक्रीकर के रूप में लगाया गया और कितना बकाया है ? बकाया में से कितना वसूल हो चुका है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हां।

फर्म को वर्ष 82-83 से 87-88 तक की अवधि में दिए गये फार्मों एवं इन वर्षों में फर्म से वसूल की गई धनराशि एवं बकाया बिक्रीकर की सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 240 पर)

रायबरेली बिक्रीकर द्वारा फर्म रावल पेपर मिल लि0 को पेपर खरीदने हेतु मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र जारी किया जाना एवं मिल द्वारा लाभ उठाया जाना

86–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि रायबरेली बिक्रीकर कार्यालय में फर्म रावल पेपर मिल लि0 को मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र सं0–63 दि0 31-3-82 जारी किया गया था

और इस मिल ने फार्म 3-ख देकर लाखों रुपया का रद्दी कागज बगैर टैक्स दिए खरीदा? यदि हां, तो क्या उक्त पेपर मिल रद्दी के खरीद के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र पाने का हकदार था ? यदि नहीं, तो किस अधिकारी ने मान्यता प्राप्त प्रमाण-पत्र खरीद करने के लिए जारी किया और वर्ष 82–83, 83–84 व 84–85 में कितने-कितने फार्म 3-ख जारी किए गए और मिल ने कितने रुपयों का लाभ उठा लिया?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

रायबरेली की प्रश्नगत फार्म ने मान्यता प्रमाण-पत्र हेतु दिये गये प्रार्थना-पत्र में निर्मित किये जाने वाली वस्तु पेपर (पैकिंग मैटेरियल) घोषित की थी और उसे उक्त पैकिंग मैटेरियल के निर्माण के लिए ही कच्चे माल के रूप में वेस्ट पेपर, काटन वेस्ट, जूट वेस्ट, कास्टिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, केमीकल्स आदि वस्तुएं खरीदने की अनुमति के साथ मान्यता प्रमाण-पत्र तत्कालीन बिक्रीकर अधिकारी द्वारा जारी किया गया था। कुछ प्रकार के कागज पैकिंग मैटेरियल के रूप में भी प्रयोग किये जाते हैं और, यद्यपि कागज के निर्माण के लिए कच्चे माल पर करमुक्ति सुविधा अनुमन्य नहीं थी, पैकिंग मैटेरियल के निर्माण के लिए यह सुविधा उपलब्ध होने के कारण व्यापारी को मान्यता प्रमाण-पत्र जारी किया गया । बाद में स्थिति स्पष्ट होने पर व्यापारी का मान्यता प्रमाण-पत्र रद्द कर दिया गया। व्यापारी को वर्ष 1982–83, 1983–84 और 1984–85 में क्रमशः 45, 50 और 25 फार्म 3-ख जारी किये गये थे, जिसके आधार पर व्यापारी ने कुल लगभग 87.25 लाख रुपये का कच्चा माल खरीदा, जिस पर लगभग 5,88,640.00 रु0 का लाभ उसने प्राप्त किया। बाद में मान्यता प्रमाण-पत्र रद्द करके व्यापारी के विरुद्ध धारा 3-ख के अधीन कार्यवाही करके व्यापारी द्वारा उठाये गये लाभ के बराबर धनराशि आरोपित कर दी गयी है जिसमें से व्यापारी द्वारा 10% धनराशि जमा की जा चुकी है और शेष के लिए अपीलीय अधिकारी से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये गये हैं।

फर्जी डाक्टरी प्रमाण-पत्र देनेवाली संस्था में शामिल अवकाश प्राप्त आई0ए0एस0 अधिकारियों के विरुद्ध जांच

87–श्री यदुनाथ सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 88 के पांचवें मंगलवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0–113 के सन्दर्भ में गृह मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या अपराध शाखा अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा जांच पूरी हो गयी? यदि हां, तो जांच रपट क्या है? यदि जांच पूरी नहीं हुई है तो कब तक पूरी होगी? क्या पुलिस द्वारा गिरफ्तार व्यक्तियों की जमानत हो गयी ? यदि हां, तो कब ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

प्रश्नगत मामले में अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा जांच पूर्ण की जा चुकी है। जांच में तीन सेवा निवृत्त आई0ए0एस0 अधिकारियों का सम्बन्ध रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स कौंसिल आफ यू0पी0 नामक जाली संस्था से होना नहीं पाया गया है। प्रश्नगत मामले में गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है जो न्यायालय के विचाराधीन है । गिरफ्तार किये गये तीन अभि-

युक्तों में से दो अभियुक्तगण श्री रघुवंदर शर्मा तथा श्री चन्द्र प्रकाश की जमानत दिनांक 18-2-86 को सेशन जज न्यायालय में हुई । तीसरे अभियुक्त डा0 अशोक चौधरी की जमानत दिनांक 22-2-86 को सेशन न्यायालय से खारिज हुई । इसके अतिरिक्त तीसरे अभियुक्त की जमानत के सम्बन्ध में सेशन न्यायालय के अभिलेखों में कोई अन्य अभिलेख प्राप्त नहीं हो सका है।

लखनऊ बिक्रीकर कार्यालय के खण्ड-2 में स्थित फर्म साइंटीफिक कारपोरेशन की बिक्रीकर बकाया व सम्भावित राजस्व की हानि के बारे में प्रश्न कर्ता का पत्र एवं कार्यवाही

88–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ बिक्रीकर कार्यालय के खण्ड-2 में स्थित फर्म साइंटीफिक कारपोरेशन की बिक्रीकर बकाया व सम्भावित राजस्व की हानि के बारे में प्रश्नकर्ता के पत्र सं0–476 दिनांक 5-4-86 के उत्तर में संयुक्त सचिव श्री डा0 एस0 वर्मा वित्त बिक्रीकर अनुभाग–3 ने अपने अ0 शा0 पत्र सं0–वि0 क0-3-68 सी0एम0/दस-86-86-6(26)/86, दिनांक 10-7-86 से सूचित किया था कि आयुक्त बिक्रीकर से वांछित सूचना प्राप्त होने पर उपलब्ध कराई जायेगी? यदि हां, तो क्या आयुक्त से सूचना उपलब्ध हो गयी? यदि हां, तो सूचना क्या है?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हां ।

आयुक्त बिक्रीकर से प्राप्त सूचना अपूर्ण होने के कारण कतिपय अतिरिक्त बिन्दुओं पर सूचना मांगी गई है। पूर्ण सूचना प्राप्त होने पर मा0 विधायक को अवगत करा दिया जायेगा।

89–श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी–

[3रे मंगलवार के लिए स्थगित]

टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित राजकीय कन्या हाई स्कूल चम्बा के भवन निर्माण के लिए शिक्षा विभाग के आवेदन पत्र पर कार्यवाही

90–श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी–

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित राजकीय कन्या हाईस्कूल, चम्बा के भवन निर्माण के लिए शिक्षा विभाग ने पट्टे पर भूमि दिए जाने का लगभग दो वर्ष पूर्व आवेदन किया था? यदि हां, तो इतनी लम्बी अवधि बीत जाने पर भी शिक्षा विभाग को भूमि उपलब्ध न कराने के क्या कारण हैं? भूमि कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी?

श्री माता प्रसाद–

जी हां ।

राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, चम्बा, टिहरी गढ़वाल के भवन निर्माण हेतु 15 नाली, 5 मुट्ठी सिविल एवं सोयम बंजर भूमि के हस्तान्तरण विषयक शासनादेश दिनांक 7-2-1989 को निर्गत कर दिया गया है।

जनपद ललितपुर के ब्लाक बार ग्राम-मैलोनी लोध के कृषक श्री मंगल सिंह द्वारा फ्यूल लैस टरबाइन पम्प का अविष्कार एवं विभाग द्वारा उस पर कार्यवाही

91—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग मंत्री को यह जानकारी है कि जनपद ललितपुर के ब्लाक बार ग्राम-मैलोनी लोध के एक कृषक श्री मंगल सिंह ने एक फ्यूललैस टरबाइन पम्प का आविष्कार किया है जिससे मात्र 20-25 हजार की लागत से 100 एकड़ से अधिक की सिंचाई हो रही है जिसका निरीक्षण उ0 प्र0 शासन के खाद्य राज्य मंत्री श्री मानपाल सिंह जी 26 नवम्बर, 87 को मौके पर कर चुके हैं? यदि हां, तो इस तकनीक का लाभ कृषकों को उपलब्ध कराने के लिए विभाग ने कोई कार्यवाही की है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

जनपद ललितपुर के ब्लाक बार, ग्राम मैलोनी लोध के कृषक श्री मंगल सिंह द्वारा एक टरबाइन पम्प सजनाम नदी पर लगाये जाने की जानकारी विभाग को है। उक्त पम्प क्षतिग्रस्त होने के कारण कार्यरत नहीं है। इसी नदी पर आगे वन विभाग की मदद से श्री मंगल सिंह द्वारा एक टरबाइन पम्प लगाया गया जिसका उपयोग वन विभाग की नर्सरी जिसका क्षेत्रफल 100 एकड़ है, की सिंचाई हेतु किया जाता है। इस टरबाइन पम्प का निरीक्षण श्री मानपाल सिंह, राज्यमंत्री खाद्य विभाग द्वारा दि0 26 नवम्बर, 87 को किया गया। चूंकि श्री मंगल सिंह द्वारा लगाये गये टरबाइन पम्प की दक्षता काफी कम थी । अतः उसकी दक्षता वृद्धि का कार्य रुड़की विश्वविद्यालय के अल्टरनेट, हाइड्रो एनर्जी सेन्टर को सौंपा गया है। इसके अतिरिक्त वाटर टरबाइन पम्प के विकास का कार्य श्री मंगल सिंह के सहयोग से वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान द्वारा ग्राम-महरौली एवं दलरास विकास खण्ड बार जिला ललितपुर में प्रारम्भ कर दिया गया है जो कि प्रगति पर है।

लागू नहीं होता ।

गोला गोकरन नाथ जिला खीरी में चीनी मिल के उत्प्रवाह के कारण प्रदूषण की रोकथाम की मांग लेकर आन्दोलन एवं कार्यवाही

92—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोला-गोकरन नाथ जिला खीरी में चीनी मिल के उत्प्रवाह के कारण नगर में प्रदूषण की रोकथाम की मांग को लेकर नगर सुधार समिति द्वारा दिनांक 27-1-88 को तथा उसके आस-पास कई दिन नगर में धरना आन्दोलन किया गया ? यदि हां, तो संक्षेप में आन्दोलनकारियों की मांगें क्या थीं तथा उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां ।

हिन्दुस्तान शुगर मिल, गोला-गोकरन नाथ, जनपद—खीरी द्वारा चीनी उत्पादन से उत्पन्न जल एवं वायु प्रदूषण के विरोध में गोला-गोकरन नाथ में नगर विकास समिति ने धरना दिया था जो मिल के प्रबन्धकों से हुई वार्ता के उपरान्त दिनांक 25-1-1988 को स्वयं समाप्त कर दिया गया ।

नगर विकास समिति की मांग यह थी कि हिन्दुस्तान शुगर मिल, गोला से निकलने वाली काली राख और दूसरे द्रवों के कारण नगर में होने वाले जल एवं वायु प्रदूषण और उससे उत्पन्न समस्याओं/रोगों का निवारण किया जाए।

जिला प्रशासन द्वारा कथित शुगर मिल के विरुद्ध धारा 245/307 यू0 पी0 म्युनिसिपल एक्ट के अन्तर्गत परगना मजिस्ट्रेट मोहम्मदी के न्यायालय में एक वाद दायर किया गया था जो विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा भी जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 व 44 के अन्तर्गत इस औद्योगिक इकाई के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया है जिस पर अभी निर्णय नहीं हुआ है।

राजकीय पालिटेकनिक, बरेली में स्टेनोग्राफी तथा सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस का ट्रेड एवं प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था

93–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री कृपा बतायेंगे कि राजकीय पालिटेकनिक बरेली में स्टेनोग्राफी तथा सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस का ट्रेड स्वीकृत होने के बाद भी उस विषय को पढ़ाने के लिए व्याख्याता भाषा का पद सृजित न होने का क्या कारण है? छात्रों की असुविधा को ध्यान में रखते हुए पद का सृजन कब तक कर दिया जायेगा?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

राजकीय पालिटेकनिक, बरेली एवं इससे सम्बद्ध विद्यालय हेतु स्वीकृत पदों से स्टेनोग्राफी तथा सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस ट्रेड को छात्राओं को भाषा विषय का प्रशिक्षण प्रदान किये जाने की व्यवस्था है।

राज्य कर्मचारियों को केन्द्र के समान वेतनमान दिए जाने के लिए समता समिति का गठन एवं रिपोर्ट प्रस्तुत करना

94–श्री राम पाल वर्मा–

क्या वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि राज्य कर्मचारियों को केन्द्र के समान वेतनमान दिए जाने के लिए समता समिति का गठन किया गया है? क्या समिति के अध्यक्ष व सदस्यगण ने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है तथा समता समिति को किस तिथि तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देना अनिवार्य होगा?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

जी हां।

जी हां।

शासकीय संकल्प दिनांक 14-10-1988 में समता समिति से अपनी संस्तुतियां यथाशीघ्र प्रस्तुत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

वेतन आयोग द्वारा घोषित वेतनमानों और वर्तमान वेतन समिति द्वारा घोषित वेतनमानों की केन्द्र के वेतनमानों से समानता

95—श्री राम पाल वर्मा—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि वेतन आयोग 1979-80 द्वारा घोषित वेतनमानों और वर्तमान वेतन समिति 1987 द्वारा घोषित वेतनमानों में से किन-किन व कितने वेतनमानों को केन्द्र के वेतनमानों के समतुल्य/समान निर्धारित करके अन्तिम रूप दिया जा चुका है किन-किन व कितने वेतनमानों को निर्धारित किया जाना अवशेष रह गया है?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

समता समिति अभी कार्यरत है। जब तक समता समिति की संस्तुतियां शासन को प्राप्त न हो जायं इस सम्बन्ध में कुछ कहना सम्भव नहीं है।

96—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

[मा0 सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

सी0 ओ0 सर्किल अयोध्या जिला फैजाबाद द्वारा चकबन्दी प्रक्रिया में की गयी अनियमितता विषयक पत्र एवं कृत कार्यवाही

97—श्री मित्रसेन—

प्रथम सत्र 88 के प्रथम शुक्रवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये अता0 प्र0 सं0 76 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? ग्राम सरायरासी तहसील व जनपद सदर फैजाबाद में चकबन्दी प्रक्रिया में की गयी गम्भीर अनियमितताओं संबंधी शिकायती पत्रों के आधार पर जांच किन-किन अधिकारियों द्वारा कराई गयी ? जांच आख्या क्या है तथा आख्यानुसार क्या कार्यवाही की गयी?

श्री माता प्रसाद—

ग्राम सरायरासी परगना हवेली अवध तहसील व जिला फैजाबाद के शिकायती पत्र की जांच में प्रकाश में आयी अनियमितताओं तथा बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी द्वारा चक अपीलों के निस्तारण के समय प्रकाश में आये बिन्दुओं का नियमानुसार निस्तारण कर दिया गया है। संबंधित चकदारों को पुनः चक आपत्तियां प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया जिसके फलस्वरूप 119 चक आपत्तियां दायर हुई जिनका भी निस्तारण किया जा चुका है। अनियमितताओं के लिए पाये गये उत्तरदायी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही भी चालू कर दी गई है।

प्राप्त शिकायती पत्रों पर मुख्यालय के तत्कालीन संयुक्त संचालक चकबन्दी श्री जे0 के0 सिंघल द्वारा 4-7-86 को जांच कराई गई। तद्उपरान्त श्री तिलक राज शर्मा संयुक्त संचालक चकबन्दी (मुख्यालय) द्वारा 10-7-87 को इस प्रकरण की दुबारा जांच की गई।

जांच आख्या के अनुसार असंतुलित विनियम अनुपात के निर्धारण, चक आवंटन में अनियमितता तथा चक मार्ग एवं नाली उपयुक्त स्थान पर प्रविष्ट न किये जाने की अनियमितताएं प्रकाश में आयी। की गई कार्यवाही का उल्लेख ऊपर किया गया है।

जनपद देवरिया तहसील सलेमपुर, विकास खण्ड भटनी के अन्तर्गत ग्राम सभा खजुरी में बरसात में गिरे मकानों का मुआवजा

98—श्री भगौती सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया तहसील—सलेमपुर, विकास खण्ड भटनी के अन्तर्गत ग्राम सभा खजुरी करौता में वर्ष 1985-86, 86-87 व 87-88 में बरसात में गिरे मकानों का मुआवजा किन-किन लोगों को किस-किस तारीख में कितना-कितना व किस-किस ग्राम में दिया गया है? क्या कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका नाम हल्का लेखपाल द्वारा अंकित करके मुआवजा नहीं दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या इन लोगों को मुआवजा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री माता प्रसाद—

प्राप्त सूचनानुसार जनपद, देवरिया तहसील, सलेमपुर विकास खण्ड भटनी के अन्तर्गत ग्राम सभा खजुरी करौता में वर्ष 1985-86, 86-87 व 87-88 में बरसात में किसी भी व्यक्ति का मकान क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था। इसलिए कोई राहत सहायता गृह अनुदान के मद में नहीं दिया गया। अतः इस सम्बन्ध में अन्य कोई प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर क्षेत्र, वाराणसी क्षेत्र तथा झांसी क्षेत्र में सहायक क्षेत्रीय लेखाधिकारी द्वारा क्षेत्रीय लेखाधिकारी का कार्य किया जाना एवं उक्त पद का वेतन न दिया जाना

99—श्री रमेश चन्द्र उर्फ रमेश यादव—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर क्षेत्र में दिनांक 3-3-79 से 20-5-79, 31-10-80 से 1-12-80, 11-3-81 से 24-3-81 तक वाराणसी क्षेत्र में 18-8-81 से 18-5-84 तक तथा झांसी क्षेत्र में 30-6-87 से 10-4-88 तक किस सहायक क्षेत्रीय लेखाधिकारी द्वारा क्षेत्रीय लेखाधिकारी का कार्य किया गया है? उसे क्षेत्रीय लेखाधिकारी के पद का वेतन न दिये जाने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई तथा अवशेष वेतन का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा।

श्री प्रमोद कुमार—

प्रश्न में दी गई अवधियों में गोरखपुर क्षेत्र, वाराणसी क्षेत्र तथा झांसी क्षेत्र में क्षेत्रीय लेखा अधिकारी का कार्य अस्थायी स्थानीय व्यवस्था के अन्तर्गत श्री एच0 पी0 गुप्ता, सहायक क्षेत्रीय लेखा अधिकारी द्वारा देखा गया था। परन्तु इस सम्बन्ध में श्री गुप्ता की क्षेत्रीय लेखा अधिकारी के पद पर प्रोन्नति नहीं की गई थी, बल्कि क्षेत्रीय लेखा अधिकारी की अनुपस्थिति में इनसे कार्य लिया गया। इस सम्बन्ध में क्षेत्रीय लेखा अधिकारी का वेतन दिये जाने का कोई आदेश नहीं किये गये थे, अपितु इन्हें अपने वर्तमान पद के दायित्वों के साथ-साथ अस्थाई तौर पर उक्त कार्य तब तक देखने के लिए आदेश दिया गया था जब तक स्थानान्तरण के फलस्वरूप हुई रिक्ति में नये क्षेत्रीय लेखा अधिकारी कार्यभार ग्रहण नहीं कर लेते। अतः श्री गुप्ता को इन अवधियों में क्षेत्रीय लेखा अधिकारी के पद का वेतन दिए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का भी प्रश्न नहीं उठता है।

पुलिस हिरासत (हवालात) में रहने वाले व्यक्तियों के एक समय की भोजन लागत एवं धनराशि को बढ़ाये जाने की मांग

100—श्री भगौती सिंह—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस हिरासत (हवालात) में रहने वाले व्यक्ति को एक समय में कितनी लागत का भोजन दिया जाता है? आज की महंगाई को देखते हुए क्या उक्त धनराशि को बढ़ाने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

पुलिस हिरासत (हवालात) में रखे जाने वाले व्यक्तियों को पूर्व में मैदानी क्षेत्र में 1.25 पैसे तथा पर्वतीय क्षेत्र में 1.50 पैसा प्रतिदिन प्रति बन्दी की दर से भोजन दिया जाता था। महंगाई को दृष्टि में रखते हुए खुराक की उपर्युक्त दरों को माह फरवरी 1986 से मैदानी क्षेत्र के लिए बढ़ाकर 6/- प्रतिदिन प्रति बन्दी तथा पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 7/- प्रतिदिन प्रति बन्दी कर दिया गया तथा एकरूपता की दृष्टि से अक्तूबर 1987 से मैदानी व पर्वतीय दोनों क्षेत्र के लिए प्रतिदिन प्रति बन्दी यह दर 6.50 पैसे कर दी गई है।

101—श्री मैनेजर सिंह—

[मा0 सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित]

उत्तर प्रदेश सचिवालय के खाद्य एवं रसद अनुभाग में कार्यरत कर्मचारी/अधिकारी की अवधि एवं स्थानान्तरण पर विचार

102—श्री वीरेन्द्र सिंह (एटा)—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सचिवालय के खाद्य एवं रसद अनुभागों में विगत 15 वर्षों से कितने ऐसे कर्मचारी/अनुभाग अधिकारी कार्यरत हैं जिनका स्थानान्तरण सचिवालय के अन्य विभाग के अनुभागों में नहीं किया गया? क्या सरकार ऐसे कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

उत्तर प्रदेश सचिवालय के खाद्य एवं रसद विभाग के विभिन्न अनुभागों में समूह 'ग' के सत्रह कर्मचारी एवं तीन अनुभाग अधिकारी विगत पन्द्रह वर्षों या उससे अधिक अवधि से कार्यरत हैं। संबंधित अनुभाग अधिकारियों को अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने के आदेश निर्गत किए जा चुके हैं। समूह 'ग' के उक्त उल्लिखित कर्मचारियों का शनैः शनैः स्थानान्तरण किए जाने पर विचार किया जायेगा। एक विभाग से एक साथ कई कर्मचारियों को स्थानान्तरित करना प्रशासनिक दृष्टिकोण से उचित नहीं है।

बरेली जनपद की थाना बारादरी पुलिस द्वारा नवयुवक साबिर पुत्र शकीन शाह को मरणासन्न करने का आरोप एवं दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही

103—डाक्टर दिनेश जौहरी—

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 29 जुलाई, 88 को बरेली जनपद की थाना बारादरी पुलिस ने एक नवयुवक साबिर पुत्र शकीन शाह को हवालात में इतना मारा कि वह मरणासन्न हो गया और उसे गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया ? यदि हां, तो क्या इस प्रकरण की जांच कराकर दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

प्राप्त सूचना के अनुसार अभियोग सं0 318/88 धारा 457/380 भा0 दं0 वि0 में पकड़े जाने पर अभियुक्त साबिर ने आत्म हत्या करने का प्रयास किया जिसके संबंध में इसके विरुद्ध पुलिस द्वारा अभियोग सं0 320/88 धारा 309 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत किया गया। इसी घटना के संबंध में अभियुक्त के पिता शकीन शाह ने दूसरे दिन पुलिस पर साबिर को जान से मारने की नियत से घायल करने का आरोप लगाते हुए अभियोग सं0 320ए धारा 308 भा0 दं0 वि0 उप निरीक्षक राजीव यादव के विरुद्ध पंजीकृत कराया ।

उपर्युक्त अभिलेखों की विवेचना विशेष अनुसंधान इकाई द्वारा की गई । विवेचना से उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियोग सं0 320/88 धारा 309 भा0 दं0 वि0 में साबिर के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित कर दिया गया है । अभियोग सं0 320ए/88 धारा 308 भा0 दं0 वि0 की विवेचना में कोई पुलिस कर्मचारी दोषी नहीं पाया गया है और इसे अन्तिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया ।

चूंकि अभियोग सं0 320ए/88 की विवेचना में कोई पुलिस कर्मचारी दोषी नहीं पाया गया है अतः इसके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है।

बाराबंकी के काश्तकारों के चक दुरुस्ती की मांग

104—श्री मित्रसेन—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1988 के प्रथम मंगलवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0-59 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बढ़े हुए 10 बिस्वे रकबे के संदर्भ में उप संचालक चकबंदी के यहां संदर्भ विचाराधीन था और क्या यह सही है कि प्रश्नगत मामले में दिनांक 16-9-88 को निर्णय हो गया है ? यदि हां, तो क्या मौके पर पैमाइश कर प्रश्नगत रकबा संबंधित काश्तकार को दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मन्ना प्रसाद—

जी हां । विचाराधीन संदर्भ दिनांक 8-9-88 को निर्णित किया गया ।

जी नहीं । खेत खाली नहीं होने के कारण संबंधित काश्तकार को कब्जा दिलाया जाना सम्भव नहीं हो सका । खेत खाली होने पर ही मौके पर पैमाइश कराकर प्रश्नगत रकबे पर संबंधित काश्तकार को कब्जा दिलाया जाना संभव होगा । अभिलेखों में अमल-दरामद करा दिया गया है ।

उप निरीक्षक श्री राजेन्द्र सिंह , थाना रुदौली, जनपद बाराबंकी के विरुद्ध प्रश्न कर्ता के पत्र पर कार्यवाही

105–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप निरीक्षक श्री राजेन्द्र सिंह, थाना-रुदौली , जनपद-बाराबंकी के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र संख्या–4633/जी0 एस0/88 दिनांक 16-4-88 जिसमें उनका स्थानान्तरण करके सी0 आई0 डी0 जांच कराये जाने की मांग की गई थी, गृह सचिव उत्तर प्रदेश शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें जांच किस अधिकारी द्वारा करायी गयी और जांच आख्या क्या है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

जी हां ।

मामले की जांच क्षेत्राधिकारी, रामसनेही घाट, बाराबंकी द्वारा करायी गयी । जांच में आरोप असत्य एवं निराधार पाये गये । अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

फर्म गजेन्द्र सिंह सन्तोष कुमार ईंट भट्ठा विधूना, इटावा पर बकाया बिक्रीकर की वसूली

106–श्री आंसान सिंह–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 87 के पहले शुक्रवार हेतु निर्धारित प्रश्नकर्ता के प्रश्न संख्या-117 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि फर्म गजेन्द्र सिंह सन्तोष कुमार ईंट भट्ठा विधूना-इटावा पर वर्ष 1969-70 से 1974-75 के बकाया बिक्रीकर की धनराशि 70,596 रुपये की वसूली हेतु भूमि नीलामी दिनांक 30-6-87 द्वारा बकाया धनराशि की वसूली की जा चुकी है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या मा0 मंत्री जी वसूली की प्रभावी कार्यवाही करायेंगे ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

जी नहीं।

फर्म गजेन्द्र सिंह सन्तोष कुमार सिंह ईंट भट्ठा विधूना-इटावा के विरुद्ध बकाया बिक्रीकर की वसूली हेतु भूमि की नीलामी दिनांक 30-6-87 को निर्धारित की गयी थी, परन्तु कोई भी व्यक्ति बोली बोलने नहीं आया, पुनः दिनांक 30 जुलाई, 87, 29 सितम्बर, 87, 10 नवम्बर, 87, व दिनांक 11 दिसम्बर, 87 को नीलामी की तिथि निर्धारित की गयी, परन्तु कोई भी व्यक्ति बोली बोलने नहीं आया । तत्पश्चात् वित्त (बिक्रीकर) अनुभाग-3 के पत्र सं0 वि0 क0 3-3182/दस-87-5 (76)/87, दिनांक 16 दिसम्बर, 87 द्वारा वसूली की कार्यवाही अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दी गयी ।

अतएव स्थगन समाप्त होने के बाद ही वसूली की अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

107–श्री आंसान सिंह–

[विभिन्न विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

108–श्री हरेन्द्र सिंह–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

गोण्डा जनपद के थाना इटिया थोक में राम सजीवन आदि के विरुद्ध पंजीकृत अपराध एवं उस पर कार्यवाही

109–श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोण्डा जनपद के थाना इटियाथोक में कोई मुकदमा अपराध संख्या निल अंतर्गत धारा 193/199/423/419/420/464/466/467 भा0द0 सं0 के अन्तर्गत राम सजीवन आदि के विरुद्ध दिनांक 16-8-88 को पंजीकृत हुआ था जो विवेचना हेतु अ0 सं0 404/88 कोतवाली नगर गोण्डा को भेजा गया है ? यदि हां, तो मुकदमें में कौन-कौन अभियुक्त हैं तथा कोतवाली पुलिस गोण्डा द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध आज तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

जी हां ।

विवेचना से निम्नलिखित व्यक्तियों के नाम प्रकाश में आये :–

1–राम सजीवन नि0 ग्राम निबिहा परसापुर थाना इटियाथोक, गोण्डा ।

2–जगन्नाथ नि0 ग्राम निबिहा परसापुर थाना इटियाथोक, गोण्डा ।

3–जिया लाल नि0 ग्राम0 निबिहा परसापुर थाना इटियाथोक, गोण्डा ।

4–राजमनि नि0 ग्राम तुलसीपुर कोड़री थाना कोतवाली देहात, गोण्डा ।

5–शीतल पाण्डेय नि0 ग्राम तुलसीपुर, कोड़री थाना कोतवाली देहात, गोण्डा ।

6–राम धीरज नि0 ग्राम तुलसीपुर कोड़री थाना कोतवाली देहात, गोण्डा ।

7–भवानी भीख श्रीवास्तव नि0 ग्राम ओइनिया थाना कोतवाली देहात, गोण्डा।

8–दुर्गा प्रसाद दूबे नि0 ग्राम झोझनिया, थाना कोतवाली देहात, गोण्डा ।

दिनांक 31-10-88 को दुर्गा प्रसाद, राम सजीवन व जगन्नाथ के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय को प्रेषित किया जा चुका है, तथा शेष 5 व्यक्तियों की भूमिका के संबंध में विवेचना प्रचलित है ।

श्री तुलाराम भारद्वाज चपरासी खाम भावर कोट द्वार, जनपद पौड़ी गढ़वाल की विधवा पत्नी को पेंशन

110–श्री भगौती सिंह–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि श्री तुलाराम भारद्वाज चपरासी खाम भावर कोटद्वार जनपद पौड़ी गढ़वाल की विधवा पत्नी श्रीमती मनोरथी देवी निवासी ग्राम बालासौड़ पो0 कोटद्वार गढ़वाल को विधवा पेंशन वर्ष 86 में स्वीकृत हुयी थी ? यदि हां, तो क्या उसका भुगतान उन्हें हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद–

जी नहीं ।

श्री तुलाराम भारद्वाज, चपरासी ग्राम भावर कोटद्वार, जनपद पौड़ी गढ़वाल की विधवा पत्नी श्रीमती मनोरथी देवी ने विधवा पेंशन हेतु प्रार्थना पत्र नहीं दिया था बल्कि 13-6-84 का पारिवारिक पेंशन व जी0 पी0 एफ0 की शेष धनराशि के भुगतान के बारे में प्रार्थना पत्र दिया था जिस पर महालेखाकार द्वारा जिलाधिकारी से कतिपय सूचनायें चाही गई थीं जो उन्हें उपलब्ध करा दी गई हैं । महालेखाकार को त्वरित कार्यवाही करने हेतु अनुरोध कर दिया गया है ।

उरई के तत्कालीन परगनाधिकारी श्री आर0 के0 सिंह द्वारा कोंच पशुवधालय पर छापा मारने पर दी गई रिपोर्ट एवं उस पर कार्यवाही

111–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या गृह मंत्री नवम्बर, दिसम्बर, 1985 में उरई के तत्कालीन परगनाधिकारी श्री आर0 के0 सिंह द्वारा कोंच जाकर वहां के पशुवधालय पर छापा मारने के बाद जिलाधिकारी को दी गई समस्त विस्तृत रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे तथा यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उस पर क्या कार्यवाही अब तक की गई ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

जी हां । रिपोर्ट की फोटो स्टेट प्रति संलग्न है।

प्राप्त सूचनानुसार उक्त रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन पशुधन विकास अधिकारी, कोंच के विरुद्ध दिनांक 13-12-85 को मु0 अ0 सं0–674/85 धारा 3/8 गोवध निवारण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत कराया गया था । यह प्रकरण जुडीशियल मजिस्ट्रेट, कोंच के न्यायालय में विचाराधीन है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 247 पर)

राजकीय वास्तुकला महाविद्यालय, लखनऊ में आर्किटेक्चर के डिग्री कोर्स के अध्यापन हेतु अध्यापकों की अर्हता

112–डाक्टर दिनेश जौहरी–

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय वास्तुकला महाविद्यालय, लखनऊ में आर्किटेक्चर के डिग्री कोर्स के अध्यापन हेतु अध्यापकों की अर्हताओं का 1981 में लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा मूल्यांकन किया गया था ? क्या ये अध्यापक डिग्री कोर्स के अध्यापन हेतु अर्ह पाये गये थे ? यदि नहीं, तो उन्हीं अध्यापकों से अभी तक अध्यापन कार्य कराने का कारण क्या है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

आर्कीटेक्चर में डिग्री पाठ्यक्रम के शिक्षकों की अर्हता अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद्/कौंसिल आफ आर्कीटेक्चर द्वारा निर्धारित की जाती है।

राजकीय वास्तुकला महाविद्यालय, लखनऊ में वास्तुकला में डिग्री पाठ्यक्रम 1980 से प्रारम्भ कराया गया है। इस पाठ्यक्रम को मान्यता प्रदान करने व उसे लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करने हेतु विश्वविद्यालय की विशेषज्ञ समिति ने विद्यालय का वर्ष 1981 में निरीक्षण किया था। इस निरीक्षण टिप्पणी में विशेषज्ञ समिति ने तत्कालीन शिक्षकों की अर्हताओं पर भी आख्या दी थी।

डिग्री पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के पूर्व विद्यालय में डिप्लोमा पाठ्यक्रम का अध्यापन कार्य होता था जिसके लिए शिक्षकों की नियुक्तियां लोक सेवा आयोग के परामर्श से की गयी थीं तथा सभी शिक्षक अपने पदों पर स्थायी भी थे। ये शिक्षक उक्त डिग्री पाठ्यक्रम के कुछ अंश तक शिक्षण प्रदान करने के लिए सक्षम हैं।

इस महाविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्तियां शासन द्वारा लोक सेवा आयोग के परामर्श से की जाती हैं। लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने तक उक्त शिक्षकों, तदर्थ रूप से नियुक्त शिक्षकों व अंशकालिक शिक्षकों द्वारा महाविद्यालय में अध्यापन कार्य कराया जा रहा है।

बरेली जनपद के थाना शाहीफीरोजपुर क्षेत्र के नागरिक आबिद व उसके भाई साबिर के विरुद्ध रंजिशवश झूठा मुकदमा कायम करने के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

113—डाक्टर दिनेश जौहरी—

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि गत 19 जून, 88 को बरेली जनपद के थाना शाहीफीरोजपुर क्षेत्र के एक नागरिक आबिद व उसके भाई साबिर को रंजिश में पुलिसकर्मी घर से पकड़ लाए व थाने में आबिद की दाढ़ी नोच ली व उसकी उंगलियां तोड़ दी तथा उन्हें गांव के अन्य 4 लोगों के साथ दफा 147, 148, 149, 307, 332, 233, 225 के झूठे मुकदमें कायम कर जेल भेज दिया जिसकी शिकायत प्रश्नकर्ता ने डी0 आई0 जी0 बरेली रेंज से भी की थी ? यदि हां, तो क्या इस प्रकरण की जांच करा कर दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित आरोपों के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा पुलिस उप महानिरीक्षक, बरेली परिक्षेत्र, बरेली से शिकायत की गई थी।

मामले में पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण क्षेत्र, बरेली द्वारा जांच की गई। जांच से आरोप सही नहीं पाये गये। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर के थाना हीमपुर दीपा के एस0 ओ0 श्री रणवीर सिंह राठी द्वारा श्री वीर सिंह व अन्य 8 लोगों पर झूठा मुकदमा कायम तथा इस मामले की जांच

114—डाक्टर दिनेश जौहरी—

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि 22-6-88 को जनपद बिजनौर के थाना हीमपुर दीपा के एस0 ओ0 श्री रणवीर सिंह राठी ने श्री वीर सिंह व अन्य 8 लोगों पर धारा

147/148/353/507 का झूठा मुकदमा कायम करके जेल भेज दिया जिसमें इस क्षेत्र की जनता में भारी आतंक व्याप्त हो गया है ? यदि हां, तो क्या इस मामले की कोई जांच कराई गई ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है तथा दोषी दरोगा के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 22-6-88 को श्री रणवीर सिंह राठी, थानाध्यक्ष, हीमपुर दीपा ने वीर सिंह व अन्य 8 व्यक्तियों के विरुद्ध थाना हीमपुर दीपा पर मुकदमा अपराध संख्या 82, अन्तर्गत धारा 147/148/149/307/353 भा0 द0 वि0 पंजीकृत कराया जिसके फलस्वरूप अभियुक्तों को जेल भेजा गया । इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी से जनता में किसी प्रकार का आतंक व्याप्त होना नहीं पाया गया । विवेचना से प्रथम दृष्टया आरोप प्रमाणित होने पर, अभियुक्तों के विरुद्ध, आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है।

प्रश्नगत मामले की क्षेत्राधिकारी चांदपुर तथा परगनाधिकारी, बिजनौर द्वारा संयुक्त रूप से जांच की गई ।

जांच से श्री रणवीर सिंह राठी थानाध्यक्ष के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई दोष न पाये जाने के कारण उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी ।

बरेली नगर में श्री कुंवर बहादुर पुत्र श्री होरी लाल व उनके वारिसों की जमीन का अमरीक सिंह पुत्र सेवा राम के नाम दाखिल खारिज किया जाना एवं दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही

115–डाक्टर दिनेश जौहरी–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि बरेली नगर में श्री कुंवर बहादुर पुत्र श्री होरी लाल व उनके वारिसों की 100 बीघा से अधिक उदयपुर खास में खसरा नम्बर98/1 की जमीन वर्ष 86 में अमरीक सिंह पुत्र सेवा राम अध्यक्ष, शान्ती नगर आवास समिति, इज्जतनगर के नाम अधिकारियों व तहसीलदार ने मिलकर दाखिल खारिज करा लिया ? यदि हां, तो क्या इस मामले की मंत्री जी जांच कराकर दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद–

प्रश्नगत खसरा नम्बर 98/1 की कुल जमीन 100 बीघा न होकर 11 बीघा 15 बिस्वा है । उक्त भूमि में से श्री कुंवर बहादुर पुत्र श्री होरी लाल के वारिसान के नाम अन्य खातेदारों के साथ खसरा नम्बर 98/1 व रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा में अंकित थे जिसमें से श्री कुंवर बहादुर के वारिसान का अंश लगभग 2 बिस्वा होता था जिसका दाखिल खारिज न्यायालय नायब तहसीलदार चौबारी तहसील/जनपद बरेली के निर्णय/आदेश दिनांक 30-6-86 द्वारा श्री अमरीक सिंह पुत्र श्री सेवा राम अध्यक्ष शांतिनगर आवास समिति इज्जतनगर के नाम किया गया । अतः अधिकारियों व तहसीलदार से मिलकर दाखिल खारिज कराने की बात सही नहीं है ।

ग्राम पीरू मदारा, थाना राम नगर जिला नैनीताल के निवासी श्री रणवीर सिंह की हत्या विषयक जांच एवं कार्यवाही

116—डाक्टर दिनेश जौहरी—

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 14-7-88 को ग्राम पीरू मदारा, थाना रामनगर, जिला नैनीताल के निवासी व सामाजिक कार्यकर्ता श्री रणवीर सिंह को गोलियां मारकर सरे आम बाजार में कत्ल कर दिया गया था ? यदि हां, तो क्या इस मामले की जांच कराई गई ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ? कत्ल के लिए दोषी कौन है ? उनके विरुद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार कथित व्यक्ति को बाजार से घर वापस आते समय घायल किया गया था । मृतक के पुत्र श्री कमल सिंह की सूचना के आधार पर पांच नामजद व दो नाम पता अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 307/120 बी का मुकदमा पंजीकृत किया गया । श्री रणवीर सिंह की उसी दिन अस्पताल में मृत्यु हो जाने के उपरान्त उक्त अभियोग को भारतीय दण्ड विधान की धारा 302/120 बी में परिवर्तित किया गया । दिनांक 14-7-88 को एक अभियुक्त मान सिंह को गिरफ्तार किया गया जिसने जुर्म को स्वीकार करते हुये रोशम सिंह आदि के कहने पर मृतक रणबीर सिंह की हत्या करना बताया साथ ही उक्त घटना में मेघपाल नामक व्यक्ति को भी सम्मिलित होना बताया ।

जांच के दौरान घटना में सम्मिलित 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा दो ने न्यायालयों में आत्मसमर्पण किया । विवेचनोपरान्त सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है।

सीतापुर जिले में लहरपुर तथा लखीमपुर जिले में गोला गोकरननाथ को पृथक तहसील बनाने का प्रस्ताव

117—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर जिले में लहरपुर तथा लखीमपुर जिले में गोलागोकरण नाथ को पृथक तहसील बनाने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस बारे में तहसील बनाने की घोषणा कब तक कर दी जाएगी ?

श्री माता प्रसाद—

जी हां ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार इन तहसीलों के सृजन की घोषणा यथा समय की जायेगी ।

रुड़की विश्वविद्यालय के छात्र अनुराग मिश्र की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु एवं उसकी जांच

118—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि रुड़की विश्वविद्यालय के कुछ छात्र जो कि विश्वविद्यालय द्वारा भ्रमण कार्यक्रम में फरवरी, 1988 के प्रथम पखवारे में वीरभद्र

बैराज पर भेजे गये थे उनमें से प्रथम वर्ष के एक छात्र (अनुराग मिश्र) की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई ? इस भ्रमण दल के प्रभारी अध्यापक कौन थे ? भ्रमण कार्यक्रम क्या था ?मृत्यु का कारण क्या था ? इस बारे में विश्वविद्यालय द्वारा क्या कोई जांच कराई गयी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है तथा इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हां ।

श्री अनुराग मिश्र की मृत्यु पैर फिसलकर पानी में गिरकर डूबने से हुई।

भ्रमणकारी दल के नेता श्री प्रदीप चन्द्र साहू, रुड़की विश्वविद्यालय का छात्र था । ऐसे यात्रा कार्यक्रमों में उनका नेतृत्व छात्र ही करते हैं शिक्षक नहीं । विश्वविद्यालय द्वारा कोई जांच नहीं की गई । पुलिस द्वारा विवेचना की जा रही है ।

रुड़की विश्वविद्यालय के छात्र श्री अनुराग मिश्र की डूबकर मरने की रिपोर्ट थाना लक्ष्मण झूला, जिला पौड़ी में दर्ज किया जाना तथा उस पर कार्यवाही

119–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 7 फरवरी, 1988 को अथवा उसके आस पास किसी दिन थाना लक्ष्मण झूला, जिला पौड़ी (चिल्ला आउट पोस्ट) में इस आशय की कोई सूचना मिली कि वीरभद्र बैराज में रुड़की विश्वविद्यालय का एक छात्र (अनुराग मिश्र) रहस्यमय परिस्थितियों में डूब गया तथा उसकी मृत्यु हो गई? यदि हां, तो पूरी घटना क्या है तथा इस पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

जी हां ।

घटना इस प्रकार है कि उपरोक्त तिथि को रुड़की विश्वविद्यालय के 41 छात्र नीलकण्ठ की यात्रा के लिये निकले थे जिनमें मृतक अनुराग मिश्र भी था। जब सभी छात्र वीरभद्र बैराज पर 4 बजे अपराह्न पहुंचे तो श्री अनुराग मिश्र पानी की बोतल में पानी भरने के लिये बैराज पर गया जहां पर पैर फिसलने के कारण पानी में गिर कर डूब गया।थाने पर प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर मु0अ0सं0 4/88 धारा 304(ए) भा0 दं0 वि0 कायम किया गया । मृतक श्री अनुराग मिश्र की लाश रुड़की से बुलाई गयी सेना टीम की मदद से दिनांक 19-2-88 को मिली जिसका पोस्टमार्टम कराने से मृत्यु का कारण पानी में डूब कर दम घुटना पाया गया।विवेचना से कोई दस्तनदाजी अपराध होना न पाये जाने के कारण विवेचना की अन्तिम रिपोर्ट न्यायालय भेजी गयी जो मुख्य जुडिशियल मजिस्ट्रेट पौड़ी द्वारा दिनांक 13-7-88 को स्वीकार की जा चुकी है।

पुलिस उपाधीक्षक (निलम्बित) श्री झोरेलाल द्वारा दिया गया स्वेच्छा से सेवा निवृत्त होने आवेदन पत्र तथा उस पर की गई कार्यवाही

120–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के दूसरे मंगलवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या 117 के उत्तर के संदर्भ में क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्न में संदर्भित ग्रीवान्स पिटीशन की ग्रीवान्सेस जिन्हें शासन ने मंजूर नहीं किया, वह

क्या थी? क्या ग्रीवान्सेस की जांच भी कराई गई? यदि नहीं तो क्यों? यदि हां, तो जांच से क्या तथ्य प्रकाश में आये?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

अतारांकित प्रश्न संख्या–117 के उत्तर में ग्रीवान्स पिटीशन या किन्हीं ग्रीवान्सेस के मंजूर नहीं किए जाने का कोई उल्लेख नहीं है। अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता।

121–122–श्री आसान सिंह–

[3रे मंगलवार में अता0प्र0सं0 163-164 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद इटावा की विधूना तहसील मुख्यालय पर दीवानी अदालत खोलने का शासन का विचार

123–श्री आसान सिंह–

क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनता को सस्ता न्याय उपलब्ध कराने की शासन की नीति के अनुसार प्रदेश के प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर दीवानी न्यायालय स्थापित किये जा रहे हैं? यदि हां, तो क्या जनपद इटावा की विधूना तहसील मुख्यालय पर दीवानी अदालत खोलने का शासन का विचार है? यदि हां, तो पूर्ण रूपरेखा क्या है और कब तक न्यायालय स्थापित हो जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हां। प्रशासन की विकेन्द्रीकरण की नीति के अनुसरण में तहसील मुख्यालयों पर जनपद मुख्यालय से दूरी को देखते हुए जहां न्यायालय कक्ष, आवासिक भवन, हवालात, मालखाना, सबजेल, एवं बार संघ की सुविधा उपलब्ध है तथा न्यायालय के लिये पर्याप्त कार्यभार है वहां, पर मुंसिफ मजिस्ट्रेट के न्यायालय स्थापित किये जा रहे हैं।

जनपद इटवा की तहसील विधूना में मुंसिफ मजिस्ट्रेट का न्यायालय स्थापित करने का अनुरोध वर्ष 1986 में शासन को प्राप्त हुआ था, लेकिन वहां पर न्यायालय कक्ष एवं आवासिक भवन आदि के अभाव में माननीय उच्च न्यायालय स्थापित करने के लिये सहमत नहीं हुए। अतः प्रस्ताव जुलाई, 1987 में अस्वीकृत कर दिया गया।

124–श्री मैनेजर सिंह–

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित]

फैजाबाद में राजकीय परिवहन निगम के अकबरपुर डिपो द्वारा इल्तफातगंज और भीटी बाजार के बीच में तथा अन्य मार्गों पर चालू बसों का बन्द किया जाना एवं उसके कारण

125–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में राजकीय परिवहन निगम के अकबरपुर डिपो द्वारा इल्तफातगंज और भीटी बाजार के बीच में एक बस सेवा चालू की गयी थी और बस नं0 यू0टी0सी0 9632 लगभग एक सप्ताह से कम समय ही चलाकर प्राइवेट बस तथा जीप मालिकों के अनुचित दबाव पर बन्द कर दी गयी? क्या यह सही है कि इस समय पूरे जनपद में सड़कों पर चलने वाले अवैध वाहनों की बाढ़ आ गयी है और उन पर निर्धारित संख्या से कई गुना अधिक सवारियों को बैठाने के कारण

आये दिन दुर्घटनायें हो रही हैं? यदि हां, तो इस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार क्या कर रही है और अकबरपुर डिपो की इल्तफासगंज भीटी बाजार बस सेवा कब से पुन: चालू कर दी जायेगी?

श्री प्रमोद कुमार–

जी हां। अकबरपुर डिपो द्वारा दिनांक 10-8-88 से 14-8-88 तक परीक्षण के तौर पर इल्तफासगंज-भीटी बाजार के लिये बस संख्या-यू0टी0सी0-9632 संचालित की गयी थी। किन्तु आय मात्र 58 पैसे प्रति कि0मी0 आने के कारण यह सेवा अलाभकर रही अत: बन्द कर दी गई। यह सत्य नहीं है कि सेवा को प्राइवेट बस तथा जीप मालिकों के अनुचित दबाव पर बन्द किया गया। यह सत्य है कि फैजाबाद जनपद में अवैध वाहनों का संचालन अत्यधिक है और इनमें अधिक संख्या में यात्री बैठाये जाते हैं, और इन वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने के संबंध में भी आये दिन समाचार पत्रों आदि के माध्यम से सूचनाएं प्राप्त होती रहती हैं। इन पर अंकुश लगाये जाने हेतु परिवहन अधिकारियों एवं पुलिस प्रशासन तथा जिला प्रशासन से निरन्तर अनुरोध किया जाता है।

अकबरपुर डिपो की इल्तफासगंज–भीटी बाजार हेतु सीधी बस सेवा कम आय के कारण चलाना संभव नहीं है परन्तु इस मार्ग पर अकबरपुर डिपो द्वारा टांडा इल्तफासगंज अकबरपुर-वाराणसी सेवा तथा अहरौला-अकबरपुर भीटी सेवा संचालित की जा रही है।

126–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में राजकीय परिवहन निगम के फैजाबाद डिपो द्वारा संचालित फैजाबाद से जलालपुर चलने वाली बहुत पुरानी बस सेवा प्राइवेट वाहनों और बस मालिकों के दबाव में बन्द कर दी गयी है? यदि हां, तो फैजाबाद और जलालपुर कस्बे के बीच में चलने वाली प्राइवेट बसों और जीपों आदि की संख्या क्या है तथा राजकीय परिवहन निगम की सेवा को बन्द करने का कारण क्या है?

श्री प्रमोद कुमार–

बस सेवा की आय बहुत अलाभकारी और 1.81 पैसे से 2.60 पैसे प्रति किलोमीटर के बीच थी, जिस कारण इसे बन्द करना पड़ा है।

मार्ग पर 7 प्राइवेट बसें और 71 जीपें परमिट के अधीन संचालित हैं। कारण ऊपर बताया जा चुका है।

श्री राम सूरत दूबे, ग्राम कुडिया चितौना, थाना अकबरपुर, जनपद फैजाबाद की हत्या के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

127–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री रामसूरत दूबे, ग्राम कुडिया चितौना, थाना अकबरपुर, जनपद फैजाबाद की हत्या के सम्बन्ध में श्री राजबहादुर अग्निहोत्री का प्रार्थना पत्र, प्रश्नकर्ता के गृह मंत्री को सम्बोधित दिनांक 5-12-87 के पत्र के साथ मिल गया है? यदि हां, तो इस मामले की जांच किससे कराई गई और जांच रिपोर्ट क्या है?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

जी हां। श्री रामसूरत दूबे नहीं वरन् राम सूरत दूबे की हत्या के सम्बन्ध में श्री

राजबहादुर अग्निहोत्री का प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था, जिसकी जांच श्री राम बहादुर सिंह, पुलिस उपाधीक्षक (क्षेत्राधिकारी अकबरपुर) में करवाई गई।

जांच से ज्ञात हुआ कि श्रीमती शीतला देवी पत्नी राममूरत दूबे नि0 ग्राम कुडिया चितौना, थाना-अकबरपुर ने दिनांक 10-6-87 को अपने पति के गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना-अकबरपुर पर की, जिसके सम्बन्ध में मु0अ0सं0 261/87 धारा 364 भा0दं0वि0 का अभियोग (1) रमाशंकर पुत्र त्रिवेणी (2) राजबहादुर पुत्र त्रिवेणी (3) त्रिवेणी, ग्राम व थाना भीटी जिला फैजाबाद तथा अन्य चार लोगों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। वादिनी ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया कि प्रार्थिनी के पति की समस्त जायदाद खेत का रमाशंकर व राजबहादुर पुत्रगण त्रिवेणी नि0 ग्राम भीटी थाना भीटी जिला फैजाबाद ने धोखा धड़ी से फर्जी बैनामा करवा लिया है, प्रार्थिनी को पूर्ण विश्वास है कि अभियुक्त राज बहादुर पुत्र त्रिवेणी व उसके पिता त्रिवेणी ने अन्य लोगों की सहायता से उसके पति का अपहरण करके उनकी हत्या कर दी है। प्रार्थिनी के पति की लाश दि0 11-6-87 को मिलने पर इस मुकदमें में धारा 302/201 भा0दं0वि0 की बढ़ोत्तरी की गयी। जांच एवं विवेचना से राजबहादुर (प्रार्थी) रमाशंकर व त्रिवेणी द्वारा ही श्री राम मूरत की हत्या किया जाना ज्ञात हुआ। विवेचनोपरान्त अभियुक्त राज बहादुर के विरुद्ध आरोप पत्र दिनांक 19-1-88 को (2) अभियुक्त त्रिवेणी के विरुद्ध आरोप पत्र दिनांक 18-4-88 को तथा (3) अभियुक्त रमाशंकर के विरुद्ध आरोप पत्र दि0 27-9-88 को धारा 364/302/201 भा0दं0वि0 के अन्तर्गत न्यायालय में प्रेषित किया गया। प्रार्थी राजबहादुर द्वारा लगाया गया आरोप जांच से सत्य नहीं पाया गया।

128—श्री यदुनाथ सिंह—

[माननीय सदस्य द्वारा वापस ले लिया गया]

बिक्री कर विभाग में तरबदों की खरीद फरोख्त के बारे में उच्च स्तरीय जांच परिणाम की मांग

129—श्री यदुनाथ सिंह—

विधान सभा के तृतीय सत्र 1987 के पहले मंगलवार हेतु निर्धारित अता0 प्र0 संख्या—32 के संदर्भ में वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस सम्बन्ध में सदस्य, विधान परिषद् खान अब्दुल वदूद खां का पत्र सं0—599 मुख्य सचिव को तारीख 4-10-87 को मिला है ? यदि हां, तो पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मा0 सदस्य का पत्र सं0—599 दिनांक 4-10-87 विभाग में उपलब्ध नहीं है। मा0 सदस्य से पत्र की प्रति उपलब्ध करने का अनुरोध दिनांक 1-2-89 को किया जा चुका है। उपलब्ध होने पर यथोचित कार्यवाही की जाएगी।

130—श्री यदुनाथ सिंह—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

आयुक्त बिक्री कर बनाम टाटा इन्जीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कं0 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिये निर्णय के विषय में पत्र पर कार्यवाही

131–श्री यदुनाथ सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1987 के पहले मंगलवार हेतु निर्धारित अता0 प्रश्न संख्या–23 के सन्दर्भ में वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस सम्बन्ध में प्रश्न कर्ता का पत्र संख्या–366, सचिव, संस्थागत वित्त की तारीख 10-6-87 को मिला है ? यदि हां, तो पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हां । संदर्भगत पत्र का उत्तर माननीय विधायक को शासकीय पत्र संख्या–एस0 टी0-2-4438/दस-87-9 (171)/85 दिनांक 11 नवम्बर, 1987 द्वारा दे दिया गया है ।

उत्तर प्रदेश करदाता समिति द्वारा वित्त राज्य मंत्री को बिक्रीकर सुझाव सम्बन्धी पत्र एवं कार्यवाही

132–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश करदाता समिति ने तारीख 13-6-86 को वित्त राज्य मंत्री को बिक्रीकर सम्बन्धी 40 सुझाव दिए थे और सुझाव नं0 13 ब्याज को रिफण्ड आदेश की तारीख के बजाय जमा की तारीख से देने के बारे में था ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 263 सचिव, संस्थागत वित्त को तारीख 21-5-87 को मिला है ? यदि हां, तो इस सुझाव पर शासन का क्या निर्णय हुआ ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

उत्तर प्रदेश करदाता समिति द्वारा दिनांक 13-6-86 को वित्त राज्य मंत्री जी को दिए गए 40 सुझावों में से प्रश्नगत सुझाव संख्या–15 (न कि 13) इस विषय में था । उक्त दिनांक को हुए विचार-विमर्श में ही समिति को कई सुझावों के विषय में अवगत करा दिया गया था कि यह स्वीकार नहीं है और प्रश्नगत सुझाव भी उनमें से एक था ।

हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम लि0 में व्याप्त भ्रष्टाचार विषयक श्रीमती प्रेम लता कटियार प्रदेश मंत्री भारतीय जनता पार्टी का पत्र

133–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम लि0 में व्याप्त भ्रष्टाचार के सिलसिले में श्रीमती प्रेमलता कटियार प्रदेश मंत्री भारतीय जनता पार्टी का एक शिकायती पत्र जो श्री कल्यान सिंह, भू0 पू0 स्वास्थ्य मंत्री एवं विधायक द्वारा अग्रसारित था, सचिव सतर्कता विभाग उ0 प्र0 शासन को 29-30 मार्च, 1988 में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

माननीय श्री कल्यान सिंह के पत्र दिनांक 29 मार्च, 1988 के साथ श्रीमती प्रेमलता कटियार का शिकायती पत्र प्राप्त हुआ । इस पर सतर्कता अधिष्ठान से गोपनीय छानबीन करायी जा रही है ।

उ0 प्र0 सरकार की ओर से दूरदर्शन केन्द्रों की संख्या और गुणवत्ता बढ़ाने के संबंध में केन्द्र से अनुरोध

134–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या मुख्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उ0 प्र0 के सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा माह नवम्बर, 88 में जारी एक प्रेस नोट में यह कहा गया है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने लखनऊ दूरदर्शन का कवरेज बढ़ाने का अनुरोध केन्द्र सरकार से किया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी कृपया यह बतायेंगे कि उ0 प्र0 सरकार की ओर से दूरदर्शन केन्द्रों की संख्या और गुणवत्ता बढ़ाने के सम्बन्ध में और क्या-क्या अनुरोध केन्द्र से माननीय मुख्य मंत्री जी ने किए हैं ?

सूचना राज्य मंत्री (श्री नरेश चन्द्र)–

जी नहीं ।

उ0 प्र0 के वे क्षेत्र जो दूरदर्शन प्रसारण की परिधि में नहीं आते, में दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना के साथ-साथ प्रदेश के अल्प शक्ति वाले प्रसारण केन्द्रों को उच्च शक्ति वाले प्रसारण केन्द्रों में परिवर्तित करने के लिए मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा अपने पत्र दिनांक 17-11-1988 में भारत सरकार से अनुरोध किया गया है तथा लखनऊ दूरदर्शन केन्द्र की प्रसारण सीमा को मसूरी तथा अन्य रिले केन्द्रों द्वारा कवर कराने हेतु भी भारत सरकार से अनुरोध किया गया है, जिससे प्रदेश की समस्त जनता प्रदेश के विकास कार्यों से अवगत हो सके ।

बिक्रीकर विभाग के विभागीय अपीलों में कोर्ट फीस लिये जाने का प्राविधान

135–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या संस्थागत वित्त मंत्री बिक्रीकर न्यायालयों में विभागीय अपीलों में भी व्यापारियों की भांति अपील दायर करने की फीस लिये जाने का प्राविधान करने पर विचार करेंगे ताकि विभागीय फर्जी अपीलों की संख्या कम हो सके? क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि क्या बिक्रीकर कार्यालयों (न्यायालयों) में अपील दायर करते समय ली जाने वाली फीस राजस्व की वसूली है ? यदि हां, तो उसका उपयोग कहां होता है?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

बिक्रीकर विभाग के विभागीय अपीलों में कोर्ट फीस लिये जाने का प्राविधान करने का शासन का कोई विचार नहीं है।

अपील दायर करते समय लिये जाने वाली फीस कोर्ट फीस होती है जिसका उपयोग प्रदेश के न्यायिक प्रशासन पर किया जाता है।

रजिस्ट्रार कार्यालय, बरेली की जर्जर अवस्था के कारण नागरिकों/कर्मचारियों अधिकारियों को हो रही परेशानी विषयक पत्र

136–डाक्टर दिनेश जौहरी–

क्या मुख्य मंत्री को प्रश्नकर्ता का कोई पत्र रजिस्ट्रार कार्यालय, बरेली की जर्जर अवस्था के कारण नागरिकों/कर्मचारियों/अधिकारियों को हो रही परेशानी के

विषय में दिनांक 7-8-88 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हां । माननीय सदस्य के पत्र पर कृत कार्यवाही से शासन के पत्र संख्या एस0 आर0-2845/दस-88-312(176)/88 दिनांकित 4 अक्टूबर, 1988 तथा पत्र संख्या एस0 आर0-69(क्यू)/दस-1004(53)/88 दिनांकित 9 फरवरी, 1989 द्वारा माननीय विधायक को अवगत कराया जा चुका है।

श्री शिवहरी अग्रवाल राजकीय कोषागार बरेली में रिटायर्ड होने पर पेंशन दिये जाने की मांग

137–डाक्टर दिनेश जौहरी–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि श्री शिवहरी अग्रवाल राजकीय कोषागार बरेली में गत 41 वर्षों से कोषाध्यक्ष के प्रतिनिधि के पद पर कार्य कर रहे हैं, किन्तु उनके रिटायर्ड होने पर पेंशन का कोई प्राविधान नहीं है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं? क्या मंत्री जी श्री शिवहरी अग्रवाल एजेन्ट कोषाध्यक्ष को भी अन्य सरकारी कर्मचारियों की भांति पेंशन स्वीकृत करने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हां।

वर्तमान नियमानुसार पेंशन केवल पूर्णकालिक राजकीय सेवा के लिए अनुमन्य है। यह एक नीति विषयक प्रश्न के रूप में शासन के विचाराधीन है ।

नैनीताल गवर्नमेन्ट हाउस की ओर से आ रही मारुति कार के फिसल जाने से चार विद्यार्थियों की दर्दनाक मौत

138–डाक्टर दिनेश जौहरी–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि जून 88 के प्रथम सप्ताह में नैनीताल गवर्नमेन्ट हाउस की ओर से आ रही एक मारुति कार फिसल कर लेक में गिर गई जिसमें बैठे शेरवुड कालेज के चार विद्यार्थियों की दर्दनाक मौत हो गई व अन्य चार गम्भीर रूप से घायल हुए? यदि हां, तो क्या दुर्घटना के कारणों की जांच करायी गयी? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है? क्या मंत्री जी ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कोई कदम उठा रहे हैं? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

जी हां ।

जांच से कथित दुर्घटना गाड़ी की गति तेज होने तथा ब्रेक लगाने पर स्लिप होने के फलस्वरूप घटित होनी पायी गयी। कथित मारुति कार के चालक की मृत्यु हो जाने के कारण मामले से संबंधित मुकदमें की विवेचना अंतिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त कर दी गयी।

इस प्रकार की घटनाओं की रोकथाम के लिए नैनीताल नगर में "वन वे ट्रैफिक" तथा जगह-जगह पर यातायात पुलिस की व्यवस्था है ।

139–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

थाना कोतवाली बाराबंकी में मो0 सिद्दीक नि0 दयानन्द नगर बाराबंकी द्वारा उनकी लड़की को भगाये जाने विषयक रिपोर्ट एवं नामजद मुलजिमान के विरुद्ध कार्यवाही

140–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि थाना कोतवाली बाराबंकी में दिनांक 4-5-87 को मो0 सिद्दीक नि0 दयानन्द नगर बाराबंकी ने अपनी लड़की को भगाए जाने के सम्बन्ध में 363/366 आई0 पी0 सी0 में रिपोर्ट दर्ज करायी थी और कुछ लोगों को नामजद भी किया था? यदि हां, तो क्या लड़की बरामद की गयी? यदि नहीं, तो क्यों तथा नामजद मुलजिमान के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

श्री मो0 सिद्दीक द्वारा थाना कोतवाली बाराबंकी में अपनी लड़की भगाये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 4-5-87 को नहीं वरन् दिनांक 8-5-87 को नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी । बहुत प्रयास के बावजूद लड़की बरामद नहीं की जा सकी । नामजद अभियुक्त के लापता होने के कारण द0 प्र0 सं0 की धारा 82/83 की कार्यवाही करके मफरूरी में अभियुक्त के विरुद्ध आरोप-पत्र दिनांक 24-7-1987 को न्यायालय को प्रेषित किया जा चुका है।

उन्नाव की कोतवाली पुलिस द्वारा राज किशोर बघेल, भूतपूर्व महामंत्री डी0 एस0 एन0 कालेज उन्नाव की पिटाई एवं दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही

141–श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव की कोतवाली पुलिस ने दिनांक 14-10-88 को श्री राज किशोर बघेल, भूतपूर्व महामंत्री छात्र संघ, डी0 एस0 एन0 कालेज उन्नाव की इतनी अधिक पिटाई की कि उसके पैर की हड्डी टूट गयी? यदि हां, तो दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 14-10-88 को डी0 एस0 एन0 कालेज के छात्र नेताओं का एक बृहत जुलूस ने छात्र नेता श्री राज किशोर बघेल के नेतृत्व में कालेज के प्रशासनिक स्टाफ व लिपिक संवर्गीय कर्मचारियों से उलझने के पश्चात् कालेज, पुलिस व जिला प्रशासन के विरुद्ध उत्तेजनात्मक नारे लगाते हुए कालेज के बाहर निकालने का प्रयास किया । जुलूस के अति हिंसात्मक एवं उग्र रूप को दृष्टिगत रखते हुए शांति बहाल करने के उद्देश्य से तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्री गुप्तेश्वर राय एवं अन्य पुलिस कर्मियों ने छात्र नेताओं को गिरफ्तार करने का प्रयास किया। श्री राज किशोर बघेल ने इस गिरफ्तारी से बचने के लिए भागना चाहा । इस पर पुलिस कर्मियों ने आवश्यक बल प्रयोग करके इनको गिरफ्तार किया, जिसमें इनके

अन्य सहयोगियों ने इन्हें बचाने का प्रयास किया । इसी छीना झपटी में श्री बघेल को चोटें आईं।

इस प्रकरण की मजिस्ट्रीरियल जांच अपर परगना मजिस्ट्रेट, उन्नाव द्वारा की जा रही है। जांच पूर्ण हो जाने पर तदनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी?

ग्राम सभा शहाबुद्दीनपुर विकास खण्ड कादीपुर जनपद सुल्तानपुर में चकबन्दी

142–श्री निहाल सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा शहाबुद्दीनपुर विकास खण्ड कादीपुर जनपद सुल्तानपुर में चकबन्दी की प्रक्रिया वर्ष 1971 में शुरू होने के बावजूद भी अभी तक किसानों को उनके चक का कब्जा न दिलाये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि उक्त ग्राम सभा के सरहदी ग्राम सभाओं का चक काट दिया गया है जबकि यहां चकबन्दी की प्रक्रिया बाद में शुरू की गई थी? क्या सरकार विलम्ब के लिए दोषी लोगों को दण्डित कर जनहित में चक शीघ्र काटने की कार्यवाही करायेगी? यदि हां, तो कब तक चक काट दिया जायेगा?

श्री माता प्रसाद–

ग्राम सभा शहाबुद्दीनपुर में चकबन्दी अधिनियम की धारा–4(1) का प्रकाशन गजट में दिनांक 21-8-76 को तथा कटक में धारा–4(2) का प्रकाशन दिनांक 9-2-78 को किया गया है। यह समस्यापूर्ण तथा गुटबन्दीग्रस्त ग्राम है जिसके कारण स्टाफ को कार्य करने में कठिनाई होती रही है।

जी हां। इस ग्राम सभा के सरहदी ग्राम छोटे-छोटे हैं एवं कृषकों के सहयोग से उनमें चकबन्दी प्रक्रिया शीघ्र समाप्त हुई है।

विलम्ब के लिए कोई कर्मचारी दोषी नहीं है। इसलिए दण्डित किए जाने का प्रश्न नहीं उठता। न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत चक अपीलों के निस्तारण के उपरान्त ही कब्जा परिवर्तन कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

ग्राम फूलवारिया जिला लखनऊ में चकबन्दी के दौरान की गयी अनियमितताओं के संबंध में शिकायती पत्र

143–श्रीमती शारदा देवी–

प्रथम सत्र 1988 के पहले शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-89 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जांच में पाई गयी अनियमितताओं को दूर कर दिया गया है ? क्या यह सही है कि इस प्रकरण में उप संचालक चकबन्दी, लखनऊ के न्यायालय में दायर वाद संख्या-715 धारा 48 (3) शिवपूजन तिवारी आदि बनाम सरकार में दिनांक 15-6-88 को निर्णय भी हो चुका है ? किन्तु अभी तक किसी आदेश का पालन नहीं हुआ है ? यदि हां, तो शासन तथा न्यायालय के आदेशों के उल्लंघन के लिए कौन अधिकारी एवं कर्मचारी उत्तरदायी है ?

श्री माता प्रसाद--

जी हां ।

जी नहीं । संदर्भ संख्या 715 धारा –48 (3) में पारित आदेश दिनांक 15-6-88 का अमलदरामद जो0 च0 आ0 पत्र–23 में दिनांक 16-6-88 को किया जा चुका है तथा स्थल पर संशोधित चकों की पैमाइश भी की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री छेदी पुत्र श्री राम दास तथा श्री साहब बख्श व श्री राम तीरथ पुत्रगण श्री छेदी के विरुद्ध चोरी से फल तोड़े जाने विषयक पत्र पर कार्यवाही

144–श्री मूलचन्द–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 30-6-88 का श्री राम नेवल पुत्र श्री राम नाथ अनुसूचित जाति (पासी) निवासी ग्राम पूरा उर्फ सुमेरपुर, पो0-सिधारी, थाना-कुमार गंज, जनपद-फैजाबाद का मा0 हरदेव विधायक के उपरिपत्र के साथ चोरी से कटहल का फल तोड़ने एवं बाग से बलपूर्वक आम का फल तोड़ने विषयक श्री छेदी पुत्र श्री राम दास तथा श्री साहब बख्श व श्री राम तीरथ पुत्रगण श्री छेदी के विरुद्ध (खसरे की नकल तथा दिनांक 26-6-88 की इस्तगासे की रिपोर्ट की नकल के साथ) रजिस्टर्ड शिकायती प्रार्थना-पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद-फैजाबाद को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त संलग्नक पत्र के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध अब तक कौन-कौन सी दण्डात्मक कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

जी हां। श्री हरदेव, विधायक के पत्र के साथ श्री रामनेवल का दिनांक 30-6-88 का प्रार्थना-पत्र रजिस्ट्री डाक द्वारा प्राप्त हुआ था । जांच से ज्ञात हुआ कि दोनों पक्ष एक ही परिवार के है, जिनके बीच खानदानी पेड़ को लेकर मतभेद था। दोनों पक्षों ने आपस में सुलह कर लिया है। आम का बाग भी साझे में है एवं दोनों पक्ष फल तोड़ते है। जांच से हस्तक्षेपीय अपराध का होना नहीं पाया गया, इसलिये विपक्षीगण के विरुद्ध कोई दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की गयी।

चीनी, नेपाली टाचों की अवैध बिक्री विषयक थाना कुमार गंज, फैजाबाद से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र

145–श्री मित्रसेन–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के शिकायती पत्र दि0 4-11-88 जो चीनी, नेपाली टाचों की अवैध बिक्री थाना कुमारगंज पुलिस फैजाबाद से सम्बन्धित है की जांच किससे कराई गई और शिकायत में कौन-कौन से बिन्दु सही पाये गये और दोषी लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

प्रश्नगत शिकायती-पत्र की जांच श्री योगेश्वर सिंह, क्षेत्राधिकारी, इनायतनगर से कराई गई । जांच से नेपाली टाचों का आना सही पाया गया । इस संबंध में अभियुक्त सुखलाल व जयलाल पुत्रगण ढोडई निवासी झाऊं का पुरवा, थाना-कुमारगंज, को दिनांक

क्रमशः 03/12/88 व 06/12/88 को जेल भेजा गया। अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 11/112 कस्टम एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत होकर कस्टम विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

हल्के के उ0 नि0 एवं कर्मचारियों को अपने क्षेत्र के अपराधों की जानकारी न रखने एवं कर्तव्यों के प्रति लापरवाही एवं उपेक्षा बरतने के आरोपों में उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस अधीक्षक फैजाबाद को थानाध्यक्ष खण्डासा तथा अन्य पुलिस कर्मियों के विरुद्ध प्रश्न कर्ता का शिकायती पत्र जांच एवं कार्यवाही

146—श्री मित्रसेन—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि पुलिस अधीक्षक फैजाबाद को प्रश्नकर्ता द्वारा लिखित शिकायती पत्र दिनांक 4-11-88 जो थानाध्यक्ष खण्डासा तथा अन्य पुलिस कर्मी थाना खण्डासा फैजाबाद के विरुद्ध है, के किन-किन बिन्दुओं की जांच करायी गई ? कौन-कौन सी शिकायतें सही पाई गयी तथा दोषी लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

प्रश्नगत शिकायती-पत्र दिनांक 4-11-88 जो थाना-खण्डासा के थानाध्यक्ष तथा अन्य पुलिस कर्मी के विरुद्ध है, के सभी बिन्दुओं की जांच कराई गयी ।

जांच से अभियुक्त माताबक्श सिंह की गिरफ्तारी समय से न करने का आरोप सही पाया गया । पत्र में अंकित अन्य शिकायतें बेगुनाह लोगों को फर्जी मुकदमें में बन्द करना, रुपया पैसा आदि लेने के आरोप सही नहीं पाये गये ।

थानाध्यक्ष का थाना खण्डासा से स्थानान्तरण कर उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ।

श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी श्री संतराम निवासी मुराई टोला, खदरा खुर्द-हसन गंज लखनऊ का पेड़ न काटने देने के संबंध में विधायक श्री राज किशोर द्वारा अग्रसारित पत्र तथा उस पर कार्यवाही

147—श्री रामचन्द्र बक्श सिंह—

क्या गृह मंत्री को प्रार्थिनी, श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी श्री संतराम निवासी, मुराई टोला, खदरा खुर्द-हसनगंज लखनऊ का दिनांक 22-2-1988 का पत्र जो थानाध्यक्ष मड़ियावां द्वारा ग्राम फैजुल्लागंज में परमिटशुदा लकड़ी व पेड़ न काटने देने के संबंध में है और जो विधायक श्री राज किशोर द्वारा अग्रसारित भी है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

जी हां ।

प्रश्नगत मामले में कृत कार्यवाही की सूचना संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ 244 पर)

जनपद फैजाबाद में राजकीय परिवहन निगम अकबरपुर डिपो में चालकों की कमी के कारण निरस्त बसों का चलाया जाना

148–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में राजकीय परिवहन निगम के अकबरपुर डिपो में कुल 39 बस गाड़ियों का बेड़ा है जिसमें से चालकों की कमी के कारण केवल 32 बसों का संचालन हो पा रहा है और कई सेवायें निरस्त कर दी गयी है ? क्या यह भी सही है कि उपलब्ध चालकों में से तीन विकलांग, एक काफी-अरसे से अनुपस्थित तथा एक निलम्बित है ? यदि हां, तो चालकों की कमी को पूरी करके सभी निरस्त सेवायें कब से चालू कर दी जायेंगी ?

श्री प्रमोद कुमार–

जी नहीं ।

अकबरपुर डिपो में माह नवम्बर में 45 बसों का बेड़ा था जिसमें 40 बसों का शिड्यूल निर्धारित है । औसतन 34 बसों का संचालन हो रहा है । 6 बसें चालक/परिचालकों की कमी के कारण निरस्त हुई हैं ।

यह सत्य है कि दो चालकों को शक्तिहीन होने के कारण कार्यशाला की ड्यूटी में लगाया गया तथा एक चालक निलम्बित रहा । अब वर्तमान में चालकों की कमी नहीं है ।

वर्तमान में औसतन तीन बसें नित्य परिचालक के अभाव में निरस्त हो रही है परिचालकों की भर्ती की जा रही है ।

उपरदहा तहसील हण्डिया जनपद इलाहाबाद को पर्यटक केन्द्र बनाने की योजना

149–श्री राकेश धर त्रिपाठी–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरदहा तहसील हण्डिया जनपद इलाहाबाद को पर्यटक केन्द्र बनाने की शासन की कोई योजना है? यदि हां, तो उक्त उपरदहाताल को कब तक पर्यटक केन्द्र बना दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गुलाब सिंह–

जी नहीं।

सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि में सीमित परिव्यय को देखते हुए सम्भव नहीं है।

श्री जकीउद्दीन, महामंत्री, जिला युवक जनता पीलीभीत का प्रार्थना-पत्र एवं जिलाधिकारी पीलीभीत द्वारा जांच

150–कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 2-12-1987 को एक प्रार्थना-पत्र श्री जकीउद्दीन महामंत्री, जिला युवक जनता पीलीभीत ने जिलाधिकारी पीलीभीत को दैनिक रूदाद चमन समाचार-पत्र के घोटाले के सम्बन्ध में दिया था ? यदि हां, तो जिलाधिकारी द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र–

जी हां।

जिला अधिकारी पीलीभीत द्वारा की गई जांच पूर्ण न होने के कारण पुनः जांच करने हेतु जिला अधिकारी को निर्देशित किया गया है।

इलाहाबाद जनपद के कर्नलगंज थाने को कटरा एवं पूरा गड़ेरिया थाने में विभाजित करने का प्रस्ताव

151–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जनपद के कर्नलगंज थाने क्षेत्र को कटरा एवं पूरा गड़ेरिया थाने में विभाजित करने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब से लम्बित है और कब तक कुशल प्रशासन हेतु विभाजित कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

जनपद इलाहाबाद के कर्नलगंज थाने के क्षेत्रान्तर्गत कटरा एवं पूरा गड़ेरिया में थाना खोले जाने का प्रस्ताव जून, 1988 में प्राप्त हुआ था। प्रस्ताव अभी शासन के विचाराधीन है।

152–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

[3रे मंगलवार के लिए स्थगित]

153–श्री जयदीप सिंह बरार–

[विभिन्न विभागों से संबंधित होने के कारण निरस्त]

श्री राम किशोर रस्तोगी की हत्या विषयक थाना कोतवाली जनपद रामपुर में लिखाई गई रिपोर्ट तथा उस पर कार्यवाही

154–डाक्टर दिनेश जौहरी–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि श्री राम किशोर रस्तोगी की दिनांक 17-4-87 को सायं उनके निवास के सामने हत्या कर दी गई थी जिसकी रिपोर्ट केस नम्बर 146/87 धारा 302/120-बी के अंतर्गत थाना कोतवाली जनपद रामपुर में लिखाई गई थी ? यदि हां, तो हत्यारों को अभी तक गिरफ्तार न किए जाने के क्या कारण हैं ? क्या मंत्री जी अपराधियों के विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही के आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

श्री कमल किशोर रस्तोगी, निवासी काजी गली, थाना कोतवाली, जिला रामपुर ने दिनांक 17-4-87 को रात समय 20.57 पर इस आशय की लिखित सूचना दी कि उसी दिन सायंकाल उसके पिता की हत्या, उसके घर के सामने कर दी गई है और सन्देह व्यक्त किया कि उसके पिता की हत्या हरीशंकर पुत्र राम दयाल रस्तोगी व उसके पुत्रगण नरेश कुमार, सुशील कुमार व विनोद कुमार, जिनसे उनके परिवार की रंजिश है, द्वारा की गई है अथवा कराई गई है। इस सूचना पर थाना कोतवाली जनपद रामपुर पर हरीशंकर, नरेश कुमार, सुशील कुमार व विनोद कुमार के विरुद्ध अपराध सं0 146/87 धारा 302 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत किया गया।

प्राप्त सूचना के अनुसार गवाहों के बयान तथा विवेचना के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित संदिग्ध चार अभियुक्तों में से अभियुक्त सुशील कुमार को दिनांक 13-10-87 को गिरफ्तार किया गया । विवेचना से प्रकाश में आये एक अन्य अभियुक्त राम दयाल को भी दिनांक 13-10-87 को गिरफ्तार किया गया। अथक प्रयास करने के बाद भी प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित शेष संदिग्ध अभियुक्त गिरफ्तार न हो सकने पर उनके विरुद्ध धारा 82/83 जाब्ता फौजदारी की कार्यवाही करके दिनांक 13-3-88 को उनकी चल सम्पत्ति की कुड़की की गयी।

सम्बन्धित अधिकारी को विवेचना प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराकर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश शासन द्वारा पहले ही दे दिये गये हैं।

बरेली नगर में सिटी स्टेशन के सामने ट्रक से तीन नवयुवकों की मृत्यु एवं मुआवजे की कार्यवाही

155—डाक्टर दिनेश जौहरी—

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 25-2-88 को बरेली नगर के सिटी स्टेशन के सामने एक ट्रक ने एक बारात को रौंद दिया था जिससे तीन बाल्मीकी नवयुवकों की दुखद मृत्यु हो गई व एक गम्भीर रूप से घायल हो गया? यदि हां, तो क्या मंत्री जी प्रत्येक मृतक के परिवार जनों को तथा घायल युवकों को विशेष अनुदान दिलाने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रमोद कुमार—

जी हां। दिनांक 25-2-88 को बरेली सिटी स्टेशन के सामने ट्रक संख्या यू0टी0एम0-1874 से हुई दुर्घटना में चार युवकों की मृत्यु हो गई।

ट्रक दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के आश्रितों अथवा घायलों को परिवहन विभाग द्वारा कोई विशेष अनुदान नहीं दिया जाता है। इन दुर्घटनाओं से प्रभावित व्यक्ति मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत सक्षम न्यायालय में वाद दायर करके वाहन-स्वामी से मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं।

बस्ती जिले के लिए ओला पीड़ित क्षेत्रों के लिए सहायता राशि की मांग

156—श्री धनराज यादव—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत 29 मार्च, 1988 को विधान सभा में ओला पीड़ित क्षेत्रों के संबंध में हुई चर्चा का उत्तर देते हुए राजस्व राज्य मंत्री ने विभिन्न जिलों के ओला पीड़ित क्षेत्रों में सहायता राशि देने की घोषणा की थी ? क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि बस्ती जनपद के नौगढ़ तहसील में ओला पड़ने से 50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक के क्षतिग्रस्त गांवों की संख्या—200 से अधिक है किन्तु सहायता मात्र 20 गांवों में बंटी है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बस्ती के लिए घोषित 55 लाख (पचपन लाख) रुपया बस्ती के ओला पीड़ित क्षेत्र में सहायता बांटने हेतु भेजने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद–

राहत कार्यों हेतु विभिन्न जनपदों को आबंटित धनराशि से सदन को अवगत कराया गया था ।

जी हां । ग्रामों की संख्या 200 से अधिक है, परन्तु 44 ग्रामों में सहायता वितरित की गई है ।

जनपद बस्ती को दैवी आपदा राहत कार्यों हेतु वर्ष 1987-88 में 34.39 लाख रुपयों का आबंटन किया गया है । यदि जिलाधिकारी द्वारा और धनराशि की मांग की जाती है तो उपलब्ध कराने पर विचार किया जा सकता है ।

भारत सरकार के जनगणना विभाग के छटनी शुदा कर्मचारियों का राज्याधीन सेवाओं में संविलियन

157–श्री राम आसरे वर्मा–

प्रथम सत्र 1988 के पहले मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं0–46 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि यदि यह केन्द्र सरकार के छटनी शुदा कर्मचारी हैं तो राज्य सरकार के अधीन इनके संविलियन हेतु शासनादेश पारित किये जाने का क्या औचित्य है ? क्या यह भी सही है कि संदर्भित शासनादेश में संविलियन हेतु निर्धारित तिथि समाप्त हो चुकी है ? यदि हां, तो शेष छटनीशुदा कर्मचारियों के बारे में शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि कार्यवाही नहीं की जा रही है, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

राज्य शासन द्वारा जनगणना विभाग के छटनीशुदा कर्मचारियों के संविलियन के आदेश जारी नहीं किये गये । केवल मानवीय आधार पर उन्हें आयु की सीमा से छूट प्रदान की गई थी । शेष छटनीशुदा कर्मचारियों को भी नियुक्ति का अवसर प्रदान करने के लिए उक्त सुविधा की अवधि 11 फरवरी, 1990 तक बढ़ा दी गई है ।

थाना कोतवाली बस्ती जनपद में पंजीकृत अपराध का विवेचना के उपरान्त न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना

158–श्री राकेश धर त्रिपाठी–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना कोतवाली बांसी जनपद बस्ती में पंजीकृत अपराध संख्या–48/77 दिनांक 16-3-77 को विवेचना कार्य पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सशीला रोहतगी–

जी हां ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

मेसर्स आदर्श गैस सर्विस साहू मार्केट गांधी नगर, बस्ती के मालिक के विरुद्ध पंजीकृत अपराध एवं कार्यवाही

159—श्री राकेश धर त्रिपाठी—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या मेसर्स आदर्श गैस सर्विस साहू मार्केट, गांधीनगर, बस्ती के मालिक के विरुद्ध परगना मजिस्ट्रेट बस्ती सदर ने मुकदमा अपराध संख्या—56/88 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम दिनांक 5-2-88 को कोतवाली बस्ती में दर्ज करवाया था और पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र प्रस्तुत किया है ? क्या विवेचना में सभी आरोप सत्य पाये गये ? यदि हां, तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

जी हां ।

आरोप सिद्ध होने पर ही आरोप-पत्र न्यायालय को प्रेषित किया गया है । सम्प्रति मामला न्यायालय के विचाराधीन है ।

श्री मंगेलूराम कहार निवासी ग्राम नारा पुरे रहेरवा थाना महाराजगंज जनपद फैजाबाद के लड़के को मारने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

160—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कुछ अपराधियों द्वारा दिनांक 23-10-87 को एक लड़के को बिजली का तार ठीक कराने के बहाने पेड़ पर चढ़ाकर मार डालने के संबंध में श्री मंगेलूराम कहार निवासी ग्राम नारा पुरे रहेरवा थाना महाराजगंज जनपद फैजाबाद का प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्ता के जिलाधिकारी फैजाबाद को सम्बोधित दिनांक 9-6-88 के पत्र के साथ शासन को मिल गया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक की कृत कार्यवाही का विवरण क्या है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

जी हां, जांच से श्री मंगेलूराम के लड़के श्री राधेश्याम की मृत्यु में किसी का हाथ होना नहीं पाया गया । विवेचना से कोई ऐसा तथ्य सामने नहीं आया जिससे किसी के विरुद्ध कार्यवाही की जा सके । जिससे विवेचक द्वारा दिनांक 26-2-88 को अन्तिम रिपोर्ट न्यायालय को प्रेषित कर दी गई जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है ।

श्री दया कृष्ण सेठ, अनुभाग अधिकारी सिंचाई विभाग के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र एवं कार्यवाही

161—श्री भगौती सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री दयाकृष्ण सेठ अनुभाग अधिकारी, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र दिनांक 25-2-88 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या सरकार दयाकृष्ण सेठ को सिंचाई सचिव शाखा से स्थानान्तरण करके लगाये

गये आरोपों की जांच सी0 आई0 डी0 से कराकर उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हां ।

माननीय विधायक का प्रश्न में सन्दर्भित पत्र दिनांक 25-2-88 शासन में सिंचाई विभाग में प्राप्त हुआ था । सिंचाई विभाग द्वारा प्रश्नगत शिकायतों की जांच की गई, जिसमें उनकी पुष्टि नहीं हुई । अस्तु श्री दयाकृष्ण सेठ, अनुभाग अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का औचित्य नहीं पाया गया । वैसे श्री सेठ को सिंचाई अनुभाग–3 से सिंचाई अनुभाग–9 में स्थानान्तरित कर दिया गया है । वर्णित स्थिति में प्रश्न में उल्लिखित अन्य किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मेरठ ब्लाक माछरा के कृषकों की गन्ना समिति के बकाया कर्जे की वसूली के लिए चुनाव हेतु नो-ड्यूज ज्ञापन लेने के लिए एकत्र हुई धनराशि

162–श्री भगौती सिंह–

क्या गन्ना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ ब्लाक के माछरा के करोड़ों रुपए की कृषकों की ओर गन्ना समिति के बकाया कर्जे की वसूली हेतु ब्लाक प्रमुखों व अन्य चुनाव हेतु नो-ड्यूज ज्ञापन लेना अनिवार्य कर दिया था ? यदि हां, तो उससे कितनी धनराशि एकत्र हुई है तथा उसका क्या औचित्य है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी नहीं ।

शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

163–श्री शारदा प्रताप–

[3रे मंगलवार के लिए स्थगित]

164–श्री शारदा प्रताप–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

उत्तर प्रदेश में गन्ना सहकारी समितियों की संख्या एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के पद की स्थिति

165–श्री हरशरन सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितनी गन्ना सहकारी समितियां हैं और उनमें कितने गन्ना सचिव अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के हैं ? यदि आरक्षण कम है तो क्यों और सरकार इसको कब तक पूर्ण करेगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

प्रदेश में वर्तमान में गन्ना सहकारी समितियों की कुल संख्या–144 है । सचिव के पदों पर तैनात अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या–18 है । अनुसूचित जनजाति का कोई कर्मचारी सचिव के पद पर तैनात नहीं है । गन्ना समितियों में

सचिव की तैनाती गन्ना विकास निरीक्षकों को प्रतिनियुक्ति पर लेकर एवं समिति भोगी सचिवों को स्थानान्तरण कर की जाती है । प्रतिनियुक्ति एवं स्थानान्तरण से भरे जाने वालों पदों में आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है । अतः शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

कारागार महानिरीक्षक कार्यालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के आरक्षित पदों की संख्या एवं रिक्त पदों पर पदोन्नति की स्थिति

166–श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

क्या कारागार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कारागार महानिरीक्षक कार्यालय में वर्ष 1987 से वरिष्ठ सहायक के कितने पद अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि अधिकारियों की उदासीनता के कारण पदों के रिक्त होने के कारण भी उक्त पदों पर पदोन्नति नहीं की जाती ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मान पाल सिंह–

कारागार महानिरीक्षक कार्यालय में वर्ष 1987 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लिये वरिष्ठ सहायक के कुल 6 पद आरक्षित थे ।

इन पदों पर प्रोन्नति स्थायी वरिष्ठ लिपिक के पात्र अभ्यर्थियों में से अनुपयुक्तों को छोड़ते हुये वरिष्ठता के आधार पर की जाती है । इनमें से एक पद पर अनुसूचित जाति का वरिष्ठ सहायक कार्यरत है, जिसकी पदोन्नति वर्ष 1987 में हुई । शेष अनुसूचित जाति के 4 पद व अनुसूचित जन जाति के एक पद पर पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण प्रोन्नति नहीं की जा सकी । अन्य प्रश्न नहीं उठते ।

पुलिस इन्सपेक्टर, सब इन्सपेक्टर और क्षेत्राधिकारी की नियुक्ति गृह जनपद में न करने के शासनादेश

167–श्री हरिशंकर तिवारी–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या ऐसा कोई शासनादेश है जिसके अनुसार पुलिस इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और क्षेत्राधिकारी की नियुक्ति उनके गृह जनपद में नहीं हो सकती ? यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

जी हां ।

संबंधित शासनादेशों की प्रतियां केवल प्रश्नगत विषय को दर्शाते हुए संलग्न हैं ।

(देखिये नत्थी 'अ' आगे पृष्ठ 249 पर)

जनपद गोरखपुर में इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर तथा क्षेत्राधिकारी की उनके गृह जनपद में नियुक्ति

168–श्री हरिशंकर तिवारी–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में कितने इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर तथा क्षेत्राधिकारी ऐसे हैं जिनका गृह जनपद गोरखपुर होने के बावजूद भी उनकी

नियुक्ति गोरखपुर में हुई है ? क्या ऐसी नियुक्तियों की जांच कराकर उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

जनपद गोरखपुर में ऐसा कोई इन्सपेक्टर, सब-इन्सपेक्टर तथा क्षेत्राधिकारी नियुक्त नहीं है जिनका गृह जनपद गोरखपुर हो ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मधुसूदन तिवारी निवासी ग्राम बन्दनपुर थाना गोसाईंगंज जनपद फैजाबाद के थानाध्यक्ष द्वारा हिस्ट्रीशीट खोलने की संस्तुति

169–श्रीमती शारदा देवी तथा श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्री मधुसूदन तिवारी निवासी ग्राम बन्दनपुर थाना गोसाईंगंज जनपद फैजाबाद की हिस्ट्रीशीट खोलने हेतु वर्ष 1984-85 में तत्कालीन थानाध्यक्ष गोसाईंगंज श्री रामकरन यादव द्वारा अपनी संस्तुति तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक गोसाईंगंज श्री राधेश्याम मिश्रा को भेजी गयी थी ? यदि हां, तो उक्त का आधार क्या था?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फतेहपुर के उ0 प्र0 राज्य परिवहन निगम द्वारा सम्पादक, साप्ताहिक प्रान्तपति के विरुद्ध फर्जी कूपनों के प्रयोग के कारण जालसाजी का मुकदमा करने का प्रयास

170–श्री अचल सिंह–

क्या सूचना मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता के 1988 के प्रथम सत्र के द्वितीय मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-61 के उत्तर में जिला अधिकारी फतेहपुर को विस्तृत जांच हेतु निर्देश दिये गये हैं ? यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम आये ? क्या मंत्री जी जांच के परिणाम से सदन को अवगत कराने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र–

जी हां ।

जांच की जा रही है ।

बलिया जनपद के थाना क्षेत्र उभांव भीमपुरा, नगरा, सिकन्दरपुर, बरिया कोतवाली क्षेत्र बलिया में आग्नेय अस्त्रों की संख्या एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़ी जातियों को लाइसेन्स दिये जाने की मांग

171–श्री शारदानन्द अंचल तथा श्री राम जन्म सिंह–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद के थाना क्षेत्र उभांव भीमपुरा, नगरा, सिकन्दरपुर, बरिया, कोतवाली क्षेत्र बलिया में आग्नेय अस्त्रों के कितने-कितने लाइसेन्स जारी हैं जिसमें अनुसूचित जातियों व पिछड़ी जातियों को कितने-कितने लाइसेन्स जारी किये गये हैं ? क्या सरकार ऐसी नीति बनाने जा रही है जिसमें हरिजन एवं पिछड़ी जातियों को आत्म संरक्षण के लिए सरल नियमों के आधार पर हथियारों के लाइसेन्स दिये जा सकें ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद बलिया के थाना क्षेत्रों उभांव में 143 लाइसेंस जारी किये गये जिनमें 12 पिछड़ी जाति को, भीमपुरा में 141 लाइसेंस जारी किये गये जिनमें 8 पिछड़ी जाति व 1 अनुसूचित जाति को, नगरा में 141 लाइसेंस स्वीकृत किये गये जिनमें 9 लाइसेंस पिछड़ी जाति को, सिकन्दरपुर में 205 लाइसेंस जारी किये गये जिनमें 13 पिछड़ी जाति को बैरिया में 320 लाइसेंस जारी किये गये जिनमें 45 पिछड़ी जाति को तथा कोतवाली में 518 लाइसेंस जारी किये गये जिनमें 89 पिछड़ी जाति को एवं 3 अनुसूचित जाति को जारी किये गये ।

आग्नेयास्त्र के लाइसेंस आयुध अधिनियम एवं उसके अन्तर्गत बनी नियमावली के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृत किये जाते हैं । इसमें वर्ग विशेष के लिये कोई अलग प्राविधान नहीं है । उक्त अधिनियम व नियमावली में संशोधन/परिवर्तन के लिये राज्य सरकार सक्षम नहीं है ।

स्व0 मनोदत्त पाण्डेय निवासी ग्राम धरौली, थाना अमानीगंज जनपद फैजाबाद की मृत्यु और उनकी बन्दूक एक माह बाद जमा किये जाने पर कार्यवाही

172—श्री मलिक मोहम्मद कमाल युसुफ—

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि नाबालिग स्व0 मनोदत्त पाण्डेय निवासी ग्राम धरौली, थाना अमानीगंज जनपद फैजाबाद की मृत्यु दिनांक 23 मई, 1988 को हो गयी है परन्तु उनकी बन्दूक एक माह बाद जमा की गयी है ? क्या यह सही है कि अवैध रूप से बन्दूक रखने वाले व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा कायम करके कार्यवाही में उक्त जनपद के ही थाना मया एवं गोसाईगंज के अंतर्गत कई डकैतियों में चालान हो चुका है ? ऐसी स्थिति में क्या सरकार सम्पूर्ण मामले की गहन छानबीन करके अवैध रूप से बन्दूक रखने वाले व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा कायम करके कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री मनोदत्त पाण्डेय पुत्र श्री राम बिहारी पाण्डेय, ग्राम धरौली, थाना खण्डासा, जनपद फैजाबाद जो निःसन्तान थे, का स्वर्गवास 23-5-1988 को हुआ था । उनके एकमात्र उत्तराधिकारी श्री ओम प्रकाश तिवारी द्वारा दाह संस्कार एवं क्रिया-कर्म आदि के उपरान्त मृतक की बन्दूक दिनांक 10-6-1988 को एक शस्त्र व्यवसायी की दुकान में जमा कर दी गई । इस बीच शस्त्र का कोई दुरुपयोग नहीं किया गया । यह कहना कि बन्दूक रखने वाले (श्री ओम प्रकाश तिवारी) के बड़े पुत्र का कई डकैतियों में चालान हो चुका है, सही नहीं है । अतः किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही का औचित्य नहीं पाया गया ।

वित्तीय वर्ष में वित्त सचिव शाखा में एक से अधिक बार मानदेय की स्वीकृति तथा शासनादेश का पालन

173—श्री भीखा राम तथा श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1987-88 में वित्त सचिव, शाखा में कितने कर्मचारियों को एक से अधिक बार मानदेय, विशेष मानदेय,

अतिरिक्त मानदेय स्वीकृत किया गया है ? एक वित्तीय वर्ष में एक से अधिक बार मानदेय स्वीकृत किए जाने का औचित्य क्या है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त शाखा में मानदेय की स्वीकृति हेतु शासनादेश संख्या वित्त सगा-मद-1905-दस-81 202/70 दिनांक 30 अक्टूबर, 1981 का पालन किया गया है ? यदि नहीं, तो इसके लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

वित्त सचिव शाखा में 310 कर्मचारियों को वर्ष 1987-88 में एक से अधिक बार मानदेय/पुरस्कार स्वीकृति किया गया है ।

उक्त कर्मचारियों को पृथक-पृथक कार्यों के लिए मानदेय स्वीकार किया गया है जो मूल नियम 46 (बी) की व्यवस्था के अनुसार है । उस वर्ष आय-व्ययक भी दो बार बनाना पड़ा था । (एक बार वोट आन एकाउण्ट के संबंध में तथा एक बार पूर्ण आय-व्ययक के संबंध में) इसी कारण उक्त कार्यों हेतु अलग-अलग मानदेय दिया गया था ।

प्रश्न में सन्दर्भित शासनादेश मानदेय की स्वीकृति के संबंध में नहीं है । अतः मानदेय की स्वीकृति हेतु उक्त शासनादेश के अनुपालन का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कर्मचारियों हेतु गठित वेतन समिति पर हुआ व्यय

174–श्री भीखा राम तथा श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कर्मचारियों हेतु गठित वेतन समिति के गठन से 31 मार्च, 1988 तक समिति पर कुल कितना व्यय हुआ है ? उक्त समिति की कुल कितनी बैठकें किन-किन स्थानों पर हुईं ?

श्री ओमप्रकाश रिछारिया–

वेतन समिति (1987) के गठन के फलस्वरूप विभिन्न मदों पर कुल 10,96,926.55 रु0 का व्यय दिनांक 31 मार्च, 1988 तक हुआ । वेतन समिति के विचार क्षेत्र में रखे गए कर्मचारियों के संबंध में समिति की कुल बैठकें निम्न प्रकार से हुईं थीं :–

	बैठकों की संख्या
(1) राज्य कर्मचारी एवं सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारी वर्ग	154
(2) स्थानीय निकाय के कर्मचारियों के संबंध में	46
(3) सार्वजनिक उद्यमों/उपक्रमों के कर्मचारियों के संबंध में	57

उपरोक्त सभी बैठकें लखनऊ में ही आयोजित हुईं थीं ।

175–श्री भीखाराम तथा श्री सूर्य प्रताप शाही–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

वित्त वेतन आयोग अनुभाग के कर्मचारियों को स्थानीय यात्रा भत्ता

176–श्री भीखा राम तथा श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय के कर्मचारियों को सचिवालय भत्ता स्वीकृत किए जाने के उपरांत वर्ष 87-88 में वित्त वेतन आयोग, अनुभाग के कर्मचारियों को स्थानीय यात्रा भत्ता के रूप में कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई तथा इसका औचित्य क्या था ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

वित्त वेतन आयोग अनुभाग में कार्यरत होने के कारण किसी कर्मचारी को स्थानीय यात्रा भत्ता स्वीकृत नहीं किया गया । वेतन समिति (1987) में कार्यरत कर्मचारियों तथा वेतन आयोग अनुभाग में कार्यरत ऐसे कर्मचारियों, जिन्होंने सार्वजनिक अवकाशों में आकर तथा कार्य दिवसों में शाम 7 बजे के बाद देर तक रुक कर वेतन समिति का कार्य सम्पादित किया था, को स्थानीय यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति की गई थी । वर्ष 1987-88 में उक्त कर्मचारियों को उक्त प्रतिपूर्ति हेतु कुल रु0 15804/- की धनराशि स्वीकृत की गई है ।

नियम 301 की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज मुझे नियम 301 में 14 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं और सभी स्वीकार हुई हैं । पहली सूचना विष्णु देव जी की है जनपद मऊ में घाघरा नदी की बाढ़ से हुई क्षति के संबंध में । दूसरी है राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की, तीसरी है श्री भगवान दीन कुशवाहा की । चौथी है माता प्रसाद पाण्डेय जी की । पांचवीं है श्रीमती विजय लक्ष्मी जी की । छठी है श्री राम जन्म सिंह की । सातवीं है श्री बलराम यादव की। आठवीं है श्री अनुग्रह नारायण सिंह जी की । नवीं सूचना है कुंवर मानवेन्द्र सिंह जी की । दसवीं है श्री धनराज यादव की । ग्यारहवीं है श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी जी की । बारहवीं है श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी जी की । तेरहवीं है श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ की और 14वीं है श्री गोपीनाथ वर्मा जी की । यह सूचनाएं पढ़ी हुई मान ली जायेंगी ।

जनपद मऊ में घाघरा नदी की बाढ़ से हुई क्षति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विष्णुदेव–

[मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद मऊ की तहसील घोसी में गत वर्ष घाघरा नदी की प्रलयकारी बाढ़ से उत्पन्न विषम स्थिति को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं । गत वर्ष की प्रलयकारी बाढ़ से ग्राम चक्की मुसाडीही, बैरिया डीह-दवारा दुवारी-सैरादेवारा-मोलनापुर बरोहा, धर्मपुर, बिसुनपुर, सिसवा नूरूल्लाहपुर-बसरिया के कचिला नरायनपुरा, सारंगपुर आदि गांवों जो बांध के उत्तर में के सम्पूर्ण फसल नष्ट हो गयी हजारों मकान धरशायी हो गये । कई सौ परिवारों को घर छोड़ देने के लिए विवश होना पड़ा । सरकारी सहायता नहीं के बराबर प्राप्त हुई । इन ग्रामों के अधिकांश परिवार भुखमरी के शिकार हो चुके हैं । घर पटाई का कार्य भी कुछ ही ग्रामपुरवों में हुआ है इन ग्रामों के निवासियों में व्यापक असन्तोष पैदा हो गया है ये लोग बांध के दक्षिण बाढ़ से सुरक्षित ग्रामों में बसने के लिए बेचैन हो रहे हैं।

नोटः–[xxx] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अतएव इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर उक्त परिवारों को तत्काल घर पटाई तथा इन्हें पड़ोस के बाढ़ से सुरक्षित ग्रामों में बसाने की यथाशीघ्र व्यवस्था करने की मांग करता हूं ।]

किसान सहकारी चीनी मिल लि0 महमूदाबाद, जिला सीतापुर में शेयर खरीदने के धन में कथित रूप से की गयी धांधली के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन तथा शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, महमूदाबाद, जि0 सीतापुर के शेयर होल्डरों द्वारा शेयर खरीदने के लिए जमा किये गये धन में भीषण भ्रष्टाचार है। वर्ष 1976 में सीतापुर नगर के अनेक व्यक्तियों ने सैकड़ों शेयर खरीदे थे । आपको जानकर आश्चर्य होगा कि चीनी मिल्स द्वारा कभी भी इन लोगों को न वार्षिक एकाउन्ट भेजे गये और न बैठक की सूचना पत्रों का जवाब मिलता। उदाहरण के लिए शेयर प्रमाण पत्र संख्या 1456 दिनांक 30-3-76 ही है।

हमारी मांग है कि मामले की जांच कराकर यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी शेयर होल्डरों को विधिवत वार्षिक लेखा जोखा भेजा जाए । बैठकों में बुलाया जाए तथा मिल के एकाउन्ट्स की जांच हो तथा अनियमितता के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को दण्डित किया जाए।]

थाना चौक, जनपद लखनऊ की पुलिस अकर्मण्यता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भगवानदीन कुशवाहा–

[मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में एक अति लोक महत्व का मामला लाते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि थाना चौक, जनपद लखनऊ की पुलिस की मनमानी से से जन सामान्य में अत्यन्त आक्रोश उत्पन्न हो गया है, जो लखनऊ जैसे संवेदनशील शहर के लिए अत्यन्त घातक सिद्ध हो सकता है असामाजिक तत्वों से त्रस्त व्यक्तियों द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराने के बावजूद पुलिसिया हथकण्डों के कारण कोई कार्यवाही तो दूर माहौल को अत्यन्त तनावपूर्ण बनाया जा रहा है। अपराधी तत्वों का गिरोह राजकीय कर्मचारियों से दिन दहाड़े धमकाते हैं एवं धन उगाही करते हैं । क्वीन मेरी अस्पताल में कार्यरत श्री शिव बिरिच चौकीदार का मामला लिया जा सकता है, जो एक सम्मानित समाचार पत्र सिगेण्डी मेल में भी प्रकाशित हुआ कि चौकीदार शिव बिरिच पर प्राण घातक हमला करने वाले नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी न करके अपनी निष्क्रियता का स्पष्ट प्रमाण दे रही है। जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट उसी दिन थाने में अपराध संख्या 603 सन् 88 धारा 307 भारतीय दण्ड विधान दर्ज होने के बाद अभी तक नामजद मुल्जिमान को पुलिस गिरफ्तार करने में निष्क्रिय है और नामजद अभियुक्त स्वच्छन्द विचरण कर रहे हैं तथा अपने गिरोह के व्यक्तियों के साथ धमकी देकर धन उगाही कर रहे हैं।]

नोट:–[xxx] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

बस्ती जनपद की तहसील डुमरियागंज के कतिपय ग्रामों में सहकारी देयों की वसूली में उत्पीड़न के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

[मान्यवर, बस्ती जनपद के तहसील डुमरियागंज के ग्राम कठेला जनूबी आदि गांव में इस समय सरकारी देयों की वसूली कड़ाई से की जा रही है। किसानों को जहां जेलों में बंद किया जा रहा है वहीं एस0 डी0 एम0 डुमरियागंज किसानों को रस्से में बंधवा कर पेड़ से भी बंधवा देते हैं तथा भद्दी-भद्दी गालियां स्वतः तो देते ही हैं, दूसरों से भी दिलवाते हैं। यह भी ज्ञात हुआ है कि जिन किसानों के नाम पर दूसरों ने फर्जी ऋण निकाल लिया है और किसानों के हस्ताक्षर उन कागजों पर नहीं हैं उन सब किसानों को भी यातनायें दी जा रही हैं तथा हवालात में जबरिया बंद किया जा रहा है।

ऐसी परिस्थिति में कभी भी कृषक और प्रशासन के बीच हिंसात्मक घटनायें हो सकती हैं। अतएव आपसे आग्रह है कि सरकार इन वसूलगादियों में मानवीय यातनायें को न देने का कष्ट करें।]

जिला बलिया में भूमि संरक्षण विभाग द्वारा किसानों से धांधली पूर्वक धन की उगाही के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती विजय लक्ष्मी–

[मान्यवर, जनपद बलिया में भूमि संरक्षण विभाग के अधिकारियों द्वारा विभाग द्वारा कराये गये निर्माण (नहरों और कलावों नालियों) कार्यों का पैसा किसानों से ही वसूल किया जा रहा है। जबकि किसान प्रत्येक वर्ष विभाग को सिंचाई का कर अदा करती है फिर नहर की पक्की नालियों के निर्माण का धन किसानों से वसूलने का क्या औचित्य है। विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा की इस प्रकार की कार्यवाही से किसानों में भारी असन्तोष एवं रोष व्याप्त है। उक्त प्रकार की वसूली हरिपुर, भोजपुर भरसरा, अपायल आदि नहर के किनारे के गांवों के किसानों से धांधली पूर्ण तरीके से की जा रही है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को आपकी अनुज्ञा से सदन के संज्ञान में लाते हुए आवश्यक कार्यवाही किये जाने की मांग करती हूं।]

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों को सेवा निवृत्ति के बाद के भुगतानों में विलम्ब के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बलराम यादव–

[मान्यवर, आपके इस निश्चित अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाकर आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं।

उत्तर प्रदेश हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय प्रा0 प्रा0 में सेवारत शिक्षक/शिक्षिकाओं जो बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्रा0

नोट:–[xxx] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पा0 की भांति ही पठन-पाठन का कार्य सुचारु रूप से करते आ रहे हैं और उन्हीं के भांति सरकार द्वारा ही वेतन का भुगतान भी हो रहा है परन्तु हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के पाठशालाओं में सेवारत अध्यापक/अध्यापिकाओं का न तो भविष्य निधि की कटौती होकर भविष्य निधि तथा सेवा निवृत्ति के बाद पूरे प्रदेश के हजारों अध्यापक/अध्यापिकाओं का जीवन यापन कठिन हो जाता है । इस दोहरी नीति के कारण समस्त लोगों में भयंकर रोष है।

अतएव इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाकर आवश्यक कार्यवाही करने की सरकार से मांग करता हूं।]

जिला गाजीपुर के अलावपुर, बकेसर, पिण्डारी, तिराहीपुर मार्ग को पक्का किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम जन्म सिंह–

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान जनहित में अविलम्बनीय लोक महत्व की जनपद गाजीपुर के अलावपुर बकेसर, पिण्डारी, तिराहीपुर मार्ग (लम्बाई लगभग साढ़े चौदह कि0मी0) की ओर ले जाना चाहता हूं । रा0 नि0 वि0 द्वारा इस मार्ग पर लगभग 8 कि0मी0 तक ही खड़न्जा तथा गिट्टी का काम हुआ है शेष भाग अर्थात 6½ कि0मी0 पर खड़न्जा और गिट्टी का भी काम नहीं हुआ है। चूंकि यह मार्ग उस क्षेत्र की जनता के लिए बहुत ही उपयोगी है इसलिए इस मार्ग को लेपन स्तर तक पूरा सड़क साढ़े चौदह कि0मी0 तक बनना अति आवश्यक है। जिससे वहां के गरीब किसान तथा व्यापारी अपने सामानों को मण्डियों तक ले जा सकें एवं अन्य लोगों को आने जाने की सुविधा सही ढंग से मिल सकें ।

कृपया सरकार को निर्देशित कर उक्त सड़क को लेपन स्तर तक बनवाने का कष्ट करें जिससे वहां के लाखों गरीब किसानों, व्यापारियों एवं अन्य लोगों को इस सड़क से सुविधा प्राप्त हो सके ।]

जनपद इलाहाबाद में गंगा प्रदूषण योजना के अन्तर्गत मोरी गेट नाले की सफाई से जल-भराव की स्थिति उत्पन्न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

[मान्यवर, कुम्भ के अवसर पर इलाहाबाद में गंगा प्रदूषण योजना के अन्तर्गत मोरीगेट नाले का पानी पम्प करके गऊघाट पम्पिंग स्टेशन भेजना प्रारम्भ किया गया है । दारागंज पम्पिंग स्टेशन की क्षमता कम होने तथा दोषपूर्ण ढंग से बिछाई गयी सीवर लाइन के कारण गन्दा पानी वापस लौटकर नगर के मोरी, दारागंज, कच्ची दारागंज, तिलकनगर, अल्लापुर, अलोपीबाग, बैरहना, सोहदतियाबाग, कीटगंज, बाई का बाग आदि क्षेत्रों में जलभराव की सी स्थिति कर रहा है। गंदा पानी चारों ओर फैलकर भीषण गन्दगी बदबू उत्पन्न कर रहा है जिससे बीमारियां फैल रही हैं । कई लोग बीमार भी हो गये हैं इसके अतिरिक्त जो कुछ पानी पम्प करके

नोट:–[xxx] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

यमुना नदी के पार ले जाया जा रहा है वह ट्रीटमेंट प्लान्ट के न होने से हजारों एकड़ खेतों की फसल नष्ट करता हुआ गांवों में बाढ़ ला रहा है जिससे महेवा, डांडी, अरैल, गंगिया आदि गांवों में कई मकान गिर गये, वह लाखों रुपये की फसल बर्बाद हो गयी । नगर और नैनी क्षेत्र के लाखों लोग इस अधूरी और दोषपूर्ण, भ्रष्टाचार से युक्त योजना की कार्यान्वियन से पीड़ित और परेशान हैं ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर किसानों को मुआवजा व तत्काल कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद झांसी के बेतवा नहर प्रखण्ड की गुलसराय नहर प्रणाली के गलत रोस्टर के कारण सिंचाई की हानि के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

[मान्यवर, सिंचाई विभाग द्वारा झांसी जनपद के बेतवा नहर प्रखण्ड की गुरसराय नहर प्रणाली को बुवाई के पूर्व रोस्टर में जनवरी के तीसरे सप्ताह से फरवरी के दूसरे सप्ताह तक तथा फरवरी के अन्तिम सप्ताह से मार्च के प्रथम सप्ताह तक दो सप्ताह चलना निश्चित था इसी आधार पर गरौठा तहसील के ग्रामीणों ने अधिक मात्रा में गेहूं की फसल बोई हुई है जिससे फरवरी के अन्त और मार्च के प्रथम सप्ताह में एक अन्तिम पानी मिलना अति आवश्यक है । परन्तु सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने नया रोस्टर प्रकाशित किया है जिसमें फरवरी के अन्त से मार्च के प्रथम सप्ताह तक जो पानी सिंचाई के लिए दिया जाना था इससे इन्कार कर दिया है जिससे गरौठा तहसील के सभी कृषकों में भयंकर रोष एवं क्षोभ है।

अतएव अविलम्बनीय लोक महत्व के इस सुनिश्चित प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर शासन से मांग करता हूं कि गुरसराय नहर प्रणाली से फरवरी के अन्तिम सप्ताह से मार्च के प्रथम सप्ताह तक एक पानी सिंचाई हेतु अवश्य ही उपलब्ध कराया जाये ।]

जिला सिद्धार्थ नगर में चिन्तापुर बांध के निर्माण से बूढ़ा नदी के दायें किनारे पर बांध के अभाव में उसका बाजार नगर की सुरक्षा के खतरे के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री धनराज यादव–

[मान्यवर, जनपद सिद्धार्थ नगर में सिंचाई विभाग द्वारा बूढ़ा नदी के बांये तट पर निर्माणाधीन चिन्तापुर बांध पूर्ण होने के करीब है। किन्तु नदी के दायें किनारे पर बांध के अभाव में उसका बाजार की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है।

उसका बाजार 1908 में टाउन एरिया थी अब मोगलहा, रहेरा, फर्ती, सराती, तैतरी, खुर्द अलग-अलग राजस्व ग्रामों के कारण 5 गांव सभा में लगभग 20 हजार आबादी का उप नगर की शक्ल में है ।

नोटः–[xxx] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

उस्का बाजार की सुरक्षा हेतु कोई बांध न होने के कारण लोग बाढ़ की आशंका से भयभीत हैं ।

बाजार की सुरक्षा के लिए पक्की दीवाल एवं खेतों की सुरक्षा हेतु बांध बनाने से लोग आश्वस्त हो सकेंगे ।

अतएव अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस सुनिश्चित प्रश्न को सदन की संज्ञान में लाकर शासन से मांग करता हूं कि उस्का बाजार को सुरक्षित करने के लिये पक्की दीवाल एवं बांध बनाई जाये ।]

प्रदेश के असहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षक एवं शिक्षणेतर कर्मियों की दयनीय स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

[मान्यवर, प्रदेश के असहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के 10 हजार से अधिक शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को इस मंहगाई के जमाने में भी 50 रु0 से 100 रु0 मासिक वेतन पर गुजारा करना पड़ रहा है जो अमानवीय और अनैतिक होने के साथ-साथ श्रम का खुला शोषण है। इन विद्यालयों को कक्षा 6 से 10 तक की शिक्षा देने हेतु मान्यता प्रदान की गयी है। शिक्षकों/कर्मचारियों को जीवन यापन लायक वेतन न मिलने के कारण शिक्षा के स्तर में गिरावट आ रही है। इन्हीं सब बातों के विरोध में उ0प्र0 असहायता प्राप्त माध्यमिक शिक्षक संगठन द्वारा विधान सभा के सामने धरने और अनशन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

अतः लोक महत्व के इस विषय को सदन के संज्ञान में लाकर अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद इलाहाबाद के थाना कर्नलगंज में आई0टी0आई0 कर्मचारी श्री बद्री पासी की हत्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

[मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एक अविलम्बनीय लोक महत्व की दर्दनाक घटना की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

जनपद इलाहाबाद थाना कर्नलगंज 2-2-89 को रात आई0टी0आई0 कर्मचारी बद्री पासी को ग्राम चिल्ली सिवकोटी उसके घर पर गोलियों से छलनी कर मौत के घाट उतार दिया। मां की ममता लहूलुहान पुत्र से चीख कर चिपक गई। पुलिस लाश को यमुना नदी में गायब करना चाहती थी परन्तु मां से छुड़ाने में असफल रही इस घटना से दलित समाज में भय एवं आतंक का वातावरण व्याप्त है।

मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है कि शासन विरोधी तत्वों की साजिश से इस प्रकार की हत्याओं की शुरूआत है। और आगामी चुनाव के पूर्व तक दलित समाज एवं एक विशेष जाति के लोगों पर जुर्म और हत्यायें की जायेंगी। माननीय मुख्य मंत्री जी से मांग करता हूं कि बद्री पासी के हत्यारों को जेल भेजा जाय और परिवार को क्षतिपूर्ति दिया जाय ।

शासन विरोधी नापाक इरादों को नाकामयाब करने के लिए सरकार कड़ा से कड़ा कदम उठाये।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

गोरखपुर मण्डल के बस्ती जनपद के अंशकालिक नलकूप चालकों को पूर्ण कालिक किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

[मान्यवर, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत राजकीय नलकूपों पर कार्य करने के लिए कूप चालकों की कमी को देखते हुये गोरखपुर मंडल के अन्तर्गत बस्ती जनपद में अंशकालिक नलकूप चालक की नियुक्तियां दिसम्बर, 1982 में की गयी। जब कि उन्हीं से कूप चालकों को जिनका चयन एक साथ हुआ उनमें से 35 नलकूप चालकों को अधिशासी अभियन्ता बस्ती द्वारा बर्कचार्ज पर नियुक्त करके स्थायी रूप से कार्य पर लगा दिया गया आज वे पूर्ण कालिक कूप चालक के पद पर हैं। जबकि बाकी 66 कूप चालक आंशिक (अंशकालिक) नलकूप चालक के पद पर काम कर रहे हैं। सभी का चयन एक साथ हुआ लेकिन इन 66 लोगों को अंशकालिक होने के नाते इनके वेतन में भारी असमानताएं हैं जिससे समान काम के लिये समान वेतन मिल सके ऐसी नीति निर्धारित करनी चाहिये। बस्ती में कार्यरत 66 अंशकालिक कूप चालकों में घोर असन्तोष व्याप्त है।

इस सदन के माध्यम से मैं उ0प्र0 सरकार से मांग करता हूं कि एक ही तरह का काम करने वाले कूपचालकों के बीच विषमताएं असन्तोष का कारण हैं। लगभग 8 वर्ष से काम कर रहे इन अंशकालिक कूप चालकों के सम्बन्ध में तत्काल निर्णय लें और आज भी बस्ती जनपद में सैकड़ों कूप चालकों के पद पर पूर्ण कालिक नियुक्ति करने का कष्ट करें। स्थिति यह है कि कूप चालकों के अभाव में एक-एक चालक को पांच-पांच और छः-छः नलकूपों का कार्य देखना पड़ता है।

मैं पुनः सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि अविलम्ब सरकार सभी 66 अंशकालिक नलकूप चालकों को पूर्णकालिक चालक के पद पर नियुक्त करने की कृपा करें।]

जिला फैजाबाद की ब्लाक बसखारी में आई0आर0डी0 योजनाओं में धांधली के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गोपीनाथ वर्मा--

[मान्यवर, उक्त योजना के अन्तर्गत 26 व्यक्तियों को उदाहरण के तौर पर 158200 रुपये का कर्ज दिखाया गया है। जिसमें कि गरीबों को मात्र 39864 रुपये ही मिले शेष बैंक से लेकर ब्लाक अधिकारियों के बीच बन्दर बांट हो गयी ग्राम अजमेरी बादशाहपुर में एक पत्नी व पति को क्रमशः 3000 रुपए और 6000 रुपए कर्ज अलग-अलग दिखाया गया नियमतः एक संयुक्त परिवार को 3000 रुपए से अधिक राशि स्वीकृत ही नहीं की जा सकती है। उक्त दोनों परिवारों के नाम स्वीकृत 8400 में 4500 रु0 छूट भी स्वीकृत किया। परन्तु कुछ रुपया दोनों के दिए जाने के पश्चात् शेष धन कमीशन में लिया गया। नसीरपुर, आश्या, अल्लापुर, गोकुलपुर आदि करीब दर्जनों ग्राम के करीब एक हरिजन परिवार तथा दो राजभरों के नाम किराना, जूता, चप्पल, सूकर पालन हेतु कर्ज दिखाया गया जिन्हें मिला नहीं है। उक्त 28 व्यक्तियों में सेमरानसीपुर के अशोक कुमार को 6500 रुपए व सुरेश को 6500 रुपए बसखारी के लक्ष्मण को 8000 रुपए व चुन्नीलाल को 8000 रुपए भिठुण के बंशीलाल को 6000 रुपए मुन्नीलाल को 5000 रुपए बरडी के इन्दर को 4500 रुपए दिए जिसमें गरीबों को कुछ धन मिला शेष खा लिया गया।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः उक्त अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए सरकार से मांग करता हूं कि संबंधित मामले की जांच कराकर दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करें।]

औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम 300 के अन्तर्गत पांच सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। एक माननीय सरदार सिंह जी की, दूसरी है माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी जी की, तीसरी है माननीय सूर्यप्रताप शाही जी की, चौथी है श्री गोपीनाथ वर्मा जी की और पांचवीं सूचना भी श्री गोपीनाथ वर्मा जी की है। अब सरदार सिंह जी आपको क्या कहना है।

(श्री सरदार सिंह अनुपस्थित)

नियम 301 के अन्तर्गत 7-10-88 को दी गयी सूचना का अन्तरिम उत्तर समय से न दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी–

मान्यवर, मैंने जो औचित्य का प्रश्न उठाया है यह औचित्य का प्रश्न संसदीय मान्यताओं परम्पराओं और आदर्शों से जुड़ा हुआ प्रश्न है। हम और आप संसदीय लोकतंत्र प्रणाली की उच्च पराकाष्ठाओं की परिकल्पना करना चाहते हैं, लेकिन यह सरकार नियमों और परम्पराओं की खिल्ली उड़ाने पर अमादा है। उसे नियम 301 की सूचना का अन्तरिम और अन्तिम उत्तर देने के लिए आप द्वारा समय निर्धारित है और आपकी पीठ से इस बारे में सरकार को समय-समय पर निर्देश भी दिए गए हैं। लेकिन स्वयं इस सरकार के संसदीय कार्य मंत्री ने आपकी पीठ से दिए गए निर्देशों का किस तरह मजाक उड़ाया है, इसका मैंने आपके सामने एक उदाहरण रखा है। दिनांक 7 अक्तूबर, 88 का जनपद फैजाबाद में बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में व्याप्त घोर भ्रष्टाचार की मैंने सूचना दी थी नियम 301 में, जिसको आपने स्वीकार किया था। जब तक यह सदन आहूत नहीं हुआ और उसकी हम लोगों को सूचना नहीं मिल गयी, तब तक हमारे संसदीय कार्य मंत्री ने उसका अंतरिम उत्तर देने का भी कष्ट नहीं किया। किन्तु इधर बाद में अंतरिम और अंतिम उत्तर दोनों एक लिफाफे में भरकर 4 फरवरी को हमारे पास भिजवा दिया है। उसमें भी उन्होंने कहा है कि अभी तक जांच आख्या प्राप्त नहीं हुई है और जांच जारी है। अब यह जांच कैसे जारी है, जबकि आज तक इसके बारे में मुझसे कोई पूछने ही नहीं आया। आपके आदेश थे कि अन्तरिम उत्तर एक सप्ताह में और अंतिम उत्तर एक माह में दे दिए जायेंगे। यदि सदन आहूत न होता तो यह फर्ज अदायगी भी न की गई होती। तो मैं आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी पीठ से दिये गये निर्देशों का अनुपालन हो यह तो आपको भी देखना है तभी हमें संरक्षण मिलेगा। आपके माध्यम से मैं माननीय नेता सदन से कहना चाहता हूं कि आपके बारे में हम सबको बड़ी श्रद्धा है संसदीय परम्पराओं और उनके अनुपालन के संदर्भ में। आपके नेतृत्व काल में यदि ऐसी बातें होंगी तो उचित नहीं कहा जा सकता। मान्यवर, आपके जो निर्देश होते हैं और सदन में जो आश्वासन दिये जाते हैं उनकी सरकार परवाह नहीं करती है।

जब हमारे लोग किन्हीं पब्लिक समस्याओं को लेकर धरना करते हैं या और कुछ करते हैं तो श्रीमन्, आप कहते हैं कि यह असंसदीय है। परम्पराओं के पालन की जिम्मेदारी दोनों तरफ की होती है लेकिन उसकी गुरुतर जिम्मेदारी सत्तापक्ष की होती है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि इस मामले पर आप शासन की, सरकार की शास्ति करें और उन्हें निर्देश दें कि भविष्य में ऐसा न हो और श्रीमन्, हमारे अधिकारों को संरक्षण देने की कृपा करें।

सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

अध्यक्ष महोदय, 301 के सम्बन्ध में जो सूचनायें प्राप्त हुयी हैं मैंने उनका सारा ब्योरा देख लिया है। मैंने सोचा था कि शायद माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी जी की ओर से प्रशंसा की बात कही जायगी। मान्यवर, आप स्वयं देखेंगे कि 60 सूचनायें थीं जिनमें से 59 का जवाब दिया जा चुका है। एक माननीय सदस्य ने स्वयं अपने अनुरोध पर वापस ले लिया है। माननीय तिवारी जी ने जो बात कही तो उसमें कुछ विलम्ब जरूर हुआ है लेकिन आप जानते हैं कि कुछ कठिनाइयां होती हैं। सूचना मंगानी होती है, सूचनायें जिलों से मंगानी होती हैं जिसमें कहीं-कहीं विलम्ब हो जाता है और विलम्ब होना स्वाभाविक है। माननीय तिवारी जी ने जो प्रश्न उठाया वह फैजाबाद जिले से शिक्षा से संबंधित मामला था। उन्होंने कहा कि दोनों सूचनायें उनको एक ही लिफाफे में प्राप्त हुईं। मान्यवर, इसका मुझे खेद है। दोनों सूचनाएं एक ही लिफाफे में प्राप्त हुईं इसके पीछे कोई खराब नीयत नहीं थी बल्कि तिवारी जी का समय बच जाय और सरकार का पैसा बच जाय; इसलिए एक लिफाफे में भेजा गया। एक मर्तबा लिफाफा खोलने में उनको दोनों सूचनाएं प्राप्त हो जायं, यही मतलब था। उनको असुविधा हुई इसके लिए खेद है। इन्क्वायरी के संबंध में उन्होंने कहा कि उनसे किसी प्रकार का संपर्क नहीं किया गया तो श्रीमन्, आप देखें कि जो पत्र भेजा गया है उसकी तीसरी पंक्ति में लिखा गया है कि जांच जारी है। अभी जांच की प्रक्रिया जारी है जैसे ही पूरी हो जायगी उस संबंध में कार्यवाही की जायगी। जांच अगर पूरी हो जाती और तिवारी जी से कोई कांटेक्ट न किया जाता तो शिकायत की बात थी। अभी जांच जारी है, सम्मानित सदस्य से संपर्क स्थापित किया जायगा और उनकी बहुमूल्य राय ली जायगी। अभी इस शिकायत का मौका नहीं है। सरकार ने पूरी जिम्मेदारी के साथ, जितनी 301 की सूचनाएं आयीं हैं उनका जवाब दिया गया है। कुछ विलम्ब हुआ है जिसके लिए मैंने कहा कि बिआंड कन्ट्रोल वस के बाहर जैसी चीज होने के कारण ऐसा हुआ वरना हमने प्रयास किया है कि सही समय के अंदर इसका उत्तर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

सूचना संख्या 3, 4, 5, नियम 300 के अंतर्गत नहीं आती हैं इसलिये वह अस्वीकार की गयी हैं।

(संसदीय कार्य मंत्री को पुकारे जाने पर।)

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, मेरी सूचना महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष—

मैंने संसदीय कार्य मंत्री जी को बुला लिया है। आप बैठिये।

विधान सभा के वर्ष 1988 के द्वितीय सत्र (दिनांक 3 अक्टूबर, 1988 से 7 अक्टूबर, 1988 तक) में नियम 301 के अंतर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण†

सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधीकरण (सप्तम संस्करण) के करण 14(3) के अनुसार विधान सभा के वर्ष 1988 के द्वितीय सत्र (दिनांक 3 अक्टूबर, 1988 से 7 अक्टूबर, 1988 तक) में नियम 301 के अंतर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं ।

श्री गोपीनाथ वर्मा—

मान्यवर, मेरी भी सूचना थी । मुझे सुन लें ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये । आप समझदार लोगों में से हैं ।

उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की याचिका समिति का पन्द्रहवां प्रतिवेदन†

श्री उपाध्यक्ष—

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की याचिका समिति का पंद्रहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मैंने औचित्य के प्रश्न की सूचना दी है, मुझे सुन लें ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये ।

उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति का षष्टम् प्रतिवेदन†

श्री उपाध्यक्ष—

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति का षष्टम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का नवम् प्रतिवेदन†

श्री उपाध्यक्ष—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का तृतीय प्रतिवेदन, जो जिला कारागार गोरखपुर के अधिकारियों के विरुद्ध विशेषाधिकार-अवहेलना के प्रश्न से संबंधित है और सदन का सत्र न होने की दशा में जिसे माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को प्रस्तुत किया जा चुका है, प्रस्तुत करता हूं ।

उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का नवम् प्रतिवेदन†

*श्री भोला शंकर मौर्य—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रतिनिहित विधायन समिति, उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का नवम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

---

†छापे नहीं गये ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करहना काण्ड की जांच आख्या सदन के पटल पर रखे जाने की मांग

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय तिवारी जी ने परम्पराओं और नैतिक दायित्व के बारे में एक औचित्य का प्रश्न रखा । मैं एक व्यवस्था चाहता हूं । मान्यवर, इस सदन में बहुत सी बातों पर बहस होती है । शासन की तरफ से उसमें यह कह दिया जाता है कि जांच की जाएगी, लेकिन जांच आख्या सदन के पटल पर नहीं रखी जाती है । मान्यवर, करहना काड हुआ था उसमें सरकार ने कहा था कि जांच करायेगी और जांच कराकर सदन के पटल पर जांच आख्या रखी जाएगी । मुकदमा लिखा गया, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई । इस कांड में 11-12 आदमी निर्दोष मारे गये । मान्यवर, सरकार जो घोषणा करती है कि सदन के पटल पर रखेंगे तो लेकिन वह नहीं रखती है तो क्या जांच आख्या सदन के पटल पर रखने का उसका नैतिक दायित्व नहीं है ? मैं कानूनी और संवैधानिक दायित्व की बात नहीं करता, लेकिन नैतिक दायित्व है या नहीं यह बता दें ?

(व्यवधान)

मान्यवर, यह टालते चले जाते हैं इनका नैतिक दायित्व बनता है या नहीं, मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

सरकार को अपनी पूरी जिम्मेदारी निभानी चाहिए ।

(व्यवधान)

(मद संख्या-12 पर, मंत्री जी को पुकारे जाने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैंने मंत्री जी को बुला लिया है । आप सब बैठें । मैं आपको सुनूंगा ।

(व्यवधान)

श्री राकेशधर त्रिपाठी—

मान्यवर हमको सुन लें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं सुनूंगा । अभी आप बैठें ।

उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए विधान सभा के चार सदस्यों के निर्वाचन हेतु माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार समय व तिथि के निर्धारण का प्रस्ताव

नियोजन राज्य मंत्री (श्री गौरी शंकर)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम, 1962 की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (3) के अनुसार, विधान सभा के चार सदस्यों का निर्वाचन करें ।''

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने सदन में प्रस्तुत किया है उससे सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में संस्थान के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश विधान सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन हेतु माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार समय व तिथि के निर्धारण का प्रस्ताव

नियोजन राज्य मंत्री (श्री गौरीशंकर)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि 'यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में संस्थान के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1983 की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ज) के अनुसार उत्तर प्रदेश विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करें ।''

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा सदन में प्रस्तुत किया गया है उससे सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

आज के अतारांकित प्रश्न संख्या 30 का उत्तर एवं मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप न दिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री राकेशधर त्रिपाठी—

मान्यवर, अतारांकित प्रश्न में प्रश्न संख्या-30 में मुख्य मंत्री जी द्वारा जवाब मिला है, उसके संबंध में मैं अनुरोध करना चाहता हूं पिछले दिनों मुख्य मंत्री जी ने एक घोषणा की थी कि उत्तर प्रदेश की विभिन्न जेलों में 70 वर्ष की आयु सीमा से अधिक आयु के जितने कैदी हैं उनको छोड़ दिया जाएगा । तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जब 10 दिन पहले इस सम्बन्ध में घोषणा कर दी गई है, तो जवाब सही तरीके से आना चाहिए था। इसका सरासर [xxx] जवाब दिया गया। जब उसकी घोषणा कर दी गयी, तो उसको जवाब में जोड़ा जाना चाहिए था ।

श्री अध्यक्ष—

आप लिख कर भेज दीजिए, मैं उसको दिखलवा लूंगा ।

श्री राकेश धर त्रिपाठी—

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी के हस्ताक्षर से आज मुझको जवाब मिल रहा है और अगर 10 दिन पूर्व इसकी घोषणा कर दी गयी है, तो सही जवाब तो आना चाहिए था ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट—[xxx] यह अंश माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष—

अगर आप समझते हैं कि जवाब गलत है, तो उसको आप लिखकर भेज दीजिए, मैं उसको दिखलवा लूंगा ।

श्री राकेश धर त्रिपाठी—

मान्यवर, हमारा जवाब तो दिलवा दीजिए ।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा करके बैठिये ।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, मेरा प्रश्न फण्डामेंटल ड्यूटीज के संबंध में है ।...

श्री अध्यक्ष—

वह नियम 300 के अन्तर्गत आता ही नहीं है । आप कृपा करके बैठिये ।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, मेरी बात सुन लें ।...

श्री अध्यक्ष—

आप मेरे कक्ष में आ जाइएगा, मैं उसको देख लूंगा ।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, जहां पर फण्डामेन्टल ड्यूटीज करवाने में आप सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, तो इसकी शिकायत कहां पर की जायगी ?

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये ।

(इस समय 12 बजकर 36 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए ।)

श्री गोपी नाथ वर्मा—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप लिख कर भेज दीजिए ।

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं जिलाधिकारी, इलाहाबाद के स्थानान्तरण के बारे में जानना चाहता हूं ।

मुख्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

श्रीमन्, जो माननीय सदस्य इलाहाबाद ने कृपा कर अभी प्रश्न पूछा है, चूंकि अभी उसकी नोटिस नहीं आई है, वह प्रश्न अभी आ नहीं सका है । चूंकि यह 30-11-88 का प्रश्न था और उसका उत्तर तभी ड्राफ्ट होकर चला गया । चूंकि उसमें अनुपूरक प्रश्न पूछा नहीं गया, इसलिए उसका उत्तर नहीं आ सका ।

श्री राकेश धर त्रिपाठी—

आप सदन में घोषणा कर दीजिए ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने इलाहाबाद के माननीय विधायक की बात को गम्भीरता से सुना, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं घोषणा कर चुका हूं। इसका निर्णय जो है 70 साल वाले का हो चुका है। अगर अनुपूरक प्रश्न आता तो मैं उसका उत्तर दे देता।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव†

श्री पूरन सिंह माहरा—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं महामहिम राज्यपाल द्वारा सदन में दिए गये अभिभाषण जिससे ऊपर धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्री गोपी नाथ वर्मा—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें, जब भाषण खत्म हो जाय तो बोल लेंगे।

श्री पूरन सिंह माहरा—

मान्यवर, राज्यपाल महोदय ने प्रदेश में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न कार्यों के प्रति यहां पर उल्लेख किया। अभिभाषण में चाहे किसानों से सम्बन्धित बात हो, चाहे चीनी के दाम बढ़ाने की बात हो, चाहे सिंचाई योजनाओं को अधिक तेज करने की बात हो इसके लिए तो मैं उत्तर प्रदेश शासन को और माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। मान्यवर, मैं सबसे बड़ी बधाई उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी जी को और उनके शासन के सहयोगियों तथा सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को इस बात के लिए देना चाहता हूं कि इस वर्ष जो ऐतिहासिक मेला इलाहाबाद में लगा जिसमें सबसे ज्यादा संख्या में हिन्दुस्तान के लोग इस मेले में उपस्थित थे। इसमें जो व्यवस्थाएं वहां पर की गयी हैं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा गायवर, वह निश्चित रूप में सराहनीय थीं और सारे जो तीर्थ यात्री गये उन्होंने उसकी सराहना की। इसके लिए मैं विशेष रूप से उत्तर प्रदेश शासन और माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं।

मान्यवर, मैं विशेष तौर पर पर्वतीय क्षेत्र के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में लागू किया गया था उसके रहते हुए हमारा विकास कार्य काफी अवरुद्ध हो रहा है। उत्तर प्रदेश शासन और केन्द्र शासन यहां तक कि हमारे प्रधान मंत्री जी की

*अध्यक्ष ने अंग्रेजी में भाषण का मन्तरीभाषण नहीं किया।

†दिनांक 13 फरवरी, 1989 की कार्यवाही से।

जो इच्छाएं हैं कि पर्वतीय क्षेत्र का दूरगामी विकास किया जाय । इन विकास कार्यों में वन संरक्षण अधिनियम 1980 जो लागू किया गया है इससे काफी रुकावट हो रही है । चाहे पेयजल की योजनाएं हों चाहे विद्युत के खम्भे गाड़ने की योजनाएं हों चाहे मोटर की योजनाएं हों या और कोई भी योजनाएं हों इसमें एक बहुत जटिल प्रक्रिया का सामना करना पड़ रहा है । इसके चलते हमारी सारी योजनाएं आज धरी की धरी रह जा रही हैं । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं और उत्तर प्रदेश शासन से भी निवेदन करना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र में जो वन संरक्षण अधिनियम लागू कर दिया गया है इसका सरलीकरण किया जाना चाहिए और इसकी सिफारिश उत्तर प्रदेश शासन से केन्द्र सरकार को भेजी जानी चाहिए । आज पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी डाल दी गयी है । जो पर्वतीय लोग हैं उनका जीवन वहां के जो जंगलों से संबंधित सम्पदा है उस पर आधारित है और आज पर्वत के लोगों को जलौनी लकड़ी भी सब्सीडाइज रेट पर नहीं दी जा रही है तो हम पर्वतीय लोग कैसे जंगलों को बचाने के लिए आगे आयेंगे? वहां पर सारा कार्य वन निगम कर रहा है तो उस पर जिम्मेदारी डालनी चाहिए और यह सब चीजें आधे दाम पर उपलब्ध करायी जांय ताकि पर्वतीय लोग उस जंगल से ध्यान हटाकर जंगलों की रक्षा के लिए आगे बढ़ जायं । पर्वतीय क्षेत्र में अंशकालिक टीचर के नाम पर जो लोग कार्य कर रहे हैं । मेरा निवेदन है कि केवल पर्वतीय क्षेत्र में 3800 शिक्षकों के स्थान रिक्त हैं और स्वीकृत पद हैं । इन अंशकालिक शिक्षकों को पूर्णकालिक शिक्षकों का दर्जा दिया जाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी को हम एक अच्छा भविष्य बना सकें ।

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र जहां की भौगोलिक परिस्थितियां बहुत दुरूह हैं और बहुत विकट हैं लेकिन आज हिन्दुस्तान के नक्शे में देखें चाहे अरुणाचल को देखें, मिजोरम को देखें, चाहे गोवा जो नयी विधान सभा बनी है उसको देखें, चाहे प्रदेश से लगे पड़ोसी राज्य हिमांचल को देखें इसकी आबादी हमारे 8 जनपद से कम है । वहां पर 40 से लेकर 70 तक विधान सभा सदस्य होते हैं, जबकि इस जटिल उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र के लिये विधान सभा में मात्र 19 विधायक हैं । मान्यवर, जब तक केन्द्र सरकार संविधान में संशोधन करके हिमांचल प्रदेश की जनसंख्या को मानक उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र के विधायकों की संख्या नहीं बढ़ाएंगे तब तक वहां की देखरेख ठीक से नहीं हो सकती है और वहां का विकास सम्भव नहीं है । इसके लिये उत्तर प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार से संस्तुति करे कि हमारे उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में भी, जैसे कि हिमांचल प्रदेश में 42 लाख की आबादी पर कुल 68 विधायक हैं और यहां पर 50 लाख की आबादी पर केवल 19 विधायक हैं, अतः हिमांचल प्रदेश की जनसंख्या को मानक मानकर यहां के पर्वतीय क्षेत्र के विधायकों को चुनकर आना चाहिये। नहीं तो विभिन्न स्थानों पर उत्तराखण्ड की मांग उठ रही है, उत्तरांचल की मांग उठ रही है । यह इसलिये होता है क्योंकि हम लोग अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से नहीं निभा पा रहे हैं क्योंकि हमारी प्रतिकूल परिस्थितियां बड़ी ही जटिल हैं ।

हमारी एक पर्वतीय विकास परिषद् है । हिमांचल प्रदेश को हमारे बराबर का बजट मिलता है । उसकी देखभाल मुख्य मंत्री से लेकर सारे मंत्रीगण और मुख्य सचिव से लेकर सारे सचिव करते हैं, जबकि हमारे पास हमारे बजट को देखने के लिये केवल एक राज्य मंत्री और एक सचिव स्तर का व्यक्ति देखरेख करता है । पर्वतीय क्षेत्र को मजबूत करने के लिये, उसको आगे बढ़ाने के लिये कम से कम पर्वतीय विकास विभाग का एक कैबिनेट स्तर का मंत्री और उसके नीचे कम से कम 4 राज्य मंत्री और उसके अलावा पर्वतीय विकास प्रमुख सचिव के अलावा उसके नीचे 4 और सचिव होने चाहिये । इसी प्रकार वैसे तो पर्वतीय क्षेत्र के लिये एक अलग विभाग है लेकिन मूल रूप से वह वित्त विभाग के अन्तर्गत आता है और वित्त विभाग में हमारी सारी फाइलें 2–3 माह तक लौट कर नहीं आती हैं । यहां तक कि जो ड्राफ्ट या शासनादेश जारी होते हैं, वे भी पर्वतीय विभाग में 2–3 माह बाद भी वित्त विभाग से वापस नहीं आते हैं । अतः जब तक पर्वतीय विकास विभाग के लिये वित्त विभाग में एक अलग विशेष सचिव की व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक पर्वतीय क्षेत्र के विकास में हमेशा अड़ंगे आते रहेंगे और वहां का विकास अवरुद्ध रहेगा ।

हमारे क्षेत्र से मा0 मुख्य मंत्री जी आते हैं जिन्हें वहां के चप्पे-चप्पे का ज्ञान है । उनके सामने पर्वतीय क्षेत्र की बात करना सूरज को दीपक दिखाने के समान है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मा0 मुख्य मंत्री जी कम से कम पर्वतीय विकास परिषद्, जो उन्होंने बनाई है, उसकी बैठक नैनीताल में 3 साल पहले मा0 प्रधान मंत्री जी के कहने पर हुई थी, आज उक्त परिषद् का तब तक कोई औचित्य नहीं है, जब तक कि नियमित रूप से उसकी बैठक नहीं होती है । आप पर्वतीय विकास परिषद् की बैठक बुलायें ताकि ज्यादा से ज्यादा बात वहां के उत्थान के लिये हो सके । वहां की प्रगति हो सके । माननीय, आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया, इसके लिये धन्यवाद देता हूं और महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के प्रति भी धन्यवाद देता हूं ।

*श्री जनार्दन प्रसाद आभा–

मा0 उपाध्यक्ष जी, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर संशोधन का प्रस्ताव रखने के लिये अवसर दिया । श्रीमन् मा0 नेता विरोधी दल ने जो संशोधन का प्रस्ताव रखा है उसके संबंध में पेज 66 पर मेरा संशोधन का प्रस्ताव है, मैं उस पर बल देता हूं । श्रीमन् महामहिम राज्यपाल का जो अभिभाषण था, वह दिशा हीन था । जब नीति और नियत दोनों स्पष्ट न हो तो आदमी कुछ चाहते हुए भी कुछ नहीं कह सकता है । महामहिम राज्यपाल, जो इस सरकार की इच्छा की अभिव्यक्ति करते हैं, उनका अभिभाषण इस बात का द्योतक है कि इस शासन की न कोई नीति है, न इनकी नीयत साफ है । यह किसान विरोधी सरकार है, जनविरोधी सरकार है । राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में किसी भी जन समस्या को समाधान करने की दिशा में कोई आश्वासन, कोई विश्वास, कोई आशा की किरण

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

झलक नहीं रही है । मान्यवर, मैं गोरखपुर से आता हूं, गोरखपुर जिला वीर पुरुषों का जिला है, मैं वहीं से शुरू करूं। वीर पुरुष के जनपद गोरखपुर में जनतंत्र का जो नंगा नाच हुआ है, सभासद, ब्लाक प्रमुखों और प्रधानों से, जिस तरीके से पकड़कर डण्डे के दम पर, पुलिस की लाठियों के दम पर, जिस तरीके से उनका वोट लिया गया, माननीय मुख्य मंत्री जी यह आपके लिए तो निश्चय ही और इस सरकार के लिये कलंक और शर्म की बात है। मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, उस पक्ष के बैठे लोगों की बात भी कह रहा हूं । उस पक्ष में बैठने वाले माननीय सदस्य राम लक्षन प्रसाद ने प्रतिरोध में आकर गोरखपुर जिलाधिकारी के सामने बल्कि यहां भी अनशन किया था । एक क्षेत्राधिकारी जो था, राम लक्षन की हत्या कराने में लगा हुआ है । मैं कहना चाहता हूं कि राम लक्षन की हत्या होगी, क्योंकि उनके संबंध में तरह तरह की चर्चायें हैं । कहा जाता है उनका विदेशी बैंकों में पैसा जमा है, उनके पास तमाम लोगों का पैसा जमा है, उनके नाम से बम्बई में होटल चल रहा है । पैसे को सरेंडर कराने के लिये पुलिस के लोग लगे हुए हैं, वह सरेन्डर नहीं हो रहा है । क्षेत्राधिकारी महाराजगंज के लिये एक विधायक कहे, एक विधायक क्षेत्राधिकारी के कुकर्म के लिये अनशन करे, भूखहड़ताल करे, आपकी सरकार माननीय मुख्य मंत्री जी आप सार्वजनिक रूप से आश्वासन दें और उस आश्वासन का परिपालन न हो, तो उस कुर्सी पर बैठने का आपको नैतिक अधिकार नहीं है ।

यह क्षेत्राधिकारी वहां 8 साल से है । मैं कहना चाहता हूं कि गोरखपुर में रूल आफ ला नहीं है । एक व्यक्ति का राज्य है । एक ऐसे छोटे आदमी, जिसकी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है, डी0 एम0 उस आदमी का गुलाम है । जिस व्यक्ति की सार्वजनिक जीवन में कोई हैसियत नहीं है, जो अपना नाम नहीं लिख सकता है, आज उसके इशारे पर गोरखपुर का जिला प्रशासन चल रहा है । यह आपके लिये बहुत ही शर्म की बात है माननीय मुख्य मंत्री जी । आपने गन्ने की कीमत बढ़ायी, इसके लिये धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन सरमायेदारों को खुश करने के लिये लेवी चीनी का दाम बढ़ा दिया, उसका क्या औचित्य है ? शासनादेश 1982 का स्पष्ट है चीनी निगम के लिये, चीनी मिलों में काम करने वाले मजदूरों के लिये कि रिटायरमेंट के बाद उनके वारिसों को उनकी योग्यता के अनुसार काम दिया जायेगा लेकिन उस शासनादेश का परिपालन नहीं हो रहा है । माननीय सईदुल हसन जी श्रम मंत्री उस समय भी थे जब मैंने सवाल किया था, उनका जवाब था कि परिपालन हो रहा है, माननीय श्रम मंत्री जी सईदुल हसन साहब आज भी हैं, मैं कहना चाहता हूं कि उसका परिपालन नहीं हो रहा है । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि उस शासनादेश के संबंध में एम0 डी0 चीनी निगम हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट में जा रहे हैं । यह कितनी विचित्र बात है कि शासन का नौकर, शासन के आदेश के खिलाफ सुप्रीमकोर्ट में जाता है, इससे ज्यादा कलंक की बात और क्या हो सकती है । इसी तरह से विद्युत मजदूरों का सवाल है, करीब इससे जुड़े 20 हजार लिपिकों

का सवाल है, उनकी सेवाओं में एनामली है, उसे दूर करने के लिये सुप्रीमकोर्ट का आदेश है, शासन का आदेश है । लेकिन महामहिम राज्यपाल के ऊपर क्या आरोप लगाऊं, उनकी बुद्धि की बलिहारी है, उन्होंने कहा है कि यह जनहित में नहीं है । इसी तरह से गोरखपुर की बाबत एक बात और कहना चाहता हूं, वहां कोंडिया साहब हैं, उनकी जांच करा लें । 50 लाख रु0 गोरखपुर जी0 डी0 ए0 का राजस्थान के बैंक में जमा है । यह किस नियम के तहत गोरखपुर जी0डी0ए0 का पैसा कोंडिया साहब अपने स्टेट की बैंक में जमा किये हुए हैं । प्लेनेट के लिये टेन्डर नहीं हुआ, रजिस्टर्ड कोई टेन्डर नहीं हुआ, लेकिन 40 लाख रु0 दिल्ली की किसी फर्म को एडवांस कर दिया गया, जबकि उस फर्म का कोई नामोनिशान नहीं है । माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि 90 मीटर सड़क बनवाने में साढ़े आठ लाख रु0 खर्च हुआ है, यह आपने ही असेम्बली में जवाब दिया है । यह कौन सा पैमाना है ? गोरखपुर में उसके पैसे पर आपकी राजनीति चलती है । आप जांच करवाइये, मैं उस जांच को फेस करने के लिए तैयार हूं । मैं अपने आरोपों को विधान सभा के अन्दर ही नहीं, विधान सभा के बाहर भी उठा चुका हूं । कोंडिया की जांच कराई जाये, जो भी सजा होगी, मैं उसे स्वीकारने के लिये तैयार हूं ।

इसी तरह से एस0 एन0 सिंह का मामला है । गोरखपुर में शराब की नीलामी हुई और माफिया लोगों से मिलकर कम दाम पर नीलाम कराया गया, इसके खिलाफ मैंने यहां पर शार्ट नोटिस दिया, तब शासन की ओर से फिर से नीलामी करने का आदेश हुआ और तब नीलामी में 1 करोड़ की वृद्धि हुई, तो आपने उस बिक्रीकर अधिकारी और वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के खिलाफ क्या कार्यवाही की, जिसने माफिया लोगों से मिलकर कम दाम में नीलामी करा दी, यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं ? मान्यवर, बाद में भी उन अधिकारियों ने गैंगस्टर्स से मिलकर, ठेकेदारों से मिलकर 2 करोड़ कम कराने की कोशिश की । आज यही सब गोरखपुर में हो रहा है । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब मैं सोशलिस्ट पार्टी में था, तब हम लोग कहा करते थे कि भ्रष्टाचार की जननी दिल्ली में बैठी हुई है, भ्रष्टाचार की गंगा वहीं से बहती है, लेकिन अब मैं इसमें परिवर्तन कर रहा हूं और यह कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार की छोटी गंडक गोरखपुर में है, वहीं से वह उफान ले रही है । मान्यवर, यह मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर यह सरकार किसके लिये है ? आज जनता के पैसे का खुलेआम दुरुपयोग हो रहा है । भ्रष्टाचार कोई ऐसी बात नहीं है, जिस पर बहस हो । लेकिन ऐसे-ऐसे मामले, जिससे आपकी छवि धूमिल हो रही है, आपका विधायक अनशन कर रहा है, त्याग-पत्र देने की बात कह रहा हो, उसके बाद भी आप की ओर से कार्यवाही नहीं की जाती है, तो मैं कहूंगा कि यह सरकार निकम्मी है । आज मंत्री जी आप यहां से उठें, उसके पहले ही उस अधिकारी को वहां से हटा दीजिये ।

महराजगंज में नगरपालिका के चुनाव हुये, वहां सार्वजनिक रूप से बक्सा को तोड़कर, मुहर लगाकर मतों से भरने का काम किया गया । ऐसे में आप वहां कैसे

शक्ल दिखलायेंगे । इसी तरह से गन्ना किसानों की बात को लें आपने गन्ने का दाम थोड़ा तो बढ़ा दिया, लेकिन आज पूरे प्रदेश में ट्रकों गन्ना बाहर जा रहा है, उस पर आपका कोई अंकुश नहीं है । यह सरकार मजदूरों के लिये कुछ करने वाली नहीं है, आपने इन मजदूरों के संबंध में यहां कभी चर्चा नहीं की । जो चीनी मिलें मुनाफे में हैं, उनके मजदूरों को तो आप बोनस देते हैं, लेकिन उन किसानों को बोनस नहीं देते हैं, जिनकी वजह से वह फायदे में जाती हैं । आज ही आप उन मजदूरों के समान इन लोगों को भी बोनस की बात क्यों नहीं करते ? यह मेरी मांग है कि उनको भी आप मुनाफा दें । मान्यवर, यह सरकार बड़ी सदाशयता की बात करती है, लेकिन आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की बात लें । मैं गोरखपुर के सम्बन्ध में निवेदन करूंगा कि वहां चौरी चौरा नामक स्थान पर तो आपने शहीद स्मारक बना दिया, लेकिन डौहरिया, बिशुनपुर गवौड़िया स्थान पर, जहां सन् 1942 में 3 लोग शहीद हुये थे, शहीद स्मारक नहीं बनाया गया । मुझे उम्मीद थी कि महामहिम राज्यपाल का इस ओर मार्गदर्शन होगा, लेकिन उसके लिये कुछ नहीं कहा गया । मेरी मांग है कि इन शहीदों की स्मृति में वहां पर एक शहीद स्मारक का निर्माण कराया जाय ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सरकार का सिर से लेकर पैर तक सब कुछ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है और मैं इस सरकार के कार्यकलापों को गोरखपुर के परिप्रेक्ष्य में समझ नहीं पा रहा हूं । महामहिम राज्यपाल ने जो भी भाषण दिया है, वह वास्तविकता से बिल्कुल परे है और आज इस सरकार के सामने कोई लक्ष्य नहीं है और इसका ढांचा एकदम खोखला है । इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नेता विरोधी दल ने जो संशोधन का प्रस्ताव रखा है, मैं उस पर अपना बल देता हूं और आपसे यह अपेक्षा करता हूं कि जिन सुझावों की ओर मैंने ध्यान आकर्षित किया है, उसका पालन भविष्य में कराया जायगा ।

*डाक्टर रजनीकान्त दत्ता—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समय साक्षी है और इतिहास इसकी पुष्टि करेगा कि कांग्रेस पार्टी के राजनैतिक और सामाजिक कार्यक्रम . . . . .

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि जिस सड़क का उन्होंने नाम लिया वह 90 मीटर की है या साढ़े नौ किलोमीटर की है ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, यह 90 मीटर की सड़क है । पिछले साल माननीय मंत्री जी ने कहा था कि यह 90 मीटर की सड़क है और इस पर 8 लाख रुपए खर्च किया गया है । यह सड़क भूतपूर्व मुख्य मंत्री के निवास के आगे व पुलिस कप्तान, गोरखपुर के निवास के पीछे है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

डाक्टर रजनीकान्त दत्ता–

मान्यवर, मैं कह रहा था कि समय इसका साक्षी है और इतिहास इसकी पुष्टि करेगा कि कांग्रेस पार्टी के जो राजनैतिक व सामाजिक कार्यक्रम हैं इस देश में, वे सब धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी प्रजातांत्रिक मूल्यों के रक्षक हैं । जब मैं ऐसा कहता हूं तो उसके निश्चित प्रमाण भी मेरे पास हैं 17 साल से लम्बित त्रि-स्तरीय व्यवस्था की विषम परिस्थितियों के होते हुए भी जब कहीं क्षेत्रवाद के नाम पर, भाषा के नाम पर प्रान्तीयता के नाम पर, साम्प्रदायिकता के नाम पर नंगा नाच हो रहा था तो हमने चुनाव कराये और उस त्रि-स्तरीय व्यवस्था को लागू किया । मान्यवर, जहां तक जीतने की बात है वह तो हमेशा कांग्रेस जीतती ही है और जीतती रहेगी । हमने यह प्रयास किया है कि ग्रास रूट आर्गनाईजेशन में राजनैतिक दखल न हो, इसलिए हमने निर्दलीय उम्मीदवार को खड़ा किया। आपको सोचना चाहिए कि आपने पार्टी बेसिस पर इलेक्शन लड़ा । तो उस इलेक्शन का राजनैतिक प्लेटफार्म में लड़ाई का क्या औचित्य था ।

माननीय प्रधान मंत्री जी ने एग्रो क्लाईमेटिक जोन बनाये हैं । अब यह भी निश्चय किया गया है कि जिला लेवल पर, पंचायतों और जो दूसरी संस्थायें हैं, नियोजन के तहत पंचवर्षीय योजनाओं में वहां क्या करना है, यह वहीं डिसाईड होगा और वहीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया जायेगा । जिस पंचायती राज व्यवस्था की कल्पना महात्मा गांधी जी ने की थी उसे हमने लागू किया है । उत्तर प्रदेश सरकार ने इस दौरान जो सामाजिक कार्यक्रम चलाये हैं, उनकी निश्चित उपलब्धि आपके सामने है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कुछ बातें सदन के समक्ष रखना चाहता हूं । 1980 में विकास की दर 6.8 प्रतिशत थी, वह आज 12.6 प्रतिशत हो गई है । यदि 1970-71 को आधार वर्ष माना जाय तो 1984-85 में सूचकांक 276.6 था जो आज बढ़कर 344.1 हो गया है कृषि के क्षेत्र में भी विकास की दर में 28.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । 540 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत क्षमता का सृजन किया गया है 36.72 लाख हेक्टेयर में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया गया है । प्रदेश की 12 करोड़ की आबादी में से 10 करोड़ की आबादी गांवों में रहती है, आज उन गांवों को सम्पर्क मार्गों से व मुख्य मार्गों से जोड़ दिया गया है । 74.4 प्रतिशत गांवों का उर्जीकरण हो चुका है । गन्ने का दाम 30 रुपए व 34 रुपये क्विंटल मिल रहा है । उसका भी पेमेण्ट तत्काल हो रहा है । उसके लिये एक ही स्थान पर कृषि सेवाओं की सभी सुविधायें उपलब्ध करायी गयी हैं । गरीब और कमजोर तबकों के लिये कल्याणकारी काम चल रहे हैं फलस्वरूप सातवीं योजना के अन्त तक 15 लाख लोगों को गरीबी की रेखा के ऊपर लाना था । हम पिछले साढ़े चार वर्षों में 15.59 लाख लोगों को गरीबी की रेखा के ऊपर ले आये हैं । यह उत्तर प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजना थी जिसके तहत गेंहू जो 70-71 में 13.02 क्वि0 प्रति हेक्टेयर होता था आज 20 क्वि0 प्रति हेक्टेयर हो रहा है, चावल जो 8.16 क्वि0 प्रति हेक्टेयर होता था वह 15 क्वि0 प्रति हेक्टेयर हो रहा है, आलू जो 92 क्वि0 प्रति हेक्टेयर होता था आज 199 क्वि0 प्रति हेक्टेयर हो रहा है, गन्ना जो 51 टन प्रति हेक्टेयर होता था आज 53 टन प्रति हेक्टेयर हो रहा है । इसके अतिरिक्त दूध के उत्पादन में 5 प्रतिशत, अण्डा उत्पादन में 7 प्रतिशत तथा ऊन उत्पादन में 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । मछली का उत्पादन जहां वर्ष 84-85 में 50 हजार टन था, आज 90 हजार टन है ।

एक कल्पना थी कि गांवों का विकास होगा । जब गांव समृद्ध होंगे तो शहर खुद ही समृद्ध हो जायेंगे । इस दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में सफलतापूर्वक कार्य कर रही है ।

इसी के साथ मैं कुछ मांगें भी रखना चाहता हूं । मेरी मांग है कि वाराणसी में मुरादाबाद, आगरा और अलीगढ़ की तरह बुनकर बस्तियों की स्थापना की जाय । फ्लेचर यार्न की खुदरा बिक्री पर से बिक्रीकर हटाया जाय । बुनकर कोआपरेटिव और एपेक्स बांडीज बुनकरों का वर्तमान में शोषण कर रही हैं, उन्हें भंग कर ऐसे कार्यक्रम चलाये जांय जिससे कामगर गरीब बुनकरों की रक्षा हो । कोरइया की लकड़ी, जो गरीब खिलौना उद्योग में लगे कारीगरों की जीविका का साधन है, उसे कम दामों पर उपलब्ध कराया जाय, जिन गरीबों ने 5000/-रु0 तक का लोन लिया है, उनसे चक्रवृद्धि ब्याज और ब्याज न लेकर केवल मूलधन की वसूली की जाय । बनारस में एक जय नारायण स्कूल है जो 1814 में स्थापित हुआ था । आज स्थिति यह है कि स्कूल खत्म होने के कगार पर है । उसके शैक्षिक स्वरूप को बदलने की चेष्टा की जा रही है, हम लोग तत्परतापूर्वक लगे हुए हैं । मेरी मांग है कि उसका उद्धार करने की दिशा में कदम उठाये जायं । इन्हीं शब्दों के साथ मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता हूं ।

श्री कौशिक रमाशंकर–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री लाल प्रताप सिंह जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर नेता, विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत संशोधनों का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । 8 फरवरी को माननीय राज्यपाल महोदय ने सरकार की नीति और सरकार के कार्यक्रम की रूपरेखा के सम्बन्ध में दस्तावेज के रूप में जो अपना अभिभाषण पढ़ा, उसको देखकर बड़ा अफसोस हुआ क्योंकि न तो उनके अभिभाषण में वर्तमान की सच्ची तस्वीर पेश हो सकी और न ही कोई ऐसे कार्यक्रमों की रूपरेखा सामने आयी जिससे हम कह सकें कि उत्तर प्रदेश का विकास होगा, उत्तर प्रदेश की 50 प्रतिशत जनता जो गरीबी की रेखा के नीचे रह रही है, भ्रष्टाचार को सह रही है, मंहगाई के नीचे पिस रही है, उसका कोई भला होगा। इस खेद की मात्रा और भी बढ़ जाती है जब हम पाते हैं कि मा0 नारायण दत्त तिवारी जैसे मुख्य मंत्री के द्वारा प्रस्तुत जो रूपरेखा कार्यक्रमों की दी गयी उसमें कोई आशा का संचार नहीं होता । मा0 मुख्यमंत्री से कहना चाहूंगा कि आपका बहुत अभिनन्दन हो चुका, तीन-तीन बार मुख्य मंत्री रह चुके अब तो कुछ ऐसा काम करें जिससे बदलाव की कुछ स्थिति पैदा हो ।और जो लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले हैं, जो प्रदेश की जन संख्या का 50 प्रतिशत है, उनका कुछ उद्धार हो सके । श्रीमन्, बुनियादी बात तो यह है कि हमारे देश का विकास, हमारे प्रदेश का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक कि हमारी सरकार की मूलभूत नीतियों में बदलाव नहीं आयेगा, तब तक यह कार्य सम्भव नहीं है ।

यह सही है और मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार के अपने सीमित संसाधन हैं । सारा मामला जो मंहगाई से संबंधित है, गरीबों से संबंधित है, भ्रष्टाचार से संबंधित है वह हमारे देश की मौजूदा कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जिस नयी संस्कृत का विकास किया

है, उपभोग संस्कृति का उसी के कारण है । जिस देश में गरीब लोग हों उसमें उपभोग संस्कृति के द्वारा विकास करना असम्भव है । हमारी सरकार चाहती है कि मध्यम वर्ग का व्यक्ति, उच्च मध्यम वर्ग का व्यक्ति, निम्न मध्यम वर्ग के व्यक्ति टी0 वी0 देखें कम्प्यूटर की चपलता से प्रभावित हों और रोबोट का कमाल देख कर चकाचौंध हों, चाहे हमारे देश का विकास हो या न हो । हमारे देश के लोग चाहे गरीबी से पीड़ित हों, मंहगाई की मार से दुखी हों, बेरोजगारी जहां निरन्तर बढ़ रही हो, लोग परेशान हों वहां यह उपभोग वाली संस्कृति के द्वारा विकास करना ?

उत्तर प्रदेश में रोजगार दफ्तरों में तीस लाख लोग पंजीकृत हैं-रोजगार पाने के लिये, इसके अतिरिक्त और भी लाखों लोग बेरोजगार हैं जिनका पंजीकरण नहीं हुआ है यह हम और आप सभी लोग भलीभांति जानते हैं कि देहातों में रहने वाले कितने पंजीकरण नहीं करा पाते हैं ? यह जो तीस लाख लोग पंजीकृत हैं इनमें से 18 लाख लोग ग्रेजुएट हैं और पोस्ट ग्रेजुएट हैं । जब बेरोजगारी की ऐसी विकट स्थिति हमारे प्रदेश में मौजूद है तो उस समय हम कहें कि कम्प्यूटर के जरिये से हम प्रदेश का विकास करेंगे ? इससे तो बेरोजगारी और बढ़ेगी, यह बहुत शर्म की बात है, इस तरह से हमारे देश का विकास नहीं हो सकेगा ।

आज दिल्ली में बैठ कर इस बात पर विचार किया जा रहा है कि किस तरह से 4 हजार करोड़ रुपया इकट्ठा किया जाय जिससे कि इलेक्शन के समय में महिलाओं को साड़ियां बांटी जा सकें या खैरात बांटी जा सके । मैं कहना चाहता हूं कि खैरात बांटने से देश का विकास नहीं होगा । जब तक कि सरकार अपनी मूलभूत नीतियों में परिवर्तन नहीं करेगी तब तक न तो देश का विकास हो सकता है और न ही प्रदेश का । आपके द्वारा जो उपभोग की संस्कृति जारी की गयी है इससे आप निश्चित रूप से विकास करने में अक्षम सिद्ध होंगे और नतीजे में आपको मंहगायी और भ्रष्टाचार ही मिलेगा ।

आज हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, तस्करी के जरिये से इसको और बढ़ावा मिला है, सरकार के हर कार्य में कमीशन और दलाली चल रही है । अगर कहीं विकास के लिए 100 रु0 सरकार देती है तो निश्चित जानिये कि उसमें से 60 रु0 कमीशन व दलाली में चला जाता है, विकास का काम हम कैसे कर रहे हैं, इसको देखने वाला कोई नहीं है । यदि आप देखें तो आपको पता चलेगा कि हमारे यहां नम्बर 2 का पैसा इतना है कि सरकार का बजट जितना होता है, उससे कहीं ज्यादा है । देश का सारा का सारा पैसा भ्रष्टाचार में ही चला जा रहा है ।

भयावह स्थिति तो आंकड़ों से पता चलती है । सन् 1980 में जो रोजगार दफ्तरों में पंजीकृत लोग थे, उसका 2.73 प्रतिशत लोग नौकरी पा गये । सन् 1986 में इसमें गिरावट आयी और पंजीकृतों में से सिर्फ 1.67 प्रतिशत लोगों को काम मिला। आज स्थिति यह है पंजीकृतों में से एक प्रतिशत लोगों को भी नौकरी नहीं मिल पा रही है । यह जो गिरावट है इस पर भी सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है । जब आप सोचते हैं कि कम्प्यूटर के जरिये से इस देश का विकास होने जा रहा है तब आपका ध्यान इस ओर कैसे जा भी सकता है ?

मैं रेलवे विभाग की एक मिसाल देता हूं 1120 करोड़ रु0 के दो कम्प्यूटर लगाये जा रहे हैं। इस समय जो कर्मचारी वहां पर कार्यरत हैं, उनकी संख्या 15 लाख, 60 हजार हैं, इन कम्प्यूटर्स के लग जाने से 9 लाख 50 हजार कर्मचारी ही रह पायेंगे। इस प्रकार से इन कम्प्यूटर्स के जरिए से 6 लाख लोग रेलवे में बेरोजगार हो जायेंगे। तो एक तरफ तो हर साल बेरोजगार लोगों की संख्या बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ इस सरकार की नीति के अनुसार नौकरियों की संख्या घट रही है, इस सरकार द्वारा रोजगार परक योजनाएं बनाने के बजाय ऐसी योजनाएं बनायी जा रही हैं जिससे बेरोजगारी दिनों दिन बढ़ेगी। इसी प्रकार से मान्यवर बैंकों द्वारा इस समय साढ़े 6 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है। परन्तु बैंकों में भी कम्प्यूटर व्यवस्था लागू करने पर साढ़े तीन लाख लोगों के लिए ही रोजगार रह पायेगा और तीन लाख लोग यहां भी कम्प्यूटर्स के जरिये बेरोजगारी की जद में आयेंगे। इस प्रकार का विरोधाभास जब तक इस वर्तमान सरकार द्वारा दूर नहीं किया जायेगा, इस प्रदेश का उत्थान नहीं हो सकेगा, विकास नहीं हो सकेगा, बल्कि यह कहा जाए तो गलत न होगा कि विकास का हो पाना और उत्थान का हो पाना बिल्कुल नामुमकिन है।

महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में गुणगान किये जा रहे हैं कि हमने आज सहकारी समितियों के, टाउन एरियाज के, जिला परिषदों, नगर पालिकाओं व महापालिकाओं के चुनाव करा दिए। यह सही है, इसके लिए हम भी बधाई देते हैं कि आपने चुनाव करा दिए। यद्यपि 9 साल के शासन के बाद कराए परन्तु यह जितनी भी ये संस्थाएं हैं, सबकी सब बांझ हैं, इन संस्थाओं के पास न तो कार्य करने के लिए कोई उचित साधन हैं, न रोशनी के और न ही सड़कें इत्यादि (उस समय 1 बजकर 20 मिनट पर अधिष्ठाता श्री रघुवर दयाल वर्मा पीठासीन हुए।) बनाए जाने के लिए पैसा है। इन संस्थाओं के पास आज कोई भी साधन विकास करने के लिए है न किसी भी काम के परन्तु बड़ा ढिंढोरा आज पीटा जा रहा है। मात्र इस ढिंढोरा से काम चलने वाला नहीं है क्योंकि जब तक आप इन बांझ संस्थाओं को कोई साधन मुहैया नहीं करायेंगे, तब तक वह आपकी तरफ ताकते रहेंगी, सड़कों के बनवाने में कदम-कदम पर आपसे अनुदान मांगती रहेंगी, रोशनी के इन्तजाम में आपसे अनुदान मांगती रहेंगी, इसी प्रकार से दूसरे अन्य कामों में आपके सामने खड़ी रहेंगी यह संस्थाएं, यह इसलिए कि आपने इन्हें पंगु बना रखा है, बांझ बना रखा है, अगर यह अपने खर्चे में स्वयं मजबूत होती तो आप वास्तविक रूप में बधाई के पात्र होते। और आज यह चुनाव जो कराए गये हैं, उनमें ऐसे लोगों की अधिक भरमार है, जो शराब खोर हैं या शराब के व्यापारी हैं अथवा तमंचों के बल पर काम करने वाले या कराने वाले हैं। इस सिलसिले की एक मिसाल मैं अपने मुरादाबाद की ही देना चाहता हूं कि गजरौला ब्लाक के एक प्रधान श्री सूरजभान को 10 दिनों तक गायब कर दिया उसे वोट डालने नहीं दिया गया। तो इस प्रकार के चुनाव हुए हैं जो निष्पक्ष नहीं कहे जा सकते। बीस सूत्रीय कार्यक्रम में मा0 राज्यपाल के अभिभाषण में बहुत डींग हांकी गयी है, जिसमें यह भी कहा गया है कि उत्तर प्रदेश बीस सूत्री कार्यक्रम में देश में प्रथम नम्बर पर आया है, लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत ही ज्यादा

बिगड़ी हुयी है और खराब है, जब यहां पर नम्बर एक के प्रदेश की यह स्थिति है तो दूसरे प्रदेशों का क्या हाल है? जो आंकड़े दिये गये हैं, वह सारे के सारे सत्य से परे हैं। परिवार नियोजन के बारे में भी मैं एक बात कहना चाहता हूं बल्कि एक मिसाल देना चाहता हूं कि आज बहुत बड़ी शक्ति इस योजना के प्रचार में लगायी गयी है और बेइन्तिहा धन गलत रूप में इस योजना के प्रचार के लिए खर्च किया जा रहा है। हम परिवार नियोजन को अच्छा मानते हैं, ठीक है होना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में यह कार्यक्रम चल रहा है, उस को हम सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। हम जानते हैं कि उसमें कितने फर्जी आंकड़े दिये जा रहे हैं। मैं कुछ आंकड़ों के जरिये बताना चाहता हूं कि 1971-73 के दो सालों में उत्तर प्रदेश में एक हजार की आबादी के ऊपर 45.2 नये जन्म हुये, 1976-78 में 40.3 हुये, 1981-83 में 38.9 हुये, 1982-83 में 38.6 हुये और 1984-86 में 38.3 नये लोगों ने जन्म लिया। मान्यवर, आप पिछले इन 6 सालों को देख लीजिये, 38.9, 38.6 और 38.3 अर्थात .3 परिवार नियोजन की उपलब्धता है। कहने का मतलब यह है कि जितने परिवार नियोजन के मामले 6 सालों में किये गये, वह लगभग सभी फर्जी हैं। 1976-78 और 1971-73 में जो परिवार नियोजित हुए, उन्होंने हमारे यहां 45.2 को 40.3 की स्थिति में ला दिया था, लेकिन उसके बाद परिवार नियोजन में कमी आयी है, लेकिन हमारी जो सरकार है वह इसका ढिंढोरा पीट रही है कि परिवार नियोजन की योजना सफल हो रही है। इन आंकड़ों को देखते हुए आप समझ सकते हैं कि मात्र .3 परिवार नियोजन की सफलता है। तो इन सारी बातों को सरकार को सोचना चाहिए।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि बीस सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत एन0आर0पी0, आई0 आर0 डी0, आर0 एल0 जी0 पी0 आदि योजनाओं को आप चला रहे हैं। आपने विभिन्न नामों की योजनायें चला रखी हैं, इन विभिन्न प्रकार की योजनाओं को चलाने की क्या जरूरत है। आप एक योजना चलाते और सारे कार्य उसी योजना के अंतर्गत हो जाते तो उसका क्रियान्वयन भी अच्छा होता और लोगों को फायदा भी होता और गांवों का विकास भी ठीक प्रकार से होता, लेकिन सरकार ने इस ओर कभी कोई ध्यान नहीं दिया है। आपको देहातों का विकास करना है, तो इसके लिये आपके पास अधिक से अधिक बजट होना चाहिये। आपके पास एक ही योजना होना चाहिये, लेकिन जनता को भ्रम में डालने के लिये आपने विभिन्न नामों की योजनायें बना दी हैं।

श्री अधिष्ठाता–

आप का समय समाप्त हो गया।

श्री कौशिक रमाशंकर–

20 मिनट का समय दिया गया है। अभी पूरा नहीं हुआ है। तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि अलग अलग नाम से आपने अलग अलग योजनायें चला रखी हैं और जनता को आपने भ्रम में डालने का प्रयास क्यों किया है। आप को ग्रामों का विकास करना है और उस विकास में निहित कार्यों को पूरा करना है,

विकास में रोजगार देना निहित है, जिन लोगों के पास आधा रोजगार है, उनको पूरा रोजगार देना निहित है, जो गरीब लोग हैं उनको आवास की व्यवस्था करना आदि ।

श्रीमन् मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सरकार विभिन्न एजेन्सियों के माध्यम से काम करा रही है, विभिन्न एजेन्सियां हैं, पी0 डब्लू0 डी0, गन्ना विकास जिनके माध्यम से आपके काम हो रहे हैं । ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के द्वारा आपके कार्य हो रहे हैं, ब्लाक के जरिये काम हो रहे हैं, स्वायल कन्जरवेशन के जरिये कार्य हो रहे हैं और तमाम प्रकार की एजेन्सियां हैं जिनके माध्यम से कार्य हो रहा है, तो एक अजीब पशोपेश की स्थिति हो जाती है । इन तमाम एजेन्सियों में भ्रष्टाचार फैला हुआ है और उसको दूर करने में सरकार पूरी तरह से असमर्थ रही है । इसके कारण भी हैं, एक तो सिद्धांत रूप से यह सोच नहीं सकते हैं कि किस प्रकार की नीति को अपनाया जाये जिससे कि भ्रष्टाचार समाप्त हो । मैं कहूंगा जब तक आप उपभोगवाद को समाप्त नहीं करेंगे, तब तक भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा ।

श्री खान गुफरान जाहिदी–

लाल बत्ती जल रही है ।

श्री कौशिक रमाशंकर–

हर कोई बता सकता है कि जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, उसमें कितना भ्रष्टाचार है । चीनी अथवा अन्य सामग्री का कोटा उठता है, दूकानदार उठाता है तब से लेकर आखिर तक पूरा भ्रष्टाचार छाया रहता है, इसे सभी लोग जानते हैं । फिर इस सरकार के फैसले ऐसे ही हैं । मिसाल के लिए बिक्री कर का मामला है । व्यापारियों के नवीनीकरण जो उनके लाइसेन्सों के होते हैं, उनके संबंध में सरकार क्यों नहीं सोचती कि किसी भी लाइसेन्स के नवीनीकरण पर सरकार को केवल 5 रुपये मिलते हैं और उपभोक्ता की जेब से सैकड़ों रुपये जाते हैं । बन्दूकों के लाइसेन्स के संबंध में डेढ़-डेढ़ साल हो गये हैं, उनका नवीनीकरण हो जाना चाहिए था लेकिन अभी तक नहीं हो पाया । उसका कारण यह है कि आप इस तरह का तरीका बनाते हैं जिससे भ्रष्टाचार फलता फूलता रहता है जब बन्दूकों के लाइसेन्स नवीनीकरण से सरकार को 2, 4, 7 रुपये मिलते हैं और जिसके पास लाइसेन्स है उसको डेढ़-दो साल तक लग जाते हैं तो ऐसी दशा में आपका ही नुकसान है । यह छोटी-छोटी बातें हैं, जिनके ऊपर ध्यान देना चाहिए ।

अब मैं पेरोल के बारे में कहता हूं । अगर किसी कैदी का जेल में चाल-चलन अच्छा है और वह आजीवन कारावास भुगत रहा है तो उसको एक-दो माह के लिए पेरोल दिया जाता है । लेकिन होता यह है कि इस सरकार ने अब यह निर्णय लिया है कि इस तरह की जो दरख्वास्तें आयेंगी पैरोल के संबंध में, उन पर कैदी के मूल आवास के संबंधित थानाध्यक्ष की रिपोर्ट मंगाई जायेगी । यह कितनी हास्यास्पद बात है । जो कैदी 7 साल से या 4 साल से किसी जेल में सितारगंज में, नैनी जेल में या बरेली जेल में रह रहा है । उसके वर्तमान चाल-चलन की रिपोर्ट थानाध्यक्ष से ली जायेगी । पुराने

चाल-चलन के कारण सजा तो वह भुगत ही रहा है । मानवीय आधार पर पेरोल शादी विवाह के लिए या अन्य इस तरह के अवसरों पर देते थे उसमें आपने इस तरह की व्यवस्था कर दी कि पेरोल मूल आवास के संबंधित थानाध्यक्ष की रिपोर्ट पर दिया जायेगा । वह 500 रुपए घूस लेकर रिपोर्ट दे देता है ।

श्रीमन्, मुझे बहुत सी बातें कहनी थीं लेकिन अब मैं अपने को सीमित करता हूं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं और विशेष रूप से माननीय नारायण दत्त तिवारी जी से, उनका बहुत अभिनन्दन हो चुका है, तीन-तीन बार वे मुख्य मंत्री रह चुके हैं अब वे जो बुनियादी चीजें हैं जिनसे हमारे प्रदेश का भला हो सकता है इस तरह की वे योजनाएं बनायें । अभी वे बजट लाने वाले हैं । उसमें वे ऐसी योजनाएं लायें जिनसे 50 फीसदी लोग जो गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं उठ सकें, बेरोजगारी कम हो और भ्रष्टाचार में जो यह प्रदेश डूबा हुआ है जिससे हर व्यक्ति त्रस्त है चाहे वह लेखपाल हो या कोई और नीचे से लेकर ऊपर तक, बैंकों के जरिए जो गरीबों को पैसा दिलवाने की आप बात करते हैं वह उन्हें नहीं मिल पा रहा है, कमीशनबाजी का आलम फैला हुआ है, मैं चाहूंगा कि आप इस बजट के जरिए इस तरह की योजनाएं प्रदेश के लिए बनाएं जिससे प्रदेश के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठ सके । इन शब्दों के साथ मैं माननीय नेता विरोधी दल द्वारा रखे गए संशोधन के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री लाल चन्द्र निषाद–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, लोकतंत्र की दुहाई देने वाले विरोध पक्ष के लोग यह भूल जाते हैं कि अपने शासनकाल में उन्होंने लोकतंत्र का गला घोंट दिया। इन दिनों हमारी सरकार ने जो स्थानीय निकायों के चुनाव कराए हैं। चाहे टाउन एरिया के चुनाव हों, नगरपालिकाओं के चुनाव हों, नगर महापालिकाओं के चुनाव हों या जिला परिषदों या सहकारी समितियों के चुनाव हों सारे जो चुनाव कराये गये हों वे इस बात के प्रतीक हैं कि हमारी सरकार लोकतंत्र की सजग प्रहरी है और उसे फलाना फूलाना चाहती है। हमारे विरोध पक्ष के माननीय विधायक ओझा जी ने जो अनाप सनाप आरोप लगाये उनमें कोई तथ्य नहीं है और अब वह सदन से उठकर चले भी गये हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि गोरखपुर में जो चुनाव हुये हैं चाहे जिला परिषद् के हों या नगर पालिका के वे शुद्ध लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हुए हैं किसी सभा सद को प्रताड़ित नहीं किया गया है या किसी प्रकार का लालच नहीं दिया गया है । आप जानते हैं कि 68 सीटों में 38 सीटें कांग्रेस को मिली हैं और विरोध पक्ष से जो सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई वह भारतीय जनता पार्टी रही उसको महज 16 सीटें मिली हैं बाकी को किसी को 4 किसी को 3 सीटें मिली हैं । ओझा जी ने कहा कि अभी जो गोरखपुर में जिला परिषद् के चुनाव हुए उसमें नंगा नाच हुआ तो मैं बताना चाहता हूं कि उसमें मुझे 82 वोट मिले और केवल 18 वोट विपक्ष को मिले हैं । तो इसमें कहना कि नंगा नाच हुआ है यह मनगढंत बात है । माननीय ओझा जी ने कहा कि महाराजगंज का जो पुलिस अधिकारी है उसको सरकार का संरक्षण प्राप्त है उन्होंने वहां

के सी0 ओ0 का नाम लिया । मैं कहना चाहता हूं कि महाराजगंज का सी0 ओ0 बहादुर किस्म का पुलिस आफिसर है और वह सही काम करता है, रिटायरमेंट उसका करीब है।

उन्होंने एक आरोप लगाया कि राम लक्षन जी को जान का खतरा है तो यह उनकी बात मनगढ़ंत है। उनको सरकार ने एक शैडो दिया है उनकी रक्षा के लिये। अगर उनको खतरा है तो विरोधी पार्टियों से है जिनके साथ उनका लगाव हो गया है।

उन्होंने एक आरोप कोटिया जो गोरखपुर में प्रशासक के रूप में आये उनके ऊपर लगाया यह भी निराधार है । कोटिया साहब के आने के बाद गोरखपुर में तमाम सड़कों का सुधार हुआ है और भी जन सेवा के अच्छे काम हुये हैं। वह एक कुशल, निर्भीक और ईमानदार आफिसर है वह किसी के दबाव में नहीं आते हैं।

जहां तक सड़कों की बात है वह हर जगर हाट मिक्स प्लांट से बन रही है और गोरखपुर में भी बन रही है अगर वह किसी के घर से निकल कर चली जाय तो उसमें क्या कठिनाई है। अगर बीर बहादुर सिंह जी के घर से निकलती है तो उसमें क्या गलती है। इस प्रकार उन्होंने जो आरोप लगाये हैं वह सब निराधार हैं, काल्पनिक हैं उनमें कोई असलियत नहीं है।

जहां तक माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का प्रश्न है उसमें हमारी सरकार के विकास कार्यों का वर्णन किया गया है और 20 सूत्री कार्यक्रम हमारी प्रगति के लिये है और उसमें हमारा प्रदेश गत दो वर्षों से प्रथम स्थान पर रहा है और इस साल भी उसमें आगे है। उसमें तमाम योजनायें हैं सीलिंग की भूमि का आवंटन, बाल विकास परियोजना आदि कई विकास की योजनायें हैं। इस 20 सूत्री कार्यक्रम की गुणवत्ता को बनाये रखने के लिये टास्कफोर्स बनाई गयी है जो मौके पर जाकर कामों को देखती है और उससे लोगों के आर्थिक उत्थान में सहायता मिलती है। 20 सूत्री कार्यक्रम की जो उपलब्धियां हैं उसको अनिवार्य रूप से प्रकाशित कराया जाता है। गन्ने के बारे में कहना चाहूंगा पहली बार ऐसा हुआ है कि गन्ने का मूल्य निर्धारित किया गया है। गन्ने की जो सामान्य प्रजाति है उसका मूल्य 30 रुपये कुन्टल तथा जो शीघ्र पकने वाली प्रजाति है उसका मूल्य 34 रुपये कुन्टल निर्धारित किया गया है। यह एक अच्छी रिपोर्ट है। पूरब पश्चिम का भेद न रखकर एक समान रेट दिया गया है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि गन्ना किसानों का मूल्य जो बकाया रहता था वह बकाया नहीं है। 99.41 प्रतिशत भुगतान हो चुका है।

मान्यवर, बिजनौर में एक चीनी मिल निर्माणाधीन है। इसके अतिरिक्त एक-एक नई चीनी मिल गोरखपुर व हरदोई में लगाने की भी घोषणा की गई है। दो नई आसवनियां कायमगंज एवं फर्रुखाबाद में स्थापित की जा रही हैं। तमाम सुधार हुए हैं। इसी तरह मान्यवर, रबी खाद्यान का लक्ष्य 211 मीट्रिक टन रखा गया है। उसमें किसानों की मेहनत, अच्छी वर्षा प्रदेश सरकार और केन्द्र द्वारा दी गई सहायता से इन लक्ष्यों को पूरा किया जाएगा। विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कृषि यंत्र, कृषि रक्षा उपकरण और कृषि रक्षा रसायनों को उपलब्ध कराया गया है ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो उन्नत कृषि में योगदान करती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जो राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण रखा है मैं उसका स्वागत करता हूं।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मान्यवर, मैं माननीय नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत जो संशोधन है उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैंने समझा था कि महामहिम राज्यपाल कुछ नीतिगत बातों का उल्लेख करेंगे जो शासन की वर्ष भर की कमियां थीं उनमें कैसे सुधार किया जाए, इस बारे में अपने विचार प्रकट करेंगे। मान्यवर, नीतिगत बातों की चर्चा इसमें नहीं है। उन कमियों में सुधार करने के विषय में भी इसमें कुछ नहीं लिखा है कहा है कि स्थानीय निकायों के जो चुनाव हुए वह सफलतापूर्वक सम्पन्न हुए। इस चुनाव में प्राप्त जनादेश को झुठलाया गया है कैसा अजूबा हुआ है जहां पर मुट्ठी भर लोग थे उनको मैनेज करके चुनाव जीत लिया गया। ग्राम सभाओं तथा वार्डों के चुनाव में जहां बालिग मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव हुआ वहां कांग्रेस बुरी तरह से हारी है। परन्तु विकास खण्ड प्रमुख, जिला परिषद् सदस्य, जिला परिषद् अध्यक्ष, बड़ी नगर पालिकाओं के अध्यक्ष और नगर प्रमुख के चुनाव में कांग्रेस ने सत्ताबल, धनबल और धिनौने प्रलोभन देकर कुछ सफलता प्राप्त कर ली है। गोरखपुर महानगर में कांग्रेस के केवल दो मत थे ।

(व्यवधान)

बनारस में तीन वोट थे परन्तु दोनों स्थानों पर कांग्रेस जीत गयी। जिला परिषद् के अध्यक्ष की चुनावों में भी यही हुआ । कांग्रेस की इसी नीति का परिणाम है कि पुलिस भी निरंकुश हो गयी है। मान्यवर, पाठक जी के बारे में कहना चाहूंगा । वाराणसी भाजपा के मंत्री डा0 पाठक जी ने क्या अपराध किया था कि पुलिस ने उनको मारते-मारते मार डाला, उन्होंने फर्जी वोटों का विरोध किया था इसलिए उन्हें यह सजा दी गई। बालाजी पाठक की हत्या कर दी गई जैतपुरा थाने की पुलिस ने उन्हें मारते-मारते मार डाला, परन्तु हत्यारे खुली सड़कों पर छुट्टा घूम रहे हैं। मैंने तो समझा था कि इस पर राज्यपाल कहेंगे कि इस शर्मनाक काण्ड से सरकार के माथे पर जो कलंक का टीका लगा है उसको धोने का वह प्रयास करेंगे, अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। यदि यह उन्होंने कहा होता तो मैं समझता कि उन्होंने अपनी गलतियों को सुधारने और संवारने की दिशा में कुछ कार्य किया है। आपने अपने भाषण में आगे कहा कि स्थानीय निकायों में जो चुनकर आए हैं वह जन आकांक्षाओं को पूरा करेंगे । आज स्थानीय निकाय सरकार के हाथ की कठपुतली मात्र बनकर रह गये हैं। बिक्री-कर, मनोरंजन-कर, वाहन-कर और मंडी शुल्क आदि तमाम उनकी आय के साधन आप ले लेंगे, तो किस तरह से स्थानीय निकाय अपना विकास और जनहित के कार्यों को कर पायेंगे । यदि राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में यह कहा होता कि स्थानीय निकायों के चुनाव हो गये हैं और अब से उनकी इन मोटी मदों से प्राप्त धन में से बड़ा हिस्सा उनको दिया जाएगा तो हमें हर्ष होता और वे भी जन आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में बढ़ पाते सदन में कहा गया है कि राम जन्म भूमि का बड़ा विवाद है, उससे बड़ा तनाव है और उसके कारण सदभावनाओं को धक्का लगा है । मैं नहीं समझता कि राम जन्म भूमि को लेकर यदि सरकार सही निर्णय ले तो ऐसी कोई बात पैदा ने हो पावे। किन्तु यह सरकार तो इस मामले को उलझाये रखना और टाले रखना चाहती है। राम का जन्म कहां हुआ ? सब मानते हैं कि अयोध्या में हुआ और अयोध्या

में यदि उस भूमि पर उनका मंदिर बना है तो उसमें कौन सी आपत्ति की बात है । हमने देखा है कि महात्मा गांधी जी का मंदिर गुजरात में स्थापित है, सुभाष चन्द्र जी बोस का मंदिर बंगाल में बना हुआ है, तो क्या इनके मन्दिर बनवाये हैं इनकी मूर्तियां लग गई हैं। इस आधार पर कुछ लोग इनको अमान्य कर देंगे। इनके मंदिर से क्या हर्ज हो जाएगा ? इस देश की परम्परा है कि जो बड़ा बन गया उसको कुछ लोग मूर्ति रूप में पूजते हैं कुछ महा पुरुष कहकर पुकारते हैं, आर्य समाजी हिन्दू भी तो राम की मूर्ति पूजा नहीं करते हैं परन्तु उन्हें महा पुरुष मानते हैं फिर इस देश के मुसलमानों को श्री राम को महापुरुष मानना चाहिए। उसी स्थान पर हुआ था जहां पर आज उनका मंदिर खड़ा है। कुछ काल बाद श्रीमती इन्दिरा गांधी की भी मूर्तियां और प्रतिमाएं तो क्या कुछ लोग इसके आधार पर उनके नेतृत्व को अमान्य कर देंगे। होना भी नहीं चाहिए। अयोध्या में वहां पर अति प्राचीन काल से एक भव्य विशाल राम जी का मंदिर था, उसे तोड़ दिया गया। किसने तोड़ा था ? बाबर ने तोड़ा था। बाबर विदेशी और आक्रमणकारी था। इस देश की मान्यता और परम्परा यही रही है, मनुष्य का मूल्यांकन उसकी कृतियों पर, उसके कार्य पर हुआ है। उसकी जाति और मजहब के आधार पर नहीं। यहां राम और रावण दोनों हुए हैं रावण हिन्दू था और पंडित था, किन्तु उसके कार्य बुरे थे, इसलिए हमने उसको नहीं माना, हमने राम को माना और उनकी पूजा भी की । कंस भी हिन्दू था, किन्तु उसके कार्य अच्छी नहीं थे हमने उसको नहीं माना, उसकी निन्दा की, हमेशा भर्त्सना की और इतिहास में अच्छा स्थान नहीं दिया । जयचन्द का भी काम गलत था, इसलिए उसको भी भारत का जनमानस कभी स्वीकार नहीं कर सकता है । उसी तरह से बाबर का काम गलत है, वह आततायी था, यह देश उसके कार्य को कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं । हम लोग उसके गलत कार्य को कोई मान्यता नहीं दे सकते हैं, स्पष्ट है कि राम जन्म भूमि मन्दिर के संबंध में कोई विवाद नहीं है। अब तक यह हल कर दिया गया होता तो बड़ा अच्छा रहता। यदि राज्यपाल महोदय ने यह घोषणा कर दी होती कि यह जिसका स्थान है, मंदिर है उसका विवाद खत्म करने के लिए हिन्दुओं को सौंप दिया जाएगा तो मैं इसका भी स्वागत करता । किन्तु जानबूझकर उस मुद्दे को टाला गया है ।

श्री लाल प्रताप सिंह–

बुद्धिस्ट के बहुत से प्रोसीक्यूशन हुए, उसके बहुत से मंदिर हमने खड़े किये हैं ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

इसमें भी आप निर्णय लेते कि जहां-जहां जिन किसी आस्था के मंदिर तोड़े गये हैं, कब्जा किया गया है उनके बारे में शासन निर्णय लेगा कि उनको सुरक्षित लौटा दिया जाएगा । यदि ऐसा किया जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी का उसके लिए पूरा समर्थन और सहयोग आपको रहेगा ।

विकास की बड़ी बड़ी बात हो रही है, परन्तु उसकी गति बड़ी धीमी है । मैं समझता था कि इस विषय में भी राज्यपाल कुछ बताएंगे कि 40 साल से जो विकास चल रहा है और वह बहुत धीमा है उसकी गति को तेज किया जाएगा । किन्तु यह

नहीं किया गया । जापान ने 10 साल में, संयुक्त राज अमेरिका ने 12 वर्षों में अपना वांछित विकास कर लिया, सोवियत रूस ने 14 साल में ही अपना काफी विकास कर लिया और आस्ट्रेलिया ने 12 साल की अवधि में अपना विकास कर लिया, फिर क्या कारण है कि 40 साल की लम्बी अवधि में भी इस प्रदेश और देश का अभी तक विकास नहीं हो पाया है । इस बारे में इससे कुछ भी नहीं कहा गया है । कार्य की गति कैसी धीमी है इसका एक उदाहरण दे रहा हूं ।

हमारे जनपद बस्ती के विकास खण्ड खलरहा डुमरिया बुजुर्ग गांव में पैमाइश किये जाने के बारे में मैं बराबर 10 साल से कह रहा हूं कि उसकी पैमाइश कर दी जाए, किन्तु अब तक वह नहीं हुआ था । आखिर में बड़े प्रयासों से 21 नवम्बर, 87 को उस बारे में गजट हुआ कि पैमाइश कर दी जाएगी, लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं हुआ है, तो कैसे मानू कि आपके कार्य की गति तेज है । मैं समझता था कि राज्यपाल कहेंगे कि अब तेजी से प्रदेश का विकास किया जाएगा । परन्तु इस संबंध में कुछ नहीं कहा ।

1988-89 का वित्तीय वर्ष समाप्त होने वाला है । फरवरी हो गयी है 31 मार्च को यह वर्ष समाप्त हो जायगा परन्तु बस्ती जिले के पी0 डब्लू0 डी0 विभाग की वर्ष 88-89 की योजना अभी स्वीकृत नहीं हुई है तो जो काम वहां कराये जाने हैं वह इतने समय में कैसे कराये जायेंगे । इस धनराशि का दुरुपयोग होगा और काम भी घटिया होगा क्योंकि काम कराने के लिये अब समय नहीं बचा है । इसी तरह से गांवों के सुधार की बात इस अभिभाषण में नहीं की गयी है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय विद्युत मंत्री जी ने घोषणा की है कि 4000 गांवों का विद्युतीकरण किया जायगा । इस प्रदेश में एक हजार ब्लाक हैं तो एक ब्लाक में 4 गांव आयेंगे । इस तरह से सभी गांवों का विद्युतीकरण करने में 25-30 साल लग जायेंगे । किसी गांव को विद्युतीकरण के लिए प्रति 10 घर पर एक खंभे की व्यवस्था की गयी है मान लीजिये किसी गांव में 200 घर हुये तो 20 खंभे उस गांव के नाम पर लगने चाहिये । चाहे अंतिम ग्राम के बाहर तक रह जाय परिणाम यह है कि कितने गांव कागज में विद्युतीकृत हैं परन्तु मौके पर गांव के बाहर खंभा खड़ा है । इस तरह 10 घर पर एक खंभा लगाने की नीति के कारण पूरे गांव का विद्युतीकरण नहीं हो पा रहा है। एक और बात विचारणीय है कि घरों की गणना सन् 72 की जनगणना के आधार पर की गयी है तो मैं कहना चाहता हूं ग्रामीण विद्युतीकरण की यह जो नीति है यह बिल्कुल गलत है।

इसी तरह से दोहरी शिक्षा नीति है । शिक्षा को दो भागों में बांटकर विषमता की खाई को चौड़ा किया जा रहा है । इसके बारे में राज्यपाल महोदय ने कोई घोषणा नहीं की है । इसी प्रकार से राशन कार्डों के संबंध में कहना चाहता हूं गांवों में राशन कार्डों की कोई व्यवस्था नहीं है । जनता को मिलने वाला सामान जैसे चीनी, तेल, गेहूं आदि को ब्लैक किया जाता है और वह जनता को नहीं मिल पाता है। सरकार की ओर से राशन कार्डों को बनवाने की घोषणा नहीं की गयी है ।

इसी तरह से औद्योगिक विकास की बड़ी चर्चा की गयी। पूज्य महात्मा गांधी ने कहा था कि गांव बनायेंगे, नगर बेचेंगे। लेकिन हालत यह है कि सारी चीजें बड़े-बड़े नगर बनाते हैं, बड़े-बड़े घराने बनाते हैं लेकिन सरकार की नीति के कारण गांव आज खरीदार मात्र बनकर रह गये हैं। और गांवों का कोई विकास नहीं हो रहा है। मुझे आशा थी कि राज्यपाल महोदय बेरोजगारी को दूर करने के लिये, आम जनता का स्तर ऊंचा उठाने के लिए गांव-गण्ड में छोटे-छोटे उद्योग धंधों को खोलने की घोषणा करेंगे और सरकार इन उद्योग धंधों को खुलवाकर महात्मा गांधी की आत्मा को शांति देगी लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जब गांव बनायेंगे और शहर बेचेंगे तभी गांवों का विकास होगा। मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अभी 4 नये जिले बनाये गये हैं लेकिन अन्य जिलों की भांति यहां पर पालीटेक्निक नहीं खोले जायेंगे ऐसी बात भाषण में कही गयी है तो ऐसा क्यों? मेरी मांग है कि इन जिलों में भी पालीटेक्निक खोले जायं।

मान्यवर, इसी तरह से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बांसी पनघटवा बांध की मरम्मत की जाय, असोगवा-नगवा बांध की मरम्मत की जाय नहीं तो बरसात में यह बांध टूट जायेंगे और तमाम इलाका बह जायगा। नरकटवा-रामदियरा बांध अधूरा है उसको पूरा करवाया जाय। सोनेश्वर-हयातनगर बांध की मरम्मत करवायी जाय। अमागढ़-हारा तथा बांसी डुमरियागंज बांध अभी अधूरा पड़ा है जिसको पूरा किया जाय नहीं तो अनेक गांव बरसात में बह जायेंगे। हमारे यहां 300 गांव ऐसे हैं जो जल जमाव की समस्या से ग्रस्त हैं। लेकिन जल जमाव की विभीषिका को दूर करने के लिये राज्यपाल महोदय ने कोई घोषणा नहीं की है। इन शब्दों के साथ आपने जो समय दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय नेता विरोधी दल ने जो इस अभिभाषण पर संशोधन का प्रस्ताव पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री हरदेव–

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है मैं उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। आपने जो मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हमारी सरकार ने जो-जो विकास कार्य किये हैं वह सराहनीय हैं। हमारी सरकार द्वारा जो कार्य किये जाते हैं उनके संबंध में महामहिम राज्यपाल ने घोषणायें की हैं। हमारे उस पक्ष के बुद्धिमान साथियों ने हमारी सफलताओं का जिक्र नहीं किया केवल राजनैतिक लाभ में निंदा करने का काम किया है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैं बताना चाहूंगा कि सरकार ने कृषि के क्षेत्र में जो कार्य किये हैं उससे कृषि में बड़ी उन्नति हुयी है। गत वर्षों में जो सूखा पड़ा था उसका सरकार ने बड़ी मजबूती से सामना किया और सूखे के कारण कृषि को, जनता को हानि नहीं पहुंचने पायी। हमारी सरकार ने जो क्रांतिकारी कदम उठाये हैं उससे चारों तरफ, हर मोर्चे पर उत्तर प्रदेश में तरक्की हुई है। चावल, गेहूं का उत्पादन बढ़ाया गया है जबकि बहुत भयंकर सूखा पड़ा था और गरीबों को काम देकर रोटी उपलब्ध कराई गयी।

ये विरोधी दल के सभी साथियों ने इस संकट के समय में केवल किसानों और कर्मचारियों को आंदोलित करके उत्पादन एवं राजस्व में अनेक बाधाएं उत्पन्न किया। कर्मचारियों और अधिकारियों को इन विरोधी पक्ष के लोगों ने आंदोलित किया। लेकिन हमारी सरकार ने बड़े धैर्य और साहस के साथ कर्मचारियों और अधिकारियों की मांग को स्वीकार किया। मुझे इस बात का अफसोस है कि जब हमारी सरकार यानि मुख्य मंत्री एवं प्रधान मंत्री जी जनहित में और प्रदेश के विकास के हित में काम करते हैं तो विरोधी दल के साथी लोग इसके विपरीत आचरण करके जनता में भ्रम पैदा करते हैं। प्रदेश में ब्लाक स्तर पर अधिक से अधिक औद्योगिक आस्थानों की स्थापना की गयी है। कताई मिल, गन्ना चीनी मिल एवं अन्य प्रकार के उद्योगों की स्थापना के लिए कार्य किया गया है, जिससे कि गरीबी और बेरोजगारी मिटेगी और बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा। ब्लाकों में सामुदायिक केन्द्र खोले गये, जहां पर बी0 डी0 सी0 के सदस्य और जनता बैठ कर विकास की क्षेत्रीय समीक्षा करते हैं।

जहां तक सदन में माननीय सदस्यों ने परिवार कल्याण, नसबन्दी में दोष की चर्चा की है, उसमें हम सभी माननीय सदस्यों को अपने-अपने क्षेत्रों में तथा राजकीय अस्पताल शिविरों में जाकर निरीक्षण करना चाहिए कि कहीं अपात्र व्यक्तियों की, बुड्ढे-बुड्ढियों की नसबन्दी तो नहीं की जा रही है और यदि ऐसे लोगों की नशबन्दी अधिकारी एवं कर्मचारी लोग जमीन की लालच देकर और अपने प्रोमोशन और इनाम लेने के लिए कराते हैं, तो उन्हें दण्डित किया जाय और फर्जी नसबन्दी को रोका जाय। यह जिम्मेवारी माननीय प्रधान मंत्री और माननीय मुख्य मंत्री जी की नहीं होती है, बल्कि यह जिम्मेवारी क्षेत्र में विधायक लोगों की होती है। वास्तव में नसबन्दी का काम राजस्व विभाग को नहीं दिया जाना चाहिए। यह काम स्वास्थ्य विभाग को ही दिया जाना चाहिए। हमारे जनपद बलिया में वर्ष 1987-88 में भूतपूर्व जिलाधिकारी श्री अशोक कुमार ने एक हजार 16 नसबन्दी 31 मार्च, 1988 को फर्जी रूप से कागज पर दिखा दिया तथा साढ़े सात करोड़ रुपया जनपद के विकास के हर मद का पैसा चेक से अल्प बचत में जमा करा दिया और हर विभाग के अधिकारियों को धमकाया कि उनकी चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्ट कर दी जायगी। उन्हें हड़का कर विकास के मद के पैसे को अल्प बचत योजना में जमा करा दिया और उनकी चरित्र पंजिका भी अभी तक नहीं लिखा। इस प्रकार से एक भ्रष्ट और बेईमान आई0 ए0 एस0 अधिकारी ने राष्ट्रीय प्रोग्राम के इस महत्वपूर्ण कार्य में प्रधान मंत्री एवं मुख्य मंत्री तथा उत्तर प्रदेश शासन की नीतियों को धोखा देकर फर्जी नसबन्दी और अल्पबचत का काम दिखला कर प्रशंसा पत्र और इनाम पा लिया है। साढ़े 12 लाख रुपया का वर्ष 1984 में आगरा में घपला किया, जिसकी जांच भी राजस्व परिषद् से हो गई है। इस फाइल को दबवा कर उत्तर प्रदेश में अपना पहला स्थान बना कर और प्रदेश के अन्य आई0 ए0 एस0 अधिकारियों को चकमा पढ़ाकर, धोखा देकर प्रोमोशन पा लिया है। इसको प्रोमोशन देने वाले अधिकारियों को दण्डित करने की मैं मांग करता हूं और ऐसे भ्रष्ट आई0 ए0 एस0 अधिकारी श्री अशोक कुमार का प्रोमोशन और प्रशंसापत्र तथा इनाम रद्द किया जाय। इसकी पत्रावली राजस्व विभाग में पड़ी हुई है। इसी तरह

से भूतपूर्व एस0 डी0 एम0 श्री प्रभाकर दुबे, रसड़ा में लगभग 200 महिलाओं और बूढ़ों की जिनकी उम्र 55 से 71 वर्ष की है, नसबन्दी करा कर ग्राम समाज को भूमि आवंटित कर दिया है। इस आवंटन को लेकर गांव-गांव में झगड़ा पैदा हो गया है। और हजारों मुकदमें हुए हैं उक्त एस0डी0एम0 ने भी फर्जी काम दिखा कर पदोन्नति और इनाम ले लिया है, जिसे रद्द किया जाय।

मैं अपने क्षेत्र की बात कहूंगा कि मऊनाथ भंजन जनपद हो गया है, इसको कमिश्नरी शीघ्र बना दिया जाय, क्योंकि बलिया, आजमगढ़ और गाजीपुर के बीच में यह जनपद सेन्टर प्लेस पर पड़ता है, जहां औद्योगिक विकास तथा बड़ी लाइन एवं अधिकारी और कर्मचारी के लिए कार्यालय और आवास की सुविधा प्राप्त है। मैं सदन के माध्यम से शासन से तथा माननीय मुख्य मंत्री जी और राजस्व मंत्री जी से मांग करता हूं कि बेलथरा रोड (सियर) को तहसील घोषित करके, वहां पर तहसील बनाई जाय।

मान्यवर, तहसील रसड़ा में मुन्सिफी व नगर पालिका तथा सीयर ब्लाक जो 103 ग्राम सभाओं का है तथा नगरा ब्लाक जो 113 ग्राम सभाओं का है इसमें से विकास की मांग और आवश्यकता को देखते हुए 72 ग्रामसभाओं को काटकर भीमपुरा समीप (किड़िहरापुर) ब्लाक बना दिया जाय। इस प्रकार 72-72 ग्राम सभाओं का तीन ब्लाक हो जायेगा और भीमपुरा सीयर नवा नगर तथा नगरा उत्तरी ब्लाक को ग्रामों को मिला-कर बिलथरा रोड एक बड़ी तहसील और अच्छी तहसील हो जायेगी। यहां ट्रेजरी स्थापित हो गयी है बड़ी लाइन हो रही है। पावर हाउस स्वीकृत है, भूमि विकास बैंक स्वीकृत है और तहसील के हर मानक उपलब्ध हैं। सस्ती जमीन एवं भवन आसानी से किराये पर तथा आवास भी कर्मचारियों को मिल सकते हैं और आवागमन की सुविधा, टेलीफोन, बिजली आदि सभी मौजूद हैं। मान्यवर, लड़कियों के लिए इन्टरमीडिएट में पढ़ने के लिए रसड़ा में शिक्षा व्यवस्था नहीं है इसलिए राजकीय कन्या इन्टर कालेज राजकीय कन्या हाई स्कूल रसड़ा का उच्चीकरण करके कर दिया जाय। संयुक्त राजकीय पालीटेकनिक कालेज महिला और पुरुष की जो शासन के विचाराधीन है, पिछली तहसील के बालक बालिकाओं को प्राविधिक शिक्षा देने के लिए शीघ्र स्थापित करने की स्वीकृत प्रदान की जाय। शारदा सहायक नहर जो मेरे क्षेत्र में 1975 से बन रही है इसको पूरा करने के लिए 5 करोड़ रुपये की आवश्यकता है जिसे तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री हरदेव–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

आप जो बोल रहे हैं उसे नहीं लिखा जायेगा।

टिप्पणी:* [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री हरदेव–

[x x x]

श्री पारस नाथ यादव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा में मुझे भाग लेने का अवसर दिया। मान्यवर, मैंने भी कुछ संशोधन प्रस्ताव दिये हैं जो कार्यवाही में अंकित हैं। नेता विरोधी दल द्वारा रखे गये संशोधन प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। मान्यवर, यह राज्यपाल के अभिभाषण में जो पुस्तिका हम लोगों को दी गयी है उसको पढ़ने से ऐसा लगता है कि आंकड़ों के जाल से अधिकारियों ने विकास का ढिंढोरा तो पीटा है लेकिन वास्तविकता क्या है उसको हम कुछ कहना चाहते हैं। मान्यवर, यह प्रदेश गांवों का प्रदेश है। 80 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है और वहां पर रहते हुए 70 से लेकर 80 प्रतिशत तक जनता खेती पर अपना जीवन यापन करती है। मान्यवर, जब तक हम गांवों का विकास नहीं करेंगे, तब तक खेतिहर मजदूरों का जीवन स्तर नहीं उठायेंगे तब तक हम कितना ही ढिढोरा पीटें कि प्रदेश का विकास हो गया है, यह सम्भव नहीं है। आज भी हम जब गांवों की दुर्दशा को देखते हैं जहां सम्पर्क मार्ग नहीं है, जहां सिंचाई के साधन नहीं हैं, जहां बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, जहां माताओं बहनों की बीमारी के लिए अस्पताल नहीं हैं तो ऐसा लगता है कि यह 41 वर्षों में इस हुकूमत में बैठे लोगों ने एक ढिढोरा ही पीटा है।

मान्यवर, आज हम जिस तरफ देखते हैं कागज पर ही हर कार्य हो रहा है। गरीब किसान हरिजनों को जो भूमि का पट्टा दिया जाता है ऊसर, बंजर, बीहड़ में, तो 50 प्रतिशत उन पट्टों पर वह गरीब और हरिजन कब्जा ही नहीं पाता है और 50 प्रतिशत पर अगर कब्जा भी पा गया तो उसके पास कोई ऐसा साधन नहीं है कि ऊसर बीहड़ भूमि का सुधार हो सके। मैं सुझाव के रूप में इस हुकूमत में बैठे हुए लोगों से आग्रह करूंगा कि गरीबों का अगर आप जीवन स्तर ऊपर उठाना चाहते हैं तो ऊसर और बीहड़ भूमि को कृषि योग्य बनाकर ही पट्टा दें तो निश्चित रूप से उनका जीवन स्तर ऊंचा उठ सकता है। इस पुस्तिका में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि उस ऊसर, बीहड़, बंजर भूमि के सुधार के लिए सरकार ने कोई योजना बनायी है जिसका फायदा हम गरीबों में दे सकते हैं।

दूसरी तरफ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि ग्रामीण विद्युतीकरण का ढिढोरा पीटा जाता है सरकार की नीयत यह है कि एक गांव में अगर खम्भा पहुंच गया तो उस गांव का विद्युतीकरण मान लिया जाता है। मान्यवर, यह कितना अन्याय है कि एक एक गांव में 10-10, 12-12 पुरवे होते हैं और 2 हजार से 10 हजार की आबादी वाले गांव हैं और उनमें एक पोल से विद्युतीकरण मान लेते हैं। तो यह कैसे सम्भव होगा कि गांव को उजाला दे सकें। इसलिए मेरा निवेदन है कि जब तक गांव के हर पुरवे में विद्युतीकरण न हो जाय और बल्ब न जल जाय, तब तक उस गांव का विद्युतीकरण न माना जाय।

नोटः–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

मान्यवर, इस अभिभाषण में महामहिम राज्यपाल ने यह भी कहा है कि प्रत्येक जिले में पालीटैक्निक खोले जायेंगे जिससे बेरोजगारी दूर हो सके। मान्यवर, इससे बेरोजगारी समाप्त नहीं हो सकती है। यह एक खोखला नारा है। आज भी 80 हजार डिप्लोमा इन्जीनियर बेरोजगार हैं। वे विधान सभा के सामने धरना देकर भूख हड़ताल कर रहे हैं। मान्यवर, इन 80 हजार बेरोजगार डिप्लोमा इंजीनियरों के लिए सरकार कोई भी ठोस कदम नहीं उठा रही है। ये बेरोजगार जो सड़कों पर घूम रहे हैं, इनके चलते अपराध बढ़ रहे हैं। यह निश्चित है कि जब नौजवान अंगड़ाई लेगा तो हुकूमत का कहीं पता नहीं चलेगा। नौजवानों का आह्वान करके यह हुकूमत जिस तरह से काम कर रही है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि नौजवानों के साथ नाइंसाफी हो रही है। जब तक इन नौजवानों को दिशा नहीं देंगे तब ये दिशाहीन होकर अपराध करने को बाध्य हो जायेंगे। इसलिए मैं आपके माध्यम से इस हुकूमत में बैठे लोगों से निवेदन करता हूं कि इनको रोजगार नहीं दे सकते तो बेरोजगारी भत्ता ही इनको दिया जाय। इसके साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि आज गांव में जो दुर्दशा है, सरकार ढिंढोरा पीटती है कि लोग रोजगार के बदले अनाज कार्यक्रम में काम कर सकते हैं और किसी को भूखे नहीं मरने दिया जायगा। आप सत्यापित कर लें, हृदय पर हाथ रखकर देखें, ब्लाक स्तर पर, जिला योजना में कोई भी काम चाहे पी0 डब्लू0 डी0 बनवाएं, आर0 ई0 एस0 बनवाएं या जिला परिषद् बनवाएं, सब जगह ठेकेदारी की व्यवस्था है और फर्जी मस्टर रोल के आधार पर पेमेंट लिया जाता है। किसी भी मजदूर को अनाज नहीं दिया जाता है। कम पैसे में ठेकेदार काम कराते हैं और सरकार ढिंढोरा पीटती है कि मानव दिवस का सृजन करके किसी को भूखा नहीं मरने देंगे। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी जा रहे हैं। इनको जानकारी है कि गांवों के विकास के लिए सरकार कितना खोखला नारा दे रही है। आज भी उस तरफ पहुंचते हैं तो वही स्थिति सामने आ जाती है तो सन् 47 के पहले गांवों की व्यवस्था थी।

आज भी पूर्वांचल के बहुत से गांवों में पहुंचने के लिए कोई साधन नहीं है। बरसात में ही नहीं गर्मियों में भी वहां पैदल जाना पड़ता है। इसलिए दो बातें कह कर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। मेरा क्षेत्र दक्षिणांचल में भदोही के बार्डर पर है। इसकी भौगोलिक स्थिति दो नदियों के बीच में है। इसलिये इस क्षेत्र में एक पार से दूसरी पार जाने के लिए लोगों को बड़ी परेशानी होती है। भदोही कालीन उद्योग का एक बहुत ही अच्छा स्थान है और विश्व के मानचित्र में इसका स्थान है। आसपास के गरीब मजदूर किसान खाली समय में कालीन बुनकर जीवन यापन करते हैं। मेरी मांग है कि बरुणा नदी को पार करने के लिए ग्राम कारो के तिलकनाथ घाट पर सूरयावां को जोड़ने के लिए पुल का निर्माण कराया जाय। इन शब्दों के साथ, मैं अपने संशोधन के प्रस्ताव पर बल देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सुरेश चन्द्र–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं इसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, जो हमारी सरकार काम

कर रही है, विकास को उससे नयी दिशा मिली है। मेरा कहना है कि जो एन0 आर0 ई0 पी0, आर0 एल0 जी0 पी0 में मस्टर रोल पर काम कराये जाते हैं, वह टेंडर बेस पर किये जायं। उसमें देख रेख के लिए प्रोजेक्ट प्रधिकारी, टेक्नीकल अधिकारी की नियुक्ति की जाय।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य, माईक पर आकर बोलें, ताकि आवाज साफ आ सके।

श्री सुरेश चन्द्र–

कई पुलियां बनायी गई हैं, वह मस्टररोल पर बनायी जा रही हैं, उसमें इंजीनियर का सुपरविजन नहीं है, मेरा कहना है कि इंजीनियर वहां सुपरविजन के लिए दिया जाय या किसी इंजीनियरिंग एजेन्सी से वह काम कराया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य माईक पर आकर बोलें।

श्री सुरेश चन्द्र–

हमारी प्रदेश सरकार ने, भारत सरकार ने टूरिज्म को एक इन्डस्ट्री घोषित किया, इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। पहाड़ में टूरिज्म का होना अतिआवश्यक है। मेरा यह भी कहना है कि टूरिस्ट्स की सेवा में जो छोटे लोग लगे हुए हैं जो चाय/खुम्चा आदि लगाते हैं, उनको भी आगे बढ़ाने के लिए कुछ किया जाय, ताकि वह अपना रोजगार आगे बढ़ा सकें। तीसरी बात टूरिज्म के लिए जहां पर वाईन वगैरह बंद है, वहां पर बार खोले जायं, ताकि टूरिस्ट वहां जाय और अपना इंज्वायमेन्ट कर सकें।

मान्यवर, मैं प्रदेश सरकार और प्रदेश कांग्रेस संगठन को बधाई देना चाहता हूं कि इस बार हमारे यहां 75 प्रतिशत जिला परिषद् में लोग कांग्रेस आई0 के आये हैं। साथ ही साथ मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे यहां 3–4 हजार अंशकालीन टीचर्स हैं, उनको समायोजित कर पूर्णकालीन बनाया जाय। वहां अध्यापकों की कमी है, उन्हें समायोजित कर दिया जाय। यह मेरा सुझाव है। मैं जनजाति क्षेत्र खटीमा से चुनकर आया हूं। वहां जो बाल विकास कार्यक्रम चल रहा है वह काफी अच्छा चल रहा है। वहां के लोगों का यह कहना है कि बाल विकास परियोजना अधिकारी जेन्ट्स न रखकर लेडिज रखी जाय। इन्हीं शब्दों के साथ आपने जो मुझे थोड़ा सा समय दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो यहां धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। विरोधी दल के लोगों ने जो बातें कही हैं, उनका मैं डटकर विरोध करता हूं।

श्री राज किशोर सिंह–

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण जो लिखित रूप में है, उनको मैंने बड़े गौर से पढ़ा। कुल मिलाकर उनके अभिभाषण में कोई ऐसी बात नहीं है जिससे मालूम हो कि उत्तर प्रदेश तरक्की कर रहा है। महामहिम राज्यपाल महोदय ने प्रारम्भ में यह कहा कि हमने चुनाव करा दिये स्थानीय निकायों के और नगर-पालिकाओं, नगर महापालिकाओं के। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि

बड़े जबरदस्त आन्दोलन के बाद और न्यायालय के फैसले को बार-बार ठुकराने के बाद आपने चुनाव अन्त में करा दिये । मान्यवर, अगर इन चुनावों को शुरू से लेकर आखिर तक हम देखें, तो पायेंगे कि मतदाता सूचियां जो बनी थीं, वह बिल्कुल वाहियात थीं और इनमें पूरे के पूरे परिवार गायब कर दिये गये थे । बाद में जो चुनाव हुये, उनसे मालूम होता है कि हमारे यहां जो चुनाव की जनतांत्रिक पद्धति है, उसका पूर्ण रूप से हनन किया गया । इन चुनावों में [× ×] रुपया, हिंसा आदि सब काम किये । जिसने ब्लाक जिला परिषद् के चुनाव में, ग्राम प्रधानों के चुनाव में [× ×] की, रुपया खर्च किया, उसी की जीत हुयी । इन चुनावों में लोगों को भेड़-बकरी की तरह से बन्द करके जबरदस्ती वोट ले लिया गया । उसके बाद जो नगर महापालिकाओं के चुनाव हुए उसमें भी लोगों ने 1-1 लाख से लेकर 5-5 लाख तक रुपया खर्च किया । जिस तरह से इन चुनावों में धांधली, [× ×] हुई, उसे चुनाव नहीं कहा जा सकता । सरकार डींग मारती है कि हमने चुनाव करा दिया और अब अपनी व्यवस्था अपने आप करो । इस चुनाव ने दिखा दिया कि जीत उसी के हक में जाती है, जो खुलकर रुपया खर्च करे और जो बूथों पर कब्जा करे ।

दूसरी बात महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कही कि कृषि उत्पादन बढ़ गया, तो इसमें सरकार ने क्या कर दिया? किसान ने अपनी मेहनत से अनाज पैदा किया और आपने किसान विरोधी नीति बनाकर उसकी खेतों में काम आने वाली खाद का दाम बढ़ाया, कीटनाशक दवाओं का दाम बढ़ाया, उसके खेती के काम आने वाले उपकरणों के दाम बढ़ाये । आपने उसे क्या दिया । इतना ही नहीं, पूरे प्रदेश में वर्ष भर बिजली की दुर्दशा रही पूरे प्रदेश के किसान ट्रांसफार्मरों के लिए परेशान रहे और वह इसकी मांग करता रहा, लेकिन कभी भी उसकी पूरी आपूर्ति नहीं हो पायी, जिसकी वजह से किसानों को बेहद परेशानी उठानी पड़ी । साथ ही साथ, आपकी जो सिंचाई की व्यवस्था है, उस व्यवस्था से भी आज किसान बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, कहीं ट्यूबवेल चलते नहीं, नालियां खराब हैं और ट्यूबवेल के पुर्जे खत्म हो जायें, या मोटर जल जाये, तो महीनों तक वह पुर्जे मिलने वाले नहीं हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि आपने किसान का बड़ा भला किया है ? आपने किसानों को लाभकारी मूल्य तो दिया ही नहीं । आपने गेहूं का मूल्य 181 रुपया तय कर दिया, लेकिन वह भी किसान को नहीं मिला । आज आप देखिये कि बाजार में गेहूं साढ़े 3 रुपये किलो बिक रहा है। इस तरह से आपने किसानों को लूट लिया । शहर के गरीब उपभोक्ताओं को, मध्यम वर्ग के लोगों को आप लूटते जा रहे हैं और ऊपर से आप डींगे मारते हैं कि हमने गेहूं का दाम बढ़ा दिया । इसी तरह से गन्ने का भाव बढ़ाने की बात राज्यपाल महोदय ने कही कि 30 रुपये व 34 कर दिया । आप स्वयं देखिये कि गन्ने का भाव जो है, वह लकड़ी के भाव से भी कम है, आज जिस भाव से जलाने की लकड़ी बिक रही है, उससे भी कम

टिप्पणी:—[xx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

भाव से गन्ना बिक रहा है । जो किसान का लागत मूल्य है, जो उसकी मेहनत लगती है, वह भी आप उसे नहीं दे पा रहे हैं। आप जो कहते हैं, वह एक थोथी बात है।

दूसरी बात जो इस अभिभाषण में कही गयी है, उद्योग धन्धों के बारे में । आप तो उद्योग धन्धों को चौपट करते जा रहे हैं, हमारे प्रदेश में आज तमाम कारखाने बन्द हैं और इसके बाद आलम यह है कि जगह-जगह तालाबन्दी हो रही है, कटनी-छटनी हो रही है । इलाहाबाद के राजकीय स्पिनिंग मिल में 80 दिनों से बन्दी है, वहां पर लाखों रुपये नुकसान हो रहा है, लेकिन आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही है और मजदूरों को परेशान करने के लिए आपने उनकी न्यायोचित मांगों को मानने से इन्कार कर दिया है । मान्यवर, इस मिल को चालू न करवा कर यह सरकार इस प्रदेश के लोगों की दौलत को नुकसान कर रही है। यही हाल वाराणसी जिले में है, वहां हरी फर्टीलाइजर को अवैध ढंग से बन्द कर रखा गया है । न आपकी सरकार कुछ कर पा रही है और न आपकी पुलिस कुछ कर पा रही है और मिल को मनमाने ढंग से बन्द कर रखे हुए हैं। यह सरकार केवल उद्योगपतियों के सामने दुम हिलाती रहती है और मजदूरों को जेलों में डालती रहती है, उनके खिलाफ पुलिस इस्तेमाल करती है । जिन उद्योगपतियों के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए, उनके खिलाफ यह कार्यवाही नहीं कर पा रही है।

इसी तरह महामहिम राज्यपाल ने कहा कि हर जिले में एक-एक पालीटेक्निक खोलेंगे । आज देखिये इस विधान सभा के सामने क्या हो रहा है ? हजारों डिप्लोमा होल्डर, ग्रेजुएट इंजीनियर, अंशकालिक टीचर, तदर्थ टीचर, प्रौढ़ शिक्षा के पर्यवेक्षक आन्दोलन कर रहे हैं। आज वहां पर 80 हजार डिप्लोमा होल्डर, 6 हजार ग्रेजुएट इन्जीनियर, 500 प्रौढ़ शिक्षा के पर्यवेक्षक धरना दे रहे हैं, मैं कहता हूं कि आप खोलते जाइये, पालीटेक्निक, खोलते जाइये इंजीनियरिंग कालेज, इनसे कुछ होने वाला नहीं है, इसके लिए कोई नीति होनी चाहिये । जो हमारे छात्र वहां से निकल रहे हैं, उनको काम दिया जायेगा कि नहीं । आप इस प्रकार बेरोजगारों की पलटन खड़ा करते जा रहे हैं।

[समय 2 बज कर 20 मिनट]

शिक्षा के बारे में आपने कहा । आज शिक्षा के क्षेत्र में हमारे प्रदेश की क्या हालत है । जो बच्चे हमारे एक से लेकर पांचवीं कक्षा तक प्राइमरी पाठशालाओं में पढ़ते हैं, उनको भी आपने नहीं छोड़ा है। उन पर भी आपने विकास शुल्क लगा दिया है । आज भी प्रदेश में 18 हजार ऐसे प्राइमरी पाठशालायें हैं, जिनके भवन नहीं हैं। नवोदय विद्यालयों की बात आप करते हैं। नई शिक्षा की बात आप करते हैं। पता नहीं इस नई शिक्षा का क्या होगा । आज जो गांवों में प्राइमरी पाठशालायें हैं, इनकी हालत बहुत ही खराब है। उनमें टाट-पट्टियां तक नहीं हैं। कितने नये प्राइमरी पाठशालायें आप खोलेंगे और कितने कन्या विद्यालय आप खोलेंगे, इसकी कोई योजना आपके पास नहीं है । शिक्षा के मामले में

आपकी जो समझ है वह नकारात्मक है। गांव के गरीब लोगों के बच्चों के लिए आपकी कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं है और शहर के गरीब लोगों के बच्चों के लिए आपकी कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। हर ब्लाक में दो कन्या हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट कालेज होने चाहिए ताकि गांवों में जो लड़कियां रहती हैं, वह शिक्षा ग्रहण कर सकें।

प्रदेश में कानून व्यवस्था की क्या हालत है। मैं तो कहूंगा कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। लखनऊ शहर में ही 8 वर्ष की एक लड़की ऊषा यादव को कुछ गुण्डे बदमाश उठाकर ले जाते हैं। अखबारों में आता है कि उसके साथ बलात्कार किया और उसके बाद उस मासूम बच्ची की हत्या कर दी जाती है, किन्तु आपकी यह निकम्मी पुलिस उन गुण्डे बदमाशों को नहीं पकड़ सकी। आपके लखनऊ में यह होता है, आपको शर्म आनी चाहिए। शाहिदाबाद में नुक्कड़ ड्रामा हो रहा था। हमारे प्रख्यात रंगकर्मी श्री सफदर हाशमी की हत्या कर दी कुछ गुण्डे बदमाशों ने। ये गुण्डे-बदमाश खतरनाक हथियारों से लैस होकर आये थे। ये गुण्डे बदमाश कौन थे, आप सभी लोग जानते हैं। वहां एक मजदूर राम बहादुर भी खड़ा था, उसको इन बदमाशों ने मार डाला और उसके बाद श्री सफदर हाशमी को भी इतना मारा कि दूसरे दिन वे मर गये। हमारे सांस्कृतिक आन्दोलन के एक बहुत बड़े रंगकर्मी उठ गये। आपकी सरकार डींग मारती है कि हमारे प्रदेश की कानून-व्यवस्था बहुत बढ़िया है। आपका जो थाना-ध्यक्ष है, क्या वह आपके वश में रह गया है। आपको इतनी भी हिम्मत नहीं है कि कोई कार्यवाही आप उसके खिलाफ कर सकें। यहीं से कुछ दूर तस्करी का जिला है। वहां श्री बृजलाल आये थे, उन्होंने कुछ तस्करों को पकड़ना चाहा या कुछ को उन्होंने पकड़ भी लिया लेकिन आपने उनको वहां से लाकर यहां मुख्य मंत्री के साथ बांध दिया। यह इस प्रदेश के मंत्रिमण्डल में पहली घटना है। एक आई0 पी0 एस0 अधिकारी को संयुक्त सचिव के पद पर बना दिया। आपकी सरकार तस्करों की रखवाली है, जो हीरोइन बेचते हैं, उनको संरक्षण देती है।

अब आप अनुसूचित जाति व जन जाति के लोगों के आरक्षण को देखें। कोई भी ऐसा विभाग नहीं है, जहां आरक्षण पूरा किया गया हो? जब विभाग वालों से पूछा जाता है तो कह दिया जाता है कि योग्य और निर्धारित अर्हता रखने वाले अनुसूचित जाति व जन जाति के लोग नहीं मिल रहे हैं और या तो फिर यह कह दिया जाता है कि किसी ने प्रार्थना-पत्र ही नहीं दिया है? इतना [x x] जो कहा जा रहा है कि हरिजनों की तरफ से दरखास्त नहीं आती है। संवर्ग-4 के कर्मचारियों में भी हरिजनों का कोटा पूरा नहीं किया जाता है। आपने हरिजन कल्याण आफिस खोल रखा है। जब कोई हरिजन मारा जाता है उसकी हत्या होती है सवर्णों के द्वारा तो 10 हजार रु0 भी सरकार नहीं दे पाती है। हरिजन कल्याण आफिस कहता है कि पैसा ही नहीं है। विकलांग और विधवाओं के लिए एलान

टिप्पणी:—[xx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

करते हैं कि पेंशन दे रहे हैं, हरिजन कल्याण आफिस के अधिकारी कहते हैं कि उनके पास पैसा ही सरकार ने नहीं भेजा । बनारस जनपद में ही हजारों प्रार्थना-पत्र विकलांगों और विधवाओं के पड़े हुए हैं, जिनको पेंशन नहीं मिल रही है। मैं ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि अगर हरिजन कल्याण आफिस में पैसा अभी तक नहीं भेजा है तो फौरन पैसा भेजने की व्यवस्था करें ।

अभी कुम्भ की बात आयी कि बड़ा अच्छा इन्तजाम किया है । यह दूसरा महाकुम्भ है । आपने पूरे संगम के इलाके को नरक बना दिया है। लोग वहां जाते हैं कि नहाकर स्वर्ग जायेंगे, लेकिन आपने उन्हें नरक में भेज दिया है। खर्च हुए करोड़ों रुपये लेकिन काम नहीं हुआ । यह जो प्रदूषण के लिए गंगा एक्शन प्लान बना है, इसमें लाखों और करोड़ों रुपया खाया जा रहा है । यह केवल इलाहाबाद की बात नहीं है, चाहे कानपुर हो, बनारस हो या हरिद्वार हो । बनारस में केवल एक वाटर प्लाण्ट बन पाया है, वह भी ठीक से नहीं चल पा रहा है, दूसरा वाटर प्लाण्ट खटाई में पड़ा हुआ है ।

20-सूत्रीय कार्यक्रम की बहुत बात कही गयी, लेकिन कहां जमीन बंटी ? हमने कहा कि जमीन भूमिहीनों को हरिजनों को तभी मिलेगी जब भूमि सुधार हो । जितने फर्जी हस्तान्तरण हुए हैं, उनके व बिना नाम की जमीन की छानबीन करके नये सिरे से उत्तर प्रदेश के अंदर आप जमीन बांटेंगे तभी गरीबों को जमीन मिलेगी। 20-सूत्रीय के अन्दर आप कहते हैं कि दो डिसमिल जमीन ले लो और नसबन्दी करा लो वह भी फर्जी हो रहा है, इस तरह से जमीन गरीबों को नहीं मिलने वाली है।

यह जो आवासीय व्यवस्था बनायी जा रही है चाहे इन्दिरा आवास हों या निर्बल वर्ग आवास हों, ये एक-दो साल से ज्यादा नहीं चल पा रहे हैं। 6 हजार रु0 जो दिया जा रहा है, कहीं 6 हजार रु0 में मकान बनता है ? इनमें ईंटा बहुत खराब क्वालिटी का प्रयोग में लाया जा रहा है तथा ठेकेदार कमीशन खा रहा है। चाहे एन0 आर0 ई0 पी0 से हो या आर0 एल0 ई0 जी0 पी0 से हो, सब ठेकेदारों को दे दिया जाता है जब कि 20-सूत्रीय में ठेकेदारों को देने की बात नहीं है । इस तरह से पूरे प्रदेश में यह स्थिति पैदा कर दी है जिससे हर इन्सान परेशान है। जरूरत इस बात की है कि नये सिरे से सोचें । आप वादा करते हैं कि नये उद्योग खोलेंगे, कहां नोएडा बना, किस प्रदेश में बना, किस जिले में बना, कुछ पता नहीं है। आप जापान से आगे बढ़ने की बात करते हैं और अपने पैरों के नीचे नहीं देखते हैं कि कितनी जगह है। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत संशोधन पर बल देता हूं।

श्री त्रिभुवन प्रसाद–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। श्रीमन्, राज्यपाल महोदय के भाषण के पेज 2 पर देखें जिसमें लिखा हुआ है कि हमारा

प्रदेश बीस सूत्रीय कार्यक्रम देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। श्रीमन्, इस देश के प्रधान मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि हमारी योजनाओं का केवल पांच प्रतिशत ही लोगों तक पहुंच पाता है।

कर्नल केसरी सिंह–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि जब विरोध पक्ष के सदस्य ने बोल लिया तब आपको कांग्रेस पक्ष के सदस्य को बोलने का मौका देना चाहिए था, आपने दूसरे को बोलने का मौका दे दिया ?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय कर्नल साहेब, जो यहां सूची उपलब्ध है उसमें माननीय चक्रवर्ती जी सत्ता पक्ष में ही हैं।

कर्नल केसरी सिंह–

उनसे कहिये कि वे स्वयं यह बतायेंगे कि वे किस पक्ष में हैं।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या कांग्रेस पार्टी से उन्हें निकाल दिया गया है?

श्री अधिष्ठाता–

मैंने उन्हें सूची के अनुसार ही आहूत किया है।

श्री त्रिभुवन प्रसाद–

श्रीमन्, मेरी निजी जानकारी है कि आई0 आर0 डी0 के अन्तर्गत हरिजनों को इंजन दिये जाते हैं उसे वह 5800 रु0 में खरीद सकता है किन्तु योजनाओं के अंतर्गत उसे वही इंजन 7800 रु0 में दिये जाते हैं। यह कागज पर दिखाने की बात है कि यह सरकार हरिजनों के उत्थान का कार्य कर रही है। इसी तरह से मैं स्वास्थ्य विभाग के बारे में भी बतला सकता हूं कि नसबन्दी के मामलों में यहां केन्द्रीय सरकार ने स्वीकार किया है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा फर्जी नसबन्दियां की गयी हैं। फर्जी नसबन्दी के फार्म भरवा दिये जाते हैं अपनी नौकरी को बचाने के लिये। इस तरीके से अरबों रुपया का गबन किया जा रहा है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि बड़ा अच्छा होता कि यदि गवर्नर महोदय अपने अभिभाषण में मुख्य मंत्री जी को यह आदेश देते कि वे अपने मंत्रियों पर नियंत्रण कर पाते, तो बड़ा अच्छा होता।

श्रीमन्, मुजफ्फरनगर के संबंध में मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि वहां के दो मंत्री माननीय हुकुम सिंह जी तथा माननीय सईदुज्जमा ने मुजफ्फरनगर में अपनी-अपनी अहमियत दिखाने के लिए इतना दंगा कराया और इंसानों की आशाओं की सीढ़ी बनायी। यदि इनमें कुछ नैतिकता होती तो ऐसा काण्ड न होता और माननीय तिवारी जी की पता नहीं कौन सी मजबूरी है कि इतना होने के बावजूद भी वे इनके प्रति कोई कार्यवाही नहीं कर पाये।

श्रीमन्, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप देखें कि वर्तमान जो सूचना मंत्री जी हैं लखनऊ के, एक गिरोहबन्द व्यक्ति से घनिष्ट सम्बन्ध रखे हैं जिसकी कि कई हत्याओं में साजिश है, उसके यहां वे समारोह में गये।

और ऐसे व्यक्ति के दरवाजे पर पुलिस व्यवस्था की गयी थी तो आप कैसे पुलिस से सही काम ले सकेंगे । इसलिए मैं चाहूंगा कि ऐसे लोगों को आप निर्देश दें कि इस प्रकार के कार्यों में जिन लोगों का जरा भी हाथ हो वह नैतिकता को सामने रखते हुए अपने पदों से त्याग-पत्र दें और ऐसी संदिग्ध स्थिति में उन्हें मंत्री मंडल में नहीं होना चाहिए और जब आप ऐसे मामलों में निर्देश देंगे तो प्रदेश का उत्थान हो सकेगा और समुचित विकास हो सकेगा ।

साथ ही मैं मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि यह सरकार बराबर कहा करती है कि हरिजनों और गरीबों का उत्थान करने के लिए हम काम कर रहे हैं, मैं इस संबंध में एक उदाहरण देना चाहता हूं कि बहराइच जनपद में 22 लोगों की नियुक्ति की गयी जिसमें से एक भी अनुसूचित जाति व जनजाति की जाति का नहीं लिया गया और एक व्यक्ति जो पहले से कार्यरत था उसे इसलिए हटा दिया गया क्योंकि इसने यह मांग की थी कि उसे पुनः रखा जाए, यह है सरकार की नीति इन लोगों के प्रति ।

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पृष्ठ 9 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जिसमें यह घोषणा की गयी है कि 21 हजार कि0 मी0 सड़क को बनाने हेतु सुनिश्चित कर लिया गया है, या इसे लिया गया है, यह बात स्पष्ट नहीं है, जबकि इस बात को पूर्णतया स्पष्ट होना चाहिए । दूसरी बात मान्यवर मैं आपके माध्यम से उपभोक्ता के बारे में कहना चाहूंगा कि यह जैसा कि कहते हैं कि मैं उपभोक्ताओं को संरक्षण देना चाहता हूं तो दूसरी ओर सरकार ने एक व्यापार मित्र समिति भी बनायी है, जिसमें छोटे-छोटे उपभोक्ताओं को संरक्षण देने की बात कही गयी है, परन्तु मान्यवर अब तक तो इस सरकार की यही नीति रही है कि वह पूंजीपतियों को हमेशा संरक्षण देती आयी है और आज भी उन्हीं बड़े-बड़े पूंजीपतियों को यह संरक्षण दे रही है । इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि इन छोटे-छोटे उपभोक्ताओं को कभी संरक्षण नहीं मिल सकता है जब इन्हें सही सामग्री समय से मिले और इनका शोषण न किया जाए और दूसरे प्रदेश में तभी शांति रह सकती है जब प्रदेश की कानून और व्यवस्था सही हो और सभी वर्ग के लोग समृद्ध व सुखी रहें और किसी का उत्पीड़न न किया जाए तभी देश का कल्याण होगा इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

श्री गोपीनाथ वर्मा–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने आज इस चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया । महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में प्रदेश के किसानों के विकास और तमाम ऐसी समस्याओं के निदान का उल्लेख कहीं नहीं किया गया है । उदाहरण स्वरूप मैं अपने जनपद फैजाबाद की ओर आपका ध्यान आकृर्षित करना चाहता हूं । जहां पर वर्ष 1988 के माह जून में उप चुनाव हो रहा था । उस अवसर पर तत्कालीन माननीय मुख्य मंत्री श्री वीर बहादुर सिंह जी ने 21 करोड़ की लागत से एक पुल निर्माण हेतु महरी-पुर-कलवारी मार्ग पर शिलान्यास कर दिया और यह आश्वासन दिया कि इस पुल का निर्माण तत्काल करवा दिया जायेगा, परन्तु मान्यवर सबसे बड़ी विडम्बना तो यह है कि आज तक संबंधित अधिकारियों व तकनीकी अधिकारियों की रिपोर्ट तक सुनिश्चित नहीं हो सकी है कि वहां पर पुल बनेगा भी या नहीं । यह राजनीतिक दांव था कि चुनाव जीता जा सके, अवाम को धोखे में रखा गया । और मान्यवर, यही नहीं इस पुल के शिलान्यास

के समय वहां पर जितने हैंड-पम्प आदि लगे थे, उनको भी उखड़वा दिया गया परन्तु आज तक वहां पर शिलान्यास के बाद भी पुल बनाए जाने की कार्यवाही प्रारम्भ नहीं हो सकी है।

साथ ही एक बात और कहना चाहूंगा कि लोकपति त्रिपाठी जी यहां पर बैठे हैं, 100 शैय्या का एक अस्पताल के निर्माण की बात टांडा में त्रिपाठी जी द्वारा घोषणा की गयी जब यह स्वास्थ्य मंत्री थे, मैं यह नहीं कहता कि इनकी मंशा गलत थी, परन्तु वहां से भी कांग्रेस का प्रत्याशी चुनाव के लिए खड़ा था, इसलिए वहां पर फर्जी घोषणा की गयी और यहां तक कि सिंचाई विभाग में इस तरह से आतंक फैलाये हुये थे शासन की ओर से 15 नलकूप लगाने थे, लेकिन जब मंत्रियों का काफिला आया और 50 गड्ढे बनवा दिये और कहा कि नलकूप लगवाये जायेंगे । मैंने पता किया तो पता चला कि 15 ही नलकूप लगाए जायेंगे । उस क्षेत्र में इन्होंने आतंक पैदा किया और कह दिया कि जब हमारे प्रत्यासी को जिताओगे, तब विकास कार्य करेंगे । मैं कहना चाहता हूं कि तत्कालीन मुख्य मंत्री ने जो भी घोषणायें की, उनका उल्लेख माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में नहीं मिलता है । मैंने कहा था कि साकेत कोल्ड स्टोरेज में 35 हजार कुन्तल आलू किसानों का जमा था और वह सारा का सारा सड़ गया, सरकार को 25 लाख रुपये का मुआवजा भुगतान करना था, लेकिन उसका भुगतान नहीं कराया गया और इसके साथ ही साथ यह भी कहना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में शीतगृह मालिकों ने किसानों से 3 रुपया प्रति कुन्तल किराया लिया था, उसके विरुद्ध कोर्ट का निर्णय हो गया कि यह तीन रुपया किसानों से नहीं लिया जाना चाहिये, तथा वापस किया जाय वह तीन रुपया अभी तक उन किसानों को नहीं लौटाया गया है, सरकार उसको वापस नहीं कर सकी है और फिर सरकार कहती है कि वह किसानों की हितैषी है । विधान सभा गेट पर दर्जनों लोग बैठे हैं, कोई आई0 टी0 आई0 का है, कोई अंशकालिक शिक्षक है कोई रोजगार के लिये बैठा है और जब उनके बारे में मामला सदन में उठाया जाता है, तो सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं देती है । सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के लोग बैठे हैं और वह आमरण अनशन पर हैं, 3 की हालत बदतर है और वह अपनी आवाज को आप तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं । यह सरकार कुछ करने वाली नहीं है ।

किसानों के विकास के मामले में जानकारी देना चाहता हूं कि भूमि संरक्षण विभाग द्वारा खेतों को पानी पहुंचाने के लिये नहरों से और माइनरों से नालियां बनायी जाती हैं, इस में किसानों की कोई सहमति नहीं ली जाती है, और उसका पैसा किसानों से वसूल किया जाता है और अगर कोई किसान उसको नहीं देता है तो आर0 सी0 जारी कर दी जाती है । इस प्रकार से पूरे क्षेत्र में आतंक फैला हुआ है, उसके बारे में सरकार ने कुछ भी नहीं कहा है ।

मान्यवर, मैं बुनकरों के बारे में कहना चाहता हूं । टांडा, फैजाबाद में बुनकर बहुत हैं । हसवर, टांडा इल्तिफादगंज, मुबारकपुर और भूलेपुर में लगभग 30 हजार बुनकर हैं। उनके लिये सूत और स्टेपिल यार्न की सुविधा उनको नहीं दी जाती है। इसके साथ ही साथ रंगाई और छपाई तथा फिनिशिंग की कोई प्रोजेक्ट वहां पर नहीं है, जिससे उन गरीब बुनकरों को बड़ी कठिनाई होती है । सरकार कहती है कि 24 घन्टे बिजली दी जाती है, लेकिन 10 घन्टे भी बिजली नहीं मिल पाती है । इस प्रकार से 20 हजार बुनकर बेकार बैठा हुआ है । निजी नलकूपों पर बिजली नहीं जाती है और

सरकार से पूछा जाता है तो कहती है कि 20 घन्टे बिजली जा रही है, 10 घन्टे बिजली जा रही है । पूरे प्रदेश में एक ऐसी स्थिति पैदा हो गयी है जिससे सरकार के खिलाफ जनाक्रोश पैदा हो रहा है 1988 में टांडा में चुनाव जीतने के लिये करोड़ों रुपया खर्च करने की घोषणा की, लेकिन किसान वहां जागरूक था, सरकार के बहकावे में नहीं आया और सरकार के घोषणाओं को ठुकरा दिया । आपके पूरे मंत्रि मंडल ने और तत्कालीन मुख्य मंत्री ने वहां अखाड़ा बना लिया था और 10 दिन तक वहां पर रहे, लेकिन सरकार के कारनामों से वहां की जनता वाकिफ थी, इसलिए कांग्रेस का प्रत्याशी बुरी तरह से हारा, उससे आपको सबक लेना चाहिये । लेकिन आपने ऐसा नहीं किया । दूसरी तरफ जब हम किसी बात की यहां पर चर्चा करना चाहते हैं तो सरकार में बैठे हुये जो जिम्मेदार लोग हैं वे टाल-मटोल करना चाहते हैं। मैं दो-तीन बातें कहकर अपनी बात समाप्त कर दूंगा ।

मेरे क्षेत्र में छात्राओं की शिक्षा के लिये कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई है । छात्राएं इण्टर के आगे पढ़ना चाहती हैं लेकिन उनके लिए वहां पर कोई डिग्री कालेज नहीं है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि वहां पर हम एक कन्या डिग्री कालेज खुलवा देंगे, लेकिन अब तक वह नहीं खोला गया है । उन्होंने यह भी कहा था कि टांडा में एक एच0 टी0 इण्टर कालेज, आर्य कन्या इन्टर कालेज, बापू स्मारक इन्टर कालेज नौसांडा तथा आदर्श जनता जूनियर हाई-स्कूल के विकास लिये दो-दो लाख रुपये देंगे और उन्होंने इस सम्बन्ध में आश्वासन दिया था किन्तु उस आश्वासन की अभी तक पूर्ति नहीं हुई । वहां सरकार ने स्थिति बिगाड़ रखी है । यह मेरा आरोप है ।

जहां तक सुरक्षा व्यवस्था की बात है अकबरपुर विधान सभा क्षेत्र से श्री बाबर जी यहां पर सदस्य हैं । उनके ऊपर 10 नवम्बर 1988 को कातिलाना हमला हुआ और उसके पहले माननीय विधायक ने शासन को, डी0 आई0 जी0 को, आई0 जी0 को, और ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक को इत्तला दे दी थी कि मेरी जान को खतरा पैदा होने वाला है और अमुक-अमुक लोग मेरे ऊपर हमला करना चाहते हैं । किन्तु उसके बाद भी सरकार ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की और उसका परिणाम यह हुआ कि 10 नवम्बर 88 को उनके ऊपर हमला हो गया । बदमाशों ने उनके ऊपर बम फेंके, कट्टे और बन्दूक से फायर किया और इसकी रिपोर्ट माननीय विधायक जी ने अकबरपुर कोतवाली में दर्ज करायी। अधिकारियों से सम्पर्क करने पर कहा गया कि इस पर शीघ्र कार्यवाही होगी किन्तु कुछ नहीं हुआ । मान्यवर, मेरी सुनिश्चित जानकारी है यदि उनकी सुरक्षा व्यवस्था नहीं की जायेगी तो पुनः माननीय विधायक श्री बाबर के ऊपर कातिलाना हमला होगा । ये लोग खुले रूप से घूमते रहते हैं यही नहीं राम प्यारे सुमन सांसद तथा भूतपूर्व विधायक श्री जेतली की कारों पर खुले आम ये बदमाश लोग घूमते हैं । ये लोग कातिलाना हमला करते हैं, लड़कियों को अपहृत करते हैं, चोरी डकैती करते हैं और इस तरह से उनके वाहन पर घूमते रहते हैं । इसके लिये कोई व्यवस्था आप करें । उस क्षेत्र में आतंक का वातावरण व्याप्त है। कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं। एक गरीब आदमी की यह स्थिति है कि अपराधी लोग उसे पकड़ कर ले गये। वह ड्राइवर था, उसको मार डाला गया, उसकी लाश गायब कर दी गई बड़ी मुश्किल से उसकी लाश मिली और

अपराधी लोग आराम से आज भी घूम रहे हैं। इस तरह की अनेक घटनायें हैं। इसलिये मान्यवर, मैं ज्यादा न कहते हुए माननीय नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

कर्नल केशरी सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे महा-महिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोलने का समय दिया। मान्यवर, हमारे सामने बैठे हुए माननीय सदस्य टिप्पणी कर रहे हैं लेकिन उन्हें भी मालूम है कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में इस प्रदेश के अन्दर कितने विकास के कार्य हुए हैं, इसके लिये इतिहास साक्षी है। तथ्यों को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। जनतांत्रिक मूल्यों पर आस्था रखते हुए हमने विकास कार्य किये हैं, यह सभी जानते हैं। हमने गांव सभाओं के, क्षेत्र समितियों के, जिला परिषदों के चुनाव कराये, स्थानीय निकायों के चुनाव कराये और वे शान्तिपूर्वक सम्पन्न हुए। इसका तात्पर्य यह है कि हमारी जनतांत्रिक मूल्यों में आस्था है। हम इसके लिये वचनबद्ध हैं। जिस प्रकार से इस देश और प्रदेश ने लगातार पिछले वर्षों में विकास किया है यह उसी से स्पष्ट हो जाता है। उद्योग के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, विद्या के क्षेत्र में, जन सुविधाओं के क्षेत्र में हर प्रकार से विकास हुआ है। उद्योग के क्षेत्र में हमारी औद्योगिक विकास दर पिछले 8 वर्षों में दुगुनी हो गयी है। इसी से स्पष्ट होता है कि हम कितना विकास कर रहे हैं। अभी हाल में ही तीन चीनी मिलें लगाई गयी, एक कताई मिल लगाई गयी और एक चर्मनगर की स्थापना एवं ताला नगर की, की गई। तो इस तरह से निरन्तर विकास के कार्यक्रम चल रहे हैं। हमारे संसाधनों की कमी से विकास दर जरूर कुछ कम रही है लेकिन हमारा प्रयास है कि निरंतर आगे बढ़ें।

कृषि के क्षेत्र में हमारा प्रदेश पिछड़ा हुआ था लेकिन हमारे प्रयासों से अब अनाज बाहर भेजने की स्थिति में हैं और अगले वर्ष खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 363 लाख मी0 टन है। हमारा विश्वास है कि किसान भाई सरकार की सहायता से इस लक्ष्य को पूरा कर लेंगे (व्यवधान) पिछले वर्षों में बीज एवं खाद की समस्या थी लेकिन शासन की सतत जागरूकता से उस समस्या से हम निपट पाये हैं।

आवास के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुये आवास की विकट समस्या है लेकिन पिछले वर्षों में जिस प्रकार से काम हुआ है उसको हमने हल किया है और आवास स्थल आवंटन के अन्तर्गत 20,72,387 आवास स्थल आवंटित किये जा चुके हैं जिसमें करीब साढ़े 15 लाख केवल अनुसूचित जाति के लोगों को आवंटित किए गए हैं। इससे साबित होता है कि हमारी सरकार पिछड़े वर्ग और गरीबों के उत्थान में कितना जागरूक है। इसी प्रकार से आगामी वर्षों में दो लाख आवास बनाने की योजना है। निर्बल वर्ग आवास योजना बहुत जन प्रिय है। अब तक 72000 भवन बन चुके हैं और आगामी वर्ष में 12000 आवास बनाये जायेंगे।

इसी प्रकार से विद्यालयों के लिए भवनों की योजना है। भवनों की कमी के कारण विद्यार्थियों को बड़ी परेशानी होती थी। तो इन भवनहीन प्राथमिक विद्यालयों के लगभग 12,500 भवनों का निर्माण का प्रस्ताव है जो एक प्रसंशनीय बात है। (व्यवधान) एक वर्ष बाद कोई प्राथमिक विद्यालय भवन हीन नहीं रह जायेगा।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर हो रही चर्चा के समय शासन के अधिकारियों की अनुपस्थिति के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री सुखपाल पाण्डे–

व्यवस्था का प्रश्न है। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है लेकिन अधिकारियों की दीर्घा खाली है वह विभाग की टिप्पणी नोट करते हैं। महत्वपूर्ण चर्चा यहां चल रही है कोई नोट नहीं कर रहा है ।

सिंचाई मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)–

मान्यवर, निर्देशित करा देंगे।

श्री अधिष्ठाता–

सदन के लिये मंत्री उत्तरदायी है अधिकारी नहीं।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)

कर्नल केसरी सिंह–

एक और महत्वपूर्ण बात की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । शान्ति व्यवस्था उत्तम है । विश्व का सबसे बड़ा कुम्भ मेला हमारे प्रदेश में लगा जिसमें देश विदेशों से डेढ़ करोड़ से ज्यादा लोग आये और वह शांति पूर्वक हो गया जिसकी प्रशंसा देश के बाहर के लोगों ने भी की है इसके लिए हमारी सरकार बधाई की पात्र है ।

इसी प्रकार स्वास्थ्य के विषय में कितने ही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप केन्द्र हर वर्ष खुल रहे हैं । इस विभाग द्वारा जनता को सही उपचार देने का प्रयास किया जा रहा है । इसी तरह से सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के लिए लोक अदालतों का निर्माण किया गया है । यह अदालतें बहुत लोकप्रिय हुई हैं ।

इसके साथ ही मैं कुछ बातें भूतपूर्व सैनिकों के बारे में कहना चाहता हूं । इस प्रदेश में करीब 20 लाख भूतपूर्व सैनिक हैं । वह बहुत ही अनुशासित, निष्ठावान व देश भक्त हैं । इन लोगों की सेवाओं का शासन को उपयोग करना चाहिए और देश के विकास में इनका सहयोग लेना चाहिए । इस समय यह वर्ग अपने को उपेक्षित महसूस कर रहा है क्योंकि उनके पुनर्वासन के लिए कोई बढ़िया योजना नहीं है । अभी हाल में 3 सैनिक अधिकारियों को प्रदेश सरकार ने पुरस्कृत करने की घोषणा इस सदन में की थी लेकिन महामहिम राज्यपाल महोदय ने उनको पुरस्कार देने के लिए समय देने से इन्कार कर दिया है इससे इन लोगों के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि इस प्रकार का कोई कार्य न किया जाय जिससे इन देशभक्त लोगों के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े ।

अब मैं गन्ना के विषय में कहना चाहूंगा कि हमारे अपने विधान सभा क्षेत्र में 25 लाख मी0 टन गन्ना हर साल पैदा होता है, किन्तु उसकी पेराई की बड़ी समस्या बनी हुई है । एक क्रैशर वहां चलता था, लेकिन विद्युत विभाग की दादागीरी

के चलते वह बन्द हो गया । मैं इसे उनकी दादागीरी ही कहूंगा । 25-26 किलोमीटर दूर अब किसानों को अपना गन्ना ले जाना पड़ता है । इसलिए मेरा निवेदन है कि वहां पर अविलम्ब एक सहकारी चीनी मिल लगाई जाए, जिससे वहां पर की यह समस्या दूर हो सके । इसके अलावा जो कुछ समय पहले वहां पर भारी ओला वृष्टि हुई थी और उसमें किसानों के फसल की काफी बर्बादी हुई थी, उसके पीड़ित किसानों को क्षतिपूर्ति के रूप में कोई सहायता नहीं दी गई है, वह उन्हें दिलाई जाय ।

विद्युत के विषय में मैं कहना चाहूंगा कि बस्ती जिले में इस समय 6 हजार गांव ऐसे हैं, जिनका विद्युतीकरण नहीं हुआ है । इसकी गति बहुत ही धीमी है । यदि वास्तव में आपको पूरा विद्युतीकरण करना है तो पांच सौ गांव से ज्यादा का हर साल विद्युतीकरण होना चाहिए, अन्यथा बस्ती जिले का विद्युतीकरण नहीं हो पाएगा । सरयू नहर सिंचाई परियोजना का कार्य भी काफी धीमी गति से चल रहा है । उसको तेजी से चलाया जाए । अभी शासन ने बस्ती जिले को दो हिस्से में करके एक नया जिला सिद्धार्थ नगर बना दिया है । हमारे विधायक सभाक्षेत्र का एक विकास खण्ड रामनगर है, उसे लोग जबरदस्ती सिद्धार्थनगर में ले जाना चाहते हैं, जिससे जनता की परेशानियां और बढ़ जायेंगी । इस विकास खण्ड का एक भी प्राणी नये जिले में नहीं जाना चाहता । इसलिए मेरा आग्रह है कि सरकार किसी भी दबाव में उसको सिद्धार्थनगर में न ले जाए, बस्ती जिले में ही रहने दे । इसके साथ मैं महामहिम राज्यपाल जी द्वारा दिए गए अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन और स्वागत करता हूं ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं नेता विरोधी दल द्वारा, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव आया है, प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव के समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं । महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण सुनने का मौका तो मुझे नहीं मिला, क्योंकि मेरी और मेरी पार्टी की मान्यता है कि इस समय सरकार नाम की कोई चीज इस प्रदेश में नहीं है और पूरा शासन तंत्र नौकरशाही के चंगुल में पड़ा है । इसलिए वह उनके प्रवक्ता नहीं हैं । इसलिए उसे नहीं सुना, किन्तु उसे पढ़ा जरूर और उसे पढ़ने से हमें बड़ी निराशा हुई, क्योंकि हम उम्मीद करते थे कि जो दयनीय प्रशासनिक स्थिति है, उसका सही चित्रण होगा और विकास की नई योजनाओं की कोई भूमिका होगी, लेकिन दोनों ही दृष्टिकोण से घोर निराशा प्रतीत हुई ।

जो माननीय सदस्यों के उधर से भाषण सुन रहा हूं, उसमें अभी हुए चुनाव के लिए सरकार की तारीफ की गई । तारीफ सुनी तो मुझे एक घटना याद आ गई । एक नदी में बाढ़ आई हुई थी । नदी में कगार टूट कर गिर रहे थे । उसमें एक आदमी गिर गया । वह डूबने लगा, तो बहुत सी भीड़ लग गई और जाल वाले भी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आए । किन्तु फिर एक कगार टूटा और एक आदमी नदी में गिर गया । जालवाला आ गया तो उसने मरनेवाले और डूबनेवाले दोनों को निकाल लिया । उसने चूंकि उस मरने वाले आदमी को बचा लिया, इसलिए उसका अभिनन्दन किया गया । तो उसने कहा कि इसके पहले हमें यह बताओं कि हमें नदी में धक्का किसने दिया । वही इसमें भी चरितार्थ होता है कि माननीय हाईकोर्ट से एक निर्देश पाने के बाद इस सरकार ने यह चुनाव कराने का निर्णय लिया था । तो यदि साधुवाद किसी को देना है, बधाई देनी है, तो उस न्यायपालिका को बधाई देनी होगी, जिसने निष्पक्षता के साथ जनहित में लोकतंत्र हित में एक समादेश याचिका पर यह निर्णय दिया था, जिससे मजबूर होकर सरकार को यह चुनाव कराने पड़े हैं । इसमें इस कांग्रेस सरकार का साहस नहीं था कि वह पार्टी नाम से जनता में जाती, भारतीय जनता पार्टी का विश्वास था, इसलिए वह पार्टी नाम पर जनता के बीच में गई । सरकार ने जो आदमी इसमें खड़े किये थे, उनके लिए क्या-क्या किस प्रकार फर्जी वोटिंग हुई । उसके बाद मैं उत्तर प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहता हूं जिसने भारतीय जनता पार्टी और प्रतिपक्ष के लोगों को इतना समर्थन दिया है ।

मान्यवर, एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इन्होंने सत्ता का दुरुपयोग कर फर्जी मतदान, फर्जी नामांकन के द्वारा वोटों को बढ़ाने की चेष्टा की । ओम प्रकाश रिछारिया जी बैठे हैं एक बात रिछारिया जी के जिले के बारे में कहनी है । वहां एक बड़ा टाउन एरिया है यहां यह था कि दो लोग नामांकित किए जायेंगे । वहां कांग्रेस ने हवस के पीछे जल्दी नामांकित कर दिया, जिसकी वजह से वाल्मीकी समाज का व्यक्ति आने पर भी दूसरे वाल्मीकी समाज के व्यक्ति को नामित कर दिया जबकि वहां नामांकन की जरूरत नहीं थी । फिर भी नामांकित कर दिया गया तो इस तरह से फर्जी चीजों का सहारा लेकर चुनाव कराने का प्रयास किया गया । मैं उम्मीद करता था कि महामहिम राज्यपाल घोषणा करेंगे कि भविष्य में स्थानीय निकाय के चुनाव सीधे जनता के द्वारा कराए जायेंगे लेकिन यह नहीं हुआ । इसी तरह से प्रधानों के जो चुनाव हुए उसमें प्रतिपक्ष ने यह मांग की कि जो वोट डालने जाते हैं वह दुबारा वोट न डाल सकें इसके लिए उनकी उंगली में स्याही लगाई जाए, लेकिन उंगली पर स्याही लगाने का तरीका नहीं अपनाया गया, जिसकी वजह से फर्जी मतदान हुआ । हाईकोर्ट के बारे में कहा गया अगर हाई-कोर्ट का दबाव नहीं था तो राज्यपाल महोदय को चाहिए था कि मंडी समितियों के चुनाव की बात करते, न्याय पंचायतों के चुनाव की बात करते । हम समझते थे, हम चाहते थे कि भविष्य में न्यायपालिका के चुनाव डायरेक्ट कराए जाएंगे । उसमें स्याही की व्यवस्था होगी, नामांकन की व्यवस्था होगी, इस तरह की घोषणा की जाएगी और जो नामित व्यक्ति होंगे उन्हें मतदान का अधिकार नहीं होगा । मान्यवर, लोक सभा में भी और इस सदन में भी नामांकित व्यक्ति हैं, नामांकित व्यक्ति को मतदान का अधिकार नहीं होता है संविधान ने भी यह अधिकार नहीं दे रखा है, तो मान्यवर, हम भी यह अपेक्षा करते हैं कि जो व्यक्ति नामित किए जायेंगे उनको मतदान का अधिकार नहीं दिया जाएगा, चुनाव कराना ही मान्यवर, केवल समस्या का समाधान नहीं है । स्थानीय निकायों के बारे

में हम जानते हैं कि वित्तीय साधनों का अभाव रहता है । पहले तो सरकार जानबूझ कर वित्तीय साधनों का अभाव पैदा करती है फिर उसको सुपरसीड करती है और अपने अधिकार में ले लेती है । हम चाहते हैं कि स्थानीय निकाय में वित्तीय साधनों की व्यवस्था की जाए । इसके साथ ही इस बात पर अंकुश लगाने की जरूरत है कि किसी भी स्थानीय निकाय को सुपरसीड करना है तो उसके लिए चार्ज-शीट तैयार करनी चाहिए और जुडीशियल बाडी के सामने पेश की जानी चाहिए वह अगर विचार करने के बाद फैसला करती है तभी सुपरसीड करने की कार्यवाही की जानी चाहिए । इसके अलावा और किसी भी तरह से सुपरसीड नहीं किया जाना चाहिए ।

मान्यवर, शान्ति व्यवस्था की बात कही गई । मैं एक बात कहना चाहता हूं इस सरकार के रहते शान्ति व्यवस्था पर नियंत्रण पाना असम्भव बात है। यह जो मंत्रि-मंडल है लोकपति जी बैठे हैं, नरेन्द्र सिंह जी बैठे हैं यह पूरी की पूरी शंकर की बारात है । गृह मंत्री हमारी एक बहन को बना दिया है उनका प्रशासन पर बिल्कुल नियंत्रण नहीं है ।

मैं एक उदाहरण देकर अपनी बात साबित करना चाहता हूं। जनवरी के प्रथम सप्ताह में इस आदरणीय सदन के सदस्यों ने भी समाचार पत्रों में पढ़ा होगा । श्रीमती सुशीला रोहतगी जी ने एक बयान जारी किया वह बयान सही था । उन्होंने बयान जारी किया कि लखनऊ की शांति व्यवस्था की हालत बहुत बदतर हो गयी है । आप भी जानते हैं कि यहां कई घटनायें हो गयी थीं । लेकिन जो उन्होंने बयान जारी किया उसकी प्रतिक्रिया पुलिस अधिकारियों के ऊपर क्या हुई उसको जरा देखने की कृपा करें । आवश्यकता तो इस बात की थी कि मंत्री जी के बयान से पुलिस प्रशासन हरकत में आता लेकिन पुलिस प्रशासन का हरकत में आना तो दूर रहा बल्कि डी0आई0जी0 ने पत्रकार सम्मेलन बुला लिया । मेरी जानकारी को आप सही मानें । शासन ने एक राजाज्ञा इस संबंध में जारी की है कि किसको यह सम्मेलन बुलाने का अधिकार नहीं है । 10 सितम्बर, 1959 में आदेश संख्या ख–1553/19–638/57 जारी किया गया था जिसमें कहा गया है कि इन लोगों को पत्रकार सम्मेलन बुलाने का अधिकार नहीं है । लेकिन उस आदेश को तहसनहस किया और उस आदेश की धज्जियां उड़ा दी गयीं पत्रकार सम्मेलन बुलाकर । सम्मेलन में आरोप जो लगाया गया, अपनी जगह पर सही बात कही गयी कि 71 की जनगणना के आधार पर पुलिस कर्मी हैं जिनकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए । इसके अलावा यह भी कहा गया कि वी0आई0पी0 ड्यूटी में काफी टाइम चला जाता है। जो बातें कही गयीं वह अपनी जगह पर सही हो सकती हैं लेकिन पुलिस के प्रशासनिक अधिकारी को यह सम्मेलन बुलाने का अधिकार नहीं था । पालीटिकल लीडरशिप का पुलिस पर कोई दबदबा या अंकुश नहीं रह गया है उसी का परिणाम है कि पुलिस के अधिकारी बिल्कुल निरंकुश हो गये हैं । मेरी मांग है कि ऐसे अशक्त गृह मंत्री को हटाकर किसी सशक्त को गृह मंत्री बनाया जाना चाहिए जो पुलिस अधिकारियों को नियंत्रण में रखे और सही मानों में जनता के जान माल की रक्षा करे ।

इसी तरह के अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं । कहीं पर कोई कत्ल हो सकता है, कहीं कोई डकैती पड़ सकती है लेकिन आज उत्तर प्रदेश की हालत यह हो गयी है कि सामूहिक कत्ले आम हो रहे हैं । कल ही एक मामला सदन में उठाया गया । मेरठ पिछले 3–4 महीनों में करीब 23 लोगों का सामूहिक नरसंहार किया गया है । एक गुट पहुंचा और उसने एक ही परिवार के 5–6 आदमियों की हत्या कर दी । लेकिन पुलिस किसी भी अपराधी को पकड़ने में पूरी तरह से असफल रही है ।

यहां पर जब हरिजन उत्पीड़न की बात कही जाती है तो सरकार की तरफ से कहा जाता है कि हरिजन उत्पीड़न बिल्कुल नहीं हो रहा है । मैं मेरठ का एक उदाहरण देना चाहता हूं । वहां पर एक नगला हरेरा नाम का गांव है । वहां पर बड़ी तादाद में हरिजन भाइयों ने अपने धर्म का परिवर्तन किया है । हमें कोई आपत्ति नहीं है यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करता है परन्तु यदि कोई डर-दबाव से धर्म परिवर्तन करता है तो यह सरकार के लिए कलंक है । वहां के हरिजन भाइयों ने सार्वजनिक रूप से बयान दिया कि वह पुलिस के और समाज के उत्पीड़न के कारण और प्रशासनिक उत्पीड़न के कारण अपना धर्म परिवर्तित कर रहे हैं । वहां पर प्रधानी के चुनाव के बाद हरिजनों को बराबर प्रताड़ित किया जा रहा था । वह सरकार के पास गये, उन्होंने अपनी बात शासन के संज्ञान में लायी परन्तु उनको न्याय नहीं मिला । विधान परिषद् की संसदीय सद्भाव समिति भी मौके पर गयी थी उसने देखा कि वास्तव में वह सामाजिक, प्रशासनिक प्रताड़ना के शिकार हुए हैं, उनके ऊपर अनेक अत्याचार किये गये हैं इसलिए उन्होंने अपना धर्म बदला ।

आज इसी तरह से अनेक उदाहरण हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है । वहां के हरिजनों को जब कहीं न्याय नहीं मिला जो 26 जनवरी को जब हम गणतंत्र मना रहे थे उस समय सरकार के मुंह पर चांटा मार रहे थे और उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपने धर्म का परिवर्तन किया । इससे बड़ी लज्जा की बात सरकार के लिए और कोई नहीं होगी । दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अभी हरीश जी ने भी इसी बात को विस्तार के साथ कहा था । आज सरकार रामजन्म भूमि और बाबरी मस्जिद के विवाद को जान-बूझकर बढ़ा रही है। जिस प्रकार से अंग्रेज अपनी चाल चलते थे और अल्पसंख्यक तथा बहुसंख्यक की बात खड़ी करके हिन्दू और मुसलमान में एक टकराव पैदा करते थे और अपना शासन कायम रखने का कुचक्र करते थे उसी प्रकार से सरकार अपने निहित स्वार्थों का सहारा लेकर हिन्दू और मुसलमान को आपस में टकराकर, दोनों का आपस में बंटवारा करके अपने वोटों की हिफाजत करना चाहती है । मैं इस बात में आरोप लगाना चाहता हूं कि सरकार जान-बूझकर इस मामले को निपटाना नहीं चाहती है । हिन्दुस्तान आजाद हुआ था, तो उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहर लाल नेहरू, राजेन्द्र प्रसाद के सामने भी एक बात थी । हिन्दू-मुसलमान सभी अपने-अपने धर्म की बात रखते थे, लेकिन यह भारत माता, राष्ट्र पहले है । लेकिन जिस समय हमको अखरने वाली बात दिखाई पड़ती है, तो वह सांप्रदायिकता से संधा दिखाई पड़ता है । लगातार 700–800 सालों तक सोमनाथ मन्दिर बार-बार विदेशी आक्रमणकारियों का कोपभाजन बनता रहा । मंदिर में प्रतिष्ठित ज्योतिर्लिंग अनेक बार टूटा, और अनेक

बार पुनः प्रतिष्ठापित हुआ । मंदिर के उत्कर्ष-अपकर्ष का यह सिलसिला 18वीं शताब्दी तक चलता रहा । सन् 1701 में औरंगजेब ने अपने गुजरात सूबेदार शाहजादा मोहम्मद आजम को आदेश दिया कि "सोमनाथ मंदिर को ऐसे नष्ट करो कि उसके फिर खड़े किये जाने की कोई संभावना शेष न रहे ।" कुछ लोगों ने सोमनाथ मंदिर का मामला उठाया, किसी ने उसका विरोध नहीं किया, उसकी तरफ सरकार का ध्यान गया । यह मामला सरकार के पास गया । उस समय सरकार ने जो फैसला किया था, सोमनाथ मन्दिर के सम्बन्ध में, जब यह सुझाव आया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे । उन्होंने विभाग को कहा :—

> "हिन्दू सेन्टीमेन्ट इन रिगार्ड टू दि टेम्पल इज बोथ स्ट्रांग एण्ड वाइडस्प्रेड इन दि प्रजेण्ट कण्डीशन्स, इट इज अनलाइक्ली दैट थ्रेइस्ट सेन्टीमेंट विल बि सैटिसफाइड बाई मेयर रेस्टोरेशन आफ दि टेम्पल आर बाई प्रोलांगिंग इट्स लाइफ दि रेस्टोरेशन आफ दि आइडोल वुड बी प्वाइंट आफ आनर एण्ड सेन्टीमेंट विथ दि हिन्दू पब्लिक."

"मंदिर के विषय में हिन्दू भावना तीव्र भी है और व्यापक भी आज की स्थिति में, केवल मंदिर का ढांचा खड़ा करने से, या मंदिर की आयु को बढ़ाने मात्र से इस भावना का समाधान नहीं होगा । प्रतिमा की पुनर्स्थापना हिन्दू जनता के लिए सम्मान और भावना का विषय होगा ।"

यह मामला महात्मा गांधी जी के पास गया । उन्होंने कहा कि इसमें सरकार का पैसा नहीं लगना चाहिए और एक ट्रस्ट बनाया गया । मैं साफ-साफ मांग करता हूं कि इस मामले को सरकार ज्यादा दिन तक न टाले, इसको एक ट्रस्ट को सौंप दें, क्योंकि रामनवमी के दिन पूरे हिन्दुस्तान के गांव के लोग वहां पर उस मंदिर का शिलान्यास करेंगे, इसलिए आवश्यकता रहते सरकार इस पर निर्णय करे । यह बात मैं केवल मंदिर के लिए नहीं कह रहा हूं। अगर किसी मस्जिद के बारे में ऐसी स्थिति आई है और उसको किसी ने ध्वस्त किया है, तो उसके भी निर्माण की अनुमति दी जानी चाहिए । यह हमारा सर्व धर्म का सम्मान होना चाहिए । यह देश हमारा है । इसका एक-एक कण पवित्र है। अब इसके बाद मैं राजकीय कर्मचारियों के बारे में कुछ बात कहना चाहूंगा । अभी हमारे पूर्व वक्ता ने इस पर चर्चा किया है। अंशकालिक नलकूप चालकों के बारे में सरकार ने अपने कोष को बचाने के लिए, उसमें एक रास्ता निकाल लिया है। आज चारों तरफ अंशकालिक कर्मचारी बना दिए गये हैं, इसलिए इस अंशकालिक शब्द को निकाल दिया जाना चाहिए । माननीय मुख्य मंत्री ने कहा था कि ये ग्राम समाज के कर्मचारी हैं, लेकिन उनको एप्वाइंटमेंट अधिशासी अभियंता की तरफ से दिया जाता है, तो फिर वे ग्राम समाज के कर्मचारी कैसे हो गये ?

मान्यवर जो भी अंशकालिक कर्मचारी हैं उनको आप नियमित घोषित करें । चाहे अंशकालिक नलकूप चालक हों चाहे अंशकालिक अध्यापक हो चाहे अंशकालिक चिकित्साधिकारी हों । चिकित्साधिकारी मान्यवर, मुझसे मिले थे उन्होंने जानकारी दी कि इस साल आप कुछ चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति करने जा रहे हैं । आपने कहा है कि

उनको केवल 2 प्रतिशत वेजेज दी जायेगी । मान्यवर, जिस समय पहाड़ पर कोई जाना नहीं चाहता था उस समय ये नौजवान लड़के घर बार छोड़कर पहाड़ पर सेवा करने के लिए गये, केवल अंशकालिक के नाम पर चले गये और आज सरकार ने इन पदों को सृजित किया है तो इन कर्मचारियों को मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए ।

मान्यवर, मैं एक उदाहरण के द्वारा सरकार की श्रम विरोधी नीति के बारे में उल्लेख करना चाहता हूं । मान्यवर, सरकार सामान्यतः यह कहती है कि न्यायपालिका का सम्मान हुआ है न्यायपालिका का आदर हुआ है लेकिन संक्षेप मे मैं एक बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ये बिजली विभाग के कर्मचारी रूटीन ग्रेड क्लर्क हैं । मान्यवर, 9 दैनिक श्रेणी लिपिक न्यायालय में चले गये । मान्यवर, यह लिपिक वेज बोर्ड के सामने गये उसने एक फैसला दिया लेकिन सरकार ने उस वेज बोर्ड को नहीं माना वे हाईकोर्ट में गए हाईकोर्ट ने सरकार को आदेशित किया कि वेज बोर्ड की बात माने । लेकिन सरकार वेज बोर्ड के इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीमकोर्ट में चली गयी । सुप्रीमकोर्ट ने भी हाईकोर्ट की बात को माना । तो मान्यवर, इससे सरकार की मजदूर विरोधी नीति का पता चलता है । मान्यवर, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 की धारा 6 (4) जो है उससे सरकार को एक पावर मिली हुई है और वह जनहित विरोधी है । सरकार ने इस एक्ट का दुरुपयोग कर उसे न्यायालय को पुनः विचार के लिए वापस भेज दिया लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को निर्देशित किया कि इस एवार्ड को सरकारी गजट में प्रकाशित कर दिया जाय । इस प्रकार इस एवार्ड को सही माना । सरकार उस एवार्ड को न मानकर उस एवार्ड को जिसकी पुष्टि हो चुकी है को वापस लेने जा रही है। इस काम की जितनी भी निन्दा की जाय कम है। इस तरह से यह सरकार एक काला काम करने जा रही है । मैं निवेदन करता हूं कि इस पर पुनर्विचार करें और सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के अनुसार उनको पगार दी जाय ।

मान्यवर, यह जो कुछ कहते हैं उसका कार्यान्वयन नहीं होता है जानते हैं कि जनता भूल जायेगी । अभी पिछले सत्र में आदरणीय सदन में अधिवक्ताओं को पेंशन और प्राविडेन्ट फण्ड देने के बारे में एक अधिनियम पेश हुआ और तय हुआ कि इसे लागू कर दिया जायेगा । सब लोगों ने बड़ी तारीफ की लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि अधिनियम को बने हुए कई माह हो गये लेकिन वह लागू नहीं हुआ । उसके लिए टिकट छपने थे, रसीदें छपनी थीं, रूल्स बनने थे लेकिन कुछ नहीं हुआ । अगर टिकट छपकर आ जाते तो जो वकील लोग देना चाहते वह दे देते । न्याय मंत्री जी विराजमान हैं, मैं जानना चाहता हूं कि यह टिकट छपने का काम कौन करेगा ? आपने ऐसा न करके पूरे उत्तर प्रदेश के वकीलों को धोखा दिया है । मान्यवर, वकील समुदाय और हम सब लोग इसके लिए आपको क्षमा करने वाले नहीं हैं । अगर सही मायने में आपने वकीलों को सुविधा देने की बात कही थी तो उसको लागू करें । मान्यवर किसानों के हित की बात होती रही है।

मैं एक उदाहरण अपने जिले का देना चाहता हूं। संसदीय कार्य मंत्री जी नहीं बैठे हैं । उनके यहां एक चीनी मिल की बात थी बड़े शेयर इकट्ठा किये गये गांव गांव और शहर शहर में । मान्यवर, मैं जानकारी देना चाहूंगा कि सन् 76 में शेयर एकत्र किये गये थे लेकिन आज तक शेयर होल्डर्स की कोई ए0 जी0 एम0 या मीटिंग नहीं बुलायी गयी, न हानि लाभ का लेखा जोखा दिया जाता है । पता नहीं वे शेयर्स कहां

है । इसकी जानकारी मिलनी चाहिए । लेखा जोखा मिलना चाहिए । शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाई जानी चाहिए, नहीं तो भविष्य में आने वाले समय में सरकार कोई मिल बनाना चाहेगी जनता के सहयोग से तो जनता को सहयोग देने के लिए विचार करना पड़ेगा । इन शब्दों के साथ मैं मा0 सत्यपाल सिंह यादव जी ने जो धन्यवाद के प्रस्ताव पर संशोधन प्रस्तुत किया है, उसके समर्थन पर अपना देता हूं ।

[समय 3 बजकर 20 मिनट]

श्री किशन सिंह तड़ागी–

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का सुअवसर दिया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं । जो प्रस्ताव श्री लाल प्रताप सिंह जी ने राज्यपाल के अभिभाषण पर दिया है, मैं उसका समर्थन करते हुए निवेदन करता हूं कि जो हमारी विरोधी पार्टियों और मा0 सदस्यगण यह कहा करते थे कि जब तक स्थानीय निकायों का कार्यकाल बढ़ाया जाता था तो वे उसका विरोध करते थे । यहां तक कि उन्होंने कई बार इस सदन का भी बहिष्कार किया और बाहर चले गये । किन्तु आज हमारी सरकार ने महापालिकाओं, नगर पालिकाओं, टाउन एरिया और नोटीफाइड एरिया के चुनाव सम्पन्न कराए हैं । यह सब खास तौर पर हमारे मुख्य मंत्री जी और उनके सहयोगियों के करण हुआ है इसलिए वे बधाई के पात्र हैं । क्योंकि उन्होंने करीब 50 हजार ग्राम सभाओं, 900 क्षेत्र समितियों और 57 के करीब जिला परिषदों के चुनाव शांतिपूर्वक कराए । इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं । मान्यवर, लोकतन्त्र को मजबूत करने के लिए इन चुनावों का कराया जाना बहुत आवश्यक था और यह कई सालों से कराए जाने के लिए आम जनता इच्छुक थी । आज जो ये चुनाव कराए

(इस समय 3 बजकर 18 मिनट पर अधिष्ठाता श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए।)

गये, इनसे साबित होता है कि सरकार और कांग्रेस पार्टी का लोकतन्त्र में विश्वास है और लोकतन्त्र की जड़ें इससे मजबूत हुई हैं । यही नहीं हमारे देश की और प्रान्त की बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं मरा, क्योंकि कृषि का उत्पादन हमारे प्रान्त में बहुत अधिक हुआ और यहां तक कि अनाज के सरकारी गोदाम भरे पड़े हुए हैं। इसका सारा श्रेय काश्तकारों को तो जाता है, साथ ही हमारी सरकार को जाता है क्योंकि उसने अच्छे बीज उपलब्ध कराए, अच्छी खाद उपलब्ध कराई और सिंचाई का प्रबन्ध किया । यही नहीं, जब कभी खेतों में कीड़े लगते हैं तो कीट नाशक दवाएं भी उपलब्ध कराई गयीं । मान्यवर, वन अधिनियम लागू होने से कुछ विकास के कार्य अवरुद्ध हुए हैं । हमारे पर्वतीय क्षेत्र में, जहां 60 प्रतिशत से अधिक वन हैं और गांव जंगल में बसे हैं, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए वनों से जाना पड़ता है, तो वन अधिनियम के कारण कोई भी बिजली की लाइन जाती है तो वन अधिनियम के कारण वहां पर बिजली के पोल नहीं लग पाते हैं । यदि पीने के पानी की व्यवस्था की जाती है तो वहां पर पानी का नल नहीं लग पाता है । इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इन नियमों में संशोधन होना चाहिए । यदि बिजली की लाइन या पानी के नल वहां से होकर जाय तो उन्हें ले जाने की आज्ञा देनी चाहिए । वरना अधिनियम के कारण हमारे पर्वतीय क्षेत्र में विकास का कार्य रुका हुआ है । कोई सड़क, स्कूल, अस्पताल नहीं बन पा रहा

है । कोई उसमें मैदानी कहीं पर भी जमीन नहीं मिल पाती है । केवल वहां पर जंगल काटना पड़ता है और उसको मैदानी बनाना पड़ता है । इसके लिये आज्ञा उत्तर प्रदेश सरकार से ही नहीं भारत सरकार से भी लेनी पड़ती है । तो मेरा पुनः निवेदन है आपके माध्यम से कि इस वन अधिनियम में संशोधन होना चाहिए । विद्युतीकरण का कार्य हो रहा है किन्तु हमारे पर्वतीय क्षेत्र में कुछ नियम ऐसा कर दिया है कि 10 प्रतिशत पोल दिये जायेंगे । आप जानते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र में 100 मकान का एक गांव नहीं होगा । दूसरा गांव 5-6 कि0मी0 की दूरी पर होगा । आपसे निवेदन है कि यह जो 10 प्रतिशत वाला नियम है उसको पर्वतीय क्षेत्र से हटा दिया जाय । यह नहीं हटाया जायेगा तो विद्युतीकरण नहीं हो पावेगा और वहां के रहने वाले लोग वनों की रक्षा नहीं कर पायेंगे । उन्हें लकड़ी का इस्तेमाल करने के लिए वनों को काटना पड़ेगा । इसलिए सरकार से यह भी निवेदन है कि वहां पर कुकिंग गैस सस्ते दाम पर उपलब्ध करायी जाय । यही नहीं वहां अधिकांश प्राइमरी पाठशालायें जो थीं भवन विहीन थी लेकिन अब ऐसा मालूम पड़ता है कि सन् 1990 तक करीब साढ़े बारह हजार प्राइमरी पाठशालाओं के भवन बन जायेंगे । लेकिन मेरा सरकार से निवेदन है कि जो पाठशालायें बनें वह इस तरह से बनें कि उसमें क्रेक न आ जाय । कई भवनों की छतों की स्लेप में क्रेक आयी हुई है । कहीं-कहीं तो स्कूल में उसे रोकने के लिये दीवार बना दी है, इसमें कभी भी दुर्घटना हो सकती है । मेरा कहना है कि जब कोई भी भवन बनता है, तो उसका इंजीनियरों/टेक्नीशियनों के द्वारा निरीक्षण होना चाहिए ।

सस्ता न्याय दिलाने के लिए तहसील मुख्यालयों में मुंसिफ मजिस्ट्रेट की अदालतें स्थापित की जा रही हैं यह बड़ी अच्छी बात है । मेरे क्षेत्र रामनगर में एक मुंसिफ मजिस्ट्रेट की अदालत की सख्त आवश्यकता है । मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप सस्ता न्याय दिलाना चाहते हैं तो मुंसिफ मजिस्ट्रेट का न्यायालय रामनगर में खोला जाय । इन्हीं शब्दों के साथ मान्यवर, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया ।

श्री राकेशधर त्रिपाठी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर माननीय नेता विरोधी दल द्वारा रखे गये संशोधनों पर बोलने का मौका दिया । मान्यवर, राज्यपाल महोदय की इस पुस्तक में जितने भी आंकड़े दिये गये हैं मैं यह मानकर चलता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार में केवल आंकड़ों की खेती करने का काम किया जा रहा है । इनके द्वारा चलाये जा रहे विकास के कार्यक्रम, हरिजनों को उच्चीकृत करने के कार्यक्रम और 20 सूत्री कार्यक्रम यह 3 कार्यक्रम ऐसे हैं जो कि केवल कागजों और अधिकारियों की फाइलों तक ही रह जाते हैं । इसमें कोई दो राय नहीं कि मुंह की कालिख पोछने के लिए देश के प्रधान मंत्री ने कहा, इनको तो शर्म आनी चाहिए, कि देश में विकास के कार्य के लिए दिये जाने वाले पैसे का 6-7 फीसदी ही वास्तव में खर्च होता है । यह कितने अफसोस की बात है, हुकूमत इनकी चलती है, निर्देश और कानून की पकड़ इनकी होनी चाहिए उन्हीं

हुकूमत के प्रधान मंत्री यह कह रहे हैं कि 6-7 फीसदी ही खर्च होता है । वहां मैं उत्तर प्रदेश में यह मानकर चलता हूं कि 6-7 रु0 ही खर्च होता है । मेरे जैसा आदमी यह मानकर चलता है कि इस प्रदेश में बहुत से मंत्री लोग और हुकूमरान कमीशन लेकर काम करते हैं, जिससे विकास का काम पूरा नहीं हो पाता है । मान्यवर, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में नई शिक्षा नीति के बारे में कहा है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 32 से लेकर 34 फीसदी तक ऐसे लोग हैं जो शिक्षा मिलने की स्थिति में नहीं हैं । अभी पिछले साल इसी विधान सभा में बजट सत्र के दौरान सरकार ने यह घोषणा की थी कि 1992 तक प्रत्येक गांव में एक विद्यालय खोल दिया जायेगा और प्रत्येक विद्यालय के लिए भवन दे दिया जाएगा । इस पुस्तक में जो आंकड़े दिये गये हैं उससे लगता है कि कम से कम 7-8 वर्षों तक न कोई प्राइमरी पाठशालायें खुलेंगी और न ही कोई भवन बन पायेगा । हर जिले में एक नवोदित विद्यालय देने की बात कही गई है । मैं कहना चाहता हूं कि जिन प्रदेशों में विरोधी दलों की सरकारें हैं, चाहे वह कर्नाटक में जनता पार्टी की सरकार हो, बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार हो, केरल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार हो, हरियाणा में लोकदल की सरकार हो या फिर आन्ध्र प्रदेश में विरोधी दल की सरकार हो, इन सारे प्रदेशों में कक्षा-12 तक निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है । कक्षा–8 तक कपड़ा देने की व्यवस्था की गई है । कक्षा–8 तक लड़के व लड़कियों को दिन में मुफ्त भोजन देने का काम भी इन प्रदेशों ने किया है, परन्तु बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पिछले दिनों सूखा राहत के नाम पर इस सरकार ने 2 रुपए प्रति विद्यार्थी विकास शुल्क लगा दिया । स्कूलों में बैठने के लिए टाट-पट्टी तक नहीं है । यह हुकूमत कहती है कि लाखों रु0 लगाकर हम नवोदित विद्यालय खोल रहे हैं :

मान्यवर, आर0 एल0 जी0 पी0 व एन0 आर0 ई0 पी0 के तहत 66 हजार रुपए से एक प्राइमरी स्कूल बनाकर तैयार किया जाता है। मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि अगले आने वाले वर्षों में एक भी नया प्राइमरी स्कूल किसी भी जिले में खुलने वाला नहीं है । कोई भी कन्या माध्यमिक उच्चतर विद्यालय खुलने वाला नहीं है । यह स्थिति इनकी शिक्षा की है । 32 से 34 फीसदी लोगों को ये शिक्षा अभी तक नहीं दे पा रहे हैं ।

मान्यवर, प्रदेश में कम से कम इस समय लाखों बेरोजगार नवयुवक जो इन्जीनियरिंग की डिग्री लिए हुए हैं, डिप्लोमा लिए हुए हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग किए हुए हैं, आई0 टी0 आई0 का प्रशिक्षण लिए हुए हैं, इनके लिए रोजगार देने की कोई भी गारन्टी नहीं है । पिछले दिनों प्रदेश की हुकूमत ने भी कहा था । मैं अनुरोध करता चाहता हूं कि जब यहां पर नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है और न नए पद आप सृजित कर रहे हैं, बल्कि माननीय सदस्यों ने कहा कि अंशकालिक अध्यापकों की आप नियुक्ति कर रहे हैं, अंशकालिक डाक्टर आप रख रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपसे क्या आशा की जा सकती है कि आप लोगों को रोजगार देंगे ? मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जितना आप कम्प्यूटर को बढ़ावा देंगे, उतने ही काम करने वाले हाथ घट

जायेंगे और लोगों को कम से कम रोजगार मिलेगा । इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कम्प्यूटर कम लगायें ।

मान्यवर, अभी कांग्रेस के तमाम सदस्य इलाहाबाद कुम्भ मेले के बारे में कह रहे थे । शायद जो उन्होंने कहा वह अखबारों के माध्यम से कहा । मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं कि आपने जो यह डेढ़ करोड़ का आंकड़ा दिया है, वह फर्जी है । मैं कहना चाहता हूं कि जहां आपने करोड़ों लोगों को गंगा की पावन नदी में स्नान करने के लिए आहूत किया, वहीं पर आपके लिए यह बड़े शर्म की बात है कि आपने आने वाले तीर्थ यात्रियों पर 4 रुपए व 2 रुपए का कर लगा दिया । आपने कहा कि बैरियर पर ही रोक दिया जायेगा और चैक किया जायेगा । वहां पर यात्रियों से 4 रुपए व 2 रुपए कर वसूला गया । साधु सन्यासियों ने भी कहा कि प्रदेश सरकार कोई रुपया नहीं पा रही है इसलिए हम गरीब यात्रियों से कर वसूल किया जा रहा है । जिस गंगा की पावन नदी में आपने लोगों को स्नान करने व पुण्य कमाने के लिए आहूत किया, वहीं पर आपने उनसे कर वसूला । यह बड़े शर्म की बात है । जो करोड़ों रुपए वहां पर खर्च किया गया है, निश्चित रूप से कम से कम 77 करोड़ रुपए में से 40 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि चाहे जिस विभाग के माननीय मंत्री लोग गए हों, उन लोगों ने खुद वहां जाकर कहा कि काम संतोषजनक नहीं है । जिस समय मंत्री लोग वहां गए थे, उस समय गोपाल दास जी गंगा प्रदूषण के संबंध में अनशन पर बैठे थे । बाद में उसकी जांच के लिए अधिकारी भेजे गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ । वहां पर लाखों रुपए का फर्जी भुगतान करा लिया गया । वहां एक टेंट मालिक के खिलाफ अपर प्रभारी ने कहा कि इसको एन0 एस0 ए0 में बन्द कर देना चाहिए, लेकिन बाद में उसी प्रभारी ने उसे छोड़ देने का काम किया । इस तरह से चाहे सार्वजनिक निर्माण विभाग की बात हो, चाहे विद्युत विभाग की बात हो । मैं विशेष रूप से विद्युत मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं आप कहते हैं कि हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण कर दिया गया है । मैं बताना चाहता हूं कि अभी भी 55-60 फीसदी हरिजन बस्तियों में, गांवों में बिजली नहीं पहुंच पाई है । पिछली बार 30 हजार गांवों को लिया गया था, इस बार उनकी संख्या घटाकर 28 हजार कर दी गयी । जहां 5 गांवों को लिया जाता था, वहां अब 2 ही रह गये हैं और आप कहे जा रहे हैं कि विकास हो रहा है । जल निगम को ही देख लें, आप कहीं पर पानी की समुचित व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं । पिछले वर्ष 1700 हैण्डपम्प दिये गये थे, इस बार उनको 30 प्रतिशत घटा दिया गया । इस सरकार की सबसे गैरजिम्मेदारी की बात यही है कि यह 22 रुपया गांव पर खर्च कर रहे हैं । आप जहां के आंकड़े देख लीजिये, जहां विरोधी दलों की सरकारें हैं, आज वहां पर 41-42 रुपया खर्च किया जा रहा है ।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आज आपके मंत्रिमंडल के अन्दर ही लोगों में एका नहीं है । मान्यवर, पशुपालन मंत्री जो अभी उठकर चले गये हैं, उन्हीं की बात बता रहा हूं । पिछले दिनों जनवरी के महीने में यहां की कैबिनेट का एक डिसीजन निकला कि कोई भी मंत्री मुख्य पर्व पर कुम्भ में स्नान करने नहीं जायगा । लेकिन इसके बावजूद इसी सरकार के दो मंत्रियों ने माननीय मुख्य मंत्री के आदेश की

अवहेलना की और पशुपालन मंत्री तथा समाज कल्याण मंत्री, माननीय बक्शी जी वहां स्नान करने गयीं । मैं तो कहता हूं कि जब आपके ही मंत्री अपने मुख्य मंत्री की बात नहीं मानते, तो इससे बड़ा और कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता । यह मैं इसलिये बता रहा हूं क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री के निर्देश के बावजूद, कि वहां मुख्य पर्व पर कोई वी0 आई0 पी0 नहीं जायगा, देश की समाज कल्याण मंत्री भी वहां पर गयी थीं और उनका अपना लड़का वहां डूबते-डूबते बचा, लेकिन उसके बाद भी उनके दो आदमियों की मौत हो गयी । इस प्रकार यहां के मंत्रियों ने मुख्य मंत्री जी के आदेश को डिफाई करने का कम किया । इसी तरह से कानून और व्यवस्था की बात है, आपके मंत्री आदेश देकर आते हैं, लेकिन कहीं उसकी सुनवाई नहीं होती है ।

पिछले दिनों इलाहाबाद में एक ऐसे निर्दोष व्यक्ति की हत्या कर दी गयी, जिसका किसी से कोई मतलब नहीं था । किसी और व्यक्ति को तलाशने गये हत्यारों को जब उक्त व्यक्ति नहीं मिला, तो उन्होंने उसको मार डाला । मान्यवर, अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि महामहिम राज्यपाल राजभवन के अन्दर से बैठकर हुक्म नहीं कर रहे हैं, बल्कि राज्यपाल का अपना बेटा इस प्रदेश में आदेश देने का काम कर रहा है, जो इस प्रदेश के लिये अत्यन्त कलंक की बात है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री प्रदीप माथुर–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, राज्यपाल जी के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिये धन्यवाद । आज इस विपक्ष की हालत ऐसी हो गयी है कि "दल से दल मिला दलदल बना न्यारा" ये कभी एक हो ही नहीं सकते । आज हमारी सरकार ने कई अच्छे काम किये हैं, वह भी इनको नजर नहीं आते । इनकी डिमाण्ड थी कि नगरपालिका के चुनाव कराये जायं, नगरपालिका के चुनाव कराये गये, इनकी डिमाण्ड थी पंचायती राज के चुनाव कराये जायं, पंचायती राज के चुनाव कराये गये, जिला परिषद् के चुनाव की डिमाण्ड थी, जिला परिषद् के चुनाव कराये गये । अभी नेता, विरोधी दल मीनमेख निकाल रहे थे कि गड़बड़ हो गयी । इनका तो काम ही है हमेशा चिल्लाना । आप लोग कभी एक हो ही नहीं सकते, हमेशा दलदल बना रहेगा । माननीय मुख्य मंत्री जी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने नगरपालिका के चुनाव कराये, जिला परिषद् के चुनाव कराये और पंचायती राज के चुनाव कराये तथा सारे कार्य किये । आज 20-सूत्रीय कार्यक्रम में बहुमुखी विकास हो रहा है, हर तरफ विकास ही विकास नजर आ रहा है। उद्योग के क्षेत्र में भी व्यापक परिवर्तन हुए हैं उद्योग लगाये जा रहे हैं, गरीबों के उत्थान के लिये योजनायें बनायी जा रही हैं । बिजली विभाग द्वारा ग्रामीण अंचलों में बिजली दी जा रही है जिससे किसान अच्छी फसल पैदा कर रहे हैं । नये 4 जिलों का सृजन किया गया । बहुत से विपक्षी भाइयों की मांग थी, फिरोजाबाद को जिला बनाया गया, जिससे पूरे मण्डल का विकास होगा । मा0 मुख्य मंत्री जी ने मथुरा में गोकुल बैराज का शिलान्यास किया है, वह बधाई के पात्र हैं । इससे मथुरा जनपद के साथ-साथ

आगरा जनपद को भी पेयजल मिलेगा । जो सड़कों का निर्माण किया जा रहा है हाट मिक्स प्लाण्ट के द्वारा, उसे सभी जनता के लोग देख रहे हैं, नई तकनीक से सड़कें बन रही हैं ग्रामीण अंचल में और शहरी अंचल में तब भी विपक्ष वाले चिल्लाते हैं कि कुछ नहीं कर रहे हैं । 1977 में इनकी बनी सड़कें बारिश में बह गयीं इन्होंने सारा सोना बेच दिया और पता नहीं क्या-क्या किया, ये आज बातें करते हैं छोटा

(विपक्ष को सम्बोधित करते हुए)

मुंह और बड़ी बात । इनको नियमावली का ज्ञान नहीं है, इनको आप नियमावली की एक प्रति दिलवा दें । इन लोगों की तस्वीर तो टेलीविजन पर दिखायी जानी चाहिये ।

(व्यवधान)

श्री राकेशधर त्रिपाठी–

मान्यवर, इनको विधान सभा नियमावली की एक प्रति दिलवा दीजिये, यह आपको सम्बोधित करने के बजाय हमें सम्बोधित कर रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

आप अपना भाषण मुझको सम्बोधित करके दें ।

श्री प्रदीप माथुर–

ठीक है, मान्यवर ।

मेरी मांग है कि मेरे क्षेत्र के वृन्दावन नगर में यमुना नदी पर एक पुल की मांग बहुत दिनों से चली आ रही है, वहां पर पुल का निर्माण शीघ्रातिशीघ्र कराया जाय । औद्योगिक क्षेत्र-ए मथुरा जो है उसकी हालत खराब हो रही है, वहां पर उद्योगों की हालत खराब हो रही है । इसके अतिरिक्त मैं तो यह कहना चाहता हूं कि जितना विकास हमारी सरकार ने कांग्रेस पार्टी के बैनर में किया है, ये ढ़ाई साल में कुछ नहीं कर पाये हैं । जयहिन्द ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

श्रीमन्, मैं नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण को पढ़ करके मुझे सचमुच बड़ी निराशा हुई है क्योंकि राज्यपाल का अभिभाषण एक ऐसी सरकार के द्वारा तैयार किया गया है जिसके मुखिया माननीय नारायण दत्त तिवारी जी हैं जो कि यहां कई बार मुख्य मंत्री रह चुके हैं और वित्त मंत्री की हैसियत से यहां तथा केन्द्र सरकार में कई बजट पेश कर चुके हैं।

राज्यपाल के अभिभाषण को पढ़ते समय मुझे ऐसी आशा थी कि कोई ऐसा झरोखा मिलेगा जिससे कि इस सरकार की आर्थिक नीतियों के बारे में आभास मिल सकेगा कि इन नीतियों में ऐसा परिवर्तन किया जा रहा है जिसके कारण प्रदेश का अवरुद्ध हो गया विकास, अब इन नीतियों के तहत उनमें फिर गतिशीलता आ जायेगी और वे स्पष्ट हो कर सामने आयेंगी।

मैं कहना चाहता हूं कि पिछले दो वर्षों से हमें बताया जा रहा था कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन में यह सरकार, हमारा प्रदेश, देश में प्रथम स्थान पर था। लेकिन अब पता चला है कि माननीय नारायणदत्त तिवारी जी के मुख्य मंत्रित्व

बाल में यह प्रदेश प्रथम स्थान से 13वें स्थान पर पहुंच चुकी है। या तो पहले हमें धोखे में रखा गया या फिर ये यह कहना चाहते हैं कि मा0 तिवारी जी की सरकार की नीतियों के कारण इसमें गिरावट आयी है। यह क्यों एक नम्बर के स्थान से 13वें नम्बर पर पहुंच गया इसका कोई कारण नहीं बतलाया गया है। या तो पहले ये हमें धोखे में रखे रहे और हमसे झूठ बोलते रहे या फिर मा0 तिवारी जी की नीतियों की विफलता के कारण ऐसी स्थिति आयी।

राष्ट्रीय विकास परिषद् में मा0 तिवारी जी ने अकसर अपने भाषणों में क्रेडिट डिपाजिट के रेशियों को सुधारने के संबंध में बल दिया है तो मैं जानना चाहता हूं कि इसके बारे में क्या वे और उनकी सरकार कोई नयी नीति तैयार करने जा रहे हैं। क्रेडिट के संबंध में या डिपाजिट के सम्बन्ध में क्या नीति होगी यह बात महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में नहीं बतलाई गई है। उत्तर प्रदेश में अरबन और रूरल एरिया में क्रेडिट और डिपाजिट को ठीक ढंग से चलाने के लिये सरकार क्या करने जा रही है इसका कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। यहां पर डिपाजिट रूरल एरिया में ज्यादा से ज्यादा होता है, उस डिपाजिट का उस एरिया में उपयोग करने का मानक क्या है, यह पता नहीं है। गांव का पैसा लाकर आप शहर को सजाने का कार्य सरकार के द्वारा करने जा रहे हैं इससे क्या नीतियों में कोई परिवर्तन आयेगा? राज्यपाल के अभिभाषण में इसका कोई जिक्र नहीं किया गया।

इसी तरह से आपके जो कारपोरेशन्स हैं उनमें से बहुत से कारपोरेशन्स घाटे में चल रहे हैं जो कि सरकार पर लाईबिलिटी हो गये हैं। मुझे खुशी होती कि यदि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा होता कि ये कारपोरेशन्स यदि ठीक ढंग से काम नहीं करते हैं तो इनको हम समाप्त कर देंगे। पब्लिक का एक्सचेकर मनी यहां के लोगों के लिये इन निगमों के अधिकारियों का ऐशगाह बना हुआ है। इसके साथ ही साथ श्रीमन्, विकास योजनाओं की ओर भी आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि किस तरह से इनमें मनमानी की जा रही है। योजना कमीशन जिस मानक को मान कर, प्रदेश का विकास करने के लिये, धन का आवंटन करता है, उसका क्रियान्वयन और उस मानक का अनुपालन इस प्रदेश में नहीं किया जा रहा है, इसकी भी घोषणा यदि राज्यपाल अपने अभिभाषण में करते तो मुझे खुशी होती।

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि किस तरह से पक्षपात और भेदभाव किया जा रहा है। विकास और निर्माण के कार्यों में, फैजाबाद में एक सहकारिता के क्षेत्र में चीनी मिल खोलने की घोषणा पहले कांग्रेस सरकार ने की थी, बाद में उसे निरस्त कर दिया। बीस लाख रु0 से ऊपर लोगों का शेयरमनी जमा है। लेकिन अब तमाम प्रदेश में चीनी मिल खोलने की घोषणा की गयी लेकिन उसमें फैजाबाद का नाम नहीं आया। इस तरह से पक्षपात और भेदभाव किया जा रहा है। यदि फैजाबाद में चीनी मिल खोले जाने की घोषणा राज्यपाल अपने अभिभाषण में करते तो मुझे खुशी होती।

संविधान निर्माताओं की एक परिकल्पना थी कि आने वाले समय में जो सरकारें आयेंगी और संविधान को लागू करेंगी तो इसमें जो हमारे मूल अधिकार हैं उनको जितनी

महत्ता हम देते हैं उसी गम्भीरता और महत्ता के साथ संविधान के नीति निदेशक सिद्धान्तों को भी हमारी सरकार लागू करेगी। लेकिन उस समय नयी-नयी आजादी मिली थी और संसाधनों व पैसे का अभाव था। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने और संविधान के नीति निर्देशक सिद्धान्तों का संविधान में एक अलग चेप्टर ही बना दिया और राज्य सरकारों से इस बात की अपेक्षा थी कि इन सिद्धान्तों को उसी तत्परता और गम्भीरता से लागू करेंगे । जितना महत्व मूलभूत अधिकारों को दिया जाता है। उदाहरण स्वरूप आर्टिकल 47 को ही ले लीजिए हमारे संविधान निर्माताओं ने यह सपना देखा था कि राज्य सरकारों द्वारा एक निश्चित अवधि में पूर्ण नशा बन्दी लागू कर दिया जायेगा और इसी प्रकार से अछूतोद्धार के बिना गांधी वादी आदर्शों की परिकल्पना ही नहीं की जा सकती है। लेकिन आज आजादी के 40 साल से अधिक बीत जाने के बाद भी आम जनता में नशा बन्दी का लागू कर पाना तो दूर रहा, हम राजनीतिक पार्टी के लोग भी इसे अपने दलों के अन्दर भी लागू कर नहीं सके हैं, लेकिन आज भी गांधी वादी आदर्शों की बात तो बहुत ऊंचे पैमाने पर जब अवसर आता है तो खूब कर लेते हैं। इसे केवल जनता पार्टी ने अपने शासन में ढाई साल के अंदर लागू करने का प्रयास ईमानदारी से किया था। लेकिन आज हमारे प्रदेश के मंत्री परिषद् में 50 प्रतिशत से अधिक मंत्रीगण हैं जो नशा करने के आदी हैं। इस बात का उल्लेख इस अभिभाषण में कहीं पर नहीं किया गया है।

इसी प्रकार से आज अछूतोद्धार और जातिवाद का मामला है। अछूतोद्धार की दिशा में यह सरकार केवल कोरी घोषणाएं कर रही है और जातिवाद व साम्प्रदायिकता को खत्म करने के बारे में भी यह सरकार ईमानदारी से कोई प्रयास नहीं कर रही है, इसलिए इस ओर हमारा आरोप है कि राम जन्म भूमि बनाम बाबरी मस्जिद मसले को यह सरकार जानबूझकर और साम्प्रदायिकता को भड़काने के इरादे से काफी अधिक समय से जिंदा रख रही है और इन्हीं सारी बातों के आधार पर अगला चुनाव यह जीतना चाहती है। इसलिए मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरकार की निगाह में इस समस्या का न्याय संगत हल क्या है, उसे सरकार को हम सब समस्त के सामने और आम जनता के सामने रखना चाहिए क्योंकि आपको जनता ने बहुमत देकर सरकार बनाने का मौका दिया है और इस मामले को हल करने के लिए नैतिक, कानूनी व संवैधानिक जिम्मेदारी भी आप पर है, जिसे आप मुकर नहीं सकते हैं और इस सम्बन्ध में आप अपना हल पहले हमारे सामने प्रस्तुत करें फिर बाद में आप हम से भी सहयोग व असहयोग की बात कर सकते हैं, पहले आप इस मामले पर अपना नजरिया बताएं और फिर बाद में हमारा नजरिया भी लें और दोनों मिल कर कुछ हल इसका निकालें।

दूसरी बात मैं एक और चाहता हूं कि आज आप भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी को रोकने के बजाए, उसको हर तरह से संरक्षण दे रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं और यह आचरण आपका खुले रूप में आपके व्यवहार से साफ है और मैं इस बारे में एक नहीं अनेक उदाहरण भी देना चाहता हूं, जिसका भी जिक्र आपने अपने महामहिम के अभिभाषण में नहीं किया है। और आज आप सरकार द्वारा दलीय हितों की रक्षा कर रहे हैं और इसमें सरकारी संसाधनों का खुला दुरुपयोग कर रहे हैं। पी0 सी0 सी0 के

महामंत्री का दौरा हमारे जनपद में हुआ जिसकी विज्ञप्ति वहां के जिलाधिकारी ने प्रेस भिजवाई। इस बारे में मैंने एक पत्र भी माननीय मुख्य मंत्री जी को लिखा परंतु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हो सकी इस प्रकार से आप भ्रष्टाचार को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। एक ही उदाहरण देना चाहता हूं । जिलों की जिला योजनायें जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति से प्रस्ताव द्वारा स्वीकार होकर काफी पहले सरकार को भेजी जा चुकी है, लेकिन अभी तक आपने उस पर अपनी स्वीकृति नहीं दी है और मार्च का महीना आने वाला है और फरवरी के अंत में उसको रिलीज करेंगे, तो एक माह में सारे पैसा को खर्च करना होगा, तो काम पूरा होगा नहीं और कमीशन खोरी होगी, भ्रष्टाचार होगा । इस बारे में राज्यपाल महोदय ने कोई घोषणा नहीं की है कि जो भी इसके लिये जिम्मेदार होगा, उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी । स्टेट सेक्टर की जो योजनायें हैं, उन्हें समय से स्वीकृति प्रदान करेंगे और इसको सुनिश्चित करेंगे कि उसका क्रियान्वयन सही ढंग से हो । इस बारे में भी आपने कोई घोषणा नहीं की है । इसी प्रकार से इधर स्थानीय निकायों के चुनाव हुए, चाहे इधर के लोग हों और चाहे उधर के लोग हों, दोनों पक्ष के लोग इस बात को जानते हैं, कि इन चुनावों में अपराधियों ने सक्रिय भाग लिया है । आज जो राजनीतिकरण हो गया है अपराधियों का आज उसके लिये जो हम लोग राजनीति में काम कर रहे हैं, उन्हें गम्भीरता के साथ सोचना होगा कि इस पर अंकुश लगाया जाये और यह सोचना होगा कि इस पर क्या कार्यवाही की जाये । मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर हम चाहते हैं कि आने वाले जमाने में राजनीति की बागडोर अपराधियों के हाथ में न हो । तो हमें और आपको मिलकर, पार्टी बैरियर को तोड़कर विचार करना होगा । मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से कहा, दूसरे मित्रों ने कहा, हमारी निश्चित राय है कि इस पर अंकुश लगाने का एक मात्र तरीका है कि सारे चुनावों को जनता द्वारा कराया जाये । अगर कुछ लोगों द्वारा होगा तो पैसा शराब और आतंक पैदा होगा और उसे आप रोक नहीं पायेंगे । यदि हम लोकतंत्र को बचाना और मजबूत करना चाहते हैं तो, सीधे जनता के बीच में जायें, तो आतंक पर अंकुश लगाया जा सकता है और शराब और पैसे का प्रभाव कम किया जा सकता है । मैं कुछ ज्यादा न कहकर इन शब्दों के साथ नेता विरोधी दल ने जो संशोधन का प्रस्ताव दिया है, उसका समर्थन करता हूं और एक बार पुनः आपके माध्यम से सत्ता पक्ष से अनुरोध करता हूं कि मैंने जिन बातों का उल्लेख किया है, जिस समय माननीय मुख्य मंत्री जी, माननीय लाल प्रताप सिंह जवाब दें, तो कम से कम उनका उत्तर अवश्य दें और बतायें कि इन मुद्दों पर उनके क्या विचार हैं ?

*श्री अमिताभ अनिल दुबे–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर प्रदान किया । माननीय लाल प्रताप सिंह जी ने जो प्रस्ताव राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत किया है, उसका समर्थन करता हूं। मैं काफी देर से विरोध पक्ष के माननीय सदस्यों के सुझाव और उनकी आलोचनाओं को सुन रहा था, लेकिन जो बात कही जाती है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रदेश के अन्दर कोई नया काम नहीं किया है, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कोई कार्यक्रम नहीं है, तो मुझे दुख होता है । अगर वह यह कहते कि यह-यह काम हुये हैं और यह काम और होने चाहिये थे, तो उन की बात समझ में आती । आज जो प्रदेश में कार्य हुये हैं,

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं और जो काफी दिनों से लम्बित मामले थे, उनको निबटाया है, जैसे गन्ने का मूल्य पूरब और पश्चिम में एक कर दिया है । 29 रुपये से बढ़ाकर 34 रुपया कर दिया है, उसके लिये मैं उनको बधाई देना चाहता हूं । काफी अर्से से जो नगरपालिकाओं के चुनाव नहीं हुये थे, जो लम्बित पड़े हुये थे सोसाइटियों के, सहकारिता के चुनावों को कराकर इस सरकार ने साबित कर दिया है कि आज भी उत्तर प्रदेश के अन्दर कांग्रेस पार्टी का कोई विकल्प नहीं है और जिस भारी बहुमत से नगर पालिकाओं में जिला परिषदों में, क्षेत्र समितियों में यह पार्टी जीती है उससे पता चलता है कि जन आकांक्षाओं और जनता की उम्मीदों को लेकर इस देश की रचना करना और उसे निर्माण के रास्ते पर ले चलना कोई सरल काम नहीं है । सारे लोगों की समस्याओं का समाधान एक साथ नहीं हो सकता है ।

मैं कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य महाकुम्भ के बारे में कह रहे थे । उसमें करोड़ों लोग आये थे । उसके लिये भी इस सरकार ने जनता के लिये चुस्त और दुरुस्त व्यवस्था की है । उन्हें अच्छी सुख-सुविधा मुहैय्या करायी है । इसमें एकाध घटना घटी तो वह नगण्य है हालांकि वह नहीं होनी चाहिए । लेकिन उसके बाद भी वह सफल रहा । उत्तर प्रदेश सरकार ने उसमें ऐसी व्यवस्था की कि जिससे वहां पर कोई ऐसी घटना न हो, कोई हादसा न हो । इसको रोकने के लिये पूरा प्रयास मुस्तैदी से किया गया है। जो गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम हमारी सरकार ने चलाया है विशेषकर उत्तर प्रदेश के 42 जनपदों में जो हाट मिक्स-प्लांट के द्वारा 80 करोड़ रुपये माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट में दिया है, मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ी उपलब्धि है । अभी तक यह सड़कें लखनऊ और महानगरों में ही बन रही थी लेकिन आज इससे छोटे-छोटे जनपदों में भी यह कार्यक्रम उतारा गया है इससे हम लोगों की जो मांगे थी वह पूरी हुई है।

इसके साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह हुई है कि जो बड़े-बड़े हमारे जनपद थे, जिनके लिये हम मांग कर रहे थे, उनको तोड़कर छोटा कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इन बड़े जनपदों को तोड़कर 4 नये जनपद बनाये हैं, उसके लिये हम इस सरकार को बधाई देना चाहते हैं । आज आवश्यकता इस बात की है कि बहुत सी तहसीलें आज भी ऐसी हैं जो जिला मुख्यालयों से बहुत दूर हैं और जो गांव उनके अन्तर्गत आने चाहिए वे उनमें नहीं हैं । मैं समझता हूं कि गाजीपुर की इस बारे में ज्वलन्त समस्या है । मैं अपनी सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं ।

हमारे प्रदेश में असहायता प्राप्त 450 माध्यमिक विद्यालय हैं जिन्हें सरकार को ग्रान्ट-इन-एड में लेना चाहिए था और इसके लिये वाएदा भी किया गया था । मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं । जो शिक्षक 50 से 100 रुपये तक वेतन पाते हैं वे आज भुखमरी के कगार पर हैं। मेरी मांग है कि उनको ग्रान्ट-इन-एड पर लिया जाय । उनकी स्थिति दयनीय हो गई है, उनके सामने भुखमरी की स्थिति आ गई है । जिन टीचरों को 15/20 साल हो गये हैं उनकी हालत बहुत खराब हो गई है । वे बंधुवा मजदूरों के समान हो गये हैं ।

अब मैं नशाखोरी की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं । मान्यवर, यह समस्या समाज के लिए कलंक बन गई है और राष्ट्रव्यापी हो गयी है । पूर्वांचल में गाजीपुर, बनारस, जौनपुर, बलिया आदि जिलों में जो हमारे नौजवान हैं वे जिस

तेजी से अफीम, चरस, टिकिया आदि के शिकार हो गये हैं, उसे रोकना बहुत कठिन हो जायेगा । मान्यवर, इन जनपदों में जो छिपकली होती है उसे मारकर, उसको जलाकर उसको सिगरेट के अन्दर भरकर ये नौजवान पी रहे हैं। इस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । इसके लिये कड़े से कड़ा कानून आप बनायें और व्यवस्था करें विशेषकर उन लोगों के लिये जो नौजवान हैं, उनके लिये अस्पतालों में इलाज के लिये सुविधा होनी चाहिए । मैं शासन से समाज सेवी संस्थाओं से और इस सदन के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस विषय पर गम्भीरता से विचार किया जाय अन्यथा आने वाली भावी पीढ़ी नष्ट हो जायेगी ।

मैं एक बात की तरफ आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । आज जो प्रदेश में विश्वविद्यालय हैं चाहे लखनऊ विश्वविद्यालय हो, या अवध विश्वविद्यालय हो या रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय हो या दूसरे कोई हों इनमें कुनबापरस्ती और आर्थिक अनियमिततायें हो रही हैं । 3-3, 4-4 सालों से कोर्ट की बैठकें नहीं हुई हैं 8, 10 सालों से लेखे जोखों को तैयार नहीं किया गया है । जनता का पैसा इन लोगों को दिया जाता है लेकिन इनमें खुलेतौर पर लूटपाट हो रही है । आपके द्वारा मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि कड़ाई से आर्थिक नियमों का पालन कराया जाय और गुटबंदी तथा कुनबापरस्ती की उच्चस्तरीय जांच कराई जाय ।

इसके साथ ही मैं गाजीपुर जनपद की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी कि गाजीपुर को एक स्टील प्लांट दिया जायेगा लेकिन आज तक वह स्टील का कारखाना नहीं मिला। यह भी कहा था कि एक बड़ा कारखाना गाजीपुर को दिया जायेगा लेकिन वह आश्वासन पूरा नहीं हुआ।

श्री अधिष्ठाता–

आप एक मिनट में समाप्त करें।

श्री अमिताभ अनिल दूबे–

मैं एक दो बातें कह कर समाप्त करता हूं हमारे गाजीपुर में एक ओपियम फैक्ट्री है उसकी बिजली और पानी काटने के आदेश हो गये हैं जिससे वह बन्द हो रही है। इससे वहां के श्रमिकों में भुखमरी की समस्या हो जायेगी। इस फैक्ट्री में प्रदूषण को रोकने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर ली है उसका गंदा पानी गंगा में नहीं गिरेगा। मैं कहना चाहता हूं कि श्रमिकों को भुखमरी का सामना न करना पड़े इस ओर ध्यान दिया जाय।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं हमारे यहां जो गोड़ और खरहर जाति के जो लोग हैं उनको अनुसूचित जाति में मानने के आदेश शासन ने कर दिये हैं लेकिन उनको हमारे यहां अनुसूचित जाति का प्रमाणपत्र नहीं दिया जा रहा है। मैं अनुरोध करूंगा कि यह सुविधा उनको मिलनी चाहिए। इन शब्दों के साथ, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया।

*श्री गोपाल दास यादव–

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर रखे संशोधन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया मैं उसके लिए आभारी हूं। मान्यवर, राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया है यह बिल्कुल नीरस है इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मैंने इसको ध्यान से पढ़ा इसमें [xx] की बातें हैं कोई महत्वपूर्ण बातें नहीं कही गयी हैं। देश को ऊपर उठाने के लिए जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वह अनुशासन होता है और अनुशासन खेलकूद से बनता है लेकिन उसका इसमें कहीं जिक्र नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश का खेलकूद एक महत्वपूर्ण विभाग है लेकिन उसके विकास के लिए एक शब्द भी इसमें नहीं है। आज यही कारण है कि उत्तर प्रदेश सबसे पिछड़ा हुआ खेलकूद में है। इसी प्रकार सांस्कृति प्रोग्रामों के बारे में भी एक शब्द नहीं कहा गया है। इसी प्रकार पत्रकारों के सम्मान के लिए कोई शब्द इसमें नहीं कहे गये हैं। इनका सूचना विभाग जो इनका दत्तक पुत्र है उसके बारे में एक शब्द नहीं कहा गया है।

तो मैं कह रहा था कि खेलकूद विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका महत्वपूर्ण स्थान है। इससे बच्चों का सर्वांगीर्ण विकास होता है।

सर्वांगीण विकास तब तक नहीं होगा, जब तक हम भौतिक विकास के लिए खेलकूद के माध्यम से उनका विकास करने का उपाय नहीं करेंगे। यहां पर इंडिया गोल्ड कप और इन्दिरा गांधी गोल्ड कप इन्दिरा जी के परिवार को खुश करने के लिए चला दिए गये, लेकिन जो कार्य बच्चों के विकास के लिए होने चाहिए और होने जरूरी हैं उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

इलाहाबाद में क्रीकेट हास्टल खोलने की बात एक साल पहले कही गई थी और उसके लिए माननीय मुख्य मंत्री ने अपनी स्वीकृति भी दे दी थी, किन्तु यहां के निदेशक जमन लाल शर्मा, जो हाकी के अलावा सभी खेलों के विरोधी हैं, ने जानबूझकर अपनी करतूतों से इलाहाबाद में क्रीकेट हास्टल नहीं खुलने दिया। वह सिओल ओलम्पिक में तो केवल तफरीह के लिए गये थे। आज उत्तर प्रदेश का क्या भारत का अन्य खेलों के साथ हाकी के खेल में कोई स्तर नहीं है, जबकि अनेक बार दुनियां में भारत हाकी के खेल में चैम्पियन रहा है, सबका सरताज रहा है। इतना ही नहीं हाकी के खेल में उत्तर प्रदेश के कई खिलाड़ी आगे रहे हैं, किन्तु आज उस निदेशक के रहते हाकी का स्तर भी काफी गिर चुका है और हम हाकी में भी स्वर्ण कप के लिए तरस रहे हैं। चूंकि महामहिम राज्यपाल ने प्रदेश में खेलकूद के स्तर को सुधारने के लिए कुछ भी नहीं कहा है, इसलिए मैं उसकी निन्दा करता हूं। इसके साथ ही साइंस और टेक्नोलाजी का एक शब्द भी इसमें नहीं आया है, उसका कोई भी इसमें जिक्र नहीं किया गया है। जो उद्योग लगा हुआ है, चाहे जस्ता हो, चाहे अल्यूमूनियम हो और चाहे तांबा हो, यदि साइंस और टेक्नोलाजी के सहारे उसका विकास नहीं करेंगे, तो उत्तर प्रदेश में उद्योग का स्तर बहुत ही पिछड़ा रह जाएगा। साइंस और टेक्नोलाजी विभाग का कोई जिक्र राज्यपाल के अभिभाषण में नहीं किया गया है। यहां पर नगरपालिकाओं के चुनाव की चर्चा की गई है।

टिप्पणी :– [xx] यह अंश अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।
* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आप देखें जहां डायरेक्ट चुनाव थे, कांग्रेस पार्टी ने कहा उसके लिए अपना कोई सिम्बल हम किसी को नहीं देंगे, किन्तु जहां पर इन्डायरेक्ट चुनाव थे, खरीद-फरोख्त का मामला था, पैसे और दारू से अपना स्वार्थ सिद्ध होने की बात थी वहां पर अपना आदमी खड़ा कर दिया गया। मेयर के मामले में जहां डायरेक्ट था, सरकार की प्रतिष्ठा का प्रश्न था, इन्होंने कहा आप हमारी औलाद नहीं हैं। उन्होंने कहा हम आपकी औलाद हैं, लेकिन इन्होंने कहा नहीं हो। लेकिन जब वह जीत गये तो इन्होंने कहा नहीं तुम हमारी औलाद हो, तुम हमारी नाजायज औलाद हो। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि महापालिका के चुनाव में इनकी पोल खुल गई है। जहां डायरेक्ट चुनाव होते हैं, यह दुम दबाकर भागते हैं और इनडायरेक्ट होते हैं तो यह कहते हैं तुम हमारी औलाद हो।

सिंचाई विभाग में यह बड़ा दुर्भाग्य है, जो आपका ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग है, उसमें जो आपके ट्यूबवेल और हैण्ड पम्प हैं, वह निराधार और गलत हैं। इसी तरह आप देखें भूगर्भ जल सर्वेक्षण का काम जिन विशेषज्ञों से कराया जाना चाहिए, उनसे आप नहीं कराते हैं। यह काम जियोहायड्रालाजिस्ट भू-यांत्रिक और रिमोट सेंसिंग वालों के द्वारा कराया जाना चाहिए परन्तु उनके द्वारा नहीं कराया जा रहा है। इनके माध्यम से साइंटिफिक मैथड से हम यह काम नहीं कराते हैं। जिनके पास टेक्नोलाजी है, उनसे इस काम का कोई मतलब नहीं है। यह कार्य केवल सिविल इंजीनियरों के माध्यम से होता है। इनके द्वारा यह उसकी खुदाई करवाते हैं। इनके चलते आप जाड़े में चाहे जिस इलाके में देख लें पानी सूख गया है। वाटर लेवल बिलकुल नीचे चला गया है। वर्ल्ड बैंक स्कीम और डच योजना के अन्तर्गत जहां भी हैण्डपम्प, ट्यूबवेल्स लगे हैं, उसमें सभी में यह हालत है और 75 प्रतिशत भी यह सही काम नहीं कर रहे हैं। हमारे जनपद इलाहाबाद शहर पश्चिमी में जितने हैण्ड पाईप्स लगाए गये, उसमें 90 प्रतिशत में पानी नहीं आया है। आज यह विडम्बना है कि किसान पानी के लिए तरस रहा है। साथ ही यह जो पानी पीने का नगरपालिका के माध्यम से देते हैं, वह प्रदूषित पानी है। उसमें क्लोरीन और ब्लीचिंग पाउडर मिलाना तो यह जानते ही नहीं हैं। उस प्रदूषित पानी पीने से जनता में तरह तरह की बीमारियां, विशेषतः जान्डिस और गेस्ट्रो इन्ट्राइटिस भारी मात्रा में फैल रही हैं और इनके चलते बच्चे अन्धे हो रहे हैं।

बीस सूत्रीय कार्यक्रम में, जिसमें आपका परिवार नियोजन आता है, वह सब फिजूलखर्ची है। उसमें लिप्रोसी और टी0 बी0 की बीमारी के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं है। उसके बारे में भी इसमें कुछ नहीं कहा गया है। डेढ़ साल का लम्बा इलाज और अच्छा खाने पीने का खर्च हर कोई आदमी बरदाश्त नहीं कर पाता है और वह बीच में ही इलाज छोड़कर मरने के लिए मजबूर हो जाता है। परन्तु इस दिशा में कुछ भी नहीं कहा गया है। इसी तरह कुष्ठ रोग के लिए भी कुछ नहीं कहा गया है। इलाहाबाद जैसे बड़े महानगर में इसके निराकरण का कोई रास्ता नहीं है, जबकि इटावा जैसे छोटे जिले में एक डिप्टी सी0 एम0 ओ0 स्तर का डाक्टर रहता है और हमारे यहां ऐसे डाक्टर लगा दिये गये हैं, जिनको इसका कोई अनुभव नहीं है। उसने अपनी ड्यूटी और सारे कर्मचारियों की ड्यूटी कुंभ मेले में लगवा ली। वहां पर कुंभ

मेला मना रहे हैं और कुष्ठ रोग के मरीज तड़प रहे हैं तीन महीने से विभाग बंद है। मान्यवर किसी विभाग के आप एक साल के आंकड़े उठाकर देख लें। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कालेज के आंकड़े देख लें एक साल के अन्दर इतने मरीज नहीं देखे होंगे लेकिन एक माह के अन्दर डेढ़ करोड़ में से 50 लाख देख लिए गये। मैं बताना चाहता हूं कि किस तरह से लूट हो रही है। तीन करोड़ रुपया स्वास्थ्य विभाग को दिया गया वह मैनुपुलेशन किया जा रहा है। आज बाइपास सर्जरी और डाइलिसिस की मशीनें अस्पतालों में नहीं हैं वहां मरीज तड़प-तड़प कर मर जाता है। आज जिस तरह से कुंभ मेले में लूट हो रही है जैसा कि हमारे साथी राकेशधर त्रिपाठी ने भी कहा चाहे वह विद्युत विभाग हो चाहे सिंचाई विभाग हो चाहे कोई विभाग हो, लूट हो रही है। कुम्भ मेले की वजह से वहां के डी0 एम0, प्रशासक, ए0 डी0, सी0 एम0 ओ0 को हटा दिया गया। जबकि अक्टूबर माह में ट्रांसफर नहीं होता है, क्योंकि वह लोग ईमानदार थे उनके रहते लूट नहीं हो सकती थी इसलिए उनको हटा दिया गया। इस बात को मंत्री जी भी जानते थे. . .

श्री अधिष्ठाता—

अपना भाषण सीमित करें।

(व्यवधान)

श्री गोपाल दास यादव—

मान्यवर, आप कुंभ मेले की जांच करायें कितनी लूट वहां पर हुई है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर हमारे साथी लालप्रताप सिंह जी ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है, उस पर बोलने का अवसर आपने मुझे दिया इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। मान्यवर, अभी हमारे इलाहाबाद के साथी बोल रहे थे वह बहुत ही जागरूक और नौजवान साथी हैं, लेकिन वह प्रदूषण में घिरे हुए हैं। कल भी प्रदूषण में घिरे थे, जागरूकता से प्रदूषण दूर नहीं हो पाता है। मान्यवर, महा कुम्भ मेले में हमारी सरकार ने, मुख्य मंत्री नारायण दत्त तिवारी की सरकार ने विश्व के टेलीविजन, हिन्दुस्तान के टेलीविजन, अखबार और पत्र-पत्रिकाओं में तमाम तरह की घोषणायें की थीं. जबकि बी0 बी0 सी0 लंदन बोल रहा था कि महाकुम्भ मेले में लाखों आदमी मरेंगे, लेकिन यह मुख्य मंत्री पं0 नारायण दत्त तिवारी जी के कार्य काल में एक कीर्तिमान स्थापित हुआ कि महाकुंभ मेला सकुशल सम्पन्न हो गया। कोई दुर्घटना कोई काण्ड इसमें नहीं हुआ। सारी व्यवस्था बहुत अच्छी रही चाहे वह सार्वजनिक निर्माण विभाग रहा हो, चाहे विदयुत विभाग रहा हो चाहे कोई और विभाग रहा हो, सबकी व्यवस्था बहुत अच्छी रही। जिसकी वजह से महाकुम्भ मेला बहुत सफल रहा। मान्यवर, पक्ष और विपक्ष की तरफ से आलोचना और समालोचना हो रही है, लेकिन हमें मानना पड़ेगा कि हमारे मुख्य मंत्री नारायण दत्त तिवारी जी की हमारी सरकार जो योजनायें दे रही है वह बहुत अच्छी योजनाएं हैं।

हमारे प्रदेश सरकार की चाहे जो पालिसी रही है उसको सफल बनाने के लिये सरकार ने अच्छी नीयत और पूरी जिम्मेदारी से काम किया है । हमारे मुख्य मंत्री माननीय तिवारी जी का कोई मुकाबला नहीं है । उत्तर प्रदेश के पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के लोग उनकी तारीफ करते हैं कि चार-चार बार उनको सरकार में आने का मौका मिला है । हम सभी जानते हैं कि हमारे मुख्य मंत्री जी प्रदेश में परिवर्तन ला सकते हैं और प्रदेश को एक नयी दिशा दे सकते हैं । चाहे सड़कें बनाने का मामला हो, चाहे सिंचाई की बात हो या अन्य कोई मामला हो सभी दिशा में प्रदेश ने तरक्की की है । राजकीय सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण को पूरा करने की दिशा में सरकार तेजी से कार्य कर रही है । राजकीय सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की भर्ती विहित प्रतिशत के अनुसार आरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए कटिबद्ध और इस संबंध में लोक आयुक्त को समुचित अधिकार देने के लिये उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोकआयुक्त अधिनियम, 1975 में संशोधन करने के प्रश्न पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है । इन वर्गों के लोगों के लिये जो आरक्षण की व्यवस्था की गयी है उसके लिये जो शासनादेश हैं उनका कुछ लोग उल्लंघन कर रहे हैं और उनकी अवहेलना कर रहे हैं । इन शासनादेशों की अवहेलना करने में मैं जानता हूं कि तमाम विरोधी तत्व भी शामिल हैं जो चाहते हैं कि हमारी सरकार की नीतियां सफल न हों लेकिन हमारे मुख्य मंत्री जी प्रयास कर रहे हैं कि इनके आरक्षण को पूरा किया जाय ।

हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने 10 नयी परियोजनाओं की व्यवस्था की है जिनकी अनुमानित लागत लगभग 287 करोड़ रुपये की है और जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहायता से वित्त पोषित कराने का प्रयास किया जा रहा है । हमने यह भी देखा है कि मुख्य मंत्री जी सारे बौद्धिष्ट स्थानों को पर्यटक स्थानों का रूप देकर उनका विकास करना चाहते हैं । यह एक अच्छा कदम है । इससे विदेश और देश के पर्यटकों को इन स्थलों को देखने का मौका मिलेगा और हमारी अर्थ व्यवस्था भी ठीक होगी । पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया जा रहा है । इसके साथ मैं यह भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र मंझनपुर, इलाहाबाद में एक कौशाम्बी नाम का बौद्ध स्थल है। मुझे दुख है कि कई बार मैंने विधान सभा में यह बात कही है कि उसको पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाय लेकिन न जाने किन कारणों से और किन अधिकारियों के कारण बौद्ध स्थल कौशाम्बी को छोड़ दिया गया है । मैं चाहूंगा कौशाम्बी का बौद्ध स्थल के रूप में विकास किया जाय और इसी बजट में उसके लिए प्राविधान किया जाय । मैं आपके माध्यम से ला-एण्ड-आर्डर की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं । माननीय मुख्य मंत्री जी अच्छी शांति व्यवस्था कायम करना चाहते हैं, उनके प्रयासों का परिणाम है कि कोई दंगा नहीं हो रहा है । लेकिन एक बात की ओर मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पुलिस का आजकल निरंकुश रवैया हरिजनों के प्रति हो रहा है । यह पुलिस में हरिजन विरोधी तत्वों के भर्ती हो जाने के कारण हो या चाहे वह लोग जो इस शासन को, इस सरकार को फेल करना चाहते हैं उनके कारण हो सकता है । इलाहाबाद में एक मंसूबा बना लिया गया है कि हरिजन जातियों, कमजोर

वर्गों के लोगों का पुलिस द्वारा इन्काउंटर करवाकर आगामी चुनावों में शासन की नीति को फेल किया जाय । यह साजिश शासन विरोधी तत्वों द्वारा की जा रही है । मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री माननीय नारायण दत्त तिवारी जी को आगाह करना चाहता हूं कि अगर इस ओर ध्यान नहीं दिया गया और हरिजनों का इन्काउंटर किया गया जिस तरह से इलाहाबाद में हुआ तो उसका बहुत बुरा असर पड़ेगा । इस प्रकार का जघन्य अपराध जो पुलिस द्वारा किया जा रहा है उसको रोका जाय ।

अधिष्ठाता महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक किशनपुर पम्प कैनाल है । सिंचाई के अभाव में मेरे क्षेत्र में खेती सूख रही है । किशनपुर पंप कैनाल को बनाने के लिये 2 वर्ष का समय दिया गया था लेकिन उसको पूरा नहीं किया गया है । मैं चाहूंगा कि सिंचाई मंत्री जी इस ओर शीघ्रातिशीघ्र ध्यान देकर इसको पूरा करायें । इसका शिलान्यास माननीया इंदिरा गांधी जी ने किया था। मैं चाहता हूं कि इस पंप कैनाल को जल्दी पूरा किया जाय और इसका उद्घाटन माननीय प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी करें। इसके साथ ही मैं आपको धन्यवाद देता हूं जो आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री हृदय नरायन दीक्षित—

मान्यवर, मैं आपका अनुगृहीत हूं कि आपने श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर माननीय नेता विरोधी दल द्वारा पेश किये हुए संशोधन पर बल देने के लिए मुझे बोलने का अवसर दिया है । माननीय सदस्य जो उस पक्ष के हैं, उन्होंने अपने भाषण के आधे हिस्से में तो यह कहा है कि विपक्ष के लोग गलत बोल रहे हैं, उनकी सरकार ने जो श्री राज्यपाल के जरिये अपने विचार अभिव्यक्त किये हैं, वह सच है, लेकिन शेष आधे भाषण में यह कहा गया है कि उनके क्षेत्र में कीटाणुनाशक दवाइयां नहीं हैं, बिजली नहीं आ रही है, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है । मान्यवर, लोक-तर्क-प्रतितर्क से चलता है । मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि जब माननीय कौशिक जी और माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह मंत्री होते हैं, तब इस सदन में जो चीज उठाई जाती है, तब कार्यवाही होती है । इस पक्ष के और उस पक्ष के माननीय सदस्य जो श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के जरिये तथ्य यहां सदन के संज्ञान में लाते हैं, इस सरकार के लोग उस पर कार्यवाही क्यों नहीं करते हैं ? उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्रि परिषद् के जो सदस्य हैं, वे तर्क और तथ्य जो इस सदन में दिये जाते हैं, उस पर सोचने और समझने का मौका ही नहीं निकाल पाते हैं । यहां तक कि जो पत्र हम सदस्यगण माननीय मंत्री को लिखते हैं, उसका उत्तर देने का अवसर भी इनके पास नहीं होता है ।। माननीय सिंचाई मंत्री तो किसी पत्र का उत्तर ही नहीं देते हैं । मान्यवर, मैं माननीय सिंचाई मंत्री से संबंधित विभाग के बारे में अपने पूरवा विधान सभा क्षेत्र की सरवन ड्रेन जो ग्राम बहवा से होकर निकलती है, मैंने माननीय सिंचाई मंत्री से मिलकर अनुरोध किया कि चूंकि ड्रेन गांव के बगल से निकलती है, उसकी वजह से ग्रामवासियों का मार्ग अवरुद्ध हो गया है । उन्होंने कहा कि मैं इसको दिखवा लूंगा । दूसरी समस्या मौरावां आसीवन ब्रांच की शाहपुर रजबहा पर स्थित ग्राम गड़रिया खेड़ा के पुल के संबंध में है । पुल के अभाव में इस गांव के निवासियों का भी आवागमन ठप्प हो गया है । मैंने इसके बारे में भी माननीय सिंचाई मंत्री से जब अनुरोध किया तो उन्होंने कहा कि इसको भी दिखवा लूंगा ।

मान्यवर, हमारे क्षेत्र में एक गहना झील है। इसके अगल बगल के जितने ग्रामवासी हैं, उनकी सैकड़ों एकड़ खेती बारहों महीने जल मग्न रहती है और इसकी वजह से वहीं के निवासी शहरों की तरफ पलायन कर जाते हैं और शहरों में रिक्शा चलाते हैं और मजदूरी ढूंढ़ते हैं। इसके बारे में मैंने माननीय मंत्री जी से कहा तो उन्होंने कहा कि इसको भी दिखवा लेंगे। बाद में मुझे सिंचाई विभाग से लिखकर मिला कि इसको बनाने की व्यवस्था डी0 आर0 डी0 ए0 करे। मान्यवर, मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि फिर सिंचाई विभाग की क्या जिम्मेदारी है? मान्यवर, सरकारी ट्यूबवेल लगाने का दायित्व जो सरकार का है, उसमें इस सदन के माननीय सदस्यों के सुझाव को प्राथमिकता दी जाती थी और उस पर सरकार अमल करती थी। अब माननीय सांसदों को यह अधिकार दे दिया गया है। माननीय सांसद जहां चाहते हैं वहां पर ट्यूबवेल लगवा लेते हैं। ट्यूबवेल लगाने का खर्चा उत्तर प्रदेश सरकार देती है, लेकिन सांसद लोग जहां पर चाहते हैं, वहां पर ट्यूबवेल लगवा लेते हैं। मान्यवर, इससे काम नहीं चल पायेगा, क्योंकि केन्द्र सरकार उनको जो अधिकार और सुविधायें मिली हैं, वही काफी हैं। मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल के अभिभाषण में अपने संशोधन के माध्यम से मांग कर रहा हूं कि यह अधिकार फिर विधायकों को वापस किये जायें। मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल का अभिभाषण पढ़ रहा था, उसमें खेती के सिलसिले में 'सिंगिल विन्डो सिस्टम' की बात कही गयी है। मैं उन्नाव का रहने वाला हूं, बगल में रायबरेली, कानपुर और इटावा जनपद हैं।

मान्यवर, मैंने कहीं पर यह सिंगिल विन्डो सिस्टम नहीं सुना। मान्यवर, जब कृषि विभाग माननीय नरेन्द्र सिंह जी के पास था तो उस समय हमारे क्षेत्र में एक सहायक कृषि निरीक्षक हिलौली में थे। माननीय नरेन्द्र सिंह जी ने उस समय कृषि मंत्री की हैसियत से हमारे प्रश्न के एक उत्तर में जवाब दिया था कि वह ड्यूटी से फरार रहते हैं और जब मैंने पूछा कि क्या वह खाद की चोरी में पकड़े गये तो उन्होंने कहा था कि हां पकड़े गये और उनके खिलाफ एफ0 आई0 आर0 दर्ज हुई है लेकिन उसके बावजूद भी उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

मान्यवर, अब बिजली विभाग इनको मिल गया। मान्यवर, अभी उस पक्ष के लोग ग्रामीण विद्युतीकरण के बारे में बहुत कुछ कह रहे थे। जिला सुल्तानपुर और रायबरेली जो हमारे गांव व क्षेत्र के बगल में हैं वहां पर तो शतप्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण हो गया है। मैं उन्नाव का निवासी हूं जहां के स्वास्थ्य मंत्री जी यहां विराजमान हैं। वहां पर मान्यवर, 3 वर्ष में कोई विद्युतीकरण में प्रगति नहीं हुई है। हमारे विधान सभा क्षेत्र के तहसील केन्द्र पुरवा में एक पावर हाउस बन रहा है। वह 4 वर्ष से बन रहा है उसकी लागत हर साल बढ़ जाती है लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार 4 वर्ष हो गये और एक छोटा सा सबस्टेशन नहीं बनवा पायी।

मान्यवर, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उस पक्ष के माननीय सदस्यों ने बताया कि बहुत श्रेष्ठ योजनाओं का प्राविधान हुआ है। मैं इस बारे में विधवाओं और विकलांगों की ओर शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, सरकार कहती है कि पेंशन दी जा रही है लेकिन 3 वर्ष पहले जो पेंशन के आवेदन पत्र

स्वीकृत हुए थे उन्हीं पर केवल पेंशन दी जा रही है और उसके बाद से एक भी नया आवेदन पत्र स्वीकार नहीं हुआ है। प्रक्रिया यह है कि जिला हरिजन समाज कल्याण के जो कार्यालय जनपदों में हैं उसमें जिन विधवाओं और विकलांगों को पेंशन दी जा रही है उनमें से अगर कोई मर जाता है तभी किसी नये को पेंशन स्वीकार होती है। कोई नई स्वीकृतियां इधर नहीं दी जा रही हैं।

मान्यवर, सरकार ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के माध्यम से कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में बड़ी-बड़ी बातें बतायी गयीं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि उन्नाव जनपद में पुलिस राज हो गया है। राजकिशोर सिंह बघेल जो पहले बीस सूत्री कार्यक्रम के सदस्य थे अब वह जनमोर्चा में आ गये हैं उनको पुलिस ने इतना मारा कि दोनों हाथ पैर बेकार हो गये। अब वह किसी भी हालत में चलने लायक नहीं रह गये हैं। मान्यवर, गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में अभी तिलकहाल में एक बैठक हो रही थी। मैंने जब इस विषय को वहां उठाया तो उन्नाव के कप्तान ने कहा कि यह लड़का अपने को नेता बताता है। मैं पूछना चाहता हूं कि दो माह पहले जो आपके शासन में था। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा मनोनीत बीस सूत्री कार्यक्रम का सदस्य था। अगर दो माह से इधर चला आया जनमोर्चा में तो गुण्डा बदमाश हो जायेगा और इतना बदमाश हो जायेगा कि हड्डियां तोड़ दी जायें।

मान्यवर, पुरवा एक बड़ी तहसील है जहां माननीय मुन्सिफ की अदालत है, एस0 डी0 एम0 की कोर्ट है। अभी 4-5 दिन पूर्व पुरवा पुलिस ने शराब के नशे में एक दुकान को उलट दिया और दुकानदार को मारा। इस पर सारे दुकानदारों ने कोतवाली का घिराव किया और इतना बड़ा घिराव हुआ कि इंसपेक्टर ने भीड़ में आकर माफी मांगी। उसने कहा कि हम पूरी क्षतिपूर्ति जो लोग पुलिस के दोषी हैं उनसे दिलवायेंगे। लेकिन इस पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है।

मान्यवर, राजस्व विभाग के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि राजस्व विभाग के पट्टे जो भूमिहीनों हरिजनों को देने की बात कही गयी थी उसमें जो धारा 198 है उसमें यह उल्लेख है कि किसको पट्टा दिया जायेगा उसका पूरा पूरा उल्लंघन हुआ है। मान्यवर, पट्टा दिये जाने की धारा 198 में व्याख्या है कि व्यक्ति भूमिहीन होना चाहिये। व्यक्ति खेतिहर मजदूर होना चाहिए और व्यक्ति खेती के काम में संलग्न होना चाहिए लेकिन पट्टा उनको दिया जा रहा है जिन्होंने नसबन्दी करवाई है और विशेष रूप से महिलाओं को पट्टा दिया जा रहा है। इस प्रकार धारा 198 का पूरा का पूरा उल्लंघन हो रहा है। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में एक गैस पाइप लाइन जाती है उसमें पूरे के पूरे खेत लोगों के उजाड़ दिये गये हैं। वहां के लोगों ने जब गैस अधिकारियों से मुआवजे की मांग की तो उनके खिलाफ एफ0 आई0 आर0 दर्ज हो गयी।

मान्यवर, प्राइमरी शिक्षा के बारे में एक बात आदरणीय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। आपकी अनुमति से इसी भाषण के दौरान कहूंगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में प्राइमरी शिक्षा की व्यवस्था नष्ट हो गयी है। अध्यापक विद्यालय नहीं जाते हैं। बेरोजगार डी0 टी0 सी0 मारे मारे फिर रहे हैं और दूसरी ओर विद्यालयों में मानक से कम अध्यापक हैं और सरकार दावा करती है कि हम सब ओर हरित क्रांति

शैक्षिक क्रान्ति ला रहे हैं। अंतिम बात मेरे क्षेत्र में उन्नाव में फ्री बोरिंग में बड़ा घपला है। गांवों में 20-30 फीट पाइप लगाकर खाना-पूरी की गयी है अब कहा जा रहा है कि लक्ष्य खतम हो गया है। श्रीमन्, श्री राज्यपाल के अभिभाषण में जो कुछ बताया गया है, पूरा [xxx] है। इसमें इस पक्ष के लोगों ने संशोधन लिख कर दिए हैं, भाषण दिए हैं और उस पक्ष के लोगों ने तमाम समस्याएं बताई हैं और इस प्रकार अपना पक्ष प्रस्तुत किया है। मा0 नेता विरोधी दल अन्य विपक्षी नेताओं तथा इसके साथ ही तमाम मा0 सदस्यों ने जो संशोधन के प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं, उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करते हुए संशोधन के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

*श्री हनुमान प्रसाद कुरील–

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव के समर्थन के लिए बोलने का मौका दिया। मान्यवर, मैं धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और साथ ही यह भी कहना चाहता हूं कि आज शासन की ओर से जितनी भी उपलब्धियां हुई हैं हमारे प्रदेश में, वे कहीं छिपी नहीं हैं। बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत जितने भी विकास के काम हुए हैं, चाहे इधर के बन्धु हों या उधर के, सभी जानते हैं कि सन् 67 और 69 में जबकि दूसरी संस्थाओं की सरकारें थीं, आज के जमाने में हम देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम लोगों ने विकास किया है। हमें मानवीय जीवन में रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, शांति और सुरक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए और शिक्षा चाहिए। इन तमाम मुद्दों पर हमारे प्रदेश ने प्रगति की है। जहां तक शिक्षा का प्रश्न है, हमारे प्रदेश की सरकार ने गांव-गांव में तमाम प्राइमरी पाठशालाएं स्थापित की हैं। हर न्याय पंचायत पर एक जूनियर हाई स्कूल की व्यवस्था सरकार ने की है। यही प्राइमरी शिक्षा होती है जब बच्चों के मस्तिष्क का विकास हो सकता है। यह व्यवस्था सरकार की ओर से हमारे यहां है। जहां तक ग्रामीण अंचलों में विकास का प्रश्न है, सड़कों का जाल बिछाया गया। एक जमाना था लोग बरसात में सोचते थे कि कैसे बाहर जायें। लेकिन आज गांव-गांव में लिंक रोड बनाई गयी हैं। हमारे किसान बन्धु अपनी उपज लेकर शहरों की ओर रवाना हो सकते हैं। आज किसान भाइयों की उपज में वृद्धि हुई है। हमारी सरकार ने व्यवस्था की है जिसको नकारा नहीं जा सकता है। आप देखें कि हमने हर गांव में व्यवस्था की है कि किसान भाइयों को अच्छी उपज मिले। इसके लिए व्यवस्था की है कि उनको अच्छे बीज दें। इसीलिए आज अच्छी फसल सामने है। इसका मूल कारण यह है कि सरकार की ओर से अच्छी खाद और बीज दिये जाते हैं। इसी प्रकार से मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि पहले जमाने में बहुत से गांव इन्टीरियर में ऐसे थे जहां चिकित्सा सम्बन्धी व्यवस्था नहीं थी। लेकिन आज कांग्रेस सरकार ने पी0 एच0 सी0 स्थापित की है। उनका बड़ा लाभ मिलता है। हम सोचा करते थे कि कानपुर देहात में यदि कोई बीमारी हुई तो हैलेट या लखनऊ के मेडिकल कालेज जाना पड़ता था, लेकिन अब तमाम दिक्कतें दूर हो गयी हैं। मेरे क्षेत्र बिल्हौर में एक बहुत बड़ा अस्पताल बनाया गया है, जिसमें पिछले दिनों 30 शैय्याओं की व्यवस्था की गयी है।

टिप्पणी:– [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आज उसमें हर प्रकार के मरीजों का इलाज हो रहा है, ग्रामीण भाइयों को फायदा हो रहा है। आज जगह-जगह पी0 एच0 सी0 बन रही हैं, आयुर्वेदिक अस्पताल बन रहे हैं, होम्योपैथिक अस्पताल बन रहे हैं। मेरे क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की कई व्यवस्थायें हैं, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहां अभी आवश्यकता है। जैसे बिशवन नामक जगह है, वहां पर पी0 एच0 सी0 खोले जाने की आवश्यकता है। इसी तरह से किशनी गांव है वहां पर आवश्यकता है पी0 एच0 सी0 की वहां पर हम लोग भवन देने के लिए भी तैयार हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि इन स्थानों पर स्वास्थ्य विभाग शीघ्र से शीघ्र पी0 एच0 सी0 स्थापित कर दे।

विद्युतीकरण के सम्बन्ध में भी यह सरकार बधाई की पात्र है, माननीय ऊर्जा मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। पहले लक्ष्य बहुत कम था, अब लक्ष्य 4 हजार गांवों का रखा है। इसके पहले भी कुछ गांवों में विद्युतीकरण का कार्य हो चुका है। यह बड़ी उपलब्धि है। इसी के साथ-साथ जो कुटीर ज्योति स्कीम है, उसके माध्यम से उन हरिजन बाहुल्य ग्रामों में जहां हरिजन कभी भी उजाले में नहीं रह सकते थे, उनके गांवों में बिजली पहुंच रही है, वह राहत की सांस ले रहे हैं उनके बच्चे बिजली के बल्ब की रोशनी में पढ़ रहे हैं। शासन की इन स्कीमों से बहुत बड़ा फायदा हुआ है। हमारे यहां कल्याण ब्लाक है यह कानपुर जिले में एक ऐसा ब्लाक है जहां पर इण्डस्ट्री का विकास होना है, इण्डस्ट्री लगनी है। मैं चाहूंगा कि 1 लाख 32 हजार किलोवाट का पावर स्टेशन कल्याण ब्लाक में लगाने की कृपा की जाय। वहां पावर स्टेशन बन जाने से औद्योगीकरण हो सकेगा, जिससे वह पिछड़ा इलाका आगे बढ़ेगा। इसके साथ यह भी कहना चाहता हूं कि गांव-गांव में सामुदायिक विकास केन्द्र बन रहे हैं, इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत मकान बन रहे हैं। साथ ही हरिजनों के लिए दुकानों की व्यवस्था हो रही है। एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हरिजनों के लिए जो दुकानें बन रही हैं वह गांव के बहुत बाहर बन रही हैं जिस कारण उनका उपयोग सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। उसमें सुधार किया जाना चाहिए। वह दुकानें गांव के बीच में या गांव के निकट बनायी जानी चाहिए, गांव के बहुत बाहर नहीं बनायी जानी चाहिए। यह भी कहना चाहता हूं कि जिन गांवों की आबादी 1971 में डेढ़ हजार थी, उसी को आधार मानकर सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि आज 1989 चल रहा है, बहुत अरसा गुजर गया है, गांवों की आबादी 1971 के बाद से अब चौगुनी हो गयी है, डेढ़ हजार वाली आबादी की बात को खत्म करके, जिन गांवों की मौजूदा हालात में आबादी एक हजार है, वहां सड़कें मुहैया करायी जाय, सड़कें बनवायी जायं।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप बैठें माननीय हनुमान प्रसाद कुरील जी।

श्री हनुमान प्रसाद कुरील--

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने मेरे क्षेत्र में एक तहसील की स्थापना की घोषणा की थी मैं उसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनकी विशेष कृपा से पिछड़े क्षेत्र में नवीन तहसील की स्थापना रसूलाबाद में हो चुकी है। इसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं।

इसी के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने तहसील की घोषणा की थी, उसी समय उन्होंने यह भी कहा था कि मकनपुर से रसूलाबाद तक जो 17 किमी0 के लगभग सड़क बनी है, उस पर लेपन तथा डामर का कार्य करवा दिया जायगा । मान्यवर, इस कार्य हेतु इस्टीमेट बनकर आ गया है, लेकिन मुझको बताया गया है कि इस मामले को अगले साल तक टालने की बात हो रही है । मान्यवर, मैं चाहूंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी से तथा पी0 डब्लू0 डी0 मिनिस्टर से निवेदन करूंगा कि उक्त सड़क पर डामर तथा लेपन का कार्य जल्द से जल्द पूरा करवा दें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद प्रस्ताव का पुनः समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री फसीहुर्रहमान (उर्फ मुन्नन खां)–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, मैं एक बहुत ही गम्भीर समस्या की ओर इस सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं । मान्यवर, हमारा गोंडा जिला 38 लाख लोगों की आबादी का निवास स्थान है और यहां की सीमा विदेशों से मिलती है । मान्यवर, इस जिले के लोग आज से नहीं, पिछले 50 बरसों से बलरामपुर को जिला बनाने की मांग कर रहे हैं, यह मांग बिल्कुल सही है और इसके लिए पं0 जवाहर लाल नेहरू ने भी कहा था कि इसको जिला बनाया जायगा । इसके बाद मुख्यमंत्री जी ने भी वायदा किया था कि बलरामपुर को जिला बनायेंगे । मान्यवर, आप देखिये इस उत्तर प्रदेश की सरकार ने पिछले दिनों 4-5 नये जिलों को बनाने की घोषणा की है, जैसे सहारनपुर, मिर्जापुर, आगरा, आजमगढ़, बस्ती आदि । यह सब गोंडा जिले की सीमा क्षेत्र के छोटे जिले हैं और आबादी में भी कम हैं । मान्यवर, आप स्वयं देखें कि किस तरह इस सरकार ने हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया है ? तमाम छोटे जिलों की घोषणा कर दी गयी और बलरामपुर, जहां के लोग हमेशा से स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेते रहे हैं, आपका बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ विश्वविद्यालय, चिड़ियाघर, विद्युतटावर, सुभाष बाग यह भी वहीं की देन है, आपकी बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी भी वहीं से जुड़ी हुयी है, उस सबके बाद भी इस सरकार ने हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया । तमाम छोटे जिलों को जिला घोषित कर दिया, लेकिन बलरामपुर को जिला बनाने की घोषणा नहीं की ।

मान्यवर, आज वहां इसके लिये आन्दोलन हो रहा है, यातायात बन्द हो गया है, रेलें बन्द हो गयी हैं, वहां बाजार पूरी तरह बन्द हैं, वहां बैंक बन्द हैं, हर तरह का काम रुक गया है, लोग अनशन कर रहे हैं, वहां के सैकड़ों-सैकड़ों लोग रोजाना जेल जा रहे हैं । मान्यवर, मेरी मांग है कि यह सरकार अपना सौतेला व्यवहार खत्म करे और जो वहां के लोगों की उचित मांग है, बलरामपुर को जिला बनाने की, उसको पूरा करने के लिए सरकार घोषणा करायें ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया माननीय सदस्य शान्ति बनायें रखें ।

श्री फसीउर्रहमान (उर्फ मुन्नन खां)–

मान्यवर, यह गोंडा बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, परन्तु यहां के खनिज पदार्थों व जंगलों से आज पूरा देश-विदेश लाभान्वित हो रहा है, लेकिन यहां कोई उद्योग धन्धा नहीं है। देश विदेश के कुछ बुद्ध श्रद्धालुओं, देवीपाटन के लाखों श्रद्धालुओं से देश को करोड़ों रुपए की आय होती है। भारत-चीन युद्ध अवसर पर यह इलाका ब्लैक आउट रखा गया, देश प्रदेश की शान्ति व सुरक्षा देश व विकास के लिए मान्यवर आज सरकार से बलरामपुर जिले की घोषणा कराएं।

(दोनों ही पक्षों के माननीय सदस्यों द्वारा शोर किये जाने के कारण घोर-व्यवधान)

श्री अम्मार रिजवी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)–

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य ने जो अपना जोशीला भाषण दिया है, उसे हम समझ नहीं पाये हैं। हम सभी सदस्य चाहते हैं कि जो उन्होंने कहा है उसकी एक-एक प्रति वह हम माननीय सदस्यों को दे दें ताकि हम लोग भी उससे लाभान्वित हो सकें।

श्री अधिष्ठाता–

उस भाषण में गुस्सा अधिक व बातें कम थी। प्रति आपको भिजवा दी जायेगी।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मुन्नन खां को रिजवी साहब नहीं समझ सकते हैं।

(हंसी)

*श्री शिवदर्शन–

मान्यवर, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में प्रगति के कार्यों का उल्लेख किया है और हमारे विपक्ष के भाइयों ने उसकी आलोचना की है। मैं पहले विपक्ष के भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि यह पहला अवसर है जब उन्होंने सभी माननीय सदस्यों को शान्तिपूर्वक प्रान्त में हो रहे विकास के कार्यों को सुनने का अवसर दिया। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि विपक्ष के भाई सिर्फ इस बात पर ध्यान देते हैं कि सरकार ने क्या नहीं किया। हम सत्ता पक्ष के लोग उन सभी चीजों का उल्लेख करते हैं जिसे हमारी सरकार ने आर्थिक कठिनाई होने के बाद भी किया और साथ ही साथ सुझाव भी देते हैं कि यह कार्य भी होना चाहिए। जो कार्य हुए हैं उसे भी विपक्ष के भाई स्वीकार नहीं करते हैं। यदि इनकी बात को सही माना जाय तो मैं समझता हूं कि कोई उचित बात नहीं होगी। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने सड़कों को जो स्वरूप दिया है, जिनके संबंध में विपक्ष के भाईयों ने कुछ भी नहीं कहा, मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश में अधिकांश सड़कें ऐसी बन गई हैं, चाहे उनमें कार चले, या कोई पैदल चले या फिर साइकिल से कोई आदमी चले तो उसे कोई धक्का नहीं लगेगा।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बिजली के संबंध में कहना चाहता हूं उन गांवों में जहां 20 साल पहले लोग शहर की बिजली को देखा करते थे, आज उन गांवों में बिजली पहुंच गई है। आज वह अपने बच्चों को सीख दे रहे हैं कि हमारे प्रदेश ने कहां तक प्रगति कर ली है।

मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र में शिवगढ़ ब्लाक व महराजगंज तहसील है। यदि इसके बीच टेढ़े रास्ते से जाना होता है तो 42 किलोमीटर पड़ता है और सीधे रास्ते से 23 किलोमीटर पड़ता है। सरकार से अनुरोध है कि इस पर कच्ची सड़क है, इसलिए इसे डामर का बना दिया जाय ताकि तहसील व ब्लाक का सीधा सम्बन्ध हो जाय। इसी प्रकार तिलोडा से समरौता 28 कि0 मी0 होता है। इस मार्ग पर पत्थर व सोलिंग का काम हो चुका है जो जगदीशपुर औद्योगिक क्षेत्र व कानपुर औद्योगिक क्षेत्र को जोड़ता है, इसलिए सरकार से अनुरोध है कि इस सड़क को भी डामर का बना दिया जाय। हमारे क्षेत्र में मुंगताल ड्रेन, हैरुक ड्रेन और महाराजगंज ड्रेन बहुत बड़े-बड़े ड्रेन्स हैं। सिंचाई विभाग से अनुरोध है कि तीनों ड्रेन्स को रि-माडल कर दिया जाय। जौनपुर में एक साइफन की आवश्यकता है ताकि शेरे-अयाल गड़ियार झीलों का पानी सुविधापूर्वक निकल जाय। बछरावां में 97 एकड़ जमीन एक्वायर की गयी थी। आज तक केवल साइनबोर्ड लगा रह गया। अभी तक यह पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। बछरावां क्षेत्र के निवासियों को देखकर यह आश्चर्य हुआ है कि जगदीशपुर का औद्योगिक क्षेत्र इतना बड़ा हो गया कि बछरावां के लोग वहां दौड़ते हैं। मेरी मांग है कि बछरावां के औद्योगिक क्षेत्र का विकास होना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद पेश करता हूं।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, मैं माननीय नेता, विरोधी दल द्वारा महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत संशोधन के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

यह जो भाषण मा0 राज्यपाल ने यहां पर पढ़ा, उनके माध्यम से हम लोगों की अपेक्षा थी कि राजनीतिक रूप से परिपक्व और प्रदेश के विकास के मामलों में जानकार होने और वित्त के मामलों के मर्मज्ञ होने के नाते मा0 मुख्यमंत्री जी ऐसी नीति प्रतिपादित करेंगे जिससे प्रदेश की जनता में आशा की लहर जागेगी, लेकिन हमारे सामने कोई ऐसी चीज नहीं आयी सिवाय इसके कि हम जहां थे वहां से पीछे चले जा रहे हैं। माननीय सदस्य बहस कर रहे थे कि प्रदेश तरक्की के रास्ते पर जा रहा है विद्युत उत्पादन बढ़ गया, गांव-गांव में बिजली लग गयी, सड़कें बन गयीं, लेकिन जो सड़कें इनकी हैं उसमें कितना कार्य किया, उसका एक ही उदाहरण काफी होगा। पिछली बार जो वित्तीय प्राविधान इस बजट के माध्यम से गया था, उसका 1/- रु0 भी किसी जिले में खर्च नहीं किया गया। कारण बताया गया कि बजट तो पास करा लिया लेकिन वित्तीय संसाधन नहीं थे इसलिए निर्माण कार्य रोक लिया जिससे रिजर्व बैंक पर ओवरड्राफ्ट न हो जाय। स्वास्थ्य विभाग में अप्रैल के पहले सप्ताह तक सेण्ट्रल पूल से

जितनी दवायें खरीद कर हर जिले में पहुंच जानी चाहिए थीं, वे दवायें नहीं खरीदी गयीं। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में इसका जिक्र नहीं है। उर्जा मंत्री से उम्मीद थी कि बड़े तेज तर्रार होंगे लेकिन यहां हमारी अधिष्ठापित क्षमता से उत्पादन 33 प्रतिशत से ज्यादा (इस समय 4 बजकर 54 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए) नहीं आया जिसका परिणाम यह है कि जो डिमाण्ड है उत्तर प्रदेश के लोगों की वह पूरी नहीं हो पा रही है। जिस प्रकार से नई परियोजनायें लगाते जा रहे हैं उससे प्रदेश पिछड़ता जा रहा है। मेरे जनपद में 7 हजार से ज्यादा रेवेन्यू विलेज हैं, आपने लक्ष्य रखा है कि सन् 2000 तक सबको बिजली दे देंगे। 32 गांव प्रति वर्ष ऊर्जीकृत करने की बात करते हैं, कौन से नियम और कौन सी व्यवस्था यह करेंगे कि 2000 ई0 तक इनका प्रति गांव ऊर्जीकृत हो जायेगा?

मैं आपके माध्यम से चकबन्दी के संबंध में भी कुछ कहना चाहता हूं कि ये कहते हैं कि चकबन्दी में सुधार हो रहा है, राज्यपाल ने भी अपने अभिभाषण में इसका जिक्र किया है, लेकिन चकबन्दी विभाग की हालत यह है कि गांव वाले यह कहते हैं कि जिस गांव की चकबन्दी हो जाती है, वहां पर फिर तीन साल तक चोरी नहीं होती है। तो इस तरह से ये लोग चोरी कर रहे हैं। चकबन्दी के लिए जो नक्शा बनाया जाता है, धारा 52 के प्रकाशन के बाद वह तहसील में जाता है जिसमें कि उस नक्शे में तमाम त्रुटियां निकलती हैं। तमाम लोग इससे पीड़ित हैं और न्यायालय में इस संबंध में मुकदमा दायर किये हुए हैं।

इसी तरह से सहकारी समितियों की बात है कि प्रदेश भर में तमाम चुनाव तो कराये गये पर सहकारी समितियों के नहीं। प्रदेश के किसानों को कर्जे से बोझिल बनाया गया है। सहकारिता के नाम पर एक आदमी ने बीस आदमी के नाम से कर्जा ले लिया और आज तक उसका सत्यापन नहीं हुआ। ए0 डी0 ओ0 कोआपरेटिव अपने ब्लाक में बैठ कर फर्जी तरीके से सत्यापन कर लेता है और कहते हैं कि सत्यापन हो गया। इस तरह से करोड़ों रुपया लोगों की जेबों में चला जाता है। जिन लोगों ने कर्जा नहीं लिया है, मेरा सुझाव है कि आप फिंगर प्रिन्ट एक्सपर्ट से उसकी जांच करवाइए, यदि उसकी जांच में यह साबित हो जाय कि उनके हस्ताक्षर हैं, तब उससे वसूल किया जाना चाहिए, अन्यथा नहीं किया जाना चाहिए।

पुराने जमाने में जैसे अंग्रेजों के समय में उत्पीड़न होता था उसी प्रकार से आज आपके यहां हो रहा है। अभी हमारे यहां एस0 डी0 एम0 रस्सा लेकर गया है और जो वसूलयाबी नहीं दे पाये हैं उनको पेड़ से रस्सा के जरिये बांधा है। जैसे कि अंग्रेजों के राज्य में हुआ करता था उसी तरह से आज सरकार वसूली कर रही है। मानवता के आधार पर आज किसानों की स्थिति ठीक नहीं है, आपने उनको कर्जा दिया लेकिन दैवी आपदाओं के नाते उनका उत्पादन नहीं हुआ और वे निश्चित समय से आपका कर्जा वापस नहीं कर पाये तो जैसे कि आप बड़े-बड़े महाजनों को तथा फैक्ट्रियों को कर्जा देते हैं और जब वे समय पर उसे वापस करने में असमर्थ होते हैं तो जो सुविधा आप उनको कर्जा लौटाने के लिए देते हैं, वैसी ही सुविधा आपको किसानों को भी देनी चाहिए।

अब मैं सिंचाई के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं –

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठिये, अपना भाषण आप कल जारी रखियेगा।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

माननीय मुख्य मंत्री जी 5 बजे बजट रखेंगे, अभी तो वे आये नहीं हैं, अभी थोड़ा समय है, मैं सिंचाई के बारे में भी कह लूं?

(माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन में प्रवेश किया।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

अब आप कल अपना भाषण जारी रखियेगा, आज आप बैठिये। नियम 51 के अन्तर्गत आज 13 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिसमें से केवल दो सूचनायें स्वीकार की गयी हैं, शेष अस्वीकार की गयी हैं। माननीय राज किशोर सिंह की सूचना वक्तव्य के लिए स्वीकार की गयी है और माननीय सरदार सिंह की सूचना केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार की गयी है।

कुछ समय के बाद ठीक 5 बजे वित्तीय वर्ष 1989-90 का आय-व्ययक प्रस्तुत किया जायगा। मा0 सदस्यों को वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक संबंधी साहित्य वितरित किये जाने के संबंध में की गयी व्यवस्था इस प्रकार है :–

"हां" सभा-कक्ष में समस्त महिला सदस्यगण तथा उत्तरकाशी, टेहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर-खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, फैजाबाद, बाराबंकी, बहराइच, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया तथा आजमगढ़ जिलों के समस्त सदस्यगण,

और

"नहीं" सभा-कक्ष में नाम-निर्देशित सदस्य तथा शेष अन्य जिलों के समस्त सदस्यगण–

अपना साहित्य प्राप्त करने का कष्ट करें। अब माननीय मुख्य मंत्री जी।

वित्तीय वर्ष 1989-90 का आय-व्ययक

मुख्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से इस अति सम्मानित सदन के सम्मुख वित्तीय वर्ष 1989-90 का बजट प्रस्तुत कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मुख्य मंत्री जी कृपया बैठें, बजट भाषण की प्रतियां माननीय सदस्यों के सम्मुख वितरित कर दी जाएं।

(तदुपरान्त बजट भाषण की प्रतियां माननीय सदस्यों को वितरित की गयीं)

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मान्यवर, यह मेरा सौभाग्य है कि प्रेरक आदर्शों के आधार इस परम् सम्मानित सदन के समक्ष मुझे पुनः यह सुअवसर मिला है । इस गौरवशाली सदन की उज्ज्वल लोकतांत्रिक परम्परा को माननीय प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने 19 दिसम्बर, 1987 को उत्तर प्रदेश विधान सभा के स्वर्ण जयन्ती समारोह में इसी सभामण्डप में इस उत्प्रेरक सूत्र में परिभाषित किया था "आपकी विधान सभा देश की सबसे बड़ी विधान सभा है, आपके बड़े होने से एक खास जिम्मेदारी आप पर है क्योंकि आप जिस तरह से लोकतंत्र को चलायेंगे वही संदेश देश की दूसरी विधान सभाओं को जायेगा" । यह सदन लोकतन्त्र, समाजवाद एवं सर्वधर्म समभाव के आदर्शों का मूर्त स्वरूप रहा है, इस सदन की कार्यविधियों ने देश में संसदीय परम्पराओं को निरन्तर नये आयाम दिये हैं । हम सभी सामूहिक रूप से यहां प्रदेश की जनता की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं सर्वतोमुखी प्रगति के लिये कृत संकल्प हैं ।

इसी गौरवशाली सन्दर्भ में इस सदन के मुख्य सेवक व वित्त साधक के रूप में आगामी वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक को प्रस्तुत करने की अनुज्ञा चाहता हूं ।

आर्थिक समीक्षा

माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि 1987-88 में प्रदेश को शताब्दी के सबसे भयंकर सूखे का सामना करना पड़ा । यह संतोष की बात है और यह हमारे आर्थिक ढांचे की परिपक्वता का द्योतक है कि विषम, दुष्कर एवं प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी आय में वृद्धि हुयी । शासन ने विशेष अभियान के माध्यम से यह सुनिश्चित किया कि प्रदेश के लघु एवं सीमान्त कृषकों को प्रमाणित बीज, उर्वरक, कीटनाशक दवाइयां एवं फसली ऋण पर्याप्त मात्रा में तथा समय से उपलब्ध हों ।

नवीनतम अनुदानों के अनुसार प्रचलित भावों पर प्रदेश की कुल आय 1986–87 में 28,260 करोड़ रुपये थी । वर्ष 1987–88 में प्रदेश की कुल आय 31,636 करोड़ रुपये अनुमानित है । प्रचलित भावों पर प्रति व्यक्ति आय 1986-87 में 2,269 रुपये थी, 1987-88 में 2,488 रुपये रही । 1980–81 के स्थायी भावों पर कुल राज्य आय 1986–87 में 18,469 करोड़ रुपये थी, जो 2.3 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 1987–88 में 18,897 करोड़ रुपये हो गयी । इसके अनुरूप स्थायी भावों पर प्रति व्यक्ति राज्य आय 1986–87 में 1,483 रुपये थी जो 1987–88 में 0.2 प्रतिशत से बढ़ कर 1,486 रुपये हो गयी ।

खाद्यान्न उत्पादन 1986–87 में 302.99 लाख मीट्रिक टन हुआ । वर्ष 1987–88 के सूखे के कारण उस वर्ष खाद्यान्न उत्पादन 281.35 लाख मीट्रिक टन हुआ । वर्ष 1988–89 में खाद्यान्न उत्पादन 334 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है ।

आलू का उत्पादन 1986–87 में प्रदेश में 56.95 लाख मीट्रिक टन था जो 1987–88 में बढ़ कर 74.19 लाख मीट्रिक टन हो गया ।

गन्ने का उत्पादन 1986–77 में प्रदेश में 847.36 लाख मीट्रिक टन था, जो 1987–88 में 954.79 लाख मीट्रिक टन हो गया। वर्ष 1988–89 में अब तक का सर्वाधिक उत्पादन 991.63 लाख टन होने का अनुमान है।

1986–87 में प्रदेश में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (1970–71 = 100) 347.1 था जिसके 1987–88 में 373.8 होने का अनुमान है। यह 1986–87 के सूचकांक से 7.7 प्रतिशत अधिक है। औद्योगिक उत्पादन क्षेत्र में प्रदेश में चीनी, सीमेंट और वस्त्र उद्योग का परम्परागत महत्वपूर्ण स्थान रहा है।

चीनी का उत्पादन 1986-87 में 21.04 लाख मीट्रिक टन था, जो 1987-88 में 26.06 लाख मीट्रिक टन हो गया। वर्ष 1988-89 में अब तक के सर्वाधिक चीनी का उत्पादन 27.54 लाख टन होने का अनुमान है।

सीमेंट का उत्पादन 1986–87 में 10.49 लाख मीट्रिक टन था जो 1987–88 में बढ़ कर 11.65 लाख मीट्रिक टन हो गया। 1988–89 में अप्रैल से जून की अवधि में 3 लाख मीट्रिक टन सीमेंट का उत्पादन हुआ जो गत वर्ष इसी अवधि में उत्पादित सीमेंट की तुलना में 1.4 प्रतिशत अधिक है।

प्रदेश में सूती धागे का उत्पादन 1986–87 में 1,284 लाख किलोग्राम था जो 1987–88 में 1,294 लाख किलोग्राम हो गया।

इस प्रकार प्रदेश की जनता ने सर्वतोमुखी उत्पादन बढ़ाकर इस वर्ष देश की राष्ट्रीय आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

वार्षिक योजना 1989–90 तथा नियोजन प्रक्रिया

माननीय सदस्य अवगत हैं कि सातवीं योजना का कुल अनुमोदित परिव्यय 11,000 करोड़ रुपया है, जिसके सापेक्ष योजना के प्रथम तीन वर्षों में लगभग 6,400 करोड़ रुपये व्यय हो चुके हैं। वर्ष 1988–89 की योजना 2,680 करोड़ रुपये की है। माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि केन्द्रीय योजना आयोग ने वर्ष 1989–90 के लिये 2,970 करोड़ रुपये का परिव्यय स्वीकार किया है जो वर्ष 1988–89 के परिव्यय से 290 करोड़ रुपये अर्थात् 10.8 प्रतिशत अधिक है। इसके अन्तर्गत प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र की वर्ष 1989–90 की वार्षिक योजना का सामान्यतन्त्र परिव्यय हिमांचल प्रदेश के परिव्यय के समतुल्य 300 करोड़ रुपये रखा गया है जिसमें 170 करोड़ रुपये केन्द्रीय सहायता का अंश है। इस प्रकार सातवीं योजना का कुल व्यय अनुमोदित परिव्यय 11,000 करोड़ रुपये से अधिक होने की आशा है।

नियोजन प्रणाली के विकेन्द्रीकरण में हमारा दृढ़ विश्वास है। योजना संरचना और उसके क्रियान्वयन में जन-प्रतिनिधियों तथा पंचायतीराज संस्थाओं की पूरी भागीदारी होनी चाहिए। इसी प्रतिबद्धता के कारण लगभग सभी पंचायती राज और स्थानीयशासी संस्थाओं के विगत कुछ महीनों में चुनाव कराये गये हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इन संस्थाओं का एक लम्बे अन्तराल के बाद जनतांत्रिक रूप से गठन

किया जा चुका है । हमें पूरा विश्वास है कि योजनाओं के लिये संसाधन जुटाने, उनकी संरचना और क्रियान्वयन में ये अपनी भूमिका पूरी सक्रियता के साथ निभायेंगी । विकेन्द्रित नियोजन का जो स्वरूप विगत् कुछ वर्षों से प्रदेश में चल रहा है उसमें जन-आकांक्षाओं और केन्द्रीय चिन्तन के अनुरूप अब कुछ मौलिक परिवर्तन करने होंगे और इन स्वशासी संस्थाओं को योजनाओं की संरचना और उनके कार्यान्वयन का और अधिक दायित्व सौंपना होगा । इस सम्बन्ध में प्रधान मंत्री जी द्वारा बुलाये गये पंचायती राज सम्मेलन की सस्तुतियां पर किये जाने वाले निर्णयों का कार्यान्वयन भी महत्वपूर्ण होगा ।

इसी को दृष्टि में रखते हुए 1989–90 की वार्षिक योजना में जिला सेक्टर के अन्तर्गत कुल 648·93 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है । विशेष रूप से ग्राम्य विकास के मुख्य कार्यक्रमों के लिए परिव्यय निर्धारित किए गये हैं जैसे एकीकृत ग्राम्य विकास योजना (68·28 करोड़ रुपये), राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (77·50 करोड़ रुपये), सूखोन्मुख क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (4·58 करोड़ रुपये) । ये सभी कार्यक्रम जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के माध्यम से संचालित किये जायेंगे ताकि जिला, ब्लाक और ग्राम स्तर तक इन योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन हो सके । योजना के कार्यान्वयन को जिला स्तर तक विकेन्द्रीकृत करने की दृष्टि से ही किया सेक्टर के अन्तर्गत लघु सिंचाई, ग्रामीण एवं लघु उद्योग, सड़क एवं पुल, शिक्षा, युवा कल्याण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा विद्युत् के लिये अलग से आयोजनागत परिव्यय निर्धारित किया गया है । आशा है कि इससे प्रदेश की योजना का कार्यान्वयन जनाकांक्षाओं के अनुरूप हो सकेगा ।

सदन के सम्मानित सदस्यों को यह जानकर हर्ष होगा कि केन्द्रीय योजना आयोग ने प्रदेश की जिला योजना संरचना सम्बन्धित प्रयासों को सराहा है तथा अन्य राज्यों को इनकी रूप-रेखा से अवगत कराया है ।

वर्ष 1989-90 सातवीं योजना का अन्तिम वर्ष होगा । राज्य सरकार ने आठवीं योजना (1990–95) की संरचना से सम्बन्धित प्रारम्भिक कार्य आरम्भ कर दिया है । इस योजना की संरचना में हम जन-प्रतिनिधियों, कृषकों, उद्‌मियों श्रमिकों एवं विशेषज्ञों से पूरा सहयोग प्राप्त करेंगे ताकि इस योजना से हमारे प्रदेश की जनता की समग्र आकांक्षाओं को साकार किया जा सके । मैं इस सम्बन्ध में सभी सम्मानित सदस्यों के विचारों एवं सुझावों का भी स्वागत करूंगा ।

बीस सूत्रीय कार्यक्रम

प्रदेश की आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय तथा गरीबी के खिलाफ संघर्ष में बीस सूत्री कार्यक्रम अत्यन्त प्रभावकारी रहा है । माननीय प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को और अधिक व्यापक, उपयोगी और प्रभावशाली स्वरूप प्रदान किया है । प्रदेश शासन इस अत्यन्त महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यसूची के समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए दृढ़ संकल्प है । बीस सूत्रीय कार्यक्रम में हमारी प्रगति आशानुरूप रही है ।

वर्ष 1988–89 में माह दिसम्बर, 1988 तक वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष विभिन्न कार्यक्रमों की उपलब्धियां इस प्रकार हैं :—

सीलिंग भूमि आवंटन में 401.0 प्रतिशत, वृक्षारोपण में 104.2 प्रतिशत, उचित दर की दुकानों की स्थापना 104.0 प्रतिशत, समन्वित बाल विकास केन्द्रों की स्थापना के अन्तर्गत शत-प्रतिशत, एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम के लाभार्थी 72.2 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के परिवारों को आर्थिक सहायता 69.0 प्रतिशत, आवास स्थल आवंटन 95.0 प्रतिशत, नगरीय क्षेत्र में दुर्बल वर्ग आवास निर्माण 71.3 प्रतिशत, अल्प आय वर्ग आवास निर्माण 67.1 प्रतिशत, मलिन बस्ती सुधार 88.5 प्रतिशत ।

वर्ष 1989–90 में प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 5.80 लाख व्यक्तियों को लाभान्वित किया जायेगा । राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम एवं ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत क्रमशः 663 लाख एवं 475 लाख मानव दिवस अतिरिक्त रोजगार का सृजन किया जायेगा तथा 24,000 लघु उद्योग इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य प्रस्तावित है । इसके अतिरिक्त गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले 3.52 लाख अनुसूचित जाति तथा 700 अनुसूचित जन-जाति के परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है । इन सभी कार्यक्रमों के कार्यान्वियन में सभी स्तर पर नव निर्वाचित जन-प्रतिनिधियों के सहयोग से गुणात्मक सुधार पर विशेष बल दिया जायेगा ।

बीस सूत्रीय कार्यक्रम एक ऐसा आन्दोलन है जिसका महत्व दलीय राजनीति से परे है । मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्यगण जनता के इस आर्थिक-सामाजिक उन्नयन के कार्यक्रम में सरकार को अपना बहुमूल्य सहयोग प्रदान करते रहेंगे ।

नवीन कल्याणकारी योजनाएं

लोक कल्याण की भावना से उत्प्रेरित होकर समस्त संसाधनों को मितव्ययिता-पूर्वक एकजुट करके शासन सम्यक् दृष्टि से प्रदेश में सर्वत्र समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिये प्रयत्नरत है । श्रीमद्भगवद्गीता में आह्वान किया गया—

सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ।
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ।।

तथापि हमारे इन प्रयासों का विशेष केन्द्र बिन्दु समाज के पिछड़े व निर्बल वर्ग हैं । हमारी पार्टी तथा सरकार ने समाज के उपेक्षित एवं निर्बल वर्गों के उत्थान कार्यक्रमों को सदैव शीर्ष प्रतिबद्धता के रूप में लिया है । वर्ष 1988 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अपने अधिवेशन में जो आर्थिक प्रस्ताव पास किया है वह हमारी इस महत्वपूर्ण प्राथमिकता को उजागर करता है । हमें इन समाजवादी कार्यक्रमों में दुगने उत्साह से समता, समानता व विकास के समान अवसरों पर आधारित लोकतांत्रिक, आर्थिक व सामाजिक ढांचा निर्मित करना है ।

यह सुनिश्चित करने के लिये कि जिला प्रशासन इकाई जनता के लिये चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन तथा अनुश्रवण जन-आकांक्षाओं के अनुरूप सुचारु रूप से कर सकें, राज्य सरकार ने प्रशासनिक दृष्टिकोण से पांच नये जिले बनाने का निर्णय लिया । इनमें से चार नये जिले, मऊ, हरिद्वार, सिद्धार्थ नगर व फिरोजाबाद गठित किये जा चुके हैं । कानपुर मण्डल के सृजन के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय का कार्यान्वयन किया जा चुका है तथा दो नये मण्डलों का सृजन भी प्रस्तावित है । सोनभद्र जनपद का गठन भी आसन्न है । प्रदेश के कतिपय स्थानों से नये जिलों/तहसीलों आदि के गठन की मांगे आती रही हैं । इन सभी सुझावों को परीक्षण व संस्तुति के लिये अध्यक्ष, बोर्ड आफ रेवेन्यू की अध्यक्षता में गठित एक समिति को सन्दर्भित किया जा रहा है ।

चालू योजनाओं की जानकारी सम्मानित सदस्यों को पहले से ही है । मैं अब माननीय सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि आगामी वित्तीय वर्ष में इस दिशा में हमारी क्या योजनायें हैं और हम क्या कदम उठाने जा रहे हैं ।

कक्षा 8 तक बालकों की शिक्षा निःशुल्क

प्रदेश में कक्षा–6 तक बालकों की शिक्षा पहले से ही निःशुल्क है । मुझे सम्मानित सदन को सूचित करते हुए हर्ष होता है कि भारत के संविधान की मंशा के अनुरूप अब राज्य सरकार ने मिडिल स्तर पर कक्षा–7 व 8 तक के बालकों को भी निःशुल्क शिक्षा दिए जाने का निर्णय लिया है । इससे प्रदेश के लगभग 20,000 विद्यालयों के 13.77 लाख बालकों के परिवार लाभान्वित होंगे । इस हेतु राज्य सरकार ने लगभग 5.60 करोड़ रुपये का वार्षिक व्यय-भार वहन करना स्वीकार किया है । प्रदेश के लाखों किसान, मजदूर, अनुसूचित जाति व निर्बल वर्ग के बालक इस निर्णय से लाभान्वित होंगे ।

छात्र कल्याण कार्यक्रम

छात्र हमारे समाज का वह गतिशील अंग है, जिस पर उज्जवल भविष्य की हमारी आशायें केन्द्रित हैं । छात्र कल्याण कार्यक्रमों को गति प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश छात्र कल्याण निधि की वर्तमान 5.00 करोड़ रुपये की धनराशि को बढ़ाकर 10.00 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव 1989–90 के लिये आय-व्ययक में शामिल है ।

सभी प्राइमरी स्कूलों के अपने भवन

प्रदेश के अभी लगभग 12,500 ऐसे प्राइमरी स्कूल हैं, जिनके अपने भवन नहीं हैं । माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि वित्त आयोग के महत्वपूर्ण योगदान से हमने आगामी वर्ष इन सभी स्कूलों के भवन निर्माण का निर्णय लिया है। इस कार्य में ग्राम सभाओं का पूरा योगदान लिया जाना प्रस्तावित है।

युवा रोजगार कार्यक्रम

प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करना सम्भव करने के लिये एक नये कार्यक्रम के अन्तर्गत स्कूलों और कालेजों तथा तकनीकी संस्थाओं के छात्रों को स्व-रोजगार के लिए तैयार करने पर विशेष बल दिया जायेगा । इसके माध्यम से यह भी सुनिश्चित किया जायगा कि शिक्षा संस्थायें तटस्थ सदृश्य न रह कर युवा पीढ़ी के गुणात्मक सुधार में सक्रिय भागीदार बनें । इस प्रकार रोजगार ढूंढ़ने वाले युवा स्वयं रोजगार देने वाले बनेंगे । इस प्रक्रिया में वित्तीय संस्थाओं, बैंकों, जिला उद्योग केन्द्रों व इंजीनियरिंग कालेजों, खादी बोर्ड तथा ऐसी ही अन्य संस्थाओं को सक्रिय रूप से सम्बद्ध किया जायेगा । इस योजना से युवाओं में आत्म-विश्वास तथा उद्यम के गुणों का विकास होगा । इस नये कार्यक्रम के लिये बजट में तीन करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है । सन् 1984-85 से चल रही नगरीय रोजगार योजना व ग्रामीण युवकों के लिए चल रही ट्राइसम योजना को नयी गति दी जायेगी व उद्यम भावना व प्रोजेक्ट निर्माण के लिए प्रशिक्षण सघन रूप से दिया जायेगा ।

कृषि स्नातकों का रोजगार कार्यक्रम

राज्य सरकार ने एक नई योजना के अधीन बेरोजगार कृषि स्नातकों को उर्वरकों का खुदरा (रिटेल) व्यवसाय करने की सुविधा दिए जाने का निर्णय लिया है जिसके अन्तर्गत विभिन्न फर्मों से कीट-नाशक एवं बीज की डीलर-शिप दिलाने में मदद की जायेगी । इस प्रयोजन हेतु 2 मीट्रिक टन उर्वरक भण्डारण के स्थान पर 10 मीट्रिक टन का भण्डारण लाइसेन्स से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है । इस कार्यक्रम के फलस्वरूप जहां एक ओर बेरोजगार कृषि स्नातकों को लाभ प्राप्त होगा वहीं दूसरी ओर कृषकों को उर्वरकों के साथ-साथ कीटनाशक व बीज भी अधिक सुगमता से उपलब्ध हो सकेंगे ।

मजदूरी में वृद्धि

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1989-90 से प्रति जोड़ा जनता धोती/साड़ी पर बुनकरों की मजदूरी 12 रुपये से बढ़ाकर 15 रुपये करने का भी निर्णय लिया गया है ।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत दैनिक मजदूरी 13.50 रुपये से बढ़ाकर 18.00 रुपये करने का भी राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है।

समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण हेतु बीमा योजना

प्रदेश सरकार द्वारा निर्बल वर्ग जैसे खेतिहर मजदूरों, रिक्शा चालकों, आटो रिक्शा चलाने वाले, हथकरघा बुनकर, निजी ड्राइवरों, इक्के तांगे वालों, दस्त-

कारों, वन विभाग के श्रमिकों आदि के लिए भी कल्याणकारी सामाजिक सुरक्षा योजनायें क्रियान्वित किये जाने की व्यवस्था की जा रही है। इसके फलस्वरूप लगभग एक लाख अतिरिक्त व्यक्ति लाभान्वित हो सकेंगे।

इन योजनाओं के अतिरिक्त प्रदेश में पूर्व से कार्यान्वित किये जा रहे कमजोर वर्गों के कल्याण हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम, सामान्य बीमा निगम तथा उसकी सहायक बीमा कम्पनियों के सहयोग से विभिन्न सामाजिक सुरक्षा, सामूहिक बीमा योजनायें भी चलती रहेंगी। इसमें प्रमुख रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन खेतिहर श्रमिकों की सामूहिक बीमा योजना, एकीकृत ग्राम्य विकास योजना में वित्तपोषित लाभार्थियों की बीमा योजना, निर्धन परिवारों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, ग्रामीण क्षेत्र में अति निर्धन परिवारों हेतु कुटीर बीमा योजना तथा कृषि उपकरणों के प्रयोग के दौरान मृत्यु हो जाने की दशा में कृषकों, खेतिहर श्रमिकों, मण्डी मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा योजना आदि विशेष हैं।

खेतिहर मजदूरों, किसानों के विभिन्न इंगित वर्गों के जीवन बीमे के लिये गांव सभाओं, विकास खण्डों एवं जिला परिषदों तथा रिक्शा चालकों व दैनिक शहरी मजदूरी में लगे श्रमिकों, बुनकरों व छीपी भाइयों, विभिन्न श्रेणी के दस्तकारों आदि के लिए जीवन बीमा योजनाओं को संचालित करने में स्थानीय निकायों का विशेष सहयोग लिया जायेगा।

मछुआ समुदाय के व्यक्तियों के लिए मछुआ सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना भी प्रदेश में चल रही है जिससे कि दुर्घटना में मृत्यु एवं अपंग होने की दशा में उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता मिल सके। इस योजना के अन्तर्गत लगभग 24,222 मछुए जो मत्स्य सहकारी समितियों के सदस्य हैं, पूर्व में ही आच्छादित किये जा चुके हैं। 1989-90 में मछुआ सहकारी समितियों के अन्य सदस्यों को आच्छादित कर कुल 26,000 मछुओं को दुर्घटना बीमा सुरक्षा प्रदान की जायेगी।

किसानों, मजदूरों, अनुसूचित जाति, अल्प-संख्यक वर्ग आदि के अन्तर्गत मेहनतकश वर्गों के लिए चलाई गई इन तमाम बीमा योजनाओं को समन्वित ढंग से लागू करने व कार्यक्रमों में तेजी लाने के लिए एक "सर्वहित बीमा अभियान निदेशालय" का गठन किया जायेगा।

विधवाओं एवं वृद्धों के लिए पेंशन योजनायें

माननीय सदस्य अवगत हैं कि इस समय प्रदेश में विधवाओं तथा वृद्धों को 60 रुपये मासिक पेंशन मिल रही है। माननीय सदस्यों के द्वारा समय-समय पर दिये गये सुझावों को ध्यान में रखते हुए मुझे सदन को अवगत कराते हुए प्रसन्नता है कि उक्त योजनाओं के अन्तर्गत 1989-90 में 15.00 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था की जा रही है जिससे प्रदेश के लगभग एक लाख अतिरिक्त विधवायें एवं लगभग एक लाख अतिरिक्त वृद्ध लाभान्वित होंगे। इन अतिरिक्त पेंशनों की स्वीकृति में प्राथमिकता खेतिहर मजदूर परिवारों एवं शहरी क्षेत्रों के गरीब परिवारों के वृद्धों एवं विधवाओं को दी जायेगी।

दहेज प्रथा से पीड़ित महिलाओं की सहायता

वर्ष 1989-90 से एक नई योजना के द्वारा दहेज प्रथा से पीड़ित महिलाओं को भरण-पोषण हेतु आर्थिक सहायता तथा कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जायेगी।

निर्बल वर्ग ग्रामीण आवासीय योजना

प्रदेश के लाखों बेघर हरिजन/आदिवासी व मेहनतकश वर्ग के परिवारों के लिये एक विशाल आवास योजना गांधी जयन्ती दिवस 1988 से प्रदेश में पहली बार पूरी गति से प्रारम्भ की गई है। जहां पिछले दशक में मार्च, 1988 तक पहले से चल रही योजनाओं के अन्तर्गत कुल मिलाकर 2 लाख 38 हजार निर्बल वर्ग आवासों का निर्माण हुआ था, वहां नई परिवर्तनकारी योजना के अन्तर्गत इन्दिरा आवास योजना के तहत निर्मित भवनों को मिलाकर एक वर्ष में ही 2 लाख 50 हजार आवास बनाये जा रहे हैं। यह प्रदेश व्यापी निर्माण अभियान इस समय जोरों से चल रहा है।

इस योजना के अन्तर्गत चयनित परिवारों को मैदानी क्षेत्र के लिए 6,000 रुपये की सहायता दी जा रही है, जिसमें 4,000 रुपये अनुदान तथा 2,000 रुपये ऋण के रूप में दिया जा रहा है। पर्वतीय क्षेत्र में अनुदान की राशि 5,800 रुपये तथा ऋण की राशि 2,000 रुपये है। माननीय सदस्यों को जानकर प्रसन्नता होगी कि इस गतिशील योजना के अन्तर्गत 1989-90 में तीन लाख आवास बनाये जाने का लक्ष्य रखा जा रहा है। इस अभियान में ग्राम सभाओं व विकास खण्डों का पूरा सहयोग अपेक्षित है।

कुटीर ज्योति योजना

वर्तमान वित्तीय वर्ष के केन्द्रीय बजट के अनुरूप 1989-90 में राज्य सरकार द्वारा कुटीर ज्योति योजना को गति दी जायेगी जिसके अधीन ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वालों के घरों को विद्युत प्रकाश से आलोकित करने के लिए 2.62 करोड़ रुपये के प्राविधान से 2.16 लाख विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराये जायेंगे। इन कनेक्शनों के लिए कोई धरोहर धनराशि नहीं ली जायेगी। इसमें कच्चे अथवा पक्के घरों में 40 वाट का एक विद्युत बल्ब दिया जायेगा। मासिक बिजली का व्यय मात्र 7.50 रुपये होगा।

लघु/सीमान्त कृषकों की भूमि संरक्षण कार्य-लागत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना

शासन ने यह भी निर्णय लिया है कि प्रदेश के लघु एवं सीमान्त किसानों को उनकी निजी भूमि पर भूमि संरक्षण के सम्पादित कार्य की लागत पूर्ण रूप से राज्य सरकार द्वारा वहन की जाये यद्यपि इससे राज्य सरकार को राजस्व में लगभग 2 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की कमी होगी। इससे प्रति वर्ष भूमि क्षरण की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित गांवों के लगभग साठ हजार कृषकों को सीधा लाभ पहुंचेगा।

कृषि यंत्र योजना

वर्ष 1989-90 में किसानों को कृषि यंत्र एवं कृषि रक्षा उपकरण उपलब्ध कराने के लिए एक नई योजना प्रारम्भ की जा रही है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक विकास खण्ड में 500 कृषक परिवार तथा कुल मिलाकर करीब 4.5 लाख कृषक परिवार लाभान्वित होंगे। ऐसे प्रत्येक किसान परिवार को कृषि यंत्र तथा कृषि रक्षा उपकरण के क्रय पर 50 प्रतिशत अनुदान 500 रुपये की अधिकतम सीमा तक दिया जायेगा।

औद्यानिक तथा फल उपयोग विभाग का गठन

सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि केन्द्र द्वारा गांवों के उत्पादों को प्रोत्साहित करने हेतु एक नये विभाग के गठन को ध्यान में रखते हुए हमने बागवानी तथा कृषि पर आधारित उद्योगों के बढ़ते महत्व के सन्दर्भ में प्रदेश के फलोत्पादकों के लिए उनके उत्पादों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने हेतु कृषि विभाग से अलग एक औद्यानिकी एव कृषि उद्योग विभाग के गठन का निर्णय लिया है। इस विभाग के गठन से प्रदेश के हार्टिकल्चर (औद्यानिकी) का कार्य बढ़ेगा व कृषि उत्पादों एवं फलों पर आधारित कृषि उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा मिलेगा।

ऊसर भूमि उपचार की नई योजना

प्रदेश में ऊसर की 12 लाख हेक्टेयर से ज्यादा भूमि है। इसका बड़ा भाग भूमिहीन अथवा लघु/सीमान्त कृषकों को आवंटित है अथवा गांव सभा की भूमि है जिसके उपचार हेतु आवंटियों के पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं और न ही ऋण लेकर उपचार करने की क्षमता है। इस श्रेणी के कृषकों की समस्याओं को विशेष रूप से दृष्टिगत रखते हुए 2.75 लाख हेक्टेयर ऊसर क्षेत्र उपचारित करने की वृहद् योजना बनाकर भारत सरकार की स्वीकृति के लिए प्रेषित की गई है। इस योजना के अन्तर्गत 1989-90 में 25,00 हेक्टेयर एवं आगामी वर्षों में 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र आठवीं योजना के प्रत्येक वर्ष में उपचारित करने का प्रस्ताव है।

वर्ष 1989-90 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह योजना 41.75 करोड़ रुपए की लागत से आरम्भ करने का प्रस्ताव है। पूरे योजनाकाल के लिए चलाई जाने वाली इस ऊसर भूमि क्रान्ति योजना द्वारा 755 करोड़ रुपये की लागत से 6 वर्षों में 2,47 लाख कृषक लाभान्वित किए जायेंगे।

इस विशाल किसान हितकारी योजना के कार्यान्वियन में 11 करोड़ मानव दिवस सृजित होंगे। उपचारित भूमि पर कृषि कार्य में 5.5 करोड़ मानव दिवस प्रतिवर्ष सृजित हो सकेंगे।

इन योजनाओं में सर्वोदय व खादी जगत के रचनात्मक संगठनों व युवक तथा महिला मंगल दलों एवं अन्य स्वयंसेवी संगठनों का पूरा सहयोग लिया जायेगा।

अप हिल इलेक्ट्रानिक निगम का पृथकीकरण

इलेक्ट्रानिक उद्योगों की महत्ता को देखते हुए शासन ने इलेक्ट्रानिक पर आधारित उद्योगों के समग्र विकास के लिए पहले ही अपट्रान तथा अप हिल इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन का गठन किया था । प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र जहां ऐसे उद्योगों के लिए प्राकृतिक वातावरण उपलब्ध है और इलेक्ट्रानिक उद्योगों के विकास की तमाम सम्भावनायें है शासन ने निर्णय लिया है कि अप हिल इलेक्ट्रानिक को अपट्रान से अलग निगम बनाया जाय । पर्वतीय क्षेत्र जहां वन संरक्षण आदि को ध्यान में रखते हुए बड़े व मझोले उद्योगों को स्थापित नहीं किया जा सकता है वहां इलेक्ट्रानिक आधारित इकाइयों की स्थापना से औद्योगिकीकरण करना सम्भव होगा ।

पूर्वान्चल में नोएडा के समान औद्योगिक अथारिटी

नोएडा की महत्ता एवं उसकी ख्याति को देखते हुए प्रदेश के पूर्वान्चल में भी शासन ने गोरखपुर (सहजनवां) तथा जौनपुर जनपद में नोएडा के अनुरूप दो औद्योगिक आस्थान आठवीं योजना में स्थापित किए जाने का निर्णय लिया है । प्रदेश के पूर्वान्चल को औद्योगिकीकरण की दिशा प्रदान करने का यह एक सार्थक प्रयास होगा ।

आठवीं योजना काल में कुल मिलाकर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में केन्द्र की सहायता से 8 स्थानों पर औद्योगिक ग्रोथ सेन्टर खोले जायेंगे । इससे प्रदेश के पिछड़े इलाकों में औद्योगिकीकरण का वातावरण तैयार हो सकेगा ।

प्रदेश में नए उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु 10 करोड़ रुपए की एक "उद्यमिता निधि" (वेन्चर फण्ड) के निर्माण का प्रस्ताव है । इसमें 25 प्रतिशत पूंजी यानि 2.50 करोड़ रुपये राज्य सरकार का अंशदान तथा शेष धनराशि केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं के सहयोग से प्राप्त की जायगी । इस नए विनियोजन से प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग लगाने में सहायता मिलेगी ।

व्यापार मित्र

शासन ने तय किया है कि प्रदेश का व्यापारी वर्ग जो समाज का एक अभिन्न अंग है, के साथ अधिक समन्वय स्थापित किया जाय । इससे एक ओर राज्य का व्यापार तो बढ़ेगा ही, साथ ही दूसरी ओर व्यापारियों की कठिनाइयों को यथासम्भव दूर किया जा सकेगा । इस उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के व्यापारियों के प्रतिनिधियों एवं शासन के सदस्यों की एक हाई पावर कमेटी "व्यापार मित्र" का गठन किया गया है । इसके पदेन अध्यक्ष मुख्य मंत्री हैं । इससे व्यापारियों को खाद्य एवं आवश्यक वस्तुओं के प्रति वर्ष लाइसेन्सों के नवीनीकरण के स्थान पर पांच वर्ष में नवीनीकरण, एकमुश्त पांच वर्ष की लाइसेन्स फीस जमा कर पुराने लाइसेन्सों का नवीनीकरण तथा कम्पोजिट लाइसेंसिंग आदि की सुविधा के आदेश किए जा चुके हैं ।

पत्रकार कल्याण

आपदाग्रस्त पत्रकारों व उनके परिवारों को और अधिक आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से "पत्रकार कल्याण कोष" में अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था भी

1989-90 में की जा रही है । केन्द्र सरकार की तत्संबंधी समिति की रिपोर्ट पर निर्णय के आधार पर श्रमजीवी पत्रकारों की पेंशन संबंधी व्यवस्था भी इस वर्ष किए जाने की पूरी सम्भावना है ।

प्रदेश सरकार इस संदर्भ में श्रमजीवी पत्रकार संगठनों एवं समाचार-पत्रों के प्रबन्ध मण्डलों से भी आवश्यकतानुसार परामर्श करेगी ।

पर्वतीय विकास

माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिए 260 करोड़ रुपए का परिव्यय स्वीकृत था । राज्य सरकार के विशेष प्रयासों से भारत सरकार से 10.50 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता अनुमन्य की गई है । 1989-90 के लिए आयोजनागत परिव्यय में 300 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं, जिसमें 170 करोड़ रुपए विशेष केन्द्रीय सहायता सम्मिलित है ।

पर्वतीय क्षेत्र की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए इलेक्ट्रानिक उद्योग को विशेष रूप से बढ़ाए जाने का प्रयत्न किया जा रहा है । इसके लिए सात इलेक्ट्रानिक उद्योग आस्थान, दो इलेक्ट्रानिक्स प्रशिक्षण एवं विकास केन्द्र तथा नई टेहरी में टी0 वी0 फैक्ट्री स्थापित की जा रही है । ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारिता समितियों के माध्यम से इलेक्ट्रानिक औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की जायेगी ।

पर्वतीय क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने तथा आर्थिक विकास हेतु वस्त्र, शिल्प, जड़ी-बूटी, इलेक्ट्रानिक्स लघु उद्योगों के समन्वित विकास के लिये एक आयोग गठित किया गया है, जिसके अन्तर्गत एक लघु एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय की स्थापना की जा रही है । इसका मुख्य कार्यालय श्रीनगर (गढ़वाल) में एवं एक उप-कार्यालय अल्मोड़ा में खोला जायेगा ।

माननीय सदस्यगण अवगत ही हैं कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा इस प्रदेश में दिया गया है और इसके लिए पर्वतीय क्षेत्र में ऋण उपादान योजना चालू की गई है, जिसके अन्तर्गत ऋण की सीमा 50 हजार रुपए से 2.50 लाख रुपए कर दी गई है । तीर्थ यात्रियों को यात्रा मार्ग पर सुविधा सुलभ कराये जाने के उद्देश्य से "यात्रा प्रशासन" का संगठन किया गया है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए शीत-कालीन क्रीड़ा-केन्द्र औली, जनपद चमोली में स्थापित किया गया है। इसमें वर्ष 1989-90 में रोपवे तथा लिफ्ट का कार्य पूरा किया जायेगा ।

जनपद द्वारा जो योजनायें बनायी जा रही हैं वह व्यवहारिक हों, तथ्यों पर पर आधारित हों और क्षेत्र विशेष के लिए लाभकारी हों, इसके लिए कुमायूं और गढ़वाल में दो क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किये जा रहे हैं, जिनमें रिसर्च की सुविधा तथा तकनीकी सपोर्ट उपलब्ध रहेगा ।

ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत 528 ग्रामों में एवं त्वरित ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत 122 ग्रामों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी । पारम्परिक योजना के माध्यम से पर्वतीय क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना सम्भव न होगा । अतः यह निर्णय लिया गया है कि टेक्नोलाजी

मिशन की सहायता से पर्वतीय क्षेत्र में गैर-पारम्परिक योजनाओं द्वारा वर्षा जल का संग्रह एवं संरक्षण, जलाशयों का निर्माण, भू-छेदन के माध्यम से अधिक से अधिक ग्रामों को लाभान्वित किया जायेगा ।

विश्व बैंक से वित्त पोषण हेतु 100.26 करोड़ रुपए की बागवानी विकास परियोजना की संरचना की गई है। पर्वतीय क्षेत्र के फलोत्पादकों को लाभकारी मूल्य दिलाने हेतु मूल्य समर्थन योजना भी प्रारम्भ की गई है। औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के उद्देश्य से भूमि विकास बैंक तथा व्यवसायिक बैंकों से यथेष्ट ऋण की व्यवस्था की जा रही है और बैंक की ब्याज दरों को राज्य सहायता द्वारा कम करके किसानों पर ब्याज का भार घटाया जायेगा ।

भूमि एवं जल संरक्षण कार्यक्रम में 8,000 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र के उपचार तथा वन विभाग की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लगभग 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में वनीकरण एवं चारागाह विकास कार्यक्रम का लक्ष्य है। वानिकी विकास कार्यक्रम में आर्थिक महत्व तथा शीघ्र उगने वाली प्रजातियों के वृक्षारोपण के अन्तर्गत 7.86 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र लाने का लक्ष्य है । जलागम प्रबन्ध परियोजना के अन्तर्गत कार्यक्रम के विस्तार के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय सहायता से वित्त पोषण हेतु निम्न परियोजनायें भी क्रियान्वित की जानी प्रस्तावित हैं :—

1—दक्षिण भागीरथी, फेज-2, जलागम प्रबन्ध परियोजना,
2—वन पंचायत वनीकरण परियोजना,
3—अगलार नदी घाटी जलागम प्रबन्ध परियोजना,
4—भीमताल जलागम प्रबन्ध परियोजना,
5—बेनालगाड़ जलागम प्रबन्ध परियोजना,
6—कुचागाड जलागम प्रबन्ध परियोजना,
7—दून घाटी परियोजना ।

कुमायूं एवं गढ़वाल मण्डलों में इंजीनियरिंग कालेज की आवश्यकता एक अरसे से महसूस की जा रही थी । द्वाराहाट, जनपद अल्मोड़ा व धुड़दौड़ी, जनपद पौड़ी में इंजीनियरिंग कालेजों के भूमि एवं भवन के निर्माणार्थ स्वीकृति दी जा चुकी है जिनमें प्रवेश वर्ष 1990 तक प्रारम्भ हो सकेगा ।

विगत समय से यह महसूस किया जा रहा है कि समुचित संचार व्यवस्था की कमी के कारण पर्वतीय क्षेत्र के विकास में वांछित गति नहीं आ पा रही है । अतः इसके सुदृढ़ीकरण के लिए दूर संचार एवं उपग्रह के माध्यम से एक संचार व्यवस्था बनाने का कार्यक्रम तैयार किया गया है जिससे पर्वतीय क्षेत्र के लगभग 60 स्थानों को लखनऊ एवं दिल्ली से सीधा जोड़ा जायेगा । इस योजना पर कार्यान्वयन का कार्य इसी वर्ष किया जायेगा ।

कृषि

माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम दो वर्षों 1988-89 व 1989-90 के लिये कृषि विकास की दर को तेज करने का आह्वान

किया गया है । इस हेतु देश में विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया है । इस कार्य के लिये देश के 169 जनपदों का चयन किया गया जिसमें प्रदेश के 38 जनपद लिये गये हैं । इस योजना के अन्तर्गत खरीफ में चावल के लिये 24, मक्का के लिये 9, अरहर के लिये 6 जनपदों का एवं रबी में गेहूँ के लिये 24 तथा चना के लिये 5 जनपदों का चयन किया गया है ।

कृषकों को एक ही स्थान पर सभी निवेशों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से "सिंगिल-विण्डो सिस्टम" का प्रारम्भ प्रथम बार किया गया । अब तक कृषि विभाग के 953 कृषि रक्षा केन्द्रों से ही कृषि रक्षा रसायन का विक्रय होता था जिसके स्थान पर अब 2,035 केन्द्रों से इन रसायनों का वितरण कराया जायेगा ।

उर्वरक वितरण के अन्तर्गत वर्ष 1988-89 में 21.5 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित किया है । इस वर्ष खरीफ 1988-89 के लिये 8 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित करते हुए 8.76 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों का वितरण किया गया जो प्रदेश का एक कीर्तिमान है । इस हेतु कई विशिष्ट कदम उठाए गये हैं ।

तिलहन उत्पादन कार्यक्रम को एक नई दिशा दी जायेगी तथा सूरजमुखी के उत्पादन को बढ़ाने हेतु गायद के सम्बन्ध में एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम बनाया गया है और इसके साथ ही मिश्रित-फसल प्रणाली का विस्तार करने का कार्यक्रम भी है ।

सोयाबीन कार्यक्रम का बुन्देलखण्ड में विस्तार किया जायेगा तथा पर्वतीय क्षेत्र में भी इसके विस्तार के और अधिक प्रयास किये जायेंगे ।

विश्व बैंक पोषित नलकूप योजना के अन्तर्गत जल के बेहतर प्रयोग हेतु स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति का विस्तार किया जायगा ।

कृषि विश्वविद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा बनाये जाने वाले कृषि यंत्रों के प्रोटोटाइप्स के परीक्षण हेतु यू0 पी0 एग्रो की तालकटोरा स्थित वर्कशाप में एक यंत्र परीक्षण केन्द्र सामान्य सुविधा सेवा के तौर पर स्थापित किया जायेगा । इस केन्द्र में परीक्षण के आधार पर यंत्रों का विकास कार्यक्रम बनाया जायेगा । यह परीक्षण केन्द्र कृषि मैकेनिकों के प्रशिक्षण भी आयोजित करायेगा ।

हमने यह भी निर्णय लिया है कि भूमि संरक्षण कार्य समन्वित व एकीकृत ढंग से माइक्रोवाटर शेड आधार पर कराया जाय ।

मण्डियों में विपणन की अद्यतन सूचना उपलब्ध कराने के लिये प्रत्येक नवीन मण्डी स्थल एवं निर्मित किये जा रहे स्थलों और उप-स्थलों में पब्लिक काल आफिस तथा जनपद/मण्डल स्तरीय मण्डियों में टेलेक्स की उपलब्धता कराई जायेगी ।

प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिये विकास खण्ड एवं न्याय पंचायत स्तर पर सूक्ष्म नियोजन (माइक्रो प्लानिंग) की कार्यवाही प्रारम्भ की गई है । इसके अन्तर्गत पिछड़े विकास खण्डों एवं न्याय पंचायतों को चिन्हित करते हुए शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों को मुख्य रूप से उन जगहों पर प्रभावी रूप से लागू करने पर जोर दिया जा रहा है । इसके अतिरिक्त उर्वरक, प्रमाणीकृत बीज, कृषि रक्षा यंत्र एवं कृषि रसायनों आदि की आपूर्ति भी विकास खण्ड एवं न्याय पंचायत स्तर पर सूक्ष्म नियोजन के तहत की जानी प्रस्तावित है ।

मत्स्य

प्रदेश स्तर पर मत्स्य पालकों को तालाबों में मत्स्य उत्पादन का स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से सघन मत्स्य पालन प्रदर्शन की एक नई योजना वर्ष 1989-90 से लागू की जा रही है । यह योजना "प्रयोगशाला से तालाबों तक" कार्यक्रम के अन्तर्गत एक नया प्रयास है जिससे कि मत्स्य पालक इन तालाबों में मत्स्य पालन प्रदर्शनों को देखकर मत्स्य उत्पादन के स्तर बढ़ाने की तकनीक में दक्ष हो सकेंगे । इस योजना के अन्तर्गत मैदानी क्षेत्र के प्रत्येक जनपद में एक तालाब की दर से प्रदर्शन तालाब विकसित किये जायेंगे ।

राष्ट्रीय कल्याण योजना के अन्तर्गत मत्स्य पालकों के लिए आवास बनाने की योजना भी प्रदेश में चलायी जा रही है । 1988-89 के अन्त तक योजना के अन्तर्गत 200 आवासीय भवन तथा दो सामुदायिक भवनों का निर्माण मछुआ बाहुल्य क्षेत्रों में कराया जायेगा । वर्ष 1989-90 में 300 आवासीय भवन बनाया जाना प्रस्तावित है । कुल मिलाकर योजना-काल में दस हजार मत्स्य पालकों के लिए आवास बनाए जायेंगे ।

वन्य जीवन

वन्य जीवन का हमारे जैविक-क्षेत्र (बायोस्फियर) के जैव-सन्तुलन में विशेष महत्व है । प्रदेश शासन वन्य जन्तुओं के परिरक्षण हेतु अत्यन्त जागरूक है । इस समय प्रदेश में 4 राष्ट्रीय पार्क तथा 20 वन विहार हैं । नेहरू जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में जनपद गोण्डा में सुहेलवा वन पशु विहार एवं जनपद अल्मोड़ा में बिनसर पशु विहार 1988-89 में स्थापित किया गया है । आगामी वर्षों में भी नये पशु विहारों की स्थापना करने का प्रस्ताव है । जनता को वनस्पति, पर्यावरण एवं परिस्थितिकी के प्रति अधिक से अधिक जागरूक बनाने के लिए रायबरेली में स्व0 इन्दिरा गांधी स्मारक वनस्पति उद्यान की स्थापना का शुभारम्भ माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा दिनांक 22 नवम्बर, 1988 को किया जा चुका है। यह योजना आगामी वर्षों में भी चालू रहेगी ।

खाद्य तथा रसद

प्रदेश में जन वितरण प्रणाली को और प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से उचित दर की दुकानों में उत्तरोत्तर वृद्धि की जा रही है और दुर्गम एवं पिछड़े क्षेत्रों में अधिक संख्या में उचित दर की दुकानें खोली जा रही हैं ताकि इनका अपेक्षित लाभ इस क्षेत्र में रहने वाले उपभोक्ताओं को प्राप्त हो सके । पर्वतीय क्षेत्रों में खाद्यान्नों पर "हिल ट्रान्सपोर्ट सब्सिडी योजना" भारत सरकार से लागू करने के लिये राज्य शासन सतत् प्रयत्नशील है ताकि इन क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं को सस्ते दर पर खाद्यान्न प्राप्त हो सके । खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा निर्गत किये जाने

वाले लाइसेन्सों की अवधि एक वर्ष के स्थान पर पांच वर्ष कर दी गई है जिससे अनेकों व्यवहारिक एवं प्रशासनिक कठिनाइयों का स्वतः समाधान हो गया है।

प्रदेश में जनता को खाद्यान्न एवं चीनी तथा अन्य आवश्यक वस्तुयें उपलब्ध कराने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत नवम्बर, 1988 तक 44,394 दुकानें कार्यरत हैं, जिनमें छात्रावासों/विद्यालयों में चल रही 79 दुकानें तथा औद्योगिक क्षेत्रों में 277 दुकानें सम्मिलित हैं, इसके अतिरिक्त 63 सचल दुकानें भी विभिन्न जनपदों में कार्यरत हैं। वर्ष 1987-88 में 2,000 दुकानें खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके विरुद्ध 4,576 दुकानें खोली गईं। वर्ष 1988-89 में भी 2,000 दुकानें खोलने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके विपरीत नवम्बर, 1988 तक कुल 1,939 दुकानें खोली जा चुकी हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्यान्नों एवं आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता की समीक्षा हेतु न्याय पंचायत तथा विकास खण्ड, तहसील तथा जिला स्तर पर सतर्कता/सलाहकार समितियों का गठन भी किया गया है।

उपभोक्ताओं को मिट्टी का तेल, डीजल तथा अन्य पेट्रोलियम उत्पाद निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध कराये जा रहे हैं। डीजल तथा अन्य पेट्रोलियम उत्पादों में मिट्टी तेल की मिलावट जैसी अवांछनीय गतिविधियों के खिलाफ प्रशासन सतर्क है।

उपभोक्ताओं का शोषण रोकने तथा उनके हितों के संरक्षण के लिए केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत प्रदेश स्तर व जिला स्तर पर उपभोक्ता फोरमों का गठन कर व्यवस्था को और सुदृढ़, सतर्क व प्रभावकारी बनाया जा रहा है।

उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा, उपभोक्ताओं को अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को लागू करने के उद्देश्य से प्रदेश में "राज्य आयोग" का गठन किया जा चुका है तथा 10 मण्डलों के मण्डलीय मुख्यालयों पर जिला फोरम का गठन किया जा चुका है। जिला फोरम में अवकाश प्राप्त जज, उत्पादकों, विक्रेताओं, स्वयं सेवी संस्थाओं, युवा व महिला कल्याण एवं अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों का सहयोग लिया जा रहा है। उपभोक्ता संरक्षण के इस कार्यक्रम से वस्तुओं की गुणवत्ता, मूल्य नियंत्रण तथा उपभोक्ता को हानि होने पर मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार होगा। जिला फोरम उपभोक्ताओं के एक लाख रुपए के मूल्य तक के विवादों की सुनवाई करेंगे तथा राज्य आयोग जिसका प्रधान उच्च न्यायालय के एक सेवा निवृत्त न्यायाधीश हैं, जिला फोरम के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनेंगे व 1 लाख से 10 लाख रुपए मूल्य तक के विवादों का स्वतंत्र रूप से निपटारा करेंगे। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शिकायत/प्रार्थना-पत्र निःशुल्क प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

सहकारिता

पिछले कई वर्षों से सहकारी समितियों में चुनाव नहीं हुए थे। सहकारिता आन्दोलन के प्रति राज्य सरकार की निष्ठा व प्रतिबद्धता के फलस्वरूप वर्ष 1988–89

में प्रारम्भिक समितियों, सहकारी क्रय-विक्रय समितियों, प्राथमिक उपभोक्ता भण्डारों, क्षेत्रीय सहकारी संघों एवं जिला स्तर की सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन कराकर समितियों का संचालन चुने गए प्रतिनिधियों को सौंपा गया है। इन चुनावों के फलस्वरूप सहकारिता आन्दोलन में एक बार पुनः जन-प्रतिनिधियों को सहभागी बनने का अवसर मिला है और आशा की जाती है कि इससे प्रदेश में सहकारी संस्थाओं के संचालन में और सक्रियता एवं बल प्राप्त होगा।

सहकारी समितियों के सदस्यों को वर्ष 1988-89 में अल्पकालीन ऋण के रूप में पहली बार 425 करोड़ रुपए, मध्यकालीन ऋण के रूप में 50 करोड़ रुपए एवं दीर्घकालीन ऋण के रूप में 120 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कृषकों को उपज बढ़ाने के लिए इस वर्ष लगभग 500 करोड़ रुपए के रासायनिक उर्वरक तथा प्रमाणित बीजों का वितरण 13,000 सहकारी बिक्री केन्द्रों से किया जा रहा है। वर्ष 1989-90 में 475 करोड़ रुपए का अल्पकालीन ऋण, 60 करोड़ रुपए का मध्यकालीन ऋण तथा 140 करोड़ रुपए का दीर्घकालीन ऋण बांटे जाने का लक्ष्य रखा गया है।

कृषक सदस्यों को अधिक राहत पहुंचाने हेतु सहकारिता के क्षेत्र में एक नई चेक प्रणाली लागू कर दी गई है जिसके अन्तर्गत भूमि के आधार पर ऋण स्वीकृत कर कृषकों को पासबुक एवं चेकबुक दे दी गई है।

गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले निर्बल वर्ग के उत्थान हेतु मैनपुरी जनपद में परीक्षण के आधार पर 8 प्रतिशत के रियायती ब्याज दर पर मध्यकालीन ऋण उपलब्ध कराने की विशिष्ट सुविधा दी जा रही है।

हरिजन तथा समाज कल्याण

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा अनुसूचित जाति, जन-जाति, पिछड़ी जाति तथा विमुक्त जातियों की आर्थिक स्थिति सुधारने, उसे सुदृढ़ करने और उन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत योजनाएं देकर पोषित किया जाता है।

पूर्वदशम् कक्षाओं में अनुसूचित जाति के 11.74 लाख छात्रों को लाभान्वित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मैदानी क्षेत्र के विमुक्त जाति के पूर्वदशम् छात्रों की छात्रवृत्ति से लगभग 40,000 छात्र लाभान्वित हो रहे हैं। राज्य सरकार का प्रयास है कि उक्त वर्ग के छात्रों के हितों के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था की जाय।

सरकार का यह प्रयास रहेगा कि दशमोत्तर छात्रवृत्ति हेतु भी पर्याप्त धन व्यवस्था करके भारत सरकार से अधिकाधिक सहायता प्राप्त की जाय।

अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु इस समय 42 छात्रावास संचालित हैं। इसके अतिरिक्त लड़कियों हेतु 10 छात्रावास निर्मित हो चुके हैं। विभागीय अनुदान पर 112 छात्रावास निजी संस्थाओं द्वारा संचालित हैं। इसके अतिरिक्त निजी संस्थाओं द्वारा संचालित 34 छात्रावासों को अनुदान देने का निर्णय है। भविष्य की आवश्यताओं को देखते हुए यह प्रयास रहेगा कि छात्रों की आवासीय समस्या का निराकरण किया जाय।

शिक्षा में अधिकाधिक प्रसार के उद्देश्य से प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के छात्रों को "तैयारी पाठ्यक्रम" के अन्तर्गत प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया गया है। इसके अन्तर्गत 300 छात्र, छात्राओं के लिए पाठ्यक्रम संचालित कराया जाना होगा।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत विभिन्न विकास विभागों के आयोजनागत परिव्यय में से 1,071 करोड़ रुपए की धनराशि अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए मात्राकृत की गई है। इसके सापेक्ष इसी अवधि में लगभग 1,300 करोड़ रुपए का उपयोग करने का प्रयास है।

महिला कल्याण

माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि प्रदेश शासन ने महिलाओं की समस्याओं की ओर विशेष ध्यान देने और विकास कार्यक्रमों का महिलाओं को सीधा लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से महिला कल्याण विभाग की स्थापना की है। कल्याणकारी कार्यक्रमों में महिलाओं का योगदान, उत्पादक कार्यक्रमों से महिलाओं को सम्बद्ध कर उनके जीवन स्तर को उठाने का प्रयास, सभी विभागों के विकास कार्यक्रमों में समन्वय कर महिलाओं को लाभान्वित करने का कार्य, उत्पादकता की वृद्धि के लिए तकनीकी ज्ञान तथा तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था इस विभाग द्वारा की जायेगी।

यह भी हर्ष का विषय है कि राष्ट्रीय नीति के अनुसार प्रदेश में एक महिला कल्याण निगम की स्थापना भी की गई है। निगम ने इस वर्ष कार्य आरम्भ कर दिया है। इसमें प्रदेश सरकार ने 21 लाख रुपए की अंशपूंजी प्रदान की है तथा केन्द्र सरकार से 19 लाख रुपए की स्वीकृति भी प्राप्त हो गई है।

ऊर्जा

माननीय सदस्यों को यह जानकर संतोष होगा कि वर्ष 1987-88 में किसी एक दिन का अधिकतम विद्युत उत्पादन 42.832 मि0 यूनिट था जो 22 जनवरी, 1989 को बढ़कर 52.398 मि0 यूनिट हो गया। वर्ष 1987-88 में तापीय विद्युत गृहों का प्लान्ट लोड फैक्टर 47.1 प्रतिशत था, जो अप्रैल से दिसम्बर, 1988 की अवधि में बढ़कर 51.8 प्रतिशत हो गया। दिसम्बर, 1988 के दौरान औसत प्लान्ट लोड फैक्टर 63.63 प्रतिशत था जबकि यह औसत ओबरा "बी" में 83.21 प्रतिशत और आनपारा "ए" में 95.74 प्रतिशत था। प्लान्ट लोड फैक्टर में सुधार होने के फलस्वरूप तेल की खपत में कमी आई। अप्रैल से नवम्बर, 1988 की अवधि में तेल की औसत खपत केवल 6.55 के0 एल0/एम0 यू0 थी जबकि 1987 में इसी अवधि में यह औसत 9.46 के0 एल0/एम0 यू0 था। अनुमान है कि इससे वर्ष के दौरान लगभग 9 करोड़ रुपए की बचत होगी।

योजना आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार अतिरिक्त अधिष्ठापित क्षमता का सृजन भी प्रगति पर है। मुझे सम्मानित सदन को यह बताते हुए हर्ष है कि रायबरेली जनपद में ऊंचाहार तापीय विद्युत गृह की पहली इकाई चालू की जा चुकी है और शीघ्र

ही वह वाणिज्यिक सेवा प्रारम्भ कर देगी । ऐसी सम्भावना है कि आगामी कुछ ही महीनों में टांडा की प्रथम दो इकाइयां (2×110 मेगावाट) और ऊंचाहार की दूसरी इकाई (210 मेगावाट) भी पूर्णरूप से कार्य करना प्रारम्भ कर देंगी ।

विद्युत की चोरी और छीजन की रोकथाम के लिए इस वर्ष कठोर कदम उठाए गए हैं । 1 अप्रैल, 1988 से 15 जनवरी, 1989 की अवधि में उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के सतर्कता कोष्ठक (विंग) द्वारा 33,692 छापे मारे गए, जिनमें 25714 मामले अनियमितता के और 11,439 मामले चोरी के प्रकाश में आए जिसके परिणामस्वरूप 20,650 विच्छेदन किए गए और 7,254 व्यक्तियों को या तो गिरफ्तार किया गया अथवा उन्हें न्यायालयों के सुपुर्द दिया गया । यह अभियान अभी चलाया जा रहा है और ऊर्जा की चोरी रोकने हेतु और प्रभावी कदम भी उठाये जायेंगे ।

राज्य में ग्रामीण विद्युतीकरण का स्तर अभी भी कम है क्योंकि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी0 ई0 ए0) की परिभाषा के अनुसार कुल 1.13 लाख ग्रामों में केवल 75,749 ग्रामों का विद्युतीकरण और केवल 42,975 ग्रामों में एल0 टी0 मेन डाल-कर विद्युतीकरण मार्च, 1988 तक सम्भव हो पाया है । चालू वित्तीय वर्ष के दौरान योजना आयोग ने 2,688 ग्रामों के विद्युतीकरण का अनुमोदन किया था परन्तु हम आशान्वित हैं कि उपलब्धि लक्ष्य से काफी अधिक होगी ।

ऊर्जा उत्पादन में अब हम अच्छी स्थिति में आ गए हैं अतः हम सम्प्रेषण, वितरण और उपभोक्ता सेवाओं की ओर भी और अधिक ध्यान दे रहे हैं । बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए सिंगिल विण्डो सिस्टम लागू किया जा रहा है । सम्पूर्ण राज्य में बड़ी संख्या में उपभोक्ता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है । कर्मचारियों और श्रमिकों की शिकायतों के निवारण हेतु तीन स्तरीय प्रणाली का भी क्रियान्वयन हो रहा है ।

भारत सरकार ने टेहरी, श्रीनगर जल विद्युत परियोजना, आनपारा "बी", ऊंचाहार विस्तार तापीय परियोजना एवं औद्योगिक महानगर कानपुर में वितरण सिस्टम में सुधार हेतु परियोजना जैसी अनेक परियोजनाओं के लिए वाह्य सहायता प्राप्त करने में हमारी बहुत मदद की है जिसके लिए हम उनके आभारी हैं ।

हमने कृषकों व उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए 1988-89 में खराब विद्युत ट्रान्सफार्मरों के प्रतिस्थापन की ओर विशेष ध्यान दिया है । जनवरी, 1989 माह तक 38 करोड़ रुपए की लागत से 20,954 ट्रान्सफार्मर क्रय किए गए व 17,269 खराब ट्रान्सफार्मरों को बदल दिया गया । शेष 1,501 खराब ट्रान्सफार्मरों के बदलने का कार्य भी शीघ्र पूरा किया जायेगा । 38 करोड रुपए की धनराशि में से 14,5 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने दिया है, शेष धनराशि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से प्राप्त की गई है ।

सिंचाई

वर्तमान में विभिन्न सिंचाई संसाधनों के अन्तर्गत लगभग 67,200 किलोमीटर नहर प्रणाली तथा 25,775 राजकीय नलकूपों से सिंचाई की जा रही है। वित्तीय वर्ष 1989–90 में वृहद् एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर 253.00 करोड़ रुपये

का व्यय प्रस्तावित है जिससे प्रदेश में 1.35 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन होगा । यह प्रयास किया जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 1989–90 में अधिक से अधिक संख्या में कार्याधीन परियोजनायें पूरी की जांय ताकि इससे अपेक्षित लाभ प्राप्त हो सके। राजकीय नलकूपों के सामान्य कार्यक्रम में 39.86 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है जिसमें से 70 प्रतिशत धनराशि अपूर्ण कार्यों को पूरा करने तथा 30 प्रतिशत व्यय नये नलकूप के निर्माण पर किया जायेगा । विश्व बैंक से पोषित राजकीय नलकूप परियोजना पर 37.00 करोड़ रुपये तथा डच सरकार के सहयोग से चालित नलकूप परियोजना पर 20.00 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है । राजकीय नलकूपों के सुव्यवस्थित संचालन, पानी के वितरण पर नियन्त्रण रखने तथा राजकीय नलकूपों पर फसल उत्पादन, कृषि प्रसार व विकास के प्रभावी कार्यक्रम चलाने के उद्देश्य से जिला एवं विकास खण्ड स्तर पर समितियां बनाई गई हैं ताकि कृषकों का अपेक्षित सहयोग इनके संचालन के संबंध में प्राप्त किया जा सके ।

यह अनुभव किया गया है कि नलकूपों की बन्दी के सम्बन्ध में कई प्रकार की सूचनायें मिलती रहती हैं, बन्द नलकूपों की तत्परता से मरम्मत कराने के उद्देश्य से तथा उनके परिचालन एवं अनुरक्षण कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु नलकूप खण्डों के उप-खण्डीय स्तर पर शिकायत सेल की स्थापना की जा रही है---जहां विभागीय कर्मचारियों के साथ-साथ कृषक भी नलकूपों की बन्दी तथा सिंचन क्षेत्र से संबंधित शिकायतों की सूचना दर्ज करा सकते हैं। उक्त बन्दी का अनुश्रवण सहायक अभियन्ता द्वारा प्रतिदिन तथा अधिशासी अभियन्ता द्वारा साप्ताहिक किया जायेगा ।

वर्ष 1985 से भारत की सहायता से विशेष कार्यक्रम के रूप में निःशुल्क बोरिंग योजना कार्यान्वित है । मार्च, 1988 तक इस योजना के अन्तर्गत 1,86,363 लघु/सीमान्त कृषकों को लाभान्वित किया जा चुका है । वर्ष 1988–89 में जनवरी, 1989 के मासान्त तक 1,17,000 निःशुल्क बोरिंग की जा चुकी है । यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 1988–89 में यह लक्ष्य 65,000 निःशुल्क बोरिंग का रखा गया था परन्तु लघु/सीमान्त कृषकों को अधिकाधिक लाभ पहुंचाने की दृष्टि से इस लक्ष्य का पुनरीक्षण करते हुए कार्यवाही की जा रही है । इससे जनवरी, 1989 के मासान्त तक इस योजना के अन्तर्गत लगभग 6 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन किया जा चुका है ।

आठवीं योजना के अन्तर्गत कानपुर व आगरा बैराज व मथुरा में गोकुल बैराज भी निर्मित किये जायेंगे ।

भारी एवं मध्यम उद्योग तथा खनिज

प्रदेश के सन्तुलित, समन्वित एवं त्वरित औद्योगिक विकास के लिए भारी, मध्यम, लघु, ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग को राज्य सरकार द्वारा विविध प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं ।

भारी एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र का पूंजी-विनियोजन में विशेष योगदान है। यह क्षेत्र औद्योगिक प्रगति के लिए केन्द्र-बिन्दु के रूप में कार्य करता है। लघु उद्योगों के लिए मार्ग प्रशस्त करने के साथ-साथ इससे विभिन्न औद्योगिक गतिविधियों का उदय होता है तथा औद्योगीकरण को बढ़ावा मिलता है।

वर्तमान में शासन द्वारा क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करने के लिए पिछड़े क्षेत्रों व उद्योग-शून्य जनपदों में औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके लिए उन क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जा रहा है तथा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने वाले उद्यमियों को विशेष प्रकार की सुविधाएं व सहायता दी जा रही है। भारत सरकार द्वारा देश में 100 नए विकास केन्द्र विकसित करने का प्रस्ताव है। प्रदेश सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश को अधिक से अधिक विकास केन्द्र मिलें। प्रथम चरण में देश भर में 61 विकास केन्द्र विकसित किए जा रहे हैं, जिनमें से उत्तर प्रदेश में स्थापित होंगे।

विगत कुछ वर्षों से शासन द्वारा प्रदेश के औद्योगीकरण हेतु अपनाई गई रण-नीति तथा भारत सरकार द्वारा अनेक उद्योगों को लाइसेंसिंग प्रणाली से मुक्त कर दिए जाने से देश के बड़े उद्यमी भी इस प्रदेश में उद्योग स्थापित कर रहे हैं। कई परि-योजनाएं संयुक्त व सहायतित क्षेत्र में स्थापित की जा रही हैं। छठीं योजना के अन्त तक प्रदेश में 690 मध्यम व वृहद् उद्योग लगभग 3,575 करोड़ रुपए पूंजी-विनियोजन से कार्यरत थे। अक्टूबर, 1988 तक प्रदेश में इन उद्योगों की संख्या 8,544 तक पहुंच चुकी है, जिनमें 7,140 करोड़ रुपए का पूंजी विनियोजन हुआ है।

मुझे सम्मानित सदस्यों को यह बताते हुए हर्ष होता है कि बम्बई हाई से गैस प्रदेश में पहुंच चुकी है और गैस पर आधारित दो उर्वरक कारखाने जगदीशपुर (सुल्तानपुर) एवं आंवला (बरेली) उत्पादन प्रारम्भ कर चुके हैं। कवरत्ता (बदायूं) तथा शाहजहांपुर में गैस पर आधारित दो और उर्वरक कारखाने लगाए जाने का कार्य प्रारम्भिक चरणों में है। गैस पर आधारित दो विद्युत परियोजनाओं की स्थापना का कार्य भी विभिन्न चरणों में है।

प्रदेश में गैस की उपलब्धता से औद्योगीकरण की गति में तीव्रता आने की पूर्ण सम्भावना है। इस गैस के औद्योगिक उपयोग के लिए समन्वित योजना बनाने की कार्यवाही की जा रही है। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि भारत सरकार ने औरैया (इटावा) में गैस क्रैकर परियोजना की स्वीकृति दे दी है। इस परियोजना के उत्पादों के आधार पर प्रदेश में विभिन्न प्रकार की अन्य पेट्रोकेमिकल इकाइयां भी स्थापित हो सकेंगी। उक्त के अतिरिक्त अलीगढ़ में एरोमैटिक्स काम्पलैक्स की स्थापना की स्वीकृति भी भारत सरकार ने दे दी है जो प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति देगा।

वृहत् उद्योग क्षेत्र में जो अन्य मुख्य परियोजनाएं स्थापित करने का कार्य विभिन्न चरणों में हैं उनमें पालियस्टर फिलामेन्ट यार्न परियोजना (इलाहाबाद), खोई पर आधारित न्यूज प्रिन्ट परियोजना (मुरादाबाद), फोटो सेन्सराइज्ड ग्लास परियोजना, निर्यात प्रधान कताई मिल (एटा) आदि उल्लेखनीय हैं।

भारत सरकार द्वारा औद्योगीकरण की गति को तीव्र करने के लिए लाइसेंसिंग प्रणाली को अधिक उदार बनाया गया है। उत्तर प्रदेश, जो कई अन्य प्रदेशों की अपेक्षा औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, में औद्योगीकरण को तीव्र गति प्रदान करने तथा उद्यमियों को प्रदेश में उद्योग लगाने हेतु आकर्षित करने के उद्देश्य से नए उद्योगों को दी जाने वाली छूटों, रियायतों व सुविधाओं को और अधिक आकर्षण बनाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता एवं सुविधाओं को अधिक सरलता तथा सम्बद्ध तरीके से प्रदान करने की प्रक्रिया अपनाई गयी है। इन प्रयासों के फलस्वरूप ही पिकप तथा यू0 पी0 एफ0 सी0 ने नई इकाइयों को ऋण उपलब्ध कराने में देश में वर्ष 1987-88 में प्रथम स्थान प्राप्त किये हैं।

प्रदेश में इलेक्ट्रानिक्स के विकास के लिये वृहत् कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। सम्मानित सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि उत्तर प्रदेश देश में आज इलेक्ट्रानिक्स के सामान का दूसरा वृहत् उत्पादक है। पर्वतीय क्षेत्र में इलेक्ट्रानिक्स उद्योग की विशेष सम्भावनाओं को देखते हुये यू0पी0 हिल इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन द्वारा प्रभावी कार्यक्रम एवं योजनाएं बनायी जा रही हैं। यह निगम पर्वतीय क्षेत्र में औद्योगिक आस्थानों की स्थापना के साथ-साथ संयुक्त/सहायतित क्षेत्र में परियोजनाएं स्थापित करता रहा है।

सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि चाय उत्पादन करने वाले पर्वतीय जनपदों के चाय बागानों का पुनर्जीवीकरण किया जायेगा। इस हेतु भारत सरकार के 'टी बोर्ड' से भी सहयोग प्राप्त किया जा रहा है।

मध्यम स्तर की औद्योगिक इकाइयों को पूंजी निवेश प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस समस्या के समाधान हेतु जैसा मैं अभी उल्लेख कर चुका हूं, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है कि राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के सहयोग से एक राज्य स्तरीय "वेंचर कैपिटल फण्ड" की स्थापना की जाय जो मध्यम स्तर की औद्योगिक इकाइयों को उचित दर पर पूंजी निवेश करने में सहायता प्रदान कर सकें।

प्रदेश में विभिन्न खनिजों की खोज का कार्य योजनाबद्ध तरीके से जारी है। अब तक स्थापित भण्डारों के आधार पर प्रदेश में कुल 250 करोड़ रुपये की लागत के खनिज पर आधारित उद्योग स्थापित किये गये हैं। वर्ष 1987-88 में राज्य खनिज विकास निगम द्वारा 84.6 लाख टन खनिजों का उत्पादन किया गया। खनिज विकास निगम द्वारा बुन्देलखण्ड के हमीरपुर जनपद में ग्रेनाइट पालिशिंग परियोजना तथा राकफास्फेट की परियोजना में खनिज के शुद्धीकरण का कार्य तथा एलीमेन्टल फास्फोरस की परियोजना की स्थापना विचाराधीन है।

ग्राम एवं लघु उद्योग

नियोजित आर्थिक विकास में लघु उद्योग के महत्व को मानते हुए प्रदेश सरकार द्वारा लघु, लघुतर एवं कुटीर उद्योगों के समुचित विकास हेतु बहुत से कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये हैं। आधुनिक लघु उद्योग सेक्टर में अधिक उत्पादकता एवं रोजगार की

सम्भावनाएं हैं एवं यह तीव्र विकास सेक्टर के रूप में उभरा है। प्रदेश में सातवीं पंचवर्षीय योजना में एक लाख लघु औद्योगिक इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना के प्रथम चार वर्षों में लगभग 75,000 नई लघु इकाइयां स्थापित हो जायेंगी । बेरोजगारी मिटाने की योजना में लघु उद्योग विकास कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण स्थान है और आठवीं योजना में 3 लाख नई लघु उद्योग इकाइयों की स्थापना का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा जायेगा । उत्तर प्रदेश वित्त निगम का लघु उद्योग क्षेत्र के वित्त पोषण में विशिष्ट भूमिका है। लघु, लघुतर एवं कुटीर उद्योग क्षेत्र की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति में प्राथमिकता प्रदान की जा रही है। पिछले वर्ष कुल वित्त पोषित इकाइयों का 96 प्रतिशत एवं वित्तीय स्वीकृतियों का लगभग 85 प्रतिशत अंश लघु उद्योग क्षेत्र में किया गया। निगम द्वारा रुग्ण लघु औद्योगिक इकाइयों के पुनर्वास, इकाइयों के आधुनिकीकरण एवं उत्पादों में विविधता लाने के लिए विशेष सहायता प्रदान की जा रही है । विगत 3 वर्षों में निगम द्वारा 2,130 इकाइयों को पुनर्वास सहायता प्रदान की गयी, जिसमें 138 करोड़ रुपए का ऋण सम्बद्ध है ।

नई लघु इकाइयों की स्थापना के साथ-साथ राज्य सरकार वर्तमान इकाइयों के निरन्तर तथा स्वस्थ्य विकास को भी समान महत्व दे रही है । इन सब इकाइयों के समुचित विकास हेतु तकनीकी उच्चीकरण, आधुनिकीकरण तथा उनकी रुग्णता को दूर करने में सहायता देने के विशेष कार्यक्रम बनाये जा रहे हैं । आधुनिकीकरण एवं बीमार इकाइयों के पुनर्वासन हेतु सहायता पैकेज दिये जाने के लिये विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है । लघु औद्योगिक इकाइयों को आधुनिकीकरण सहायता देने हेतु राज्य आधुनिकीकरण निधि की स्थापना भी की जायेगी। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की लघु उद्योग विकास निधि से अधिकतम सहायता प्राप्त करने हेतु समुचित व्यवस्था की गयी है ।

कुछ विशिष्ट उद्योगों का प्रदेश के औद्योगीकरण में विशिष्ट स्थान है जैसे– चमड़ा उद्योग, कालीन उद्योग, फाउण्ड्री उद्योग, ग्लास एवं पाट्री उद्योग, ब्रास उद्योग इत्यादि। इन उद्योगों के समुचित विकास एवं आधुनिकीकरण हेतु अलग-अलग रणनीति बनाई जा रही है । भारत सरकार एवं यू0 एन0 डी0 पी0 की सहायता से मेरठ में स्पोर्ट्स गुड्स , फाउण्ड्री तथा फोर्जिंग उद्योग हेतु आगरा में, वस्त्र उद्योग हेतु देहरादून में, ग्लास उद्योग हेतु फिरोजाबाद में, इत्र उद्योग हेतु फर्रुखाबाद में तथा इलेक्ट्रानिक्स उद्योग हेतु भीमताल में विशेष विकास केन्द्रों की स्थापना की जा रही है ।

प्रदेश में पूरक उद्योगों के विकास को बढ़ावा दिया जायेगा, जो कि लघु तथा वृहद् उद्योगों के बीच सम्पर्क का कार्य करेगा, इससे रोजगार में वृद्धि होगी तथा प्रदेश के पिछड़े जनपदों का विकास होगा । प्रदेश में स्थापित होने वाले वृहद् उद्योगों के सहयोग से उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम द्वारा "एन्सेलरी कम्पलेक्स" स्थापित किये जायेंगे ।

प्रदेश के उद्यमियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु एक वृहद् कार्यक्रम बनाया गया है। आई0 डी0 बी0 आई0 तथा अन्य केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं के सहयोग से लखनऊ में उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना की गयी है।

हस्तकला उद्योग अधिक संख्या में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है एवं अपनी सांस्कृतिक तथा कलात्मक धरोहर से प्रदेश के लिये गर्व का प्रतीक है। इसमें निर्यात की अधिक क्षमता विद्यमान है। हस्तकला उद्योग में प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता तथा विपणन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक क्राफ्ट की आवश्यकता का आंकलन करते हुए सहायता योजना बनाई जायेगी। मुरादाबाद में भारत सरकार के सहयोग से पीतल उद्योग की सहायता के लिये मेटल हैंडीक्राफ्ट सेण्टर की स्थापना की गई है। अलीगढ़ में ताला उद्योग में लगे कारीगरों के लिए ताला नगरी व आगरा के कुटीर क्षेत्र के जूता बनाने वालों के लिये चर्म नगरी की स्थापना की जायेगी। राज्य निर्यात निगम द्वारा हस्तकला वस्तुओं के विपणन के कार्यक्रम का अत्यधिक विस्तार किया जा रहा है और अगले वर्ष निगम द्वारा 20 करोड़ टर्नओवर का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश से निर्यात को प्रोत्साहन देने हेतु एक राज्य स्तरीय निर्यात सलाहकार समिति का गठन भी किया जायेगा।

हमारे प्रदेश की ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में हथकरघा उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के बाद यह सबसे बड़ा रोजगार उपलब्ध कराने वाला क्षेत्र है। प्रदेश में व्यवस्थित रूप से हथकरघा उद्योग के विकास हेतु पहली बार राज्य सरकार की ओर से हथकरघा उद्योग नीति निर्धारित एवं घोषित की गयी है। प्राथमिक समितियां सहकारिता आन्दोलन की बुनियाद हैं, अतएव इनके सुदृढ़ीकरण एवं रुग्ण समितियों के पुनर्वासन के लिये विशेष योजनायें चलाई जायेंगी। प्राथमिक बुनकर समितियों को अधोगामी एवं पूर्वगामी सुविधाएं प्रदान किये जाने के उद्देश्य से प्रदेश में क्षेत्रीय आधार पर केन्द्रीय हथकरघा सहकारी समितियों का गठन किया जायेगा।

राज्य सरकार बुनकरों को उचित मूल्य पर मजदूरी उपलब्ध कराने व सूत के दामों में स्थिरता लाने के उद्देश्य की पूर्ति के लिये कृत संकल्प है। भारत सरकार के सहयोग से 17.50 करोड़ रुपए मूल्य की रुई का आयात किया गया है जिससे घटे दर पर बने सूत का वितरण हथकरघा निगम व यूपिका के माध्यम से किया जा रहा है। जनता वस्त्र के उत्पादन में लगे हथकरघा बुनकरों की न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही बुनकरों को स्थिर एवं निर्धारित दर पर सूत उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में पहली बार सूत-मूल्य निर्धारण कमेटी का गठन किया गया है।

बुनकरों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने पर विशेष बल दिया जा रहा है। इस हेतु बुनकर बहबूदी फण्ड योजना एवं थ्रिफ्ट फण्ड योजना व सामूहिक बीमा योजना में विस्तार किया जायेगा। छपाई कार्य में लगे छीपियों के लिए भी सामूहिक बीमा योजना चलाई जायेगी।

प्रदेश में रेशम उद्योग की सम्भावनाओं को देखते हुए इस उद्योग के विस्तार की विशेष योजना बनायी गयी है । उद्देश्य यह है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्रदेश में रेशम धागे का उत्पादन 500 टन प्रतिवर्ष पहुंच जाये । हथकरघा क्षेत्र की रेशम धागे की पूर्ति हेतु देश के अन्य प्रदेशों से व विदेश से धागा आयात किया जायेगा ।

ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के साधन उपलब्ध कराने में खादी ग्रामोद्योग क्षेत्र का विशेष स्थान है। हमारा यह उद्देश्य है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इस क्षेत्र के माध्यम से कम से कम 5 लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा । इस बड़े कार्यक्रम के बनाने व संचालन में स्वयंसेवी संस्थाओं का पूर्ण सहयोग प्राप्त किया जायेगा ।

प्रत्येक जनपद के ग्रामीण औद्योगिकी सम्भाव्यता का सर्वेक्षण किया जा रहा है, जिसके आधार पर नई इकाइयों की स्थापना हेतु प्रशिक्षण, वित्त पोषण एवं विपणन का समन्वित कार्यक्रम चलाया जायेगा । प्रारम्भ में मण्डल स्तर पर व उसके बाद जनपद व ब्लाक स्तर पर ग्रामोद्योग प्रसार एवं सेवा केन्द्र की स्थापना की योजना बनाई जायेगी । भारत सरकार के केन्द्रीय खाद्य प्रोद्योगिकी अनुसंधान का एक उपकेन्द्र लखनऊ में स्थापित किया गया है, जिसके सहयोग से ग्रामीण क्षेत्र में खाद्य पदार्थों पर आधारित उद्योग स्थापित किये जायेंगे ।

चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास

समस्त उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश में किसानों की यह प्रभावकारी मांग प्रारम्भ से रही कि गन्ने का मूल्य समान किया जाय । मुझे सदन को अवगत कराते हुए प्रसन्नता है कि इस दीर्घकाल से विचाराधीन मांग को मानते हुए दिनांक 1-12-88 से पूरे प्रदेश के लिये गन्ना मूल्य 30 रुपये प्रति कुन्टल निर्धारित किया गया । अच्छी प्रजातियों के लिए 34 रुपए प्रति कुन्टल तथा अन्य प्रजातियों के लिए 30 रुपये प्रति कुन्टल गन्ना मूल्य घोषित किया गया । इस गन्ना मूल्य से गत वर्ष की अपेक्षा पश्चिमी व मध्य क्षेत्रों के गन्ना किसानों को 4 रुपये तथा पूर्वी क्षेत्र के गन्ना किसानों को 4.50 रुपये प्रति कुन्टल अधिक गन्ना मूल्य मिलेगा ।

गत पेराई सत्र में 797.64 करोड़ रुपये का गन्ना खरीदा गया जिसमें से 793.10 करोड़ रुपये गन्ना मूल्य का भुगतान समय से गन्ना किसानों को कर दिया गया जो कुल गन्ना मूल्य का 99.41 प्रतिशत है । वर्तमान सत्र में चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों से 944 करोड़ रुपये का गन्ना खरीदे जाने का अनुमान है । उपरोक्त सभी तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रदेश सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये पूरी तरह से वचनबद्ध है ।

पिछले वर्ष 17.71 करोड़ रुपये की अपेक्षा इस वर्ष नाबार्ड से 65 करोड़ रुपये निवेश वित्त पोषण के रूप में गन्ना विकास कार्यक्रम के लिये प्राप्त होने का लक्ष्य है ।

सहकारी क्षेत्र में 2,500 टन प्रतिदिन क्षमता की एक नई चीनी मिल स्नेह रोड (बिजनौर) में निर्माणाधीन है जिसका निर्माण कार्य 1989–90 तक पूर्ण हो जाने के पश्चात् सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों की कुल गन्ना पेराई क्षमता 45,550 टन प्रति दिन हो जायेगी । इसके अतिरिक्त सहकारी क्षेत्र में बांसगांव (गोरखपुर) तथा रूपपुर (हरदोई) में नई चीनी मिल लगाने का प्रस्ताव है । सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों जिनमें नगीना, रजाला, बेलरायां, सम्पूर्णानगर तथा बीसलपुर हैं तथा चीनी निगम की इकाई के सिसवा बाजार, डोईवाला, जरवल रोड, लक्ष्मीगंज, पिपराइच, सहारनपुर, मुण्डेरवा आदि प्रमुख हैं, की गन्ना पेराई क्षमता 2,500 टन प्रति दिन तक किये जाने हेतु आधुनिकीकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है ।

दो नई आसवनियों, कायमगंज (फर्रुखाबाद) 60,000 लीटर एवं नानपारा (बहराइच) 30,000 लीटर का निर्माण कार्य 1988–89 में पूर्ण होने की आशा है ।

देवरिया, बेतालपुर, नवाबगंज व शाहगंज चीनी मिलों के पुनरुद्धार हेतु प्रस्तावों को भी केन्द्रीय स्वीकृति की अपेक्षा है ।

इन आसवनियों से निकलने वाले उत्प्रवाह का उपयोग कर वैकल्पिक स्रोतों से ऊर्जा उत्पादित करने का संयंत्र स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है, जिसमें से मझोला (पीलीभीत) आसवनी में उत्प्रवाह के उपयोग की इकाई स्थापित की जा चुकी है ।

पेराई सत्र 1988–89 में खाण्डसारी नीति को भी उदार बना दिया गया है ताकि गन्ना उत्पादकों को लाभकारी मूल्य पर गन्ने की पेराई स्थानीय रूप से सुलभ हो सके ।

गन्ने की पैदावार और किस्म बदलने व उन्नत जातियों की व्यवस्था करने के लिये सेवरही, जिला देवरिया में गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान को एक अति आधुनिक शोध संस्थान के रूप में विकसित किया गया है और उक्त संस्थान व उसके सहयोगी शाहजहांपुर गन्ना शोध संस्थान गन्ने की कृषि एवं उत्पादकता को बढ़ाने में लगे हैं । मुझे यह अवगत कराते हुए हर्ष है कि उपलब्ध सूचना के अनुसार गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान में गन्ने की एक ऐसी नई जाति को विकसित किया गया है जिसमें सर्करा विश्व की सभी गन्ना प्रजातियों से अधिक है और जिसका ब्रिक्स 25 से अधिक है। आशा है अगले वर्षों में इस जाति की रोग अवरोध की क्षमता की पुष्टि करने के बाद बड़े पैमाने पर कृषि के लिये उपलब्ध कराया जा सकेगा । अधिकांश चीनी मिलों ने गन्ना विकास कार्यक्रम में स्वयं भारत सरकार के शुगर डेवलपमेन्ट फण्ड से ऋण लेकर बड़े पैमाने पर कार्य शुरू किया है । सहकारी क्षेत्र की 27 मिलों को भारत सरकार से गन्ना विकास के लिये 30.00 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि पहली बार उत्तर प्रदेश में प्राप्त हुयी है ।

सड़कें

प्रदेश में मार्गों की लम्बाई लगातार बढ़ाई जा रही है जिसके फलस्वरूप दिनांक 1 अप्रैल, 1988 से मैदानी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में कुल मिलाकर मार्गों की लम्बाई 86,832 किलोमीटर हो गई है। नगरीय मार्गों की राइडिंग क्वालिटी में सुधार करने के उद्देश्य से 32 जनपदीय मुख्यालय तथा लखनऊ व कानपुर के महानगरों के सुधार हेतु कार्य तेजी से किया जा रहा है। 80 करोड़ रुपये की लागत से यह कार्य हाट-मिक्स प्लांट प्रणाली द्वारा सम्पन्न हो रहा है जिससे प्रदेश के लगभग 50 से अधिक जिला हेडक्वार्टर तथा प्रमुख नगरों में आधुनिक प्रकार की सड़कों का निर्माण हो जाये। प्रदेश के महानगरों में भी यह कार्य जारी है। महाकुम्भ मेले के अवसर पर इलाहाबाद व वाराणसी की मुख्य सड़कों को भी हाट-मिक्स प्लान्ट से बना दिया गया है। विश्व बैंक की सहायता से पूर्वी उत्तर प्रदेश की चार मुख्य सड़कों-गोरखपुर-सोनौली, गोरखपुर-देवरिया-बलिया, इलाहाबाद-दोहरीघाट तथा इलाहाबाद-प्रतापगढ़-सुल्तानपुर-फैजाबाद को लगभग 250 करोड़ रुपये की लागत पर हाट-मिक्स/प्लान्ट प्रणाली से बनाया जायेगा। मुझे सन् 1985 में पहली बार विश्व बैंक के अध्यक्ष महोदय के सामने इस प्रस्ताव को रखने का अवसर मिला था। प्रदेश में गांवों को हर ऋतु योग्य मार्गों से जोड़ने हेतु 1989-90 तक 1,000 से 1,499 तक की आबादी के 62 प्रतिशत गांव तथा 1,500 से अधिक आबादी के शत-प्रतिशत गांवों को जोड़ा जाना प्रस्तावित है। ग्रामीण भूमि-हीन गारन्टी रोजगार योजना के अन्तर्गत 9,944 किलोमीटर मार्ग का कार्य खड़ंजा स्तर तक स्वीकृत किया जा चुका है।

मार्च, 1988 तक स्वीकृत सेतु निर्माण कार्यों में से कुल 127 सेतुओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वर्ष 1988-89 में 30 सेतुओं का निर्माण/पुनर्निर्माण स्वीकृत किया जा चुका है। रेलवे क्रासिंग के स्थान पर 15 उपरिगामी सेतु का निर्माण कार्य प्रगति पर है और 13 सेतुओं का निर्माण 1988-89 में पूर्ण किया जाना लक्षित है। 1989-90 में 5 अतिरिक्त उपरिगामी सेतु के निर्माण कार्य पर स्वीकृति दिये जाने पर विचार किया जा रहा है।

इस वर्ष पहली बार सेतु निर्माण कार्य में गति लाने हेतु उत्तर प्रदेश सेतु निगम को 40 करोड़ रुपये संस्थागत वित्त के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंकों से उपलब्ध कराया जा रहा है जिसके कारण उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम द्वारा इस वर्ष 84 सेतुओं का निर्माण कराया जायेगा। निगम के टर्न-ओवर का लक्ष्य 72 करोड़ रुपये रखा गया है। इसके सापेक्ष गत वर्ष मात्र 42 सेतुओं का निर्माण एवं 53 करोड़ रुपये के टर्न-ओवर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। वर्ष 1989-90 के लिये निगम हेतु 90 सेतुओं का निर्माण एवं 90 करोड़ रुपये के टर्न-ओवर का लक्ष्य रखा गया है।

शिक्षा

प्रदेश में कक्षा 6 तक बालक तथा कक्षा 12 तक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। जैसा मैं अभी उल्लेख कर चुका हूं, राज्य सरकार ने अब भारतीय संविधान की मंशा के अनुरूप मिडिल स्तर पर कक्षा 7 एवं 8 के बालकों को शिक्षा

निःशुल्क दिये जाने का निर्णय लिया है। इससे लगभग 20 हजार विद्यालयों के 13 लाख 77 हजार छात्रों के परिवार लाभान्वित होंगे। राज्य सरकार ने इसके लिये 5.60 करोड़ रुपया वार्षिक व्यय भार वहन करना भी स्वीकार किया है।

प्रदेश में 18 तहसीलों में कोई बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नहीं था अतः इन तहसीलों में 1989-90 में एक-एक बालिका हाई स्कूल खोलने का प्रस्ताव है।

प्रौढ़ों को साक्षर बनाने के उद्देश्य से साक्षरता मिशन का गठन किया गया है। 1988-89 में 623 जन-शिक्षण निलयम भी स्थापित किये गये हैं तथा 777 जन शिक्षण निलयम स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है।

प्रदेश के नवोदय विद्यालयों में शिक्षा पा रहे छात्रों में से एक चौथाई (27 प्रतिशत) से अधिक लड़के अनुसूचित जाति/जन-जाति के परिवारों से हैं। इसके अतिरिक्त उल्लेखनीय है कि इन विद्यालयों में पढ़ रहे लगभग 3,000 छात्रों में से दो हजार से अधिक ऐसे परिवारों से हैं जिनकी मासिक आय एक हजार रुपये से कम है।

इसके अतिरिक्त नवोदय विद्यालयों में तीसरी भाषा के रूप में उर्दू भाषा के पठन-पाठन की व्यवस्था भी विद्यमान है।

संस्कृत शिक्षण को प्रोत्साहन देने के लिए संस्कृत विद्यालयों की मान्यता पर लगी रोक हटाने का निर्णय लिया गया है।

विश्वविद्यालयों की शैक्षिक, वित्तीय एवं प्रशासनिक आवश्यकताओं का आकलन करने, ज्ञान एवं विज्ञान की निरन्तर बढ़ती हुई सम्भावनाओं के साथ तादात्म्य स्थापित करने की आवश्यकता के परिपेक्ष्य में शासन को व्यवहारिक एवं सुचिन्तित परामर्श उपलब्ध कराने हेतु एक उच्च स्तरीय आयोग गठित करने का निर्णय लिया गया है।

शिक्षा के उन्नयन एवं विकास के लिये सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तथा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषदीय एवं शासन से सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के शिक्षकों को शैक्षिक भ्रमण पर भेजे जाने की योजना भी 1989-90 से प्रारम्भ की जा रही है।

खेल-कूद

1989-90 में वाराणसी में एक करोड़ रुपये की लागत से हाकी के खेल के लिये एस्ट्रोटर्फ के मैदान का निर्माण किया जायेगा। लखनऊ में सैय्यद मोदी स्मारक राष्ट्रीय बैडमिन्टन प्रतियोगिता का भी 1989-90 से हर वर्ष आयोजन करने का निर्णय लिया गया है।

वर्ष 1989-90 के अन्त तक प्रदेश के 55 जिलों में क्रीड़ांगन, 29 जिलों में बहुद्देशीय हाल तथा 14 में तरण-ताल का निर्माण हो जायेगा। वर्ष 1988-89 की भांति वर्ष 1989-90 में भी अखिल भारतीय स्तर की इन्दिरा मैराथन दौड़ जिसमें 2 लाख से अधिक के पुरस्कार दिये जायेंगे, इलाहाबाद में आयोजित की जायेगी।

प्राविधिक शिक्षा

पाठ्यक्रमों में गुणात्मक सुधार हेतु विशेष बल दिया गया है जिसके अन्तर्गत उभरती प्रौद्योगिकियों जैसे- कम्प्यूटर एप्लीकेशन, इलेक्ट्रानिक्स, इन्स्ट्रूमेंटेशन का पाठ्यक्रमों में समावेश तथा आज की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक परिवर्तन/परिवर्धन किया जा रहा है। इस संबंध में एक विशेषज्ञ समिति के गठन का भी निर्णय लिया गया है।

महिलाओं में प्राविधिक शिक्षा के प्रसार हेतु उच्च प्राथमिकता दी जा रही है जिसके अन्तर्गत महिला पालीटेक्निकों में ऐसे पाठ्यक्रम, जिनमें रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध हैं, प्रारम्भ किये जाने का प्रस्ताव है। प्रदेश के सभी मण्डलों में कम से कम एक महिला पालीटेक्निक की स्थापना के उद्देश्य की पूर्ति हेतु 1989-90 में 4 महिला पालीटेक्निक खोला जाना प्रस्तावित है। सामान्य पालीटेक्निकों में भी महिलाओं की अधिक से अधिक संख्या में प्रवेश के भी प्रयास किये जा रहे हैं। साथ ही छात्राओं के लिये अधिक छात्रावासों की भी व्यवस्था की जा रही है।

वर्ष 1989-90 में रुड़की विश्वविद्यालय को उत्कर्ष केन्द्र (सेन्टर आफ एक्सीलेन्स) के रूप में विकसित करने का भी हमारा प्रयास होगा।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

प्रदेश में विज्ञान सम्बन्धी जागरूकता उत्पन्न करने तथा पर्यटकों के लिये आकर्षण बढ़ाने की दृष्टि से लखनऊ में सूरजकुण्ड के समीप, नक्षत्रशाला का निर्माण का कार्य प्रगति पर है। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद्, कलकत्ता के सहयोग से लखनऊ में एक आंचलिक विज्ञान केन्द्र (विज्ञान संग्रहालय) की स्थापना की जा रही है, जिसे जनता के लिये मार्च, 1989 में खोल दिया जायगा। इस संग्रहालय द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में विश्व भर में हुए निरन्तर विकास को सरलता से प्रदर्शित करने तथा नवयुवकों को विशेषकर विद्यार्थी वर्ग में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकेगी।

विज्ञान के चुने हुए क्षेत्रों यथा–औद्योगिक तथा निर्माण प्रौद्योगिकी के लिये विज्ञान एवं प्रौद्योगे परिषद् में कोर ग्रुप गठित किये गये हैं।

रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन्स सेन्टर, उ0 प्र0 ने इस वर्ष प्रदेश के बीस जनपदों में विभिन्न प्रकार की परती भूमि के वर्गीकरण एवं रेखांकन का कार्य पूरा किया जिनमें गांव की सीमायें भी अंकित की हैं। इनसे प्राप्त आंकड़ों का जनपद स्तर पर नियोजन हेतु उपयोग किया जा सकेगा।

मैदहा बांध परियोजना एवं मंसूरी क्षेत्र की खदानों से सम्बन्धित परिस्थिति का निर्वचन उपग्रहीय आंकड़ों के माध्यम से किया गया। सेन्टर द्वारा वायुवीय चित्रों के माध्यम से कानपुर नगर क्षेत्र की भूमि उपयोगिता एवं नगरीय संरचना के मानचित्र तैयार किये जा रहे हैं।

सेन्टर को प्रयोगशाला हेतु भवन भारतीय अन्तरिक्ष विभाग के उपग्रहीय टेलीमीट्री, ट्रैकिंग एवं कमाण्ड स्टेशन के साथ सहस्थापित हो गया है तथा उसमें अति आधुनिक कम्प्यूटर आधारित निर्वचन उपस्करों की स्थापना कर ली गई है। यह प्रयोगशाला कार्य सम्पादित करने हेतु तैयार हो गई है तथा अन्य उपकरणों से भी सुसज्जित की जा रही है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के मैदानी जनपदों में प्रति 30,000 जनसंख्या एवं पर्वतीय जनपदों में प्रति 20,000 की जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना एवं क्रमशः 5,000 एवं 3,000 की जनसंख्या पर एक उपकेन्द्र की स्थापना के लक्ष्य की शत प्रतिशत पूर्ति हेतु आगामी वर्ष 1989-90 में शेष 519 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 559 उपकेन्द्रों की स्थापना के लक्ष्य रखे गये हैं।

मस्तिष्क ज्वर की भयंकर संक्रामक बीमारी प्रदेश के लिये एक चिन्ता का विषय रही है। प्रदेश सरकार ने बड़ी सूझ-बूझ एवं सुविचारित ढंग से स्थिति का मुकाबला किया है जो कि सर्वत्र सराहना का विषय रहा है। गोरखपुर में इन्सेफ्लाइटिस, मलेरिया, फाइलेरिया तथा मच्छरों द्वारा प्रसारित अन्य घातक बीमारियों के अनुसंधान हेतु एक रीजनल रिसर्च सेन्टर की स्थापना भारत सरकार द्वारा की जा रही है। प्रदेश सरकार के अनुरोध पर मस्तिष्क ज्वर नियंत्रण कार्यक्रम को भारत सरकार द्वारा विशेष राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत लिये जाने का निर्णय लिया गया है।

प्रदेश में गर्भवती महिलाओं को टेटनस से तथा एक वर्ष तक के शिशुओं को डिप्थीरिया, पोलियो, मीजल्स, टी0 बी0, काली खांसी से बचाने हेतु वृहत् प्रतिरक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। 1987-88 तक प्रदेश के 35 जनपदों में उक्त कार्यक्रम लागू किया गया था। फिलहाल 15 जनपदों में इसे 1988-89 में लागू करने का लक्ष्य है। शेष जनपदों में इसका 1989-90 में प्रसार किये जाने का प्रयास है।

प्रदेश में आयुर्वेद/यूनानी एवं होम्योपैथी पद्धति को भी यथोचित प्रोत्साहन दिया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा प्रदेश में देश का पहला होम्योपैथी ड्रग रिसर्च इन्स्टीट्यूट स्थापित किया गया है तथा इसने कार्य करना भी प्रारम्भ कर दिया है। संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज भी इस वर्ष निर्मित व सुसज्जित होकर अपना सेवा कार्य प्रारम्भ कर रहा है।

आवास एवं नगर विकास

सातवीं पंचवर्षीय योजना काल में वर्ष 1987-88 तक विभिन्न आय वर्ग के लिये कुल 81,750 भवनों का निर्माण कराया जा चुका है।

अन्तर्राष्ट्रीय जल सम्पूर्ति एवं स्वच्छता दशक कार्यक्रम के अन्तर्गत 313 निकायों में निजी घरेलू शौचालयों को 83,249 सस्ते जल प्रवाहित शौचालयों में परिवर्तित किया जा चुका है । प्रदेश के 10 जनपदों में भंगी मुक्ति योजना चलायी जा रही है । मुझे सम्मानित सदन को यह बताते हुए सन्तोष हो रहा है कि बाराबंकी व बदायूं जनपदों में यह योजना पूर्ण की जा चुकी है।

वर्ष 1988-89 में स्थानीय निकायों में और तीव्रगति से विकास करने हेतु राज्य सरकार द्वारा आठ नगर महापालिकाओं, 224 नगरपालिकाओं, 35 नोटीफाइड एरियाज एवं 418 टाउन एरियाज को 37.88 करोड़ रुपये का सड़क अनुदान प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त इन स्थानीय निकायों में सफाई उपकरण के क्रय एवं प्रकाश व्यवस्था के सुधार हेतु विशेष रूप से 1.97 करोड़ रुपये अनुदान स्वरूप प्रदान किया गया है।

उत्तर प्रदेश अरबन डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट विश्व बैंक की सहायता से प्रदेश के 11 प्रमुख नगरों (कानपुर, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, बरेली, मुरादाबाद, गोरखपुर, अलीगढ़, सहारनपुर एवं गाजियाबाद) में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस पूरे कार्य हेतु विश्व बैंक से 309.20 करोड़ रुपये का अनुबन्ध किया गया है, जिसमें से 246.14 करोड़ रुपये इस प्रोजेक्ट पर तथा 63.06 करोड़ रुपये गंगा प्राधिकरण के कुछ अंश में व्यय करने का कार्यक्रम है । वर्ष 1988-89 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 57 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय होने का अनुमान है, जिससे नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न सुधार योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं । अगले वित्तीय वर्ष में भी इन योजनाओं को और तीव्रगति से चलाने का कार्यक्रम है, जिसमें मुख्यतः इन सभी नगरों में अन्य कार्यक्रमों के साथ तीन प्रमुख कार्यक्रमों—जलसम्पूर्ति, लो-कास्ट सेनीटेशन और यातायात सुधार पर बल दिया जायगा ।

महानगरों में मध्यम आकार के नगरों की जनसंख्या के घनत्व को नियंत्रित करने तथा छोटे एवं मध्यम ग्रामों एवं नगरों से बड़े नगरों में जाने की मानवीय प्रवृत्ति के नियंत्रण हेतु छोटे तथा मध्यम नगरों के विकास हेतु केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित संगठित विकास योजना प्रदेश के 35 नगरों में कार्यान्वित की जा रही है । इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1987-88 तक 17-72 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की जा चुकी है । इस योजना को भी तीव्रगति से चलाने के प्रयास किये जा रहे हैं । इसके अन्तर्गत आवासीय, वाणिज्यिक, मार्ग एवं चौराहा सुधार, पशु-बधशाला निर्माण एवं अन्य विकास कार्यों का कार्यान्वयन किया जा रहा है । आवासीय योजना के अन्तर्गत 4,705 भूखण्डों का विकास कार्य पूर्ण किया गया है जिसमें से 1,981 भूखण्डों का विकास आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिए किया गया है। इसी प्रकार से वाणिज्यिक परियोजना में 2,010 दुकानों का निर्माण और मार्ग सुधार में 59.82 किलोमीटर की 76 परियोजनाओं को पूर्ण किया गया है। सोलह चौराहों का विकास कार्य, सोलह पशु-बधशालाओं का निर्माण तथा 31 अन्य विकास कार्य भी इस योजना के अन्तर्गत पूर्ण किये गये हैं।

प्रदेश के कुल 78,050 समस्याग्रस्त गांवों में से मार्च, 1988 तक 65,882 ग्रामों को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई गई है। 1988-89 में 7,000 समस्याग्रस्त गांवों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है।

हमें यह भी आशा है कि सभी स्थानीय निकाय अपने वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने का पूर्ण प्रयास करेंगी ताकि वे अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों को और तीव्र गति से चला सकें। उनके द्वारा अतिरिक्त संसाधन अर्जित करने पर मैचिंग कन्ट्रीब्यूशन देने पर भी प्रदेश शासन विचार करेगा तथा भारत सरकार से भी अनुरोध किया जा रहा है कि स्थानीय निकायों के संसाधनों की वृद्धि में योगदान दें।

स्थानीय जनता को नागर स्वायत्त शासन में सहभागी बनाने हेतु शासन द्वारा विशेष प्रयास करके एक अन्तराल के बाद चुनाव करा लिये गये हैं। अब इन निकायों की प्रबन्ध व्यवस्था की बागडोर जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में है जिनसे हमें इन निकायों के उज्जवल भविष्य की आशायें हैं।

शान्ति और व्यवस्था

वर्ष 1988-89 उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए चुनौतियों तथा उपलब्धियों का वर्ष रहा है। जहां एक ओर किसान आन्दोलन, साम्प्रदायिक तनाव, छात्र-आन्दोलन इत्यादि अवसरों पर शान्ति व्यवस्था बनाये रखने में पुलिस अत्यधिक व्यस्त रही, वहीं लोकतांत्रिक परम्पराओं के पोषण में लोक सभा/विधान सभा उप चुनाव तथा ग्राम सभा/विकास खण्ड/जिला परिषद् एवं स्थानीय निकायों के चुनाव के अवसर पर पुलिस ने अपने उत्तरदायित्व का परिचय देते हुए महत्वपूर्ण भूमिका निभायी।

महिला उत्पीड़न के मामलों को और अधिक शीघ्रता से निस्तारित करने हेतु अपराध अनुसंधान विभाग में एक विशेष महिला प्रकोष्ठ का गठन किया गया जिसका उद्देश्य न केवल महिलाओं के विरुद्ध किये गये अपराधों की विवेचना का त्वरित-गति से अनुश्रवण करना है बल्कि महिला कल्याण के क्षेत्र में कार्य कर रही स्वैच्छिक संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित करना भी है। 1989-90 में इस प्रकोष्ठ को और सुदृढ़ किया जायेगा ताकि ये और प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें।

अपराधियों के, विशेष तौर पर आतंकवादियों के पास न केवल नई तकनीक है अपितु आधुनिकतम शस्त्र भी उपलब्ध हैं। ऐसी परिस्थिति में पुलिस बल की दक्षता एवं कार्य कुशलता में वृद्धि करने के लिए यह आवश्यक है कि पुलिस व्यवस्था को और अधिक आधुनिक साधनों से सुसज्जित किया जाय तथा उसका आच्छादन भी बढ़ाया जाय। इसी उद्देश्य से वर्ष 1988-89 में 28 नये थाने और 8 पुलिस चौकियों की स्थापना की गई है। संचार व्यवस्था को बेहतर बनाने के दृष्टिकोण से 117 हल्की गाड़ियां, 12 मध्यम श्रेणी के वाहन, दो भारी गाड़ियां, 55 मोटर साइकिलें तथा 124 टेलीफोन स्वीकृत किये गये। आतंकवादी गतिविधियों के परिप्रेक्ष्य में जनपद गाजियाबाद की पुलिस व्यवस्था का दिल्ली पुलिस व्यवस्था के अनुरूप सुदृढ़ीकरण किया गया है।

कारागार प्रशासन

राज्य सरकार ने कारागार प्रशासन को और अधिक सुदृढ़ एवं आधुनिकीकृत करने की योजना को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है। इसमें 50 प्रतिशत अनुदान भारत सरकार से प्राप्त होगा। इस योजना के अन्तर्गत 25 कारागारों में वाच-टावर, सर्च लाइट, मेटल डिटेक्टर, वाकी-टाकी, इण्टरकाम दूरबीन, रायफल और कारतूस का प्राविधान इस वर्ष तथा अगले वर्ष के बजट में कराया जा रहा है। 5 केन्द्रीय कारागारों तथा 5 प्रथम श्रेणी की जिला कारागारों में परिवहन साधनों की सुविधा प्रदान की जा रही है।

होमगार्ड्स

होमगार्ड्स संगठन हमारे शान्ति व्यवस्था तंत्र की महत्वपूर्ण कड़ी है। शासन ने इनकी सक्रिय भूमिका के परिप्रेक्ष्य में वैतनिक अराजपत्रित अधिकारियों के वर्दी भत्ता/वर्दी अनुरक्षण भत्ता में काफी वृद्धि की है। होमगार्ड्स स्वयं सेवकों के परेड/प्रशिक्षण/जेब खर्च/भोजन भत्ते की दरों तथा दैनिक पारिश्रमिक की दरों में भी वृद्धि की गई है।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सुविधायें

स्वतंत्रता संग्राम के अभिनन्दनीय सेनानियों ने अपने व्यक्तिगत जीवन के बहु-मूल्य समय को देश की स्वतंत्रता की बलि वेदी पर आहुति देकर हमारे उज्जवल भविष्य की आधारशिला रखी। आज देश की स्वतंत्रता की चालीसवीं वर्षगांठ पर हम सब उनका आभार पूर्वक अभिनन्दन करते हैं। हमारा शासन इन वरिष्ठ सम्मानित नागरिकों की सेवा में सदैव तत्पर है।

राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को पूरे प्रदेश में उ0 प्र0 परिवहन निगम की बसों द्वारा एक सहयात्री के साथ निःशुल्क यात्रा करने की सुविधा प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस सुविधा के फलस्वरूप प्रतिवर्ष 50,40 लाख रुपये का व्यय अनुमानित है।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की कठिनाइयों का निवारण करने तथा उन्हें परिचय-पत्र प्रदान करने आदि के लिए राज्य स्तर पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद् की स्थापना की गई है।

सूचना विभाग

विभाग द्वारा हिमालय-पुत्र, प्रदेश के प्रथम मुख्य मंत्री पं0 गोविन्द बल्लभ पन्त के शताब्दी समारोह कार्यक्रमों के अन्तर्गत उनके वाङ्गमय पर आधारित महत्वपूर्ण संदर्भ पुस्तिका "शब्द जिन्होंने प्रेरित किया", प्रकाशित की है।

कार्मिक व प्रशासनिक सुधार

माननीय सदस्यगण अवगत हैं कि राज्य सरकार ने लोक सेवा आयोग के बढ़े हुए कार्य को दृष्टिगत करते हुए समूह 'ग' के कर्मचारियों के चयन का कार्य सम्पादित करने के लिए अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की स्थापना के निर्णय की घोषणा की थी। मुझे यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि इस बोर्ड ने विधिवत अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया है।

राज्याधीन सेवाओं में दक्षता सुनिश्चित करने हेतु विभागों में स्क्रीनिंग की कार्यवाही को प्रभावी रूप से सम्पादित किये जाने के उद्देश्य से प्रत्येक विभाग के लिये समयबद्ध कार्यक्रम (कैलेण्डर) निश्चित किया गया है।

दहेज सम्बन्धी मृत्यु के मामले से सरकारी सेवकों की सम्बद्धता की स्थिति में उन्हें तत्काल निलम्बित किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं।

प्रदेश सरकार राजकीय सेवा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की भर्ती विनिर्दिष्ट प्रतिशत के आधार पर सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए हम लोक आयुक्त को समुचित अधिकार देने के लिये उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 में संशोधन करने पर सक्रिय रूप से विचार कर रहे हैं।

प्रशासन को जन आकांक्षाओं के अनुरूप संवेदनशील और गतिशील बनाये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

शासन ने संवेदनशील प्रशासन पर दिनांक 14–16 जनवरी, 1988 को गोरखपुर में प्रदेश के जिलाधिकारियों की एक कार्यशाला आयोजित की जिसमें माननीय प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने स्वयं भाग लिया और विशेष रुचि ली। उनकी प्रेरणादायक उपस्थिति के फलस्वरूप इस कार्यशाला में दूरगामी प्रशासनिक संस्तुतियां की गईं। इस कार्यशाला की संस्तुतियों पर जिला स्तर पर विभिन्न विभागों की लगभग 66 समितियों को कम करके उनकी संख्या 22 कर दी गई। आशा है कि इससे जिलाधिकारी के स्तर पर समन्वय में सुधार होगा और यह समितियां अधिक प्रभावशाली ढंग से कार्य कर सकेंगी।

जिला स्तरीय प्रशासन आयोग द्वारा प्रशासन में सुधार हेतु जो संस्तुतियां की गईं थीं, उनमें से अभी 246 संस्तुतियों पर शासन ने निर्णय ले लिया है। शेष संस्तुतियां भी कार्यान्वियन की प्रक्रिया में हैं।

गम्भीर प्रकृति की लोक शिकायतों के तत्परता से निस्तारण तथा उनके संबंध में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वर्ष 1989-90 में शासन स्तर पर लोक शिकायत प्रभाग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। इससे जनता की शिकायतों पर तत्परता से कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकेगी।

महाकुम्भ

144 व 72 वर्षों के बाद एक विशेष मुहूर्त के कारण इस वर्ष का महाकुम्भ हमारे सांस्कृतिक इतिहास में एक विशेष महत्व रखता है। यह मेला इस शताब्दी का भारत का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, जहां लाखों की संख्या में देश-विदेश के विभिन्न स्थानों से श्रद्धालु पवित्र भाव अपने हृदय में संजोये एकत्र हो रहे हैं। उन्हें निर्विघ्न एवं निरापद स्नान कराकर सुरक्षित रूप से उनके गन्तव्य के लिये प्रस्थान कराना प्रशासन के लिये एक अभूतपूर्व चुनौती है। अतएव इस बार सबसे व्यापक प्रबन्ध लगभग 50 करोड़ रुपये की लागत से किये गये हैं। रोशनी, पानी, चिकित्सा, उपभोक्ता सामग्री, सफाई, यातायात आदि की समुचित व्यवस्था मेला नगरी में की गयी है। नियमित पुलिस प्रबन्ध के अतिरिक्त यातायात व्यवस्था तथा अपराध नियंत्रण पर सूक्ष्म सतर्कता हेतु मेला नगर क्षेत्र, इलाहाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर 20 क्लोज सर्किट टी0 वी0 सेटों की व्यवस्था की गयी है। दूर-संचार व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु हाई-फ्रीक्वेन्सी लिंक, डेडीकेटेड हाटलाइन, टेलीप्रिन्टर लिंक, स्पीच सेक्रेसी, रेडियो पेजिंग उपकरण, मल्टी चैनल टेप रिकार्डर आदि संचार व्यवस्थाओं का प्रबन्ध किया गया है।

भगवत् अनुकम्पा व सभी के सहयोग से अब तक 3 मुख्य स्नान सम्पन्न हो चुके हैं। इसमें सभी सन्तों-महन्तों, अखाड़ों, मेला वासियों, यात्रियों एवं निरन्तर कार्य कर रहे हजारों कर्मचारियों एवं फौज के लोगों को उनके सहयोग के लिये अनेकानेक धन्यवाद देता हूं तथा आग्रह करता हूं कि वे पूरी मेला अवधि तक मनोयोग से जुटे रहें।

पेंशनरों की सुविधायें

सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कल्याण तथा उनके हितों के संरक्षण को शासन पूरा महत्व दे रहा है।

विशेष जोखिम के फलस्वरूप शत प्रतिशत अक्षम हो जाने वाले कर्मचारियों को वही असाधारण पेंशन दी जायेगी जो कर्तव्यपालन के दौरान मृत्यु हो जाने की दशा में देय होती। कर्तव्यपालन के दौरान गम्भीर रूप से घायल हो जाने वाले कर्मचारियों को 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता देय होगी।

राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि सरकारी कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति के उपरान्त पुनर्योजित किये जाने पर उनके वेतन निर्धारण में अन्तिम आहरित वेतन में से अब ग्रेच्युटी के पेन्शन समतुल्य के बराबर धनराशि नहीं घटाई जायेगी। यह व्यवस्था 25 नवम्बर, 1988 से लागू कर दी गई है।

अब यह निर्णय लिया जा रहा है कि सम्बन्धित विधवा को अनन्तिम पारिवारिक पेंशन के अतिरिक्त अनन्तिम मृत्यु ग्रेच्युटी की धनराशि का भी भुगतान तत्काल कर दिया जाय।

दिवंगत राजकीय कर्मचारियों के आश्रितों को उत्तर प्रदेश अनुकम्पा निधि से दिये जा रहे अनुदान की वर्तमान दरों तथा अनुमन्यता की शर्तों को उदार बनाने पर भी राज्य सरकार विचार कर रही है।

विभिन्न विभागों के सेवा निवृत्त होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के पेंशन प्राधिकार-पत्र निर्गत करने हेतु एक पेंशन निदेशालय की स्थापना अक्टूबर, 1988 से की जा चुकी है तथा पेन्शनर्स की समस्याओं के निराकरण के लिये निदेशालय को नोडल इकाई बनाया गया है। पेन्शनरों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु राज्य मंत्री, वित्त की अध्यक्षता में एक पेन्शनर्स सलाहकार समिति का भी गठन किया जा चुका है।

माननीय सदन को यह सूचित करते हुए भी मुझे हर्ष है कि राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शिक्षण और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों, जिन्हें राज्य कर्मचारियों के समान पेन्शन की सुविधा अनुमन्य है, को पेन्शन की राशिकरण की सुविधा प्रदान करने के आदेश जारी कर दिये गये हैं । इन कर्मचारियों के बारे में एक महत्वपूर्ण निर्णय यह भी लिया गया है कि भविष्य में जब भी राज्य कर्मचारियों की पेंशन में परिवर्तन/परिवर्धन अथवा राहत के आदेश जारी किए जायें, उन्हीं के साथ ही इन कर्मचारियों के सम्बन्ध में भी आदेश जारी कर दिये जायें ।

शासकीय तथा अन्य कर्मचारियों को सुविधायें

राज्य सरकार ने राजकीय कर्मचारियों (अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को छोड़कर) सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारी (जिनका वेतनमान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संस्तुतियों पर आधारित नहीं होता है), स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों के कर्मचारियों के वेतनमानों तथा भत्तों/सुविधाओं के पुनरीक्षण हेतु वर्ष 1987 में "वेतन समिति उत्तर प्रदेश" का गठन किया था । वेतन समिति की संस्तुतियों की प्रत्याशा में इसके पूर्व कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता की तीन किस्तें स्वीकृत की गई थीं । वेतन समिति (1987) की संस्तुतियां कतिपय संशोधनों के साथ लागू करने का निर्णय अगस्त, 1988 में लिया गया था, बाद को कर्मचारियों की अभिलाषा एवं आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने कर्मचारियों की इस मांग को स्वीकार किया है कि राजकीय कर्मचारियों को उनके समकक्ष पदों पर जो केन्द्र सरकार में विद्यमान हैं, केन्द्र के समान वेतनमान दिया जाय । इस संदर्भ में केन्द्र तथा राज्य सरकार, दोनों में विद्यमान पदों का तुलनात्मक अध्ययन कर युक्तिसंगत संस्तुति करने हेतु राज्य सरकार द्वारा एक "समता समिति" का गठन किया गया है। प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के विभिन्न वर्गों के शिक्षकों व प्राइमरी अध्यापकों के वेतनमानों के पुनरीक्षण के लिए एक "वेतन पुनरीक्षण समिति" भी गठित की गई है जो उनके वेतनमानों में सुधार के विषय में संस्तुतियां देगी ।

राजकीय कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों तथा स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के सम्बन्ध में वेतन समिति (1987) की संस्तुतियों, राज्य सरकार द्वारा दी गई तीन अन्तरिम सहायता तथा समता समिति/वेतन पुनरीक्षण समिति की संस्तुतियां जो अभी आनी हैं, उन सब के लागू होने पर अनुमान है कि राज्य सरकार पर लगभग 910 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक व्यय-भार पड़ेगा ।

राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों की भवन निर्माण अग्रिम की योजना को और अधिक उदार बनाते हुए अनुमन्य अग्रिम की अधिकतम सीमा बढ़ाकर 2.50 लाख रुपये कर दी गई है। सरकारी कर्मचारियों, सरकारी निगमों एवं उपक्रमों के कर्मचारियों को आवास हेतु ऋण की सुविधा आवास विकास एवं वित्त निगम से दिलाये जाने का प्रकरण भी राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

राज्य सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय यह भी लिया गया है कि मकान किराया भत्ता; नगर प्रतिकर भत्ता अन्य भत्तों की दरों में समय-समय पर जो परिवर्तन और परिवर्द्धन के आदेश राज्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में जारी हों उन्हीं के साथ राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शिक्षण और शिक्षणेतर कर्मचारी, जिन्हें राज्य कर्मचारियों की भांति उक्त भत्ते अनुमन्य हैं, के भी आदेश जारी कर दिए जायें ।

शासन की नीतियों, संकल्पों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में राजकीय कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है । पिछले कुछ महीनों में विभिन्न उदार निर्णयों द्वारा शासन का यह दृष्टिकोण सभी को स्पष्ट हो चुका है, जहां शासन कर्मचारियों के हित संरक्षण के लिए नीतिबद्ध है वहीं शासकीय कर्मचारी समुदाय से भी यह अपेक्षा है कि वे अब उनकी बुनियादी मांग पूरी होने पर पूरे मनोबल, उत्साह व समर्पणयुक्त लोक सेवा भाव से अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को सम्पादित करें । लोक सेवा के आदर्श को गोस्वामी तुलसीदास ने इन शब्दों में उजागर किया है :–

"परहित बस जिनके मनमाहीं ।
तिनकह जग दुर्लभ कुछ नाहीं ।।"

राष्ट्र निर्माण के इस दौर में हम सबके लिए यह उद्बोधन प्रेरणा का स्रोत होना चाहिए । जनसेवा श्रेष्ठ साधना, प्रार्थना और इबादत है ।

नवम् वित्त आयोग

भारत के संविधान की धारा 280 के अन्तर्गत हर 5 वर्ष की अवधि में एक वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है जो राज्य सरकार की वित्तीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय करों के विभाज्य अंश व उस अंश में से राज्य सरकारों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि का निर्धारण करता है । उपरोक्त उद्देश्य से नवम् वित्त आयोग का गठन जून, 1987 में किया गया था, इसे अपनी संस्तुतियां 6 वर्ष की अवधि (1989–95) के लिए भाग-1 में 1989-90 के लिए तथा भाग–2 में 1990–95 की अवधि के लिए देनी है । नवम् वित्त आयोग ने अपनी संस्तुतियां भाग–1 के अन्तर्गत 1989-90 के लिए भारत सरकार को प्रस्तुत कर दी है जिसे भारत सरकार ने कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया है ।

नवम् वित्त आयोग ने प्रदेश सरकार के साथ गत दिसम्बर में विस्तृत विचार-विमर्श किया है। हम उनके आभारी हैं कि लखनऊ पधार कर सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में इस विचार-विमर्श में विकास कार्यक्रमों तथा वित्तीय संसाधनों की पृष्ठभूमि में प्रदेश की समस्याओं को रुचिपूर्वक सुना । हमें पूर्ण आशा है कि नवम् वित्त आयोग अपने द्वितीय भाग की रिपोर्ट में जो 1990–95 की अवधि के लिए होगी, हमारी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त वित्तीय संक्रमण की संस्तुति करेगा ताकि हम उनके माध्यम से उपलब्ध होने वाले संसाधनों से प्रदेश के विकास को गति प्रदान कर सकें ।

संस्थागत वित्त

राज्य सरकार के अधीन सीमित वित्तीय संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में हमारा यह दृढ़ प्रयत्न रहा है कि विकास योजनाओं के लिए प्रदेश में अधिक से अधिक संस्थागत वित्त का उपभोग किया जाए । इस दृष्टि से संस्थागत वित्त का महत्वपूर्ण स्थान है । वर्ष 1987-88 में 2,446.71 करोड़ रुपए की योजनाओं की स्वीकृति राष्ट्रीयकृत बैंकों एवं अन्य वित्तीय संसाधनों द्वारा दी गई थी । वर्ष 1988-89 में 2,500 करोड़ रुपए संस्थागत वित्त के माध्यम से जुटाए जाने का लक्ष्य है । इसके समक्ष दिसम्बर, 1988 तक 1,820.04 करोड़ रुपए की योजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं । इनमें कृषि, ग्रामीण विकास/हरिजन एवं निर्बल वर्ग तथा उद्योग क्षेत्र में क्रमशः 462.87, 392.25 एवं 434.76 करोड़ रुपए के कार्यक्रम की योजनाएं हैं । व्यवसायिक बैंकों के माध्यम से वर्ष 1989-90 में फसली ऋण कार्यक्रम का लक्ष्य वर्तमान वर्ष का दुगुना करते हुए 400 करोड़ रुपए निर्धारित किए जाने का प्रस्ताव है । आर्थिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्रों को विकास एवं निर्बल वर्ग को सुविधापूर्वक ऋण उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से 2 अक्तूबर, 1988 से बैंक सेवा शिविरों का आयोजन प्रारम्भ किया गया । प्राप्त सूचना के अनुसार अभी तक आयोजित सेवा शिविर में 64,223 लाभार्थियों को 19.87 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया ।

विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए व्यवसायिक बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से पिछले 6 माह में लगभग 200 करोड़ रुपए की योजनाएं स्वीकृत की गई हैं । ग्रामीण क्षेत्र में निर्बल वर्ग आवास के लिए 40 करोड़ रुपए, पुल निर्माण के लिए 40 करोड़ रुपए, राज्य विद्युत परिषद् द्वारा शहरी क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति हेतु 71 करोड़ रुपए तथा संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इन्स्टीट्यूट की 52 करोड़ रुपए की योजना प्रमुख है । हाउसिंग डेवलपमेन्ट फाइनेंस कारपोरेशन ने प्रदेश सरकार को आश्वस्त किया है कि वह उत्तर प्रदेश में प्रमुख भूमिका निभायेगा । उनके भविष्य के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारी तथा निगमों के कर्मचारियों के आवास हेतु ऋण देने की अतिरिक्त सुविधा एवं ग्रामीण क्षेत्र में आवास ऋण उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण आवास ऋण संगठन बनाए जाने के कार्यक्रम महत्वपूर्ण हैं ।

प्रदेश के ऋण जमा अनुपात को राष्ट्रीय औसत पहुंचाने के लिये तथा प्रमुख व्यवसायिक बैंक के अध्यक्षों तथा रिजर्व बैंक के गवर्नर के साथ विचार विमर्श के पश्चात् 2 वर्ष का समयबद्ध कार्यक्रम अपनाया गया है जिससे कि ऋण जमा अनुपात 50 प्रतिशत

हो सकेगा जिसके फलस्वरूप 1,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधन प्रदेश को उपलब्ध होने का अनुमान है। आशा है कि इस प्रकार 1990-91 तक संस्थागत वित्त एवं बैंकों द्वारा विनिवोजन 3,500 करोड़ रुपये तक पहुंच जायेगा।

वित्तीय प्रबन्ध

कुशल वित्तीय प्रबन्ध द्वारा हमने प्रदेश के विकास कार्यक्रमों के वित्त पोषण तथा प्रदेश के वित्तीय संसाधनों के बीच संतुलन बनाये रखने की चुनौती का सफलतापूर्वक सामना किया है। वर्तमान परिस्थितियों में जहां एक ओर हमारे सामने विभिन्न विकास कार्यक्रमों को वित्त पोषित करने का प्रश्न था वहीं हमें यह भी देखना था कि वित्तीय संसाधनों को इस प्रकार निवेशित किया जाय कि लगाई गई पूंजी से हमें अधिक से अधिक लाभ मिले। हमने विकास कार्यक्रमों के लिये यथा-वांछित धनराशियां जो माननीय सदन द्वारा पूर्व में स्वीकृत की गयी थीं, उपलब्ध करायीं। प्रतिकूल परिस्थितियों के होते हुए भी भारत सरकार तथा सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा विनिर्दिष्ट वित्तीय अनुशासन हमने बनाये रखा। बेहतर वित्तीय प्रबन्ध द्वारा आज हमारी अर्थोपाय स्थिति बेहतर है। सरकार के खर्चों में मितव्ययिता करके और प्रदेश के विकास कार्यक्रमों के लिये प्रचुर मात्रा में संस्थागत वित्त का उपयोग करके हमने प्रदेश में निवेशित पूंजी में वृद्धि की। अपरिहार्य व्यय को रोकने के लिये जो फैसले लिये गये उनका प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वयन कराया गया।

वर्ष 1989-90 की प्रदेश की 2,970 करोड़ रुपये की योजना का पूरा वित्त पोषण करने के लिये हम दृढ़ संकल्प हैं। हमारा विश्वास है कि बेहतर कर-प्रशासन, बेहतर बकाया वसूली, नये व्यवहारिक उपायों तथा विकास के कार्यक्रमों के लिये राष्ट्रीय बचत के माध्यम से पर्याप्त वित्तीय संसाधन जुटा कर हम प्रदेश में विकास कार्यक्रमों में उत्तरोत्तर प्रसार व गति लायेंगे। आपको यह जानकर हर्ष होगा कि 1988-89 की योजना के वित्त पोषण के लिये राष्ट्रीय बचत की शुद्ध प्राप्ति के समक्ष भारत सरकार से प्राप्त ऋण का लक्ष्य 600 करोड़ रुपये हमने सभी के सहयोग से प्राप्त कर लिया है। राष्ट्रीय बचत आन्दोलन को व्यापक जनाधार प्रदान करने तथा इस हेतु जनता तथा पंचायतीराज संस्थाओं का व्यापक सहयोग जुटाने के लिये हमने व्यापक प्रोत्साहन दिये हैं। प्रदेश के प्रत्येक जनपद की ऐसी सर्वोत्तम ग्राम सभा को जिसके क्षेत्र में सबसे अधिक धनराशि राष्ट्रीय बचत में जमा की जाये और जिसके अधीन सभी परिवार राष्ट्रीय बचत योजना में सदस्य हों, बीस हजार रुपये का पुरस्कार दिया जायेगा, साथ ही ऐसी ग्राम सभाओं में जो ग्राम सभा प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ हों उसे एक लाख रुपये देकर पुरस्कृत किया जायेगा। हमें आशा है कि इससे प्रदेश में विकास कार्यक्रमों में वित्त पोषण के लिये जन-जागृति तथा वित्तीय संसाधन जुटाने का एक नया वातावरण बनेगा और हम योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकेंगे।

मितव्ययिता, कार्यकुशलता तथा बजट साहित्य को अधिक उपयोगी बनाने की दृष्टि से बजट साहित्य के खण्ड-7 को और अधिक तर्क संगत बनाकर उसे अब वर्ष 1989-90 के बजट साहित्य के खण्ड–2 के अंश के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है।

आय-व्ययक अनुमान 1989-90

अब मैं वित्तीय वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक अनुमानों के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। प्रस्तुत आय-व्ययक के अनुसार राजस्व व पूंजी लेखों को मिलाकर कुल प्राप्तियों का अनुमान 9,635.03 करोड़ रुपये है। राजस्व प्राप्तियों की 6,160.00 करोड़ रुपये की राशि में 2,009.82 करोड़ रुपये केन्द्रीय करों में राज्य सरकार का अंश, 1,195.33 करोड़ रुपये भारत सरकार से प्राप्त अनुदान, 2,209.01 करोड़ रुपये राज्य सरकार का कर राजस्व तथा 745.84 करोड़ रुपये का करेतर राजस्व सम्मिलित है। पूंजी लेखे की 3,475.03 करोड़ रुपये की अनुमानित प्राप्तियों में 3,427.96 करोड़ रुपये की ऋणों से प्राप्तियां तथा 47.07 करोड़ रुपये की राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों और अग्रिमों की वसूलियां सम्मिलित हैं।

वित्तीय वर्ष में राजस्व व्यय 8,641.89 करोड़ रुपये होने का अनुमान है जिसमें केन्द्रीय आयोजनागत तथा केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें सम्मिलित करते हुए 1,993.05 करोड़ रुपये आयोजनागत मदों के लिये तथा 6,648.84 करोड़ रुपये आयोजनेतर मदों के लिये हैं। पूंजीगत व्यय, राज्य सरकार द्वारा लिये गये ऋणों की वापसी और ऋणों और अग्रिमों के संवितरण सम्मिलित करते हुए पूंजी लेखे का कुल व्यय 2,864.45 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। इसमें 1,268.76 करोड़ रुपये की राशि केन्द्रीय योजनाओं और केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं को सम्मिलित करते हुए आयोजनागत मदों तथा 1,595.69 करोड़ रुपये आयोजनेतर मदों के लिये है। इस प्रकार राजस्व और पूंजीगत लेखे में कुल 11,506.34 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है जिसके कारण समेकित निधि के अन्तर्गत 1,871.34 करोड़ रुपये का घाटा सम्भावित है।

लोक लेखा के अन्तर्गत 1,813,53 करोड़ रुपये की अनुमानित शुद्ध प्राप्तियों को हिसाब में लेकर आय-व्ययक वर्ष के समस्त लेन-देनों के परिणामस्वरूप कुल मिला-कर 57.78 करोड़ रुपये का घाटा होने का अनुमान है।

इस घाटे की पूर्ति हम बाजू टैक्स ढांचे का प्रभावकारी उपयोग कर तथा जनता के सहयोग से टैक्स प्रशासन को चुस्त, सरल व करापवंचन के विरुद्ध दृढ़तापूर्वक कदम उठाकर तथा समीचीनीकरण द्वारा करेंगे। इस सन्दर्भ में मैं इस बजट के माध्यम से कोई नया टैक्स प्रस्तावित नहीं कर रहा हूं। आयोजनेतर व्यय में अधिकाधिक मितव्ययिता एवं सरकारी देयों की वसूली जन-सहयोग से प्रभावी तौर से करने का भी सरकार प्रयास कर रही है। इन प्रयासों से भी अनुमानित घाटे की पूर्ति होने की सम्भावना है।

माननीय सदस्य अवगत हैं कि हमने कर-राजस्व में आवश्यक वृद्धि सुनिश्चित करने तथा कर-दाताओं को सुविधा प्रदान करने के उद्धेश्य से चालू वित्तीय वर्ष में प्रक्रियाओं का सरलीकरण तथा उन्हें युक्तिसंगत बनाने का निर्णय लिया। करदाताओं को सुविधा देने हेतु ऐसी योजनायें भी लागू कसई जा रही हैं कि जिससे सम्बन्धित श्रेणियों के व्यापारी देय टैक्स का मुक्त जमा कर सकेंगे। इस सरलीकरण से कर-

दाताओं द्वारा कई प्रकार के निर्धारित अभिलेखों के रख-रखाव की संख्या में कमी होगी और करापवंचन की प्रवृत्ति को भी रोका जा सकेगा । इस तरह की योजनायें ईंट निर्माताओं तथा खाण्डसारी निर्माताओं के लिये लागू की जा रही हैं । यह भी व्यवस्था की जा रही है कि 1 अप्रैल, 1989 से व्यापारी अब देय टैक्स बैंक के अलावा अन्य बैंकों में भी जमा कर सकें । इस प्रकार अब विभिन्न बैंकों की लगभग 3,800 शाखायें बिक्री कर को जमा कर सकेंगी। इस व्यवस्था से निश्चय ही व्यापारियों को सुविधा होगी । मनोरंजन कर की दरों को और युक्तिसंगत बनाया जायगा । शीरे पर आधारित उद्योग को प्रोत्साहन प्रदान करने तथा औद्योगिक अल्कोहल की खपत एवं निर्यात को बढ़ावा देने हेतु आबकारी तथा निर्यात शुल्क की दरों को युक्तिसंगत बनाया गया है ।

वित्तीय संसाधनों के अनुकूलतम् उपयोग के परिपेक्ष्य में जीरोबेस बजटिंग प्रणाली के अन्तर्गत शासकीय कार्यक्रमों तथा कार्य-कलापों की समीक्षा विभिन्न विभागों में की जा रही है । कृषि सेक्टर में कतिपय अनुपयोगी योजनाओं को समाप्त किया गया था तथा कतिपय अन्य उपयोगी योजनाओं में समायोजन किया गया । इसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में उपलब्ध हुए अधिकारी/कर्मचारी अन्य विकास कार्यक्रमों/योजनाओं में समायोजित किये गये । इसी प्रकार भूमि संरक्षण योजनाओं में भी कार्यभार के पुनरीक्षण के पश्चात् लगभग 1,500 नये पदों के सृजन की आवश्यकता को वर्तमान उपलब्ध कार्मिकों के समायोजन से ही पूरा किया गया । शिक्षा विभाग में भी इसी प्रकार समायोजन के द्वारा कतिपय नये पदों को भरा गया ।

भविष्य की महायात्रा

विकास की अनन्त महायात्रा में उत्तर प्रदेश को निरन्तर अग्रसर करने के लिये आप सभी सम्मानित सदस्यों ने जो गतिशील योगदान पिछले वर्षों में दिया है, उसके लिये मैं आप सभी का अत्यन्त आभारी हूं । भविष्य के विकास पथ पर एक चमकते हुए मील के पत्थर की तरह व सभी दलों व सदस्यों की संजोयी हुई विकासोन्मुख आकांक्षाओं के प्रारूप की तरह यह बजट आप सबका आशीर्वाद प्राप्त कर सकेगा, ऐसा मुझे भरोसा है ।

मंत्रि-परिषद् के सभी सहयोगियों का मैं अत्यन्त आभारी हूं कि उनके सहयोग और परामर्श से तथा सभी विभागों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सहायता से बजट समय से प्रस्तुत करने में सक्षम हो सका हूं । वित्त विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भी मुझे बजट बनाने के काम में जो सहयोग दिया है उसके लिये मैं अपना आभार प्रकट करता हूं । राजकीय मुद्रणालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बजट साहित्य का मुद्रण समय से किया है । महालेखाकार, उत्तर प्रदेश एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति भी मैं उनके द्वारा दिये गये सहयोग के लिये आभार प्रकट करता हूं ।

उत्तर प्रदेश जैसे विशाल एवं गतिशील प्रदेश का विकास किसी एक व्यक्ति, वर्ग अथवा संगठन द्वारा मात्र अपनी ही शक्ति या सामर्थ्य पर नहीं किया जा सकता । विकास की तमाम मंजिलें हम तभी तय कर पायेंगे जब सभी लोग मिलकर

साथ चलें । अतः विकास के इस सनातन महायज्ञ में सभी का सहयोग अपेक्षित है, विशेषकर जन प्रतिनिधियों का, जिन्होंने अपने-अपने सन्दर्भों में जन-मानस की सेवा में अपने बहुमूल्य क्षणों को लगाकर प्रदेश में विकास व प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया है, इसमें पक्ष एवं विपक्ष का प्रश्न नहीं है । प्रश्न है प्रदेश की उन्नति, प्रगति और खुशहाली का, और इस युग प्रश्न का उत्तर हम सभी को सामूहिक रूप से देना है । हमें विश्वास है कि आपका सहयोग हमें बराबर मिलता रहेगा ।

आओ मिलकर इन्कलाबे ताजा नौ पैदा करें ।
दहर पर इस तरह छा जायें कि सब देखा करें ।।

इन शब्दों के साथ, मान्यवर, मैं विनम्रतापूर्वक वर्ष 1989-90 का बजट प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री अध्यक्ष—
अब हम उठते हैं । कल 11.00 बजे मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन 7 बजे बुधवार, 15 फरवरी, 1989 (अगले दिन) के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :
14 फरवरी, 1989

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिए तारां0 प्र0 सं0 5 का उत्तर पीछे पृष्ठ 20 पर)

दिनांक 11--8--1987 को माननीय मुख्य मंत्री जी के आगमन पर किसान यूनियन द्वारा पढ़कर सुनाई गई मांगें:--

1--गत वर्ष से यूनियन के आन्दोलन के दौरान किसानों पर लगाये गये मुकदमें वापस लिये जायें।

2--रोहाना गन्ना मिल में 25 अगस्त, 1983 के आन्दोलन के दौरान लगाये मुकदमे भी वापस लिये जायें।

3--स्व0 राजकुमार बालियान एडवोकेट की जांच (हत्या की) सी0बी0आई0 से कराई जाये।

4--1985--86 में सहकारी समितियों द्वारा किसानों को उधार खाद दिया गया था, उस पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाये। परन्तु छूट न देकर उस पर सूद सहित धन वसूल किया गया है जबकि ब्लाक द्वारा यह छूट दी गई है।

5--वर्षा न होने के कारण प्रदेश को सूखा ग्रस्त घोषित किया जाये।

6--चौगामा क्षेत्र (मेरठ) कृष्णा-हिण्डन दोआब परियोजना के तहत नहर का निर्माण तुरन्त कराया जाये और इसका निकास गंग नहर कलारपुर से एक वर्ष के अन्दर जोड़ दिया जाये।

7--पानी का जल स्तर ऊपर उठाने हेतु नदियों पर बांध बनाये जायें।

8--नहरों की आबपासी व भूमि का लगान कम किया जाये। और तावान के मुकदमें वापस लिये जाये।

9--विद्युत की दरें वाटर लेविल के अनुसार होनी चाहिये जैसे--35 से 40 फुट तक 22.50 रुपये, 40 से 55 फुट तक निर्धारित दर से कम और 55 फुट से नीचे सबसे कम।

10--विद्युत की 11 शर्तें:--

1--30 रुपये वृद्धि को 22.50 रुपये किया जाये।

2--इन बिलों पर पैनल्टी न लगाई जाये।

3--बिलों के भुगतान की सुविधा निकटतम स्थानों पर की जाये।

4--विद्युत ट्रांसफारमरों के खराब होने पर किसानों के द्वारा सूचना देने के बाद वर्कशाप तक ले जाने व लगाने की जिम्मेदारी विद्युत विभाग की है जो तीन दिन में पूरी होनी चाहिये।

5--विद्युत सम्बन्धी सभी शिकायतों का निराकरण तुरन्त हो।

6--बिजली नलकूपों को 12 घण्टे बिजली दी जाये।

7--गांव में घरेलू प्रयोग हेतु बिजली शाम को 6 बजे से 10 बजे तक और 4 बजे से 7 तक दी जाये।

8--किसी भी किसान के नलकूप का कनक्शन न काटा जाये।

9--किसानों से ली जाने वाली विद्युत सिक्योरिटी तुरन्त समाप्त की जाये।

10--नलकूपों पर रोशनी का बिल अलग से न लिया जाये।

11--बिजली की सप्लाई कम होने पर बिलों में अनुपातिक कमी की जाये।

11--किसानों के लड़के और लड़कियों को दाखिले तकनीकी, डिप्लोमा और नौकरियों में आरक्षण दिया जाये।

12--प्रत्येक 55 वर्षीय किसान को पेंशन दी जाये।

13---कृषि मूल्य आयोग में 3 सदस्य भारतीय किसान यूनियन के लिये जायें, । फसल बोने से पूर्व उस फसल का मूल्य लागत-मूल्य के आधार पर निश्चित किया जाये ।

14--किसानों को अपने पेड़ काटने का पूर्ण अधिकार हो।

15---रासायनिक खाद, कीट नाशक दवाइयां तथा कृषि यन्त्रों की कीमत कम की जाये ।

16---गन्ने की पेराई हेतु खड़े कोल्हू पर कोई प्रतिबन्ध न हो।

17---राजकीय नलकूप 90 प्रतिशत बन्द पड़े हैं, उन्हें तुरन्त चालू कराया जाये।

18--अधिगृहीत भूमि का मुआवजा किसानों को बाजार भावों पर दिया जाय और भविष्य में कृषि भूमि का अधिग्रहण न किया जाये।

19---उत्तर प्रदेश में बसों के किराये में 20 प्रतिशत की वृद्धि को वापस लिया जाये।

20---खेतों में सुरक्षा हेतु एक गांवों के नलकूपों के कनेक्शन एक ही फीडर पर जोड़े जायें ।

ह0
अपर जिला मजिस्ट्रेट,
मुजफ्फरनगर।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 41 का उत्तर पीछे पृष्ठ 54 पर)

वर्ष 1988--89 में बाढ़ राहत कार्यों हेतु आवंटन (लाख रु0 में) दिनांक 31--12-1988 तक

क्रम-संख्या	जिले का नाम	आवंटित धनराशि
1	2	3
1	सहारनपुर	27.41
2	मुजफ्फरनगर	20.30
3	गाजियाबाद	8.20
4	मेरठ	17.39
5	बुलन्दशहर	7.80
6	मथुरा	7.94
7	अलीगढ़	16.55
8	आगरा	8.20
9	मैनपुरी	9.14
10	एटा	33.55
11	बरेली	36.84
12	बदायूं	42.60
13	पीलीभीत	7.90
14	शाहजहांपुर	22.90
15	मुरादाबाद	28.90
16	बिजनौर	15.29
17	फर्रुखाबाद	20.43
18	इटावा	10.06
19	कानपुर-नगर	6.51
20	कानपुर देहात	10.43
21	फतेहपुर	12.60
22	जालौन	6.30
23	मिर्जापुर	13.05
24	बलिया	22.05
25	गोरखपुर	46.08
26	बस्ती	68.45
27	आजमगढ़	42.22
28	नैनीताल	24.51
29	देवरिया	121.91
30	पिथौरागढ़	4.30
31	अल्मोड़ा	13.85
32	चमोली	6.55
33	गढ़वाल	4.30

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2					3
34	उत्तरकाशी	..	..	..	..	3.10
35	टेहरी-गढ़वाल	..	..	..	..	11.22
36	देहरादून	..	..	..	..	10.40
37	लखनऊ	..	..	..	..	13.58
38	उन्नाव	..	..	..	..	26.96
39	रायबरेली	..	..	..	..	18.55
40	सीतापुर	..	..	..	..	52.70
41	हरदोई	..	..	..	..	17.12
42	खीरी	..	..	..	..	43.14
43	फैजाबाद	..	..	..	..	13.05
44	गोण्डा	..	..	..	..	69.98
45	बहराईच	..	..	..	..	52.15
46	बाराबंकी	..	..	..	..	21.70
					योग ..	1098.16

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बाढ़ राहत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि के व्यय का विवरण दिनांक 31-12-1988 तक।

(धनराशि लाख रु० में)

क्रम-संख्या	जनपद का नाम	अहेतुक सहायता	अनुग्रह अनुदान	गृह अनुदान	नाव-किराया	योग
1	2	3	4	5	6	7
1	सहारनपुर ..	5.96	3.53	7.15	—	16.64
2	मुजफ्फरनगर ..	1.70	0.81	4.58	0.24	7.33
3	मेरठ ..	1.13	0.47	4.74	0.60	6.94
4	गाजियाबाद ..	2.69	0.95	4.00	0.69	8.33
5	बुलन्दशहर ..	1.56	0.44	0.71	—	2.71
6	अलीगढ़ ..	5.28	1.75	3.34	—	10.37
7	मथुरा ..	2.55	1.28	2.05	—	5.88
8	आगरा ..	2.85	1.35	1.80	—	6.00
9	मैनपुरी ..	1.12	1.69	0.39	0.06	3.26
10	एटा ..	6.66	2.68	13.01	—	22.35
11	बरेली ..	13.75	4.00	27.00	—	44.75
12	बदायूं ..	18.70	4.00	18.00	0.12	40.82
13	शाहजहांपुर ..	8.59	1.77	8.40	0.06	18.82
14	पीलीभीत ..	3.00	1.14	3.91	—	8.05
15	मुरादाबाद ..	11.46	3.45	8.61	0.49	24.01
16	बिजनौर ..	4.86	2.58	5.78	0.17	13.39
17	फर्रुखाबाद ..	10.10	3.59	24.56	0.63	38.88
18	इटावा ..	1.48	1.86	2.26	—	5.60
19	कानपुर-नगर ..	1.54	0.40	0.73	—	2.67
20	कानपुर-देहात	2.54	1.32	1.34	0.08	5.28
21	फतेहपुर ..	4,14	0.63	4.66	—	9.43
22	जालौन ..	1.19	0.41	0.40	—	2.00
23	मिर्जापुर ..	1.90	1.60	0.60	—	4.10
24	बलिया ..	8.85	0.55	3.40	2.30	15.10
25	गोरखपुर ..	12.18	1.90	12.64	4.00	30.72
26	बस्ती ..	32.00	4.00	8.04	5.67	49.71
27	आजमगढ़ ..	21.00	1.80	13.00	12.50	48.30
28	देवरिया ..	42.88	6.33	31.46	12.43	93.10
29	नैनीताल ..	8.16	0.91	6.00	—	15.07
30	अल्मोड़ा ..	1.84	0.83	4.49	—	7.16
31	पिथौरागढ़ ..	0.97	0.36	0.82	—	2.15
32	चमोली ..	1.30	0.61	2.00	—	3.91
33	उत्तरकाशी ..	0.83	0.32	0.92	—	2.07
34	गढ़वाल ..	0.99	0.87	0.86	—	2.72

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7
35	टिहरी-गढ़वाल ..	0.37	0.11	0.39	—	0.87
36	देहरादून ..	2.22	0.76	6.28	—	9.26
37	लखनऊ ..	..	..	..	..	..
38	उन्नाव ..	15.51	2.94	4.75	1.50	24.70
39	रायबरेली ..	7.73	1.81	5.92	0.38	15.84
40	सीतापुर ..	31.00	2.37	9.54	0.45	43.36
41	हरदोई ..	8.95	1.82	4.91	0.20	15.88
42	खीरी ..	20.57	4.62	11.93	0.32	37.44
43	फैजाबाद ..	9.00	2.50	3.25	6.00	20.75
44	गोण्डा ..	40.98	3.05	8.24	5.05	57.32
45	बहराईच ..	30.00	1.80	2.48	2.60	36.88
46	बाराबंकी ..	11.80	2.16	5.12	0.96	20.04
	योग ..	423.88	84.12	294.46	57.50	859.96

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 42 का उत्तर पीछे पृष्ठ 55 पर)

वर्ष 1987–88 में राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों के वेतन, भत्तों व यात्रा भत्तों पर हुए व्यय का विवरण :—

क्रम-संख्या	माननीय मंत्री का नाम	वेतन/क्षेत्रीय भत्ता चिकित्सा भत्ता/ दैनिक भत्ता	यात्रा भत्ता	योग
1	2	3	4	5
	सर्वश्री			
1	बीर बहादुर सिंह, मुख्य मंत्री	71,748.70	30,479.75	1,02,228.45
2	अरुण कुमार सिंह, मंत्री ..	71,748.70	1,76,449.20	2,48,197.90
3	नरेन्द्र सिंह, मंत्री ..	71,748.70	2,70,297.30	3,42,046.00
4	बल्देव सिंह आर्य, मंत्री ..	71,748.70	1,07,700.95	1,79,449.65
5	लोकपति त्रिपाठी, मंत्री ..	71,748.70	2,40,470.10	3,12,218.80
6	श्याम सूरत उपाध्याय, मंत्री	71,748.70	1,42,931.50	2,14,680.20
7	सै0 सिब्ते रजी मंत्री ..	71,748.70	1,27,105.30	1,98,854.00
8	सुनील शास्त्री, मंत्री .. (20–7–87) तक	22,455.50	30,880.10	53,335.60
9	डा0 संजय सिंह मंत्री .. (22–8–87) तक	27,629.05	61,136.20	88,765.25
10	श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी, मंत्री	71,748.70	53,860.95	1,25,609.65
11	डा0 अम्मार रिजवी, मंत्री	71,748.70	1,72,000.85	2,43,749.55
12	सईदुल हसन मंत्री ..	71,748.70	2,21,312.60	2,93,061.30
13	गोपीनाथ दीक्षित मंत्री ..	71,748.70	1,78,918.90	2,50,667.60
14	ओम प्रकाश रिछारिया, .. राज्य मंत्री	71,748.70	1,99,759.85	2,71,508.55
15	गौरी शंकर राज्य मंत्री ..	71,748.70	1,70,970.80	2,42,719.50
16	जफर अली नकवी, राज्य मंत्री (19–7–87 तक)	22,298.55	72,972.10	95,270.65
17	श्रीमती पदमा सेठ राज्य मंत्री	71 748.70	93 572.75	1 65 321.45
18	मानपाल सिंह राज्य मंत्री	71 748.70	1,69,996.95	2,41,745.65
19	हुकुम सिंह, राज्य मंत्री ..	71,748.70	2,15,776.05	2,87,524.75
20	शिव बालक पासी,, राज्य मंत्री	71,748.70	1,31,641.40	2,03,390.10
21	प्रमोद कुमार तिवारी, ..	71,748.70	1,41,780.90	2,13,529.60
22	भोला शंकर मौर्य, राज्य मंत्री	71,748.70	1,84,926.70	2,56,675.40
23	निसार अहमद अन्सारी, राज्य मंत्री	71,748.70	1,27,245.95	1,98,994.65
24	राम औतार दीक्षित, राज्य मंत्री	71,748.70	1,34,526.85	2,06,275.55
25	सुरेन्द्र सिंह चौहान, राज्य मंत्री	71,748.70	1,75,712.35	2,47,461.05
26	चेतराम गंगवार, राज्य मंत्री	71,748.70	1,47,302.40	2,19,051.10

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5
	सर्वश्री			
27	राम नरेश शुक्ल, राज्य मंत्री	71,748.70	1,90,761.95	2,62,510.65
28	सीताराम निषाद, राज्य मंत्री	71,748.70	1,57,935.35	2,29,684.05
29	कु0 सरस्वती अम्माल, राज्य मंत्री	71,748.70	1,00,405.70	1,72,154.40
30	संकठा प्रसाद शास्त्री, राज्य मंत्री	71,748.70	1,98,673.10	2,70,421.80
31	रामनाथ मुन्शी, राज्य मंत्री	71,748.70	1,00,592.75	1,72,341.45
32	श्रीमती दीपा कौल, राज्य मंत्री	71,748.70	1,94,993.80	2,66,742.50
33	सुरेन्द्र सिंह, राज्य मंत्री .. (1-9-87 तक)	22,298.55	66,979.90	89,278.45
34	प्रवीण कुमार शर्मा, राज्य मंत्री	71,748.70	1,54,964.10	2,26,712.80
35	श्रीमती प्रमिला बड्डवार मेहरा उपमंत्री	67,548.70	84,296.40	1,51,845.10
	कुल योग ..	23,14,691.35	50,29,331.80	73,44,023.15

नोट:---उपर्युक्त कालम-3 में अंकित धनराशि में वेतन के अतिरिक्त क्षेत्रीय भत्ता, चिकित्सा भत्ता तथा दैनिक भत्ता सम्मिलित है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 63 का उत्तर पीछे पृष्ठ 63 पर)

ग्राम सभा अमहटा परगना रुदौली पहसील रामसनेहीघाट, की भूमि पर अवैध कब्जेदारों की सूची

1--परमात्मा दीन
2--आसाराम
3--रानी
4--केदारनाथ व राजकुमार व सुरेश कुमार
5--श्याम बिहारी
6--परागनरायन
7--रविराम उर्फ कल्लू
8--शम्भूदत्त व वारीदेव
9--द्वारिका
10--भाईलाल
11--कन्हैया लाल
12--योगेन्द्र प्रसाद
13--स्यूम कुमार
14--शिवमूरत
15--माताफेर
16--स्वामी दयाल
17--अयोध्या प्रसाद
18--नेसादेवी
19--भगतदेयी
20--राजाराम
21--श्रीराम
22--काशीराम
23--निहोरे
24--खुशी राम
25--सीताराम
26--झुरहू
27--मठू
28--मु0 बुधना
29--मनोहर
30--लक्खू
31--राम बहादुर सिंह
32--अकबाल बहादुर सिंह
33--जंग बहादुर
34--देवपती
35--महेश प्रसाद
36--राधेश्याम
37--रामदेव सिंह
38--रंगबहादुर सिंह
39--शिव बहादुर सिंह
40--साहब बक्श
41--बैजनाथ
42--माताबदल
43--भोलानाथ
44--सीताराम
45--जगप्रसाद
46--भगवानदीन
47--काशी
48--सोहवती
49--केदार सिंह
50--दुक्खी
51--जगन
52--सियाराम
53--मेवालाल
54--शिवप्यारी
55--सुन्दर
56--सूरजदीन
57--राम फकीरे
58--भवानीभीख
59--गुरुप्रसाद
60--शिवप्रसाद
61--पतिराजा
62--झगरू
63--रामप्रसाद
64--श्रीराम
65--प्रह्लाद
66--रामराज
67--धोखई
68--झेठू
69--हरिहर बक्श सिंह
70--लालजीत सिंह
71--पियारी
72--ज्जिन
73--गंगाराम
74--भजन
75--चैतू
76--रामबख्श
77--शीतल
78--राजकुमार
79--माताफेर
80--रमपता

उत्तर प्रदेश विधान सभा

81--चन्द्रमाल सिंह
82--संजय कुमार
83--शिवशंकर
रामउजागर
84--गुलाम
85--रामरूप
86--आशाराम

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अनाधिकार काबिजदारों की सूची

ग्राम–बछरावाँ परगना रुदौलीतहसील रामसनेहीघाट जिला बाराबंकी

1––रामफल
2––रामखेलावन, दुलारे, सूर्यपाल रामधीरज
3––मगौती प्रसाद, हरिश्चन्द्र, सच्चिदानन्द, राम अछैबर, सउद, रऊफ अकबर,
4––सूर्यपाल
5––रामसजीवन
6––गुलाम रसूल
7––गुरदीन, दशरथ, श्रीपाल, कृष्णप्रसाद व श्रीपाल व बद्री व राम औतार
8––नकछेद
9––कामता, व रामशंकर, अंगनू, लगन, हरदीन
10––मनीराम
11––मनीराम
12––खदेरू
13––राधेश्याम
14––मनोहर
15––मनोहर
16––रामजस
17––रामनाथ
18––राम केवल
19––राममिलन
20––रामकिशोर
21––राम किशोर
22––शिवनाथ
23––काशी
24––माताबदल सिंह
25––अछैबर
26––जगजीवन
27––मिहीलाल
28––झगरू
29––रामपियारे
30––रामपियारे
31––माताबदल सिंह, महन्त सिंह, रामबहादुर सिंह
32––हरिप्रसाद
33––मंगरू
34––छोटेलाल
35––रामतिलक

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 70 का उत्तर पीछे पृष्ठ 66 पर)

सूचना

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री वासिम अली सिद्दीकी निवासी ग्राम उजरियांव, तत्कालीन थाना चिनहट, लखनऊ ने दिनांक 17-7-81 को थाना चिनहट में यह लिखित रिपोर्ट दी कि उसका लड़का खुरशीद आरिफ आयु लगभग 16 वर्ष दिनांक 24-7-81 को निशातगंज लखनऊ घर का सामान खरीदने गया था, तब से वापस नहीं लौटा है। उसे पक्का यकीन है कि श्रीराम खेलावन पुत्र कन्हई निवासी ग्राम जुगौली, जिससे उसका जमीन के बाबत झगड़ा है, ने उसके लड़के को गायब कर दिया है या मार डाला है या अपने साथियों से ऐसा करवाया है। उक्त सूचना के आधार पर स्थानीय पुलिस द्वारा दरयाफ्तहाल विवेचना प्रारम्भ की गई जिसे वादी द्वारा प्रार्थना पत्र दिये जाने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार दिनांक 25-8-81 को अपराध संख्या 443 धारा 364 भा0 दं0 वि0 में परिवर्तित किया गया। उक्त मामले की जांच दिनांक 7-9-81 को अपराध शाखा को सौंपी गई अपराध शाखा द्वारा खुरशीद आरिफ का पता लगाने का पूर्ण प्रयास किया गया किन्तु कुछ पता नहीं चल सका अतः अपराध शाखा द्वारा दिनांक 22-11-82 को अंतिम रिपोर्ट लगाकर जांच समाप्त की गई।

दिनांक 28-10-84 को श्री मो0 युनुस सिद्दीकी ने थाना गाजीपुर में रिपोर्ट लिखाई कि उसका भतीजा खुरशीद आरिफ, जिसका अपहरण दिनांक 24-7-81 को किया गया था, का नरकंकाल दिनांक 28-10-84 को लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा गोमती नगर योजना के अन्तर्गत एक मकान की नींव खोदते समय बरामद हुआ। इसकी सूचना अपराध शाखा को प्राप्त हुई और अपराध शाखा के विवेचक द्वारा मजिस्ट्रेट व खुरशीद आरिफ के परिवारजनों के समक्ष कंकाल दिनांक 29-10-84 को निकलवाकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। नरकंकाल के बाल तथा उसके पास मौजूद कपड़ों के गले हुए टुकड़ों से वासिम अली व उसके परिवार वालों ने उस कंकाल को खुरशीद आरिफ का होना बताया। अतः अपराध शाखा द्वारा पुनः जांच प्रारम्भ की गई। नरकंकाल के पोस्टमार्टम से कंकाल की आयु लगभग 20 वर्ष तथा मृत्यु का समय 3 वर्ष से 10 वर्ष अंकित किया गया। जबकि मृतक के पिता द्वारा आयु लगभग 16 वर्ष होना अंकित कराया गया है। डाक्टर मृत्यु का सही कारण निश्चित नहीं कर सके। जांच से यह सही पाया गया कि भूमि के कारण राम खेलावन व वासिम में रंजिश थी किन्तु ऐसा कोई निष्पक्ष एवं विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुआ जिससे यह प्रमाणित हो सके कि खुरशीद आरिफ का अपहरण/हत्या राम खेलावन ने की है या कराई है। यह ज्ञात नहीं हो सका कि खुरशीद आरिफ की हत्या किसने, किस प्रकार तथा किस स्थान पर की। अतः अपराध शाखा द्वारा जांच समाप्त की गई।

नत्थी 'च'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 77 का उत्तर पीछे पृष्ठ 69 पर)

सूची

क्रम-संख्या	प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने का दिनांक	प्रार्थी का नाम
1	18-6-85	श्री अकबर सिंह पुत्र श्री नथ्था
2	15-6-85	श्री श्याम पाल व लाला राम पुत्र श्री मिरोवर सिंह व शंकर लाल
3	27-10-86	श्री अवधेश दीक्षित पुत्र श्री विनोदी लाल दीक्षित
4	28-10-86	श्री अशोक कुमार पाण्डेय पुत्र श्री प्रेम चन्द्र पाण्डेय
5	29-10-86	श्री आनन्द कुमार तिवारी पुत्र श्री कृष्ण चन्द्र तिवारी
6	30-10-86	श्री अजय टण्डन पुत्र पी0 एल0 टण्डन
7	31-10-86 21-6-85	श्री अरविन्द कुमार अग्रवाल पुत्र श्री सीताराम अग्रवाल
8	31-10-86	श्री अजय कुमार पुत्र श्री बैजनाथ त्रिवेदी
9	12-6-85	श्री अनिल कुमार गुप्ता पुत्र श्री गंगा प्रसाद गुप्ता
10	8-7-85	श्री बाबू सिंह पुत्र श्री सन्ता सिंह
11	25-10-86	श्री चन्द्र किशोर व विनोद कुमार पुत्र श्री पुत्तू लाल
12	10-6-82	श्री दुर्विजय सिंह पुत्र श्री जगन्नाथ प्रसाद
13	29-10-86	श्री दिनेश कुमार व श्रीमती मिथलेश कुमारी
14	23-10-86	श्री गिरीश चन्द्र गुप्ता पुत्र श्री श्याम बाबू गुप्ता
15	29-10-86	श्री गिरधारी पुत्र श्री उमराव
16	11-6-82	श्री हरेन्द्र नरायन व श्री सतीश चन्द्र पुत्र श्री ब्रहमानन्द मिश्र व दया नन्द
17	30-10-86	श्री हरीशचन्द्र गुप्ता पुत्र श्री श्याम बाबू गुप्ता
18	30-10-86/ 14-6-85	श्री हाकिम सिंह पुत्र श्री राकम सिंह
19	28-10-86	श्री इन्द्रपाल सिंह व श्री रवीन्द्र पाल सिंह
20	27-10-86	श्री जदुनाथ सिंह पुत्र श्री मुन्शी सिंह
21	27-10-86	श्री जय प्रकाश मिश्रा पुत्र श्री किशन लाल
22	25-10-86	श्रीमती जसमेल कौर पत्नी स0 हरबंश सिंह
23	4-7-85	श्री कमलेश चन्द्र पुत्र श्री सालिग राम
24	24-9-82/ 24-10-86	श्री महेन्द्र कुमार पुत्र श्री मुन्शी लाल
25	23-10-86	श्री मदन लाल गुप्ता श्री मुन्शी लाल गुप्ता
26	11-6-85 24-10-86	श्री मुन्शी लाल पुत्र श्री गेंदा लाल
27	27-10-86	श्री महेश चन्द्र पुत्र श्री रती राम
28	30-10-86	श्री मान सिंह पुत्र श्री भोला सिंह
29	30-10-86	श्री मुलायम सिंह पुत्र श्री महराज सिंह
30	15-6-85	श्री मिथलेश कुमार पुत्र श्री बेदराम सिंह

1	2	3
31	10-6-82	श्रीमती निर्मला देवी पत्नी श्री राम प्रकाश बाजपेयी
32	11-6-82 29-10-86	श्री निवासी लाल यादव पुत्र श्री दर्शन यादव
33	14-6-82	श्रीमती पुष्पा देवी रस्तोगी पत्नी श्री जुगुल किशोर
34	15-6-82	श्री रवेन्द्र पाल सिंह, इन्द्रपाल सिंह
35	15-6-82	श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री सहदेव सिंह
36	30-10-86	श्री राजबीर सिंह पुत्र श्री पन्नालाल
37	28-10-86	श्री रमेश चन्द्र पुत्र श्री दुलारे
38	30-10-86	श्री रसूल मो0 पुत्र श्री हाजी अलादीन
39	24-6-85	श्री राम दास वर्मा पुत्र श्री कृष्ण औतार वर्मा
40	15-6-82	श्री संजय टण्डन पुत्र श्री ओम प्रकाश टण्डन
41	13-9-82	श्रीमती शान्ती देवी दीक्षित पत्नी श्री मुन्शी लाल
42	31-10-86	श्री सतेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री योगेन्द्र प्रताप सिंह
43	29-10-86	श्री सुखदेव सिंह पुत्र श्री सरयू सिंह
44	30-10-86	श्री राम प्रकाश बाजपेई पुत्र श्री बनवारी लाल
45	25-10-86	श्री शब्बीर अहमद पुत्र श्री हाजीनियाज अहमद
46	3-7-85 30-10-86	श्री सतपाल चावला पुत्र श्री बरकत राम चावला
47	18-6-85 29-10-86	श्रीमती सुधा द्विवेदी पत्नी श्री देव दत्त द्विवेदी
48	18-6-85	श्री सुरेन्द्र दत्त द्विवेदी पुत्र श्री सुन्दर लाल द्विवेदी
49	30-10-86	श्री उमेश चन्द्र दुबे पुत्र श्री गया प्रसाद दुबे
50	3-10-85	श्री उमेश चन्द्र व भगवान दास पुत्र श्री द्वारिका प्रसाद व सुखलाल
51	29-10-86	श्री विनय कुमार दीक्षित पुत्र श्री ज्वाला प्रसाद दीक्षित
52	30-10-86	श्री विनोद कुमार पुत्र श्री हीरा लाल
53	18-6-85	श्री विमल नरायन शुक्ला पुत्र श्री रमेश चन्द्र शुक्ला
54	30-10-86	श्री अकबर सिंह पुत्र श्री कन्हई

नत्थी 'छ'

(देखिए अता0प्र0सं0-85 का उत्तर पीछे पृष्ठ 72 पर)

सर्वश्री बालाजी स्क्रेप ट्रेडर्स, अलीगढ़ को जारी किये गये फार्म-31 एवं फार्म-सी का तिथिवार विवरण

दिनांक		फार्म-31 की संख्या	दिनांक		फार्म-सी की संख्या
22-9-82	..	02	5-10-82	..	05
5-10-82	..	05	8-11-82	..	05
8-11-82	..	05	16-8-83	..	05
4-1-83	..	05	22-9-84	..	10
16-11-83	..	05	10-5-85	..	05
24-2-84	..	05			
23-5-84	..	03	फार्म-सी का योग,	..	30
23-7-84	..	04			
4-9-84	..	03			
22-9-84	..	10			
7-12-84	..	04			
5-1-85	..	05			
20-7-85	..	02			
21-8-85	..	05			
फार्म-31 का योग-		63			

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मे0 बाला जी स्क्रेप ट्रेडर्स, महेन्द्र नगर की वर्षवार बकाया की स्थिति

वर्ष	आरोपित कर/ अर्थदण्ड	नक्शों द्वारा जमा कर	कर बकाया	बकाया में से वसूली	शुद्ध बकाया
1	2	3	4	5	6
82-83 प्रांतीय	48,000.00	1450.00	46,530.00	निल	46,550.00
धारा--21	7,500.00	---	7,500.00	निल	7,500.00
धारा--21 पुनः	7,500.00	---	7,500.00	निल	7,500.00
82-83 केन्द्रीय	--	---	---	---	---
83-84 प्रान्तीय	1,94,660.00	519.00	1,94,141.00	निल	1,94,141.00
83-84 केन्द्रीय	---	---	---	--	--
84-85 प्रान्तीय	1 95 300.00	1523.26	1,93,777.00	1225.00	1,92,552.00
84-85 केन्द्रीय	---	---	--	---	---
84-85 अर्थदण्ड/15 ए (1) ई	114.20	---	114.20	114.20	---
84-85	35.00	---	25.00	25.00	---
84-85 अर्थदण्ड/15 ए (1)-ई	1 250.00	---	1,250.00	1250.00	--
84-85 अर्थदण्ड/15 ए (1)--ई	5,000.00	---	5,000.00	निल	5,000.00
85-86	2,08,833.00	---	2,08,833.00	निल	2,08,833.00
86-87	2,32,500.00	निल	2,32,500.00	निल	2,32,500.00
87-88	3,14,000.00	निल	3,14,000.00	निल	3,14,000.00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ज'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 111 का उत्तर पीछे पृष्ठ 83 पर)

गोपनीय

जिलाधिकारी,

जालौन, स्थान उरई।

आपके आदेश दिनांक 19 नवम्बर, 1985 के अनुपालन में मेरे द्वारा दिनांक 23-11-85 को लगभग 8.30 बजे क्षेत्राधिकारी कोंच के साथ कोंच की वधशाला का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। मौके पर पशुधन विकास अधिकारी श्री यदुवीर सिंह तथा नगरपालिका के चपरासी श्री इस्लामुद्दीन को तैनात पाया। मौके पर जो बैल बंधे पाये गये उन सभी की आयु जिला पशुधन अधिकारी द्वारा मौके पर 15 वर्ष से अधिक बतायी गयी। (कार्य स्लोटर एक्ट) उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम की धारा 3 की उप धारा 9 (ख) के अनुसार किसी भी सांड़ या बैल का वध तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि सक्षम अधिकारी द्वारा उसके संबंध में यह लिखित प्रमाण-पत्र न दे दिया जाय कि वह वध करने योग्य है यहां यह उल्लेख करना उपयुक्त होगा गोवध निवारण अधिनियम की धारा 3 की भावना स्पष्ट रूप से यह है कि ऐसा प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा प्रत्येक सांड़ या बैल, जिसका की वध किया जाना है के विषय में अलग से जारी किया जायगा। किन्तु मौके पर उपस्थित सक्षम अधिकारी श्री यदुवीर सिंह, पशुधन विकास अधिकारी, से मौके पर वध किये जा चुके जानवरों के संबंध में जारी किये गये उपयुक्तता प्रमाण-पत्र के विषय में पूछ-तांछ की गयी तो उनके द्वारा मेरे सम्मुख दो रसीदें (संख्या-90 व 91) प्रस्तुत की गयी जिनमें से रसीद संख्या-91 के साथ सामूहिक रूप से 40 बैलों को उपयुक्तता प्रमाण-पत्र तथा रसीद संख्या-90 में एक साथ सामूहिक रूप से 35 बैलों का उपयुक्तता प्रमाण-पत्र जारी किया गया था। रसीद संख्या-91 में समस्त 40 बैलों की आयु 18 वर्ष दर्ज है तथा रसीद संख्या-90 में समस्त 35 बैलों की आयु 18 वर्ष दर्ज है इस प्रकार स्पष्ट होता है कि पशुधन विकास अधिकारी द्वारा उपयुक्तता प्रमाण-पत्र जारी करने में गोवध निवारण अधिनियम की धारा-3 का उल्लंघन किया गया है जो कि एक गम्भीर अनिमितता है। समस्त 40 अथवा 35 बैलों के संबंध में एक साथ उपयुक्तता प्रमाण-पत्र जारी करना तथा उन्हें एक ही आयु का बताया जाना इस तथ्य का स्पष्ट संकेत है कि पशुधन विकास अधिकारी द्वारा प्रमाण-पत्र जारी करने में असावधानी बर्ती गई है, जिसके लिये उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

नगरपालिका कोंच के बाइलाज की नियमावली के अनुसार जानवरों का वध होने से पहले वधशाला के अन्दर वध हेतु प्रवेश होने से पूर्व प्रत्येक जानवर पर लाइसेंसी द्वारा एक फीस देय होगी जो कि नगर पालिका के मौके पर तैनात कर्मचारी द्वारा एकत्र की जायेगी। इस कार्य हेतु नगरपालिका के मौके पर तैनात कर्मचारी (चपरासी) श्री इस्लामुद्दीन से जब मैंने वध किये जा चुके जानवरों पर देय फीस की रसीद मांगी तो उसके द्वारा जिस रसीद बुक (जो कि इस कार्य हेतु उसके नगरपालिका द्वारा दी गयी थी) को मेरे सम्मुख प्रस्तुत किया गया उसमें मात्र 22-11-85 तक की रसीद काटी गयी थी तथा अन्तिम रसीद संख्या 082899 जो कि 22-11-85 को काटे गये 20 बैलों के संबंध में है, के उपरान्त कोई रसीद न काटी थी जबकि मौके पर उपस्थित लोगों के बयानों के अनुसार कम से कम साठ जानवर उस समय तक काटे जा चुके थे। इससे यह स्पष्ट होता है कि श्री इस्लामउद्दीन द्वारा अपने कार्य में जानबूझ कर असावधानी बरती गयी है तथा उनके विरुद्ध भी विभागीय कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

यहां पर यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि यद्यपि मौके पर लिये गये बयानों में श्री शहजाद पुत्र श्री कालु कुरैशी, श्री जाफर पुत्र श्री कल्लू कुरैशी ने अपने बयान में दिनांक 23-11-85 को लगभग 60 जानवरों के वध किये जाने की बात कही है वही दूसरी ओर श्री मुन्ना पुत्र बाबू शेख ने अपने बयान में 100 तथा श्री झुन्डा पुत्र मोहम्मद बख्श ने 125 जानवरों के वध किये जाने की बात अपने बयान में कही है। यह बयान उन जानवरों (बैल तथा भैंस) के बारे में है जिनका वध मौके पर मेरे पहुंचने से पूर्व किया जा चुका था मौके पर मेरे पहुंचने के उपरांत जानवरों की कटाई नहीं हुयी। किन्तु बयानों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कोंच वध शाला में प्रत्येक दिन अपेक्षित संख्या से कही अधिक जानवरों का वध किया जा रहा है।

आख्या सेवा में प्रेषित है।

भवदीय,
ह0-आर0के0 सिंह
ए0 एस0 डी0 एम0 उरई।

नोट:---मौके पर लिये गये व्यक्तियों के बयान तथा जब्त की गयी उपयुक्तता प्रमाण-पत्र की पुस्तिका तथा नगरपालिका की हेतु देय फीस की रसीद बुक साथ में संलग्न है।

भवदीय,
ह0-ए0 एस0 डी0 एम0

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'झ'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 147 का उत्तर पीछे पृष्ठ 97 पर)

श्रीमती कृष्णा देवी के प्रार्थना पत्र दिनांक 22.2.88 पर कृत कार्यवाही की सूचना

प्राप्त सूचना के अनुसार जांच से ज्ञात हुआ कि प्रार्थिनी श्रीमती कृष्णा देवी एवं विपक्षी श्रीमती रामकुमारी सगी बहनें हैं जो विवादित जमीन, जिस पर अमरूद, जामुन व बैर आदि के पेड़ लगे हैं, पर दोनों बहिनें काबिज हैं। इस जमीन पर कब्जे के संबंध में दोनों बहनों के मध्य विवाद उत्पन्न होने के कारण स्थानीय पुलिस द्वारा धारा 145 द0 प्र0 सं0 की कार्यवाही की गई, जिस पर परगना मजिस्ट्रेट लखनऊ के न्यायालय से दिनांक 13-3-87 को यह निर्णय हुआ कि कुल जमीन श्रीमती कृष्णादेवी की है और वह उक्त जमीन पर कब्जा रखने की अधिकारी है तथा प्रतिपक्षी श्रीमती रामकुमारी का उसपर कोई अधिकार नहीं है। उक्त निर्णय के विरुद्ध प्रतिपक्षी श्रीमती रामकुमारी द्वारा सेशन जज लखनऊ के न्यायालय में रिवीजन दायर किया गया जिसमें माननीय न्यायालय ने अपर परगना मजिस्ट्रेट मलीहाबाद के उपरोक्त निर्णय को अवैध बताते हुए अपने आदेश दिनांक 21-7-87 द्वारा रिवीजन स्वीकार किया एवं अपर परगना मजिस्ट्रेट के उक्त आदेश को निरस्त कर दिया। वर्तमान में यह मामला राजस्व विभाग में विचाराधीन है जिसमें उनके द्वारा कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया गया है।

जहां तक विवादित है जमीन से लकड़ी व पेड़ न काटने देने का संबंध है जांच से ज्ञात हुआ कि श्रीमती कृष्णा देवी द्वारा प्रतिपक्षी श्रीमती राम कुमारी की बिना इजाजत के उक्त जमीन की बाग को ठेकेदार श्री आरिफ खां के हाथ बेंच दिया गया और ठेकेदार ने उसमें से जामुन व बैर आदि के पेड़ कटाए तथा एक ट्रक लकड़ी भी ले गया। इस पर प्रतिपक्षी श्रीमती राम कुमारी द्वारा एतराज किया गया और नाजायज पेड़ काटने के संबंध में उच्चाधिकारियों को प्रार्थना-पत्र दिए गए और वन विभाग द्वारा मौके पर जाकर बची हुई कटी लकड़ी ग्राम फैजुल्लागंज के प्रधान को सुपुर्दगी में दे दी गई। चूंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है अतः जब तक न्यायालय से कोई निर्णय का अंतिम आदेश न पारित हो जाय, इसमें पुलिस द्वारा हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।

नत्थी 'अ'

(देखिए अता0प्र0सं0 167क उत्तर पीछे पृष्ठ. . . . . 104 . . . . पर)

अर्द्ध शा0प0सं0 14/1/1984–कार्मिक–2

गिरीश बिहारी
मुख्य सचिव

उत्तर प्रदेश सरकार
कार्मिक अनुभाग–2
लखनऊ, दिनांक 17 अप्रैल, 1984

सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों के वार्षिक स्थानान्तरण के विषय पर सम्यक विचारोपरांत वर्ष 1984–85 के लिये निम्नांकित नीति निर्धारित की गई है:—

(1) समूह "घ" (क्लास फोर्थ) के कर्मचारियों को अपने जिले में, समूह "ग" (क्लास थ्री) के कर्मचारियों के अपने मण्डल में (गृह स्थान को छोड़कर) समूह "ख" (क्लास टू) एवं समूह (क) (क्लास वन) के अधिकारियों को गृह जनपद को छोड़कर समस्त प्रदेश में स्थानन्तरित किया जा सकता है। इस संदर्भ में यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि समूह "ग" (क्लास थ्री) के कर्मचारियों को अपने मण्डल में (गृह निवास स्थान को छोड़कर) स्थानान्तरित करने के सामान्य निर्देश इस समूह के लिपिकीय वर्ग व अप्रशासकीय कर्मचारियों के लिए ही हैं। पुलिस संवर्ग, विभिन्न विभागों के निरीक्षक वर्ग के कर्मचारी नायब तहसीलदार तहसीलदारों तथा अन्य प्रशासकीय पदधारकों के स्थानान्तरण पूर्व की भांति मण्डल के बाहर भी किये जा सकते हैं और इस पर कोई निषेध नहीं है।

भवदीय,
गिरीश मेहरा।

संख्या/14/1/1984–कार्मिक–2

प्रेषक,
श्री सिद्धार्थ बेहुरा,
विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन।

सेवा में,
1––समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन।
2––समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0।

लखनऊ, दिनांक 17 फरवरी, 1988

विषय:––सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों के वार्षिक स्थानान्तरण के विषय पर वर्ष 1988–89 के लिये नीति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तत्कालीन मुख्य सचिव के समसंख्यक अर्द्ध शासकीय पत्र दिनांक 17 अप्रैल, 1984 द्वारा वर्ष 1984–85 हेतु सूचित की गई स्थानान्तरण नीति, जो अनुवर्ती वर्षों में भी यथावत लागू थी, वर्ष 1988–89 के लिये भी लागू रहेगी।

भवदीय,
सिद्धार्थ बेहुरा,
विशेष सचिव।

संख्या 5001/आठ--1-86

प्रेषक,

श्री माता प्रसाद
गृह सचिव, उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उ0 प्र0, लखनऊ।

गृह (पुलिस) अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक 11 जुलाई, 1986

विषय:--पुलिस दल के कान्सटेबिल, हेड कान्सटेबिल, उपनिरीक्षक तथा निरीक्षक की नियुक्ति एवं स्थानान्तरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0 3442/आठ-1-31/78 दिनांक 27 जून, 1983 का अतिक्रमण करते हुए श्री राज्यपाल यह आदेश देते हैं कि पुलिस दल के कान्सटेबिल, हेड कान्सटेबिल, उपनिरीक्षक तथा निरीक्षक की नियुक्ति एवं स्थनान्तरण के विषय में निम्न प्रक्रिया अपनाई जाय तथा उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाय:--

1--किसी भी निरीक्षक अथवा उपनिरीक्षक को उसके गृह परिक्षेत्र में तैनात न किया जाय साथ। ही किसी भी निरीक्षक अथवा उपनिरीक्षक को ऐसे जिले में तैनात न किया जाय जो उसके गृह जनपद से सीमावर्ती हो।

भवदीय,
माता प्रसाद
गृह सचिव।

पी0एस0यू0पी0-एल0 469 वि0 सभा (761)-1989-813।